खण्ड–21, अंक–08
गुरुवार, 23 फाल्गुन, शक संवत्, 1929
(13 मार्च, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2008)

(खण्ड 21 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	"क"
नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग	1–5
प्रश्नोत्तर	6–64
नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाए	64
जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा/भू स्खलन से प्रभावित रमोलसारी ग्राम के विस्थापन के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	64–65
जनपद पौड़ी गढ़वाल के जी0बी0 पन्त इन्जीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में प्रधानाचार्य नियुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 310 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्रों के आस–पास के गाँवों में पीने का पानी दूषित होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	65–66
जनपद बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र काण्डा में राजकीय महाविद्यालय को बी0ए0 की मान्यता तथा अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत आदि विषयों के खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	66
जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	66
जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बजारेवाला, खेड़ी शिकोपुर–सिकरोढ़ा उर्फ बुग्गावाला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	67
जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकास खण्ड के मजाहदपुर सतीवाला गाँव में रतमऊ नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	67
जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	67

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत ए0एन0के0 इण्टर कॉलेज गूलरभोज को संवित्त मान्यता दिये जाने विषयक याचिका (उपस्थापित)	67
जनपद देहरादून के लोकनिर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत जोगीवाला, मुख्य चौक माता–नवादा बद्रीपुर रोड का चौड़ीकरण / डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	68
श्री महेन्द्र सिंह माहरा सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	68–74
दिनांक 23 नवम्बर 2007 को श्री पुष्पेश त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–10 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री का शोधन वक्तव्य	74–75
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए	75–86
वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	86–116
अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग (स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (स्वीकृत) ...	116–143
अनुदान संख्या–27, वन विभाग, अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	143–159
अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग (स्वीकृत)	159–171
अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग (स्वीकृत)	171–180
अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग (स्वीकृत)	180–185
अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	185–193
अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग (स्वीकृत)	193–196
अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	196–200
कार्य मंत्रणा की सिफारिश	200–201

विषय		पृष्ठ–संख्या
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	... ...	201
उत्तराखण्ड तराई बीज एवं विकास निगम के माध्यम से कृषकों को सब्सिडी वाला बीज उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही कोर वैली योजना में बीज माफियों को कमीशन लेकर बीज बेचने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य	....	201–202
नत्थी 'क'	....	203–205
नत्थी 'ख'	... ...	206–212

क

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री करन माहरा
7–सुश्री कैरन मेगर
8–श्री किशोर उपाध्याय
9–श्री केदार सिंह रावत
10–श्री केदार सिंह फोनिया
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश जोशी
15–श्री गोपाल सिंह
16–श्री गोपाल सिंह रावत
17–श्री गोविन्द लाल
18–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20–चन्दन राम दास
21–श्री जोगा राम टम्टा
22–श्री जोत सिंह गुनसोला
23–हाजी तसलीम अहमद
24–श्री तिलक राज बेहड़
25–श्री दिवाकर भट्ट
26–श्री दिवान सिंह
27–श्री नारायण पाल
28–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
29–श्री प्रकाश पन्त
30–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31–श्री प्रीतम सिंह
32–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
33–श्री प्रेमानन्द महाजन
34–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
35–श्री बलवीर सिंह नेगी
36–श्री बिशन सिंह चुफाल
37–श्री बंशीधर भगत
38–श्री बृज मोहन कोटवाल
39–श्री भगत सिंह कोश्यारी
40– मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
41–श्री मदन कौशिक
42–श्री मनोज तिवारी
43–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"
44–श्री मातबर सिंह कण्डारी
45–श्री मुन्ना सिंह चौहान
46–श्री यशपाल आर्य
47–श्री यशपाल बेनाम
48–मौ0 यशवीर सिंह
49–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
50–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
51–श्रीमती विजया बड़थ्वाल
52–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
53–श्रीमती वीना महराना
54–श्री शहजाद
55–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
56–श्री सुरेन्द्र राकेश
57–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58–श्री सुरेश चन्द जैन
59–डा0 हरक सिंह रावत
60–श्री हरिदास
61–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरूवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के अध्यक्षता मे प्रारम्भ हुई)

नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खडे होकर अपनी बात कहने लगे) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें। जब तक आप अपने–अपने स्थान पर नही बैठ जायेंगे, तब तक आप लोगों की कोई बात नही सुनी जायेगी और जिस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देंगे वहीं माननीय सदस्य बोलेंगे।

आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल चार सूचना प्राप्त हुई हैं, जिनमें से पहली सूचना सिडकुल क्षेत्र में लगे उद्योगो में ठेका प्रथा के आधार पर भर्ती पर रोक लगाने के सम्बन्ध मे है। माननीय सदस्य श्री तसलीम अहमद जी, श्री सुरेन्द्र राकेश जी, श्री प्रेमानन्द महाजन जी की है। 2008–2009 के आय–व्ययक की माँगों पर सम्बन्धित विभाग पर आज चर्चा होना है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आप इसे उस समय उठायें। उस समय आपकी बात सुन ली जायेगी। दूसरी सूचना प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगडती जा रही है। जो प्रदेश में चोरी, डकैती, लूट मार एवं हत्या की घटनाओ पर आधारित है, माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत जी, श्री करन मेहरा जी, श्री मनोज तिवारी जी और श्री प्रीतम सिंह जी की है माननीय सदस्यों ने किसी निश्चित घटना का उल्लेख नहीं किया है। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि गृह विभाग की आय–व्ययक की चर्चा के सम्बन्ध में अपनी बात रखने का कष्ट करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष खडे हैं इसलिए आप लोग कृपया बैठ जायें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सूचना में एक निश्चित तिथि का उल्लेख इसलिए नही किया गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप इसमें व्यापक रूप से चर्चा कर सकते हैं। जब गृह विभाग का आय–व्ययक बजट आयेगा उस समय व्यापक रूप से चर्चा कर सकते हैं। आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है, इसलिए अपनी बात उस समय रख लीजिए, इसलिए मैं इस पर अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

डा0 चरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप इसको नियम–58 में शून्य काल में सुन लें इसलिए मेरा अनुरोध है कि जैसा कि सी0पी0आई0 दल पर किसी दल द्वारा प्राण घातक हमला हो रहा है, ऐसी तमाम घटनायें प्रदेश में हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको मैं कल नियम–58 के अन्तर्गत सुन लूगा।

डा0 चरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस नियम–310 को नियम–58 में कन्वर्ट कर लीजियेगा और इसे आज ही सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 में कई प्रश्न लगे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे कल नियम–58 में लगा लीजिए, मैं सुन लूगा।

तीसरी सूचना जंगली जानवरों द्वारा कृषकों की फसलों को पहुँचायी जा रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय की है। यह विषय इसी सत्र के द्वितीय बुधवार को अतारांकित प्रश्न संख्या–07 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या–20 के रूप में सदन में आ चुका है और तृतीय बुधवार को तारांकित प्रश्न संख्या–01 के रूप में लगा है। यह विषय, प्रश्नों के रूप में सदन में आ चुका है, अतः मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न सदन में आ चुका है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ। चौथी सूचना प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों के शोषण के सम्बन्ध में माननीय श्री नारायण पाल जी की है, यह विषय आश्वासन समिति में लम्बित है। मैं इसे नियम–310 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय नारायण पाल जी, आपका प्रश्न आश्वासन समिति में लम्बित है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री प्रीतम सिंह, श्री किशोर उपाध्याय, श्री मनोज तिवारी, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री नारायण पाल आदि 'वेल' में खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर न बैठ जाएं। आज लगभग 18 प्रश्न तारांकित में लगे हुए हैं जो कि प्रदेश की जनता की समस्याओं से सम्बन्धित हैं। कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्यों द्वारा दो विषय 310 के तहत उठाये गये है, जो कि बहुत गम्भीर हैं। पहली सूचना माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी की है और दूसरी सूचना हमारे सदस्य श्री नारायण पाल जी की है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी की सूचना आश्वासन समिति में लम्बित है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, यह दोनों विषय बहुत ही गम्भीर हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी बात से सहमत हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे नियम-58 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नारायण पाल जी की सूचना आश्वासन समिति में लम्बित है। आप इसको नियम-58 में दे दें तो मैं इसका परीक्षण करा लूँगा। आज समय नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मानमीय अध्यक्ष जी, 15–15 मिनट की चर्चा करा लें। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप 15–15 मिनट की चर्चा नियम–58 में स्वीकार कर लें।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय और श्री नारायण पाल जी 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य यहाँ पर खड़े हैं, जो अपनी जगह पर नहीं हैं, कृपया उनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहने लगे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, आप आश्वासन समिति के माननीय सभापति हैं और आपके पास ही लम्बित है, तो उसे आप निस्तारण करवा दें।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नियम–58 में भी हमारी जो अन्य सूचना है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन दो विषयों पर नियम–58 मे सुन लें और बाकी जो नियम–58 में है उसको कम कर लें।

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में कौन–कौन सी सूचना है उनका विषय देख लेते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' मे खड़े हुये सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

जो विषय आश्वासन समिति में लम्बित है, वह विषय आज नहीं आ सकता है।

श्री नारायण पाल—

मान्यवर, इसका पूरी तरीके से अध्ययन किया जा चुका है और आश्वासन समिति में कई दफा अधिकारी लोग आकर अपना बयान दे चुके हैं।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

मान्यवर, आश्वासन समिति का प्रतिवेदन सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। आश्वासन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और उसमें अनुशंसा अपनी करेगी। जो प्रकरण माननीय आश्वासन समिति के समक्ष आश्वासन में लम्बित हैं तो उस पर कैसे चर्चा हो सकती है ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य स्वयं आश्वासन समिति के सभापति हैं और यह प्रकरण आश्वासन समिति में लम्बित है, तो जब तक आश्वासन समिति का प्रतिवेदन सदन में नहीं आयेगा तो मैं कैसे अनुमति दे सकता हूँ ? इसका मतलब आपके अधिकारों का मैं हनन करूँगा। मैं आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता हूँ। जो आपके अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा करना भी मेरा धर्म है। (मेजों की थपथपाहट) बाकी जो दो सूचनायें 'सिडकुल' से सम्बन्धित हैं और कानून व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, इसे मैं नियम–58 में सुन लूँगा और नियम–58 की जो सूचना आपने लगाई है उसे मैं नहीं सुन पाऊँगा।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, जंगली जानवर वाला भी सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है जंगली जानवर वाला भी सुन लेंगे।

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया सुन लें, एक तो 'सिडकुल' से सम्बन्धित और जंगली जानवर से सम्बन्धित जो सूचना है उसको नियम–58 में हम सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

कानून व्यवस्था विषयक सूचना के सम्बन्ध में किसी घटना विशेष का वर्णन नहीं किया है, इसे कल नियम–58 के अन्तर्गत सुन लूगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राजकीय सचिवालय में पदमापदण्ड निर्धारण विभाग का सृजन

**1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय सचिवालय में पदमापदण्ड निर्धारण विभाग का सृजन किया गया है ?

यदि नहीं, तो वित्त विभाग द्वारा नए पदों के सृजन की सहमति दिये जाने हेतु क्या पैरामीटर्स/मानक निर्धारित किये गये है ?

मुख्यमंत्री (अ0प्रा0 मेजर जनरल) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम–

जी नहीं।

पदों के सृजन हेतु वित्त विभाग द्वारा कार्यभार, क्षमता आदि के गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वित्त विभाग सब्जेक्ट के आधार पर मूल्यांकन किये बिना पदों का सृजन क्यों और कैसे कर रहा है ? क्या सरकार कुछ अधिकारियों के पदों की मनमानी की प्रवृत्ति पर रोक लगायेगी और पदो के सृजन के लिए कोई मानक निर्धारित करेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था प्रचलित है उसके अन्तर्गत सचिवालय के विभागो के अन्तर्गत नये अनुभाग आदि के सृजन तथा अनुभागों में कार्य की अधिकता आदि के फलस्वरूप पदो के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया जाता है और पद सृजन के प्रस्ताव को वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रेषित किया जाता है, यह प्रथम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बाद समय–समय पर राज्य गठन के बाद पद गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, जिसके आधार पर वर्ष 2001 मे विभिन्न संवर्गों हेतु 448 पदों का सृजन हुआ और 58 अनुभाग का गठन हुआ। मान्यवर, इसी तरह यह निरंतरता रही और वर्ष 2004 में एक शासनादेश जारी हुआ, इसमे अतिरिक्त अनुभागों का सृजन भी किया गया इसके आधार पर कुल 38 अनुभाग गठित हुए और इस आधार पर सचिवालय प्रशासन मे पदों की संख्या 1644 है। मान्यवर, यही प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश में भी है। जैसा कि माननीय सदस्य के प्रश्न से प्रतीत होता है कि ये उत्तर प्रदेश मे पूर्व में वित्त विभाग के अधीन पद मापदण्ड निर्धारण हेतु विभाग का गठन 1990 में किया गया था जिसके आधार पर वर्ष 2000 मे इसे समाप्त कर दिया गया और फिर यह प्रक्रिया परिचालित हुई कि जिस भी विभाग मे

पदों का सृजन होगा, वित्त विभाग द्वारा कार्यभार क्षमता आदि के गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा। यह प्रक्रिया परिचालित हुई और इसी प्रक्रिया का अनुसरण वर्तमान में यहां पर चल रहा है। मान्यवर, इसमें अनुभागों के मानक भी निर्धारित हैं। इसके आधार पर एक अनुभाग में एक अनुभाग अधिकारी, तीन से चार समीक्षा अधिकारी, दो सहायक समीक्षा अधिकारी, दो कम्प्यूटर आपरेटर और एक अनुसेवक होगा। यह एक अनुभाग का ढाचा तय किया गया। मान्यवर, इसी प्रकार तीन अनुभाग अधिकारी पर एक अनुसचिव नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया हुई और इसी आधार पर विभिन्न विभागों के, 38 विभागों के ढांचे गठित हो गये और यही व्यवस्था वर्तमान में भी प्रचलित है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मानणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी जानकारी में है कि कई विभागों के ढांचे जो अनुमोदित किये गये है, उनके पदों के सृजन के आधार पर विचार नही किया गया है ?

मान्यवर, उदाहरण के तौर पर वन विभाग में जो खलासी और चपरासी तथा घर पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी है, उनके पदो की संख्या अधिकारियों की संख्या से कितने गुना अधिक है ? कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें जो वन विभाग का ढांचा है, उसमें पूर्व स्वीकृत दो अनुभाग थे और नवसृजित अनुभाग एक है। इस प्रकार वर्तमान में कुल स्वीकृत 3 अनुभाग हैं, जो कार्यरत है। प्रत्येक अनुभाग में, जो मैंने आपको मानक बताए, एक अनुभाग अधिकारी, 3 से 4 समीक्षा अधिकारी, 2 सहायक समीक्षा अधिकारी, 2 कम्प्यूटर ऑपरेटर और एक अनुसेवक। यह विभाग का सचिवालयी ढाचा है, जिसका जिक्र मैंने किया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं वन विभाग के बारे में जानकारी चाहता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, आपका मूल प्रश्न सचिवालय से सम्बन्धित है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, सभी विभागों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न सचिवालय प्रशासन से सम्बन्धित है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सम्पूर्ण विभाग की जानकारी अभी दी जानी सम्भव नहीं है। आपका मूल प्रश्न सचिवालय से सम्बन्धित है, अभी इसी की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। अगर इससे अन्यत्र जानकारी आप चाहते हैं तो उसे हम अलग से बता देंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पद मापदण्ड निर्धारण विभाग की पुन: स्थापना पर विचार करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रभागीय वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त मानते है ?

श्री अध्यक्ष–

श्रीमन्, वर्तमान में यह व्यवस्था पर्याप्त है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी–ख, तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, आज मेरा जो प्रश्न निरस्त कर दिया गया है, इस पर मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है। मेरा प्रश्न बिल्कुल इंगित प्रश्न था, ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित प्रश्न था, उसके सापेक्ष मुझे चार दिन पूर्व रजिस्ट्री से सूचना भी मिली है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो विधान सभा सचिवालय पर आक्षेप होगा। कृपया इस पर आप अलग से बात कर लें।

श्री अध्यक्ष–

किसी भी प्रकरण की पूरे विस्तार से समीक्षा की जाती है और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। अगर आपको इसमें कुछ अन्यथा दिखाई दे रहा है तो कृपया आप मुझसे अलग से बात कर लें।

*1–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 भूमिहीन परिवारों को पट्टों का आवंटन

*2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 भूमिहीन परिवारों की संख्या कितनी है ?

क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी जनपदवार विवरण क्या है ?

सरकार ने जनपदवार अब तक कितने परिवारों को पट्टे आवंटित किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

प्रदेश में अनुसूचित जाति के बी०पी०एल० भूमिहीन परिवारों की संख्या 43,411 है।

वर्ष 2002 में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बी०पी०एल० परिवारों के सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति के भूमिहीन बी०पी०एल० परिवारों की संख्या जनपदवार निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जनपद	अनु० जाति के भूमिहीन बी०पी०एल० परिवारों की संख्या
1.	हरिद्वार	28631
2.	टिहरी	353
3.	रुद्रप्रयाग	255
4.	उत्तरकाशी	1176
5.	पौड़ी	14
6.	देहरादून	2872
7.	चमोली	13
8.	ऊधमसिंह नगर	349
9.	बागेश्वर	04
10.	चम्पावत	202
11.	नैनीताल	4863
12.	अल्मोड़ा	4476
13.	पिथौरागढ़	03
	योग	43,411

राजस्व विभाग के अन्तर्गत पट्टा आवंटन हेतु बी०पी०एल० श्रेणी को पात्रता के रूप में देखे जाने की व्यवस्था भूमि विधियों में नहीं है। इस कारण अलग से बी०पी०एल० परिवारों के भूमि आवंटन का अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूँ कि वर्ष 2002 के त्रुटिपूर्ण सर्वे में बी०पी०एल० के कुछ पात्र व्यक्ति क्या छूट गये थे ? यदि छूट गये थे तो उन्हें सम्मिलित करने के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, उसका पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि क्या बी०पी०एल० के पात्र व्यक्ति छूट गये थे ? इसकी जानकारी चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय मंत्री जी ने कहा कि पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है। जब छूट गये थे, तभी तो पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ...

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी तो अभी ठीक–ठाक हैं, तबियत खराब नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय मंत्री जी की तबियत बिल्कुल ठीक है। उनको उत्तर देने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय भट्ट जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। सब लोग आपका जवाब सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, वर्ष 2002 का जो सर्वेक्षण है, उसके अनुसार जो आप कह रहे हैं, कुछ लोग छूटे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस पर सर्वेक्षण भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत होता है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या बी0पी0एल0 के कुछ पात्र व्यक्ति छूट गये हैं या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्ष 2002 में यह सर्वेक्षण किया गया था और .....।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जब सम्बन्धित विभाग के मंत्री जी स्वयं सदन में मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, कृपया आसन ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब सम्बन्धित विभाग के माननीय मंत्री जी सदन में मौजूद हैं तो उन्हें उत्तर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

यह तो सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर दे दिया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पहली बार मंत्री बने हैं तो उनको भी सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, बी0पी0एल0 परिवारों का सर्वेक्षण भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा कि क्या बी0पी0एल0 के पात्र व्यक्ति छूट गये हैं या नहीं ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, शासन इस बात को नहीं मानता है कि कोई छूटा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा प्रश्न इतना ही है कि .....।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, आप कृपया आसन ग्रहण करें, मैं आपको भी मौका दूंगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो बी0पी0एल0 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ, वह वर्ष 2002 के बाद हुआ या नहीं ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, अभी नहीं हुआ है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 2002 के सर्वे का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 2002 के बाद से पुन: बी०पी०एल० परिवारों का सर्वेक्षण हुआ या नहीं ? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में सरकार पट्टे आवंटित कर रही है या नहीं ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह बी०पी०एल० कोटा निर्धारित करने का काम केन्द्र सरकार का है और उन्हीं के दिशा–निर्देश पर काम किया जाता है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने क्या प्रश्न पूछा और माननीय मंत्री जी क्या उत्तर दे रहे हैं। मैंने यह पूछा कि 2002 में बी०पी०एल० सर्वे हुआ ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित नहीं है, इसीलिये मैं कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी के तहत जवाब दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, आपकी बात आ गयी है, आपकी बात का उत्तर आ रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, यदि यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो मेरा इसमें सप्लीमेंटरी क्वेश्चन भी नहीं हो सकता।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं इसीलिये इसका उत्तर दे रहा हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वह तो ठीक है, लेकिन यह मत कहिये कि यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिस तरह से आपने अपने उत्तर में सर्वे का जिक्र किया है, तो यह भी भूमिका के लिए सर्वे का जिक्र कर रहे है और प्रश्न अब पूछ रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या वर्तमान समय मे सरकार भूमिहीनों को पट्टे आवंटित कर रही है या नही ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि 2002 के बाद कोई सर्वेक्षण हुआ या नहीं, तो मै अवगत कराना चाहता हूँ कि पहला सर्वेक्षण 2002 में हुआ था, और वर्तमान में सर्वेक्षण किया जाना विचाराधीन है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि सर्वेक्षण हम करायेंगे तो यह सरकार इस बारे में गम्भीर है। (व्यवधान)

श्रीमन्, जहां तक पट्टे आवंटन करने का विषय है तो राजस्व विभाग के अन्तर्गत पट्टे आवंटित हेतु बी0पी0एल0 श्रेणी की पात्रता के रूप में देखे जाने की व्यवस्था भूमि विधियों में नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस कारण से अलग से बी0पी0एल0 परिवारों के भूमि आवंटन का अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जो भूमिहीन परिवार हैं, उनके लिए यह व्यवस्था परिचालित है। शीघ्र से शीघ्र इसको निस्तारित किया जाता है।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ जो बी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्धित है। आज बी0पी0एल0 परिवारों को आवास की सुविधा दी जा रही है जिसमें मानक के तौर पर भूमि दिखानी आवश्यक है। तभी उनको आवास दिया जाना सम्भव होता है। जबकि बड़ी संख्या में बी0पी0एल0 परिवार ऐसे है, जो भूमिहीन हैं, उनको आवास का लाभ किस प्रकार से प्रदान किया जायेगा ? इस पर सरकार क्या कोई विचार कर रही है ? पट्टे देकर या किसी अन्य प्रकार से उनको ऊपर उठाने का जो विचार है, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें दो तरह की दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। पहली दिक्कत तो यह है कि जो भूमिहीन परिवार हैं प्रत्येक जनपद में, उसकी सूची उपलब्ध की गयी है कि कुल 43 हजार 411 परिवार वर्तमान में भूमिहीन हैं जो बी0पी0एल0 की श्रेणी में है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में जनपदों की अलग–अलग व्यवस्था

है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर किसी भी तरह की भूमि के निजी आवंटन पर प्रतिबन्ध लगा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि आवंटित नहीं की जा रही है, जिसके कारण दिक्कत का सामना निश्चित रूप से करना पड़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में आवंटन की जो प्रक्रिया का आधार है वह बी0पी0एल0 सर्वे का आधार नहीं है, भूमिहीन को पट्टा देने की व्यवस्था है और वो मैदानी क्षेत्रों में है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्तमान में जो भूमिहीन हैं, उनके सम्बन्ध मे क्या व्यवस्था हो सकती है, इस सम्बन्ध मे सघन विचार चल रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 के भूमिहीन परिवारों की संख्या 43 हजार 411 है और कहा है कि राजस्व विभाग के अन्तर्गत पट्टा आवंटन हेतु बी0पी0एल0 श्रेणी को पात्रता के रूप में देखे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से इंदिरा आवास आवंटित किये जाते है और वे बी0पी0एल0 परिवारों को आवंटित किये जाते हैं। अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 के जो लोग है 43 हजार 411, इनके पास जब भूमि ही नहीं होगी तो ऐसी स्थिति मे उनको इंदिरा आवास किस रूप में मिल पायेंगे और अगर इनको इंदिरा आवास मिलते है तो ये इंदिरा आवास कहां बनायेंगे, क्योंकि इनके पास भूमि नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनको भूमि देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह तो विरोधाभास हो गया और इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या ऐसे अनुसूचित जाति के परिवार, जिनको बी0पी0एल0 के परिवार के तहत इंदिरा आवास आवंटन किये जाने है या किये जाते हैं, क्या उन परिवारों को पट्टे पर भूमि सरकार देगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि वर्तमान मे पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी तरह की भूमि दिये जाने का प्राविधान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से बन्द कर दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में भूमि आवंटन का आधार बी0पी0एल0 नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से राजस्व अभिलेख में जिनके नाम पर भूमि दर्ज नहीं है, शून्य है, भूमिहीन की श्रेणी में आता है, उसको पट्टे आवंटित किये जाते है और वो किये जा रहे है। जहां तक इंदिरा आवास या दीन दयाल उपाध्याय आवास के अन्तर्गत आवास दिये जाने में आ रही कठिनाईयों का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है कि इसमें किस प्रकार से हम व्यवस्था सुनिश्चित करें। वैसे सरकार ने इस सम्बन्ध मे निर्णय लिया था कि जो दान मे भूमि अपनी देगा तो उसको भी हम आवास देंगे। ऐसी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। श्रीमन, दी जायेगी। मैदानी क्षेत्रों में तो व्यवस्था चल रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो प्राविधान है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एस0सी0 को कौन दान करेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने इस सम्बन्ध में रिट की है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो रोक लगाई गई है, इसमें छूट दी जाय।

श्री प्रेमानन्दन महाजन–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची से छूट गया है तो वह नाम जोड़ने के लिए शिकायत किस से करें ? इसके साथ–साथ मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक व्यक्ति शिकायत लेकर आया था कि मेरा नाम बी0पी0एल0 से छूट गया है तो मैंने नाम जोड़ने के लिए एक पत्र मुख्य विकास अधिकारी ऊधमसिंह नगर को लिखा था, वहाँ से मुझे जवाब मिला कि बी0पी0एल0 सूची का पुनः कोई सर्वे नहीं होता है। वह पत्र मेरे पास अभी रखा हुआ है।

पंचायती राज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, बी0पी0एल0 सर्वे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में हुआ, यह सर्वेक्षण प्रति वर्ष होता है। जो पात्र व्यक्ति छूट जाते हैं उनका परीक्षण करके इसमें जोड़ दिया जाता है। अभी पिछली बार 15 मार्च से 21 मार्च तक नाम जोड़ने के लिए हमने पेपर के माध्यम से विज्ञापन दिया था कि जो पात्र व्यक्ति छूट गये हैं वह अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान्यवर, अगर जो पात्र व्यक्ति छूट गये हैं उनका नाम दर्ज करने के लिए सीधे उप जिलाधिकारी के कार्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, उनका नाम नहीं जोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रेमानन्द महाजन जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में भूमिहीन बी0पी0एल0 के परिवारों को भूमि क्रय कर पट्टा आवंटन करने का कोई शासनादेश हुआ था ? हुआ था तो कब ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्तमान में कोई शासनादेश नहीं हुआ है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मानीय अध्यक्ष जी, मैं यह शासनादेश सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी सत्य से परे बोल रहे है, इसका शासनादेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। यह 4 जुलाई, 2006 को जारी किया गया है, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के कृषि मजदूर, भूमिहीन कृषकों को आर्थिक विकास हेतु कृषि भूमि क्रय कर उन्हें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में क्रय करने के लिए कोई शासनादेश निकला है तो पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कोई शासनादेश नहीं निकला। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे उत्तराखण्ड की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, आप इसका परीक्षण कर लें, हमारे पास शासनादेश है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी को शासनादेश की जानकारी नहीं है, यह खेद की बात है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसे उपलब्ध करा दें, मैं इसे दिखवा लूँगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, यह शासनादेश स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के लिए किया गया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने यही तो जानकारी चाही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पूछा था।

डा0 हरक सिंह रावत–

क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, उसके अनुसार आपने कोई शासनादेश किया है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में हम किसी को व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भूमि आवंटन नहीं कर सकते हैं। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। उसके आधार पर शासनादेश नहीं हो सकता है, इसमें आवंटन की प्रक्रिया ही नहीं है तो कैसे शासनादेश हो सकता है ?

मान्यवर, सरकार इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील पर गई है। इस पर हम शीघ्र ही प्रयास कर रहे है कि माननीय उच्च न्यायालय हमें इसमें दिशा-निर्देश दे। यह शासनादेश चूँकि पूरे उत्तराखण्ड के लिए जारी किया गया था। विशेष रूप से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित जो योजना है उसके लिए किया गया है। मान्यवर, आपने स्पैसिफिक पर्वतीय क्षेत्र का उल्लेख किया तो मैंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के लिए नहीं पूछा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा। आप मेरी बात को सुन तो लें।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

क्यों स्थगित कर दें ? स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य ने यह कहा है कि क्या पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई शासनादेश हुआ है। तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई शासनादेश नहीं हुआ है। प्रश्न का उत्तर आ गया है और मैं उत्तर से संतुष्ट हूँ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि आप उत्तराखण्ड की बात करेंगे तो पूरे उत्तराखण्ड की बात होगी। यह शासनादेश 2006 का है। मान्यवर, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई शासनादेश अलग से नहीं निकाला गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, यह शासनादेश विशेष रूप से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत जारी किया गया है जो अनुसूचित जाति के लिए है। (सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसका परीक्षण करवा लूँगा।

(घोर व्यवधान)

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, शासनादेश पूरे उत्तराखण्ड के लिए होता है। मान्यवर, उत्तराखण्ड के लिए हो गया तो उत्तराखण्ड में पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्र आ गये। शासनादेश तो समस्त 13 जनपदों में लागू होता है। क्या सरकार मैदानी क्षेत्र के लिए अलग शासनादेश और पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग शासनादेश निकालती है ?

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हमने कोई शासनादेश पर्वतीय क्षेत्र के लिए नहीं निकाला है।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी शब्दों का हेर–फेर कर रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, शब्दों का हेरफेर तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता कर रहे है

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं आया है। इसका उत्तर आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नही हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसका परीक्षण करवा लूँगा।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने जब यह कह दिया है कि इसका परीक्षण करवा लूँगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसका परीक्षण कर लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड में फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रयास

*3—श्री सुरेन्द्र राकेश—

क्या कृषि मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड में फसलों की उत्पादन क्षमता विगत वर्षों की अपेक्षा कम हो गयी है ? यदि हाँ, तो उत्पादन क्षमता कम होने के क्या कारण है ?

क्या सरकार द्वारा फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु कोई ठोस प्रयास किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या ?

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)—

फसलों की उत्पादकता में उतार—चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। मृदा स्वास्थ्य में ह्रास, मृदा में जीवांश की कमी, रासायनिक उर्वरकों का असन्तुलित उपयोग, सूक्ष्म तत्वों की कमी, फसलों में फसल चक्र का अंगीकरण न करना, रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग, प्रतिकूल वातावरण आदि कारणों से उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है।

जी हाँ।

जैविक कृषि कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है किसानों को हरी खाद का प्रयोग बढ़ाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है, सूक्ष्म तत्वों वाली खादों एवं जैव उर्वरकों के वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जा रहे हैं। इनमें मृदा परीक्षण के आधार पर अपेक्षित उर्वरकों के प्रकार एवं मात्रा के सम्बन्ध में परामर्श भी लिखित होता है। इस प्रकार सन्तुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग एवं उचित फसल चक्र को अपनाने को प्रेरित किया जा रहा है। जैविक खादों एवं रसायनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिये इन्हें अनुदान पर वितरित किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में स्वीकार किया है कि उत्पादन क्षमता उत्तराखण्ड में कम हुई है। क्या सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में मृदा परीक्षण कराये है ? कराये है तो कब ? और जिलेवार विवरण बता दें। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी तैयारी करके नहीं आये है जबकि प्रश्न काल मात्र दो दिन चला है, इसलिए मंत्री जी को आप कह दें कि तैयारी करके सदन में आयें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया, माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी, स्थान ग्रहण कर लें।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मानानीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि माननीय मंत्री जी को जिलेवार जानकारी नही है। माननीय मंत्री जी, सदन में आपको इस प्रश्न की पूरी तैयारी करके आना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मै माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि यह एक सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है चूंकि जैसे–जैसे इसकी शिकायत आती है उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिये जायेंगे और समय–समय पर परीक्षण कराये जाते रहेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी, इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताना चाह रहे है इसलिए आप उनकी बात सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मै कहना चाहता हूँ कि वर्तमान मे यह बताना सम्भव नही है कि हमने जिलेवार कितने परीक्षण कराये है चूंकि जैसे ही शिकायत आयेगी उनका परीक्षण कराया जायेगा और मैं बता चुका हूँ कि इस प्रकार की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी ऐसे प्रकरण आये है हमने उनका परीक्षण कराया। इसलिए इस पर बता पाना उचित नहीं होगा और जहा–जहां ऐसे प्रकरण आयेंगे उनका परीक्षण कराया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री को यदि प्रदेश की जिलेवार जानकारी नही है तो कृपया आप हरिद्वार जनपद के बारे मे बता दें कि कब–कब इनका मृदा परीक्षण कराया गया ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी, कृपया बात सुन लें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यदि आपने समय–समय पर मृदा परीक्षण कराये हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस जनपद में किस पोषक तत्वो की कमी थी ? उसका विवरण आप पटल पर रखें और साथ–साथ उन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, यह तो मूल प्रश्न ही नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो मृदा परीक्षण का जनपदवार परीक्षण है वह मेरे पास उपलब्ध है। मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ और दूसरी बात आपने पूछी है कि किन–किन तत्वों की कमी है तो मैं आपको उसका विस्तृत विवरण दे रहा हूँ। मान्यवर, जस्ते की 0 से 20 प्रतिशत की जो कमी है तो इसमें नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, पौडी, चमोली और देहरादून हैं। इन जनपदों में जस्ते की कमी 0 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक है। मान्यवर, दूसरा तांबा जो है नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ, अल्मोडा, चमोली, टिहरी और देहरादून में कमी है। लोहा, लोहे की जो कमी है नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ, अल्मोडा, चमोली, टिहरी और हरिद्वार। मान्यवर, अब इससे माननीय सदस्य सतुष्ट हो गए होंगे। मैगनीज की कमी पिथौरागढ, चम्पावत, टिहरी और हरिद्वार में है। डेनम इसकी कमी ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ, अल्मोडा, चमोली टिहरी और देहरादून में है। गोरंग, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चमोली, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून। इसी तरह गंधक की कमी ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ, अल्मोडा, पौडी, चमोली में है। इसी तरह से 20 से 40 प्रतिशत तक इनकी कमी है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरा विवरण दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आपके कक्ष में जाकर इसकी जानकारी ले लेंगे और इसी तरह कोई अन्य सदस्य भी जानकारी चाहते हैं तो वह भी माननीय मंत्री जी के कक्ष में जाकर ले लें।

(व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि रासायनिक उर्वरको के असंतुलित उपयोग के कारण, तो मान्यवर, जब हम बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरक उपयोग करते हैं तो उसमें यूरिया सबसे प्रमुख एक कारक है। मान्यवर, सतह की ऊपरी जो परत होती है, जिसमें कि सारे मिनरल्स मौजूद रहते है

उसमें रासायनिक उर्वरक के असंतुलित उपयोग के कारण भारी बरसात में वह सतह बह जाती है। यह एक प्रमुख कारण होता है। जिससे उत्पादन क्षमता में कमी आती है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे रासायनिक उर्वरक के उपयोग पर पाबन्दी लगाने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। मान्यवर, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, हरित खाद है, कम्पोस्ट खाद है इसको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिससे कि जो खेती की उर्वरा शक्ति घट रही है, अधिक रासायनिक खादों की वजह से घट रही है, उसमें कमी की जा सके उसका हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जो विस्तृत उत्तर दिया, उसमें उन्होंने जनपदवार कौन–कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसका उल्लेख किया है। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उससे निबटने के लिए क्या सरकार पूरे प्रदेश के अन्दर मृदा परीक्षण से मृदा की क्वालिटी के बारे में कोई मैपिंग करके, कोई एक नक्शा तैयार होगा, जिसमें प्रत्येक जनपद के, प्रत्येक विकास खण्ड के, प्रत्येक ब्लॉक में पता लगाया जा सके कि वहाँ पर मृदा के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है ? क्या इस तरह की कोई मैपिंग होगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही उचित होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और इस पर सरकार विचार कर सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, कृपया अंतिम अनुपूरक पूछें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि तत्वों की कमी कहाँ–कहाँ है, चलिए, थोड़ी जानकारी है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हम आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अगला प्रश्न है कि जो पोषक तत्वों की कमी पाई गई, उसमें सरकार ने अब तक उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की और कार्यवाही के उपरान्त पोषक तत्वों की कमी दूर हुई या नहीं ? (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेन्द्र राकेश जी ने जो प्रश्न किया और श्री पुष्पेश जी, आप भी कह दें तो एक साथ जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या भारी वर्षा के कारण प्रति वर्ष हजारों हेक्टेयर वाली भूमि बह जाती है क्या वह भी इस उत्पादन फसल की उत्पादन क्षमता में कमी होने का कारण है ? यदि हाँ, तो क्या माननीय मंत्री जी या क्या कृषि विभाग इस नुकसान को रोकने के लिए कोई प्रयास करेंगे या कोई स्पष्ट नीति बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश और श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी के अनुपूरक का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री राकेश जी ने जो सवाल पूछा था कि जो कमी हो रही है रासायनिक खादों के उपयोग से, उसमें मैंने पहले भी कह दिया कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसका चार्ट उपलब्ध करा सकते हैं। हरी खाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कम्पोस्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं और माननीय सदस्य श्री पुष्पेश जी ने पूछा ....।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अभी उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा जो तत्वों की कमी हो रही है (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, कोई नीतिगत निर्णय लिया है कि इसमें क्या करना है और बताया कि क्या कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे है तो क्या सरकार की तरफ से कमी दूर हुई है या नहीं ?

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जो किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते है, जिसके कारण ऊपरी सतह बह जाती है या हल्की हो जाती है इसके लिए सरकार को स्पष्ट रूप से यह

कहना चाहिए कि जो उर्वरक नुकसानदेह होते हैं जैसे यूरिया आदि है, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, यह बतायें कि आपने जो 20 से 40 प्रतिशत कमी बतायी है यह मैग्नीज की है, जिंक की है या आयरन की है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत कमी नुकसानदेह होती है और इसको कितना कम किया जाय, यह बतायें। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह बड़ा ही कठिन सवाल है और इसके लिए थोड़ा सा क्लास करनी पड़ेगी। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी ने जो कटाव की बात यहां पर कही है इसके लिए भूमि संरक्षण की योजनाएं बार–बार चलायी जा रही हैं। मान्यवर, जो राष्ट्रीय रोजगार योजना है, उसमें भी इसको समावेशित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहां पर हम किसानों को जागरुक कर रहे हैं कि जो खेत की डोल है और यहां पर जो नैपियर घास है या हाथी घास है, जो चारे और औषधि का भी काम करती है यदि इनको खेतों की डोल पर लगा दिया जाय तो इससे जो भूमि का क्षरण है, वह बच जायेगा। मान्यवर, अति वर्षा के कारण जो सूक्ष्म तत्व पानी के साथ बह जाते हैं उनको रोकने के लिए जागरुक किया जा रहा है, इस हेतु उन्हें घास भी दी जा रही है। (व्यवधान)

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है, कृपया बैठ जाईये।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पथरी क्षेत्र की वनगूजर बस्ती को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग

*4–श्री कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जिला हरिद्वार के अन्तर्गत पथरी क्षेत्र की वन गूजर बस्ती, विस्थापन के 10 वर्ष के उपरान्त भी राजस्व ग्राम की श्रेणी में नहीं है ?

क्या यह सही है कि राजस्व ग्राम न होने के कारण वन गूजर समुदाय को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पथरी गूजर बस्ती की वन भूमि को वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करवाकर राजस्व ग्राम का दर्जा देने जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के पूर्व इन ग्रामों की वन भूमि को राजस्व भूमि के रूप में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ इन ग्राम वासियों को जीवन यापन में कोई कठिनाई न हो, इसके लिये उन्हें पक्के मकान, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सड़क, गोशाला, सिंचाई व विद्युत आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वन भूमि हस्तान्तरण के पूर्व इन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर आया है कि इन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है, मान्यवर, कार्यवाही का मतलब है कि तहसील में कुछ न कुछ इस किस्म के कागजात आने चाहिए थे लेकिन कोई कागजात ऐसे नहीं आये, वन गूजर समुदायों को न तो प्रमाण–पत्र मिल रहे हैं और न उनको लोन मिल रहा है और न ही उनको पट्टे आवंटित किये जा रहे हैं। मान्यवर, पहला सवाल मेरा यह है कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी, यह बतायें। मान्यवर, दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कही है कि पक्के मकान दिये जायेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि पथरी में कितने परिवार निवासरत हैं, कितनों को पक्के मकान दिये गये हैं ? गैण्डी खाता में कितने लोग निवासरत हैं और इनमें से कितनों को पक्के मकान दिये गये हैं ? गो–शालाएं कितनी निर्मित की गयी हैं, इनके लिए कितने शौचालय बने हैं ? इस विषय में बतायें।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह वन विभाग की भूमि का मामला है, वन भूमि का हस्तान्तरण करने के लिए सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, माफ करें, उत्तर में लिखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, इन लोगों को मकान आदि की सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है। अभी वन विभाग की भूमि भारत सरकार द्वारा क्लियर नहीं हुई है।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, आप जो सुविधाएं मुहैया करा रहे है, वह किस बेस पर करा रहे हैं ? यह बतायें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं, कृपया बैठ जाईये।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने उत्तर मे कहा–केन्द्र सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है, लेकिन जब राज्य सरकार उन्हे सुविधा मुहैया करा रही है, तो यह किस लिहाज से दे रहे हैं ? स्पष्ट बतायें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। आपने स्पेसिफिक प्रश्न पथरी क्षेत्र के बारे में पूछा था कि पथरी क्षेत्र 10 वर्ष के उपरान्त भी राजस्व ग्राम की श्रेणी में नहीं है, यह आपने पूछा था। चूंकि वन गूजरों को पुनर्वासित किया जाय, इसके लिए एक पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जो पथरी और गैंडी खाता क्षेत्र हैं, उसमें जो पुनर्वासित गूजर परिवार हैं, उनकी संख्या 1390 है। पथरी क्षेत्र में 512 परिवार पुनर्वासित किये गये हैं और गैंडी खाता में 640 परिवार पुनर्वासित किये गये और पुनर्वास हेतु बचे गाँवों की संख्या 238 है। गाँव के अनुसार आप जानकारी चाहेंगे तो मैं वह भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। लेकिन इसमे जो नीतिगत विषय है, वह यह है कि वह क्षेत्र, जिसमें इन्हे पुनर्वासित किया गया है, यह पुनर्वासित क्षेत्र वन भूमि के अन्तर्गत आता है। इसमे जो समस्या इस समय आ रही है, वह है कि उस क्षेत्र को पहले राजस्व क्षेत्र घोषित करना पडेगा। उसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव वन भूमि के हस्तान्तरण के लिए प्रेषित किया जा चुका है। ज्यों ही यह प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृत हो कर हमारे पास आ जाएगा, इसको राजस्व गाँव का दर्जा मिल जाएगा, उसके बाद मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति होने लगेगी। लेकिन वर्तमान में पुनर्वास कार्यक्रम के तहत इनको जो पैकेज मिला था, उस पैकेज के आधार पर इनको जो पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सडक, गौशाला, विद्युत आदि की सुविधाएं मुहैया करानी थी, उसी पैकेज के अन्तर्गत इनको सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है। हम चाह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान त्वरित गति से हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, ...।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रणव सिंह जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि प्रदेश में राजस्व ग्राम घोषित करने की क्या प्रक्रिया है और वर्तमान में कितने नगरों या बस्तियों को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित तो है नहीं, पूरे प्रदेश का मामला आ गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने राजस्व ग्राम के बारे में ही पूछा है।

श्री अध्यक्ष–

पूरे प्रदेश की जानकारी कैसे दे देंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य को इस विषय में पृथक से अवगत करा देंगे। माननीय सदस्य को पूरी तरह से सतुष्ट कर देंगे। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो बड़ी अजीब स्थिति है, माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछा जाय या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी से पूछा जाय। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

सभी मंत्री एक हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप मुझे सम्बोधित करेंगे। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जो एक प्रक्रिया है राजस्व ग्राम घोषित करने की। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, मुझे लगता है, आपने कुछ किया ही नहीं है। यह प्रस्ताव शासन में तहसील से, जिले से कहीं से तो गया ही होगा। मैं देखता हूँ कि हमारे सरकार के नुमाइन्दे बड़े सरल तरीके से बता देते हैं कि भारत सरकार में लम्बित मामला है। मेरी भी थोड़ी सी जिज्ञासा है कि यहां से क्या प्रस्ताव गया था, इसकी जानकारी आ जाए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूँगा कि क्या प्रस्ताव गया है क्योंकि सरकार वन ग्रामों के प्रति चिन्तित है। जो प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे मे माननीय सदस्य को अलग से अवगत करा दूँगा। यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए इसको बताने की स्थिति में मैं वर्तमान में नहीं हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने वन ग्राम के बारे में कहा ....

श्री अध्यक्ष–

एक–दो प्रश्न आपदा और खाद्य विभाग के भी आ जाएं। सभी विभागों का एक–एक प्रश्न तो आ ही जाय कम से कम।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इन्होंने कहा कि हमने वन गूजरों को पुनर्वासित किया है और एक तरफ सरकार ने यह जवाब दिया है कि वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने की कार्यवाही चल रही है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध किया गया है तो क्या जिन वन गूजरों का पुनर्वास सरकार ने किया है और जिस वन भूमि में वह लोग रह रहे हैं, उस भूमि का परिवर्तन राजस्व भूमि में किया जा चुका है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जिन स्थानों का जिक्र मैंने किया है, राजाजी नेशनल पार्क के अन्तर्गत जो पुनर्वासित परिवार हैं, उनको किन स्थानों पर पुनर्वासित किया गया है, जैसे गैंडीखाता और पथरी। इनको जो राजस्व भूमि में परिवर्तन करने की बात है और क्योंकि वह वन भूमि है और उस वन भूमि को राजस्व गाँव का दर्जा हमें देना है। यदि हम उनको मूलभूत आवश्यकतायें देते हैं, इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव 3 फरवरी, 2004 को भारत सरकार को भेजा गया है और इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करने के लिए हम अनुस्मारक भेज रहे हैं।

उत्तराखण्ड में दैवी आपदा से संकटग्रस्त क्षेत्र

*5–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या दैवीय आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में कौन–कौन से क्षेत्र दैवीय आपदा की दृष्टि से संकटग्रस्त हैं तथा उनका विवरण क्या है ?

क्या संकटग्रस्त क्षेत्रों से अभी तक विस्थापन नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो पुनर्वास की क्या योजना है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भू–भाग दैवी आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहा है। भूकम्प की दृष्टि से जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली एवं रुद्रप्रयाग पूर्णतः जोन–V में अवस्थित है। जनपद चम्पावत, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी आंशिक रूप से जोन–V व आंशिक रूप से जोन–IV में अवस्थित है। नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून पूर्णतः जोन–IV में अवस्थित हैं।

राज्य में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, मेघ विस्फोट, बाढ़, वनाग्नि, सूखा, हिमस्खलन एवं वज्रपात आदि दैवी आपदाओं के कारण विगत वर्षों में क्षतियां हुई हैं।

वर्तमान में दैवी आपदा यथा–भूस्खलन एवं बादल फटने से प्रभावित जनपद चमोली, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी एवं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से कुल 93 ग्रामों के पुनर्वास सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके दैवी आपदा के प्रति अति संवेदनशील होने एवं अन्य तकनीकी पहलुओं पर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान से भूगर्भीय परीक्षण कराया जा रहा है।

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा दैवी आपदा से प्रभावित अत्यधिक संवेदनशील चिन्हित ग्रामों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने हेतु पुनर्वास नीति प्रस्तावित है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग से चिन्हित ग्रामों के सम्बन्ध में तकनीकी जांच आख्या प्राप्त की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, उत्तर का शेष अंश पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत व्यापक है, बहुत अधिक सूचना इससे सम्बन्धित है, लेकिन मैं एक छोटा सा अनुपूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो यह जोन फाइव तथा जोन फोर में अवस्थित क्षेत्र है, क्या उन क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्माण से सम्बन्धित कोई दिशा–निर्देश जारी किये गये है कि वहां पर भवनों का डिजायन क्या होगा ? दूसरा एक छोटा सा अनुपूरक और पूछना चाहता हूँ कि ओलावृष्टि और सूखे को छोड़कर, क्योंकि यह बहुत ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए मैं इसकी जानकारी नहीं चाहता लेकिन इसके अतिरिक्त मेघ विस्फोट, बाढ़ और भूस्खलन के कारण विगत दो वर्षों में कितनी क्षति हुई है, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, दैवीय आपदा, जो अभी आपने पूछा कि जोन फोर और फाइव में मकान आदि बनाने को क्या किया जाना चाहिए, सेफ्टी के क्षेत्र में ....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने बहुत प्वाइंटेड प्रश्न किया है, मैं भिज्ञ हूँ कि जो सूचनाएं है, वह बहुत व्यापक है। उसका संकलन और उसका समुचित विवरण देना सम्भव नहीं है, इससे समय की बरबादी होगी। मैंने सिर्फ जानना चाहता कि क्या जोन–4 और 5 में निर्माण सम्बन्धी कोई दिशा निर्देश आपदा विभाग की तरफ से जारी किये गये है और विगत 2 वर्ष में आपदा से कौन–कौन से स्थानों पर क्षति हुई है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने आपदा के सम्बन्ध मे कोई आदेश जारी करने का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रत्येक जनपद में आपदा से सम्बन्धित होने वाली घटनाओं के तत्काल प्रबन्धन हेतु जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और जो भवन निर्माण का कार्य करते है, ऐसे कुशल मजदूरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे आपदा से जुडे हुए इन क्षेत्रों में उनका पुनर्निर्माण कर सकें और ऐसे निर्माण कर सकें जिन निर्माण से भूकम्प से या आपदा से निपटने की स्थिति बनी रहे और जहा तक आपने जो जानकारी मांगी है वह मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। वर्ष 2001–2004 तक जो जनहानि हुई 164, लापता रहे 12, पशु हानि हुई 507, पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन 148 और आंशिक क्षतिग्रस्त भवन 313 है और इसके बाद वर्ष 2005 में जो आपदा आयी उसकी वजह से मानव हानि 109, पशु हानि 277, आंशिक क्षतिग्रस्त भवन 1565, पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन 151, और जो कुल कृषि भूमि क्षतिगस्त हुई, वह है 200.151 हेक्टेयर और सार्वजनिक सम्पत्तियों में 64 सडकें, 49 सार्वजनिक भवन और 25 पुलिया तथा अन्य प्रभावित हुए। मानसून अवधि 2006 में जो आपदा आई उसका विवरण है, मानव हानि 41, पशु हानि 168, आंशिक क्षतिग्रस्त भवन 571, पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन 169, 74 हेक्टेयर कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों में 18 सडकें, 11 सार्वजनिक भवन और 17 पुलिया तथा अन्य। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, उत्तर के दूसरे अंश में लिखा हुआ है कि जिलाधिकारियों से कुल 93 ग्रामों के पुनर्वास सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये पुनर्वास सम्बन्धी प्रस्ताव कितने समय से सरकार के पास विचाराधीन हैं और पुनर्वास से सम्बन्धित अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा कि 93 विभिन्न जनपदों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तो हमारी सरकार ने इस विषय पर गम्भीरता प्रकट करते हुए जिलाधिकारियों को पत्र भेजा और जिलाधिकारियों के माध्यम से सूचना एकत्रित हुई उसके अन्तर्गत चमोली में 35 गाव, बागेश्वर में 2 गाव, पौड़ी गढ़वाल में 18 गाव।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नकाल समाप्त।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान—

(तृतीय सोम0 के तारा0 08 में स्था0)

उत्तरकाशी के वि0क्षे0 मोरी स्थित गांव फिताड़ी में खाद्यान्न गोदाम की सुविधा।

*7—श्री राजेश जुवांठा—

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के छ: गॉव लिवाडी, राला, कासला, हरिपुर, रेक्चा एवं फिताडी के लोगो को खाद्यान्न सामग्री के लिये 16 किमी0 दूर जखोल आना पडता है ?

क्या सरकार इन गॉवों की विषम परिस्थितियों को देखते हुए फिताडी में खाद्यान्न गोदाम खोलने हेतु विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

इन छ: गॉवों में खाद्यान्न सामग्री वितरण हेतु चार दुकानों क्रमश: लिवाडी, कासला, रेक्चा तथा फिताडी के माध्यम से इन क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। दुकानों की दूरी 1 से 2 किमी0 के अन्तर्गत है।

जी नहीं।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रदेश में दैवी आपदा से हुई क्षति के मुआवजे हेतु नीति

*8—श्री राजेश जुवांठा—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में आये दिन दैवीय आपदा भूकम्प, भू—स्खलन, अतिवृष्टि आदि से प्रदेश के निवासियों के आवासीय मकानों तथा कृषि योग्य काश्तकारी भूमि को भारी क्षति व नुकसान होता है ?

नोट—तारा0 प्रश्न संख्या 05 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

क्या यह सत्य है कि किसानों/प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रभावित काश्तकारों को हुए नुकसान के अनुरूप मुआवजा देने हेतु कोई ठोस नीति बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को मुआवजा अनुमन्य नहीं है। केवल राहत सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मद एवं मानकों के अनुसार प्रभावित परिवारों को अनुमन्य राहत सहायता प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 27–06–2007 को जारी नवीन गाईड लाइन्स में मद एवं मानक पुनरीक्षित कर राहत सहायता में वृद्धि कर दी गई है। अतः फिलहाल निर्धारित मानकों को पुनः उदार बनाये जाने का प्रयास समीचीन नहीं है।

जनपद हरिद्वार को आवंटित कैरोसीन तेल कोटे को बढ़ाने पर विचार

*9–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या खाद्य मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार को आवंटित किये जाने वाले कैरोसीन तेल का कोटा वर्ष 2001 के सापेक्ष वर्ष 2007 में लगभग आधा कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो इतनी भारी कटौती किये जाने के क्या कारण है ?

क्या सरकार आवश्यकता के अनुरूप कोटा आवंटित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्ष 2001 की तुलना में जनपद हरिद्वार हेतु मिट्टी तेल का आवंटन कम हो गया है। वर्ष 2001–02 में जनपद हरिद्वार को प्रथम त्रैमास में 1927 कि0ली0 मासिक मिट्टी तेल आवंटन था, जबकि वर्तमान में 1290 कि0ली0 मासिक है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार भारत सरकार की नोडल

एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। भारत सरकार द्वारा मिट्टी तेल के आवंटन में वर्ष 2001 की तुलना में कटौती की गई है।

यह भारत सरकार द्वारा मासिक कोटा आवंटन पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आपदा प्रबन्धन राशि के मानक परिवर्तन करने पर विचार

*10–श्री ओम गोपाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आपदा प्रबन्धन मुआवजा राशि के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकान/जमीन का मुआवजा प्रति नाली रू0 250 के हिसाब से दिया जा रहा है ?

क्या उपरोक्त राशि प्रभावित व्यक्ति/परिवार हेतु पर्याप्त है ?

यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी आपदा प्रबन्धन राशि के मानक परिवर्तित कराने हेतु भारत सरकार के साथ विचार करेंगे ?

यदि हॉं, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हॉं। दैवी आपदाओं की परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप राहत सहायता की धनराशि दी जाती है।

गृह मंत्रालय द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 27–06–2007 को जारी नवीन गाईड लाइन्स में मद एवं मानक पुनरीक्षित कर राहत सहायता में वृद्धि कर दी गई है। अतः फिलहाल इस स्थिति में इन मानकों को पुनः उदार बनाये जाने का प्रयास समीचीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत पंतनगर गदरपुर कृषि भूमि का आवासीय भूमि में परिवर्तन तथा प्राप्त राजस्व

*11–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 60 पन्तनगर–गदरपुर विस0 क्षेत्र ऊधमसिंह नगर में कितने एकड़ कृषि भूमि को आवास निर्माण हेतु आवासीय

भूमि में परिवर्तित किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत 40.293 एकड़ कृषि भूमि को आवासीय उपयोग हेतु परिवर्तित किया गया है। इस भू–उपयोग परिवर्तन से रु0 54 लाख 87 हजार 60 मात्र शुल्क के रूप में प्राप्त किये गये हैं।

नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों का अन्यत्र पुनर्वास

*12–श्री ओम गोपाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 के माह अगस्त में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पट्टी दोगी, धमान्दस्यूं कुजणी, भरपूर, क्वली–पालकोट, धारअकिरिया, मखलोगी में भारी वर्षा व अतिवृष्टि से भूस्खलन के कारण ग्रामीणों के मकान व जमीन पूर्णतः/आंशिक रूप के कितने क्षतिग्रस्त हुए ?

क्या मंत्री जी भिज्ञ हैं कि उनके द्वारा स्वयं प्रभावित स्थलों का भ्रमण भी किया गया जिसमें से दुआधार, ग्राम सभा–आगर में मंत्री जी ने ग्रामीणों को तत्काल अन्यत्र पुनर्वासित करने का आश्वासन दिया था ?

यदि हाँ, तो अभी तक भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की सूची उपलब्ध कराये जाने तथा सूचीबद्ध परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित करेंगे ?

क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि वर्तमान समय में कितने परिवारों का पुनर्वास प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के 117 ग्रामों के अन्तर्गत 15 भवन पूर्णतः, 98 भवन तीक्ष्ण रूप से एवं 89 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं और कुल 43 ग्रामों की 14.711 हैक्टेयर कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई है।

जी हाँ। प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया गया था।

ग्राम–आगर के प्रभावितों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने हेतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग से भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। भू–वैज्ञानिक की जांच आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव होगी।

प्रभावित परिवारों की सूची संलग्न है। सूचीबद्ध परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग से जांच आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव होगी।

ग्राम आगर में कुल 47 भवन भू धंसाव से प्रभावित होते पाये गये। भू–वैज्ञानिक की जांच आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव होगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 203 पर)

*13–श्री प्रेमानन्द महाजन–

(चतुर्थ सोम० तारांकित प्रश्न 05 में स्था०)

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 कनालीछीना के पीपली स्थित पशुपालन केन्द्र की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

*14–श्री मयूख महर–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के पीपली कस्बे में मुख्य आबादी से 5 कि0मी0 दूर स्थित जंगल में विभाग द्वारा पशुपालन केन्द्र कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि उक्त केन्द्र में एक भी कर्मचारी तैनात नहीं है तथा एक भी पशु की उक्त स्थान पर चिकित्सा नहीं की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा पुनः उक्त भवन के मरम्मत हेतु धन प्रदान किया गया है ?

यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

क्या सरकार गलत स्थान पर केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति देने वाले अधिकारी पर तथा पुनः उस हेतु धन स्वीकृत करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

पशुचिकित्सालय, पीपली का भवन 31 मार्च, 1987 को विभाग द्वारा अधिगृहीत किया गया था।

पशुचिकित्सालय, पीपली में पशुचिकित्सा अधिकारी, वैटनरी फार्मेसिस्ट तथा अनुसेवक कार्यरत है तथा चिकित्सालय में पशुओं की चिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण, प्राकृतिक गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान, कुक्कुट वितरण, दवापान, दवास्नान, चारा बीज वितरण आदि कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं।

जी हाँ।

वर्ष 2006–07 में बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत रु0 3 लाख की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा मरम्मत हेतु खण्ड विकास अधिकारी, कनालीछीना को उपलब्ध कराई गई है।

प्रश्नगत भवन की मरम्मत के उपरान्त पशुचिकित्सालय, पीपली को यथाशीघ्र उक्त भवन में स्थानान्तरित कर क्षेत्रीय पशुपालकों को पशुपालन से सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

पूर्व निर्मित भवन मरम्मत योग्य होने के कारण मरम्मत अति आवश्यक थी। मरम्मत के उपरान्त उक्त भवन पर पशुचिकित्सालय संचालित किया जायेगा। अतः वित्तीय स्वीकृति जारी करना जनहित में आवश्यक था।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त जमीन के मुआवजा के मानकों का सरलीकरण

*15–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त जमीन का मुआवजा दिये जाने के मानक क्या है ?

सरकार द्वारा इन मानकों का सरलीकरण किये जाने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ। भारत सरकार के दिशा– निर्देशानुसार दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त जमीन का मुआवजा अनुमन्य नहीं है। निर्धारित मानकों के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि भूमि से अवसाद एवं मलबा हटाने हेतु केवल राहत सहायता अनुमन्य है।

जी नहीं।

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 27–06–2007 को जारी नवीन गाईड लाइन्स में मद एवं मानक पुनरीक्षित कर पूर्व की अपेक्षा वृद्धि कर दी गई है।

गरीब वादकारियों के हितार्थ आयुक्त गढ़वाल मण्डल का सुनवाई हेतु शिविर का आयोजन

*16–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 1991 से पूर्व जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में जनता तथा वादकारियों की सुविधा हेतु प्रत्येक माह आयुक्त, गढ़वाल मण्डल शिविर कर वादों की सुनवाई करते थे ? क्या यह सत्य है कि 1991 के बाद उक्त शिविर बन्द कर दिये गये है जिस कारण गरीब वादकारियों को पौड़ी जाना पड़ता है ? क्या मंत्री जी गरीब वादकारियों के हितार्थ प्रत्येक माह आयुक्त, गढ़वाल मण्डल का शिविर पूर्व की भांति प्रतिमाह एक दिन आयोजित करवाने पर विचार करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्ष 1991 तक जनपद में वादकारियों की मांग के अनुरूप अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा शिविर कर वादों की सुनवाई की जाती रही है। इसके उपरान्त अपर आयुक्त के कार्यभार में वृद्धि होने तथा विभिन्न अवधियों में अपर आयुक्त पद पर तैनाती न हो सकने के कारण शिविर न्यायालयों का आयोजन नहीं किया जा सका। वर्तमान में चूंकि सर्वाधिक राजस्ववाद जनपद देहरादून व हरिद्वार से सम्बन्धित हैं। अतः इस आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद देहरादून में आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा शिविर आयोजित किये जा रहे है। जनपद उत्तरकाशी में ऐसी आवश्यकता होने पर शिविर न्यायालयों के आयोजन पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ व भू स्खलन से प्रभावितों को प्रतिकर भुगतान के मानकों में संशोधन

*17–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ व भू–स्खलन के कारण हजारों नाली कृषि भूमि बह जाती है ?

क्या सरकार प्रभावित काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन अथवा सर्किल दरों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान कराने के लिए मानकों में संशोधन कराने हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मद एवं मानकों के अनुसार दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को भूमि के बदले भूमि अथवा प्रतिकर का भुगतान किये जाने का प्राविधान नहीं है। दैवी आपदा प्रभावितों को नियमानुसार राहत सहायता अनुमन्य करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

आपदा राहत कोष से केवल राहत सहायता अनुमन्य है, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 27–06–2007 को जारी नवीन गाइड लाइन्स में मद एवं मानक पुनरीक्षित कर राहत सहायता में वृद्धि कर दी गयी है। अतः फिलहाल मानकों को पुनः उदार बनाये जाने का प्रयास समीचीन नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम कानड़ी में काबिज भूमि पर ग्रामीणों का मालिकाना हक

*18–श्री मयूख महर–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वि०ख० मुनाकोट, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम कानड़ी के लोगों को उनकी काबिज नाप भूमि में मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि मालिकाना हक न प्राप्त होने के कारण ग्रामवासियों के स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र नहीं बन पा रहे हैं ? क्या सरकार ग्रामीणों को काबिज भूमि पर मालिकाना हक देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं।

ग्राम कानड़ी के 60 खातेदार भू–स्वामियों को मालिकाना हक दिया जा चुका है। मात्र 13 परिवारों को उनके नाम पर भूमि न होने के कारण मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है, इन्हीं परिवारों के मामले में भूमि का स्वामित्व इनके पक्ष में न होने के

कारण हैसियत प्रमाण–पत्र निर्गत करने में कतिपय कठिनाईयां हुयी हैं। स्थायी निवास प्रमाण–पत्र नियमानुसार निर्गत किये जा रहे हैं। मालिकाना हक पाने के लिए अवशेष परिवार/व्यक्ति सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड मण्डी समिति एक्ट बनाने पर विचार

1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड मण्डी समिति एक्ट बन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एक्ट कब तक बनाकर लागू कर दिया जायेगा ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तराखण्ड में प्रवर्तन हेतु यथानुकूलित एवं यथोपांतरित) उत्तराखण्ड में प्रवर्तित है। इसके स्थान पर नया विधेयक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 15 विकास खण्डों में अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्वीकृत व रिक्त पदों पर तैनाती

2–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 15 विकास खण्डों में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण क्या है ?

तथा कब तक रिक्त पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती कर दी जायेगी ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जनपद पौड़ी के 15 विकास खण्डों में ग्राम्य विकास से सम्बन्धित सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है.–

स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
314	230	84

रिक्त पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती सीधी भर्ती व पदोन्नति तथा स्थानान्तरण द्वारा यथासमय की जायेगी।

प्रदेश में पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सक एवं पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर तैनाती

3—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में स्थित पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सकों तथा पशुधन प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त होने से प्रदेश के पशुपालकों को पशुपालन विभाग द्वारा प्रदत्त सेवायें प्रभावित हो रही हैं।

यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर पशुचिकित्सा अधिकारियो तथा पशुधन प्रसार अधिकारियो की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कब तक रिक्त पदों पर अधिकारियो की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

आंशिक रूप से प्रभावित हो रही हैं।

पशुचिकित्साधिकारियो के रिक्त पदों को पंतनगर विश्वविद्यालय के माध्यम से संविदा के आधार पर भरने हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, आयोग द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।

पशुधन प्रसार अधिकारियों को दो वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया गया था तत्पश्चात समस्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात अगला बैच प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

पंतनगर विश्वविद्यालय से संविदा में नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने एवं लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र।

उत्तरकाशी के ज्ञानसू नाले के ट्रीटमेंट पर विचार

4—श्री मुन्ना सिंह चौहान—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी मुख्यालय में ज्ञानसू नाले के दोनों ओर बसी घनी आबादी दैविक आपदा की दृष्टि से संकटग्रस्त/अति संवेदनशील है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के ट्रीटमेन्ट पर कोई विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी हाँ।

अतिवृष्टि/भूस्खलन के कारण ज्ञानसू नाले के उपचार एवं स्थिरीकरण के लिये रु0 95.65 लाख की लागत से सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार बनाई गई है, तथा ज्ञानसू नाले के शीर्ष भाग पर प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी डैम वन प्रभाग (द्वितीय) के माध्यम से वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में रु0 101.43 लाख की लागत से उपचार कार्य करवाये गये हैं। पाडूली (ज्ञानसू) के सम्बन्ध में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से तकनीकी जांच हेतु अनुरोध किया गया है। तकनीकी जांच आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में भू स्खलन सम्भावित क्षेत्र हेतु नीति

5-श्री मुन्ना सिंह चौहान-

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में भू-स्खलन सम्भावित क्षेत्रों की क्या कोई मैपिंग की गयी है ?

यदि हॉ, तो उसका विवरण क्या है और इन भू-स्खलन सम्भावित क्षेत्रों के लिए क्या कोई नीति बनायी गयी है ?

श्री दिवाकर भट्ट-

जी हॉ।

अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों का भू-स्खलन संवेदनशीलता के दृष्टिगत मानचित्रीकरण किया गया है जो कि निम्नलिखित अभिलेख में उपलब्ध है-

सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकों पर आधारित उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश हेतु भूस्खलन जोखिम सम्भावित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण।

उक्त उल्लिखित अभिलेख में सम्बन्धित संस्था द्वारा राज्य के निम्नलिखित राजमार्गों व अन्य के दोनों ओर अवस्थित क्षेत्र के लिये यह मानचित्रीकरण किया गया है :-

1. ऋषिकेश-रुद्रप्रयाग-चमोली-बद्रीनाथ
2. रुद्रप्रयाग-ऊखीमठ-केदारनाथ
3. चमोली-उखारा-ऊखीमठ
4. ऋषिकेश-उत्तरकाशी-गंगोत्री-गोमुख
5. पिथौरागढ़-खेला-मालपा

उक्त के अतिरिक्त लखनऊ स्थित सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र द्वारा राज्य में अवस्थित विभिन्न क्षेत्रों के लिये किये गये भूस्खलन मानचित्रीकरण निम्नलिखित अभिलेखों

के अन्तर्गत उपलब्ध है :-

1. देहरादून अवस्थित मसूरी एवं टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन जोखिम सम्भावित क्षेत्रों का सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित अध्ययन रिपोर्ट।
2. कुमायूँ हिमालय क्षेत्रान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में अवस्थित मालपा क्षेत्र में भूस्खलन जोखिम सम्भावित क्षेत्रों की सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित अध्ययन रिपोर्ट।
3. उत्तरांचल अवस्थित जनपद नैनीताल एवं अल्मोड़ा में भूस्खलन जोखिम सम्भावित क्षेत्रों एवं भूस्खलन जोखिम प्रबन्धन का मानचित्रीकरण।
4. उत्तरांचल अवस्थित जनपद देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत मसूरी एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में भूस्खलन जोखिम सम्भावना एवं भूस्खलन जोखिम प्रबन्धन का एटलस।
5. कुमायूँ हिमालय क्षेत्रान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में अवस्थित मालपा क्षेत्र में भूस्खलन जोखिम सम्भावित क्षेत्रों का एवं भूस्खलन जोखिम प्रबन्धन का एटलस।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत स्थापित आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा राज्य में घटित भूस्खलनों का वृहद सर्वेक्षण किया गया है, तथा वर्तमान में राज्य में अवस्थित भूस्खलन क्षेत्रों को भौगोलिक सूचना प्रणाली पर्यावरण में मानचित्रित किया जा रहा है।

राज्य सरकार में दैवी आपदा से प्रभावित अत्यधिक संवेदनशील ग्रामों को चिन्हित कर अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने हेतु पुनर्वास नीति विचाराधीन है, तथा चिन्हित ग्रामों का भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग से तकनीकी पहलुओं पर परीक्षण कराया जा रहा है।

जनपद उत्तरकाशी के मोरी स्थित ग्राम ओसला में 25 12 2007 को हुए अग्निकाण्ड से प्रभावितों को सहायता।

6—श्री राजेश जुवांठा—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला विकास खण्ड मोरी के ग्राम ओसला में 25—12—2007 को अग्नि काण्ड हुआ था ?

क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों की उचित व्यवस्था न होने के कारण लगभग 20 दिन बाद गाँव की एक महिला की ठंड के कारण मृत्यु हो गई ?

क्या सरकार ने पीड़ित परिवारों की सहायता हेतु कोई ठोस नीति बनाई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी नहीं। ग्राम ओसला में दिनांक 25–12–2007 को हुए अग्निकाण्ड से 53 परिवारों के 33 पक्के आवासीय भवन जलकर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, तथा 05 पक्के आवासीय भवन तीक्ष्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए है। अग्निकाण्ड के कारण 02 गाय, 01 घोड़ा, 02 बछड़े तथा 56 भेड़ बकरियों की जलकर मृत्यु हुई है। प्रभावित परिवारों को दिनांक 27–12–2007 को टेन्ट, तिपाल, कम्बल, रजाई, गद्दे, राशन, मिट्टी का तेल एवं रु0 1,06,000/– अहैतुक सहायता मद में वितरित की गई। साथ ही दिनांक 29–12–2007 को प्रभावित परिवारों को रु0 8,50,000/– गृह अनुदान एवं पशुओं की मृत्यु पर रु0 21,000/– अनुग्रह अनुदान वितरित की गई। अतः ठंड के कारण ग्राम ओसला में किसी भी महिला की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि श्रीमती छुम्मी देवी पत्नी श्री जाजमू, उम्र 63 वर्ष की स्वाभाविक मृत्यु हुई थी।

अग्निकाण्ड से प्रभावितों को आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मद एवं मानकों के अनुसार राहत सहायता वितरित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में पालतू पशुओं में वर्ष 2001 के सापेक्ष 2007 तक हुई वृद्धि

7–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में पालतू पशुओं में वर्ष 2001 के सापेक्ष वर्ष 2007 तक पशुधन में कितनी वृद्धि हुई है।

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

पशु गणना का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है, 16वीं पशु गणना वर्ष 1997 में सम्पन्न हुई थी, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य में कुल पशुधन संख्या 46090000 (छियालिस लाख नौ हजार) थी, 17वी पशु गणना 2003 में सम्पन्न हुई, जिसमें 4943000 (उनचास लाख तैंतालीस हजार) पशुधन राज्य में थे, 18वी पशु गणना का कार्य वर्ष 2007 से चल रहा है जिसके अन्तिम आकड़े माह जून 2008 में प्राप्त होने की सम्भावना है। वास्तविक वृद्धि दर आंकड़े प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो पायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

8–श्री सुरेन्द्र राकेश–

(माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त)

भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रदेश को उपलब्ध धन तथा स्वीकृत गूलों में परिवर्तन

9—श्री प्रीतम सिंह—

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रदेश को कुल कितना धन उपलब्ध कराया गया है ?

क्या भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गूलों में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हॉं, तो किस आधार पर ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007—08 में अभी तक लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को कुल रु0 14256.00 लाख अवमुक्त किये गये हैं।

नहीं। जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर वित्त विभाग के परामर्श के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा लघु सिंचाई विभाग हेतु स्वीकृत सिंचाई गूलों में से 126 सिंचाई गूलों का मात्र नाम परिवर्तित किया गया है, इससे स्वीकृत योजनाओं पर वित्तीय एवं तकनीकी रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इसकी सूचना भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद टिहरी के अन्तर्गत नैनबाग विकास खण्ड हेतु सृजन की मांग

10—श्री खजान दास—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा में जौनपुर विकास खण्ड के कुछ भाग को अलग कर पृथक नैनबाग विकास खण्ड के सृजन किये जाने की मांग स्थानीय जनता द्वारा वर्ष 1980 से लगातार की जा रही है ?

क्या सरकार पृथक विकास खण्ड नैनबाग के सृजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यो नही ?

श्री बिशन सिंह चुफाल—

जी हॉं।

योजना आयोग भारत सरकार के पत्र संख्या एम—13018/27/96—आर0डी0 दिनांक 25—7—1997 के अनुसार नये विकास खण्डो के गठन हेतु भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता न दिये जाने के कारण वर्तमान में नये विकास खण्डों का सृजन

किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्षा से प्रभावित वि0ख0 कनालीछीना, डीडीहाट, धारचूला के पीड़ितों को अन्यत्र बसाये जाने हेतु कार्यवाही

11–श्री मयूख महर–

क्या दैवीय आपदा मंत्री अवगत हैं कि गत बरसात मे पूरे प्रदेश में आपदा का सबसे अधिक प्रभाव जनपद पिथौरागढ के कनालीछीना, डीडीहाट एवं धारचूला वि0ख0 को हुआ है ?

क्या यह सत्य है कि पीडित परिवारों को तत्समय जिला प्रशासन द्वारा सरकारी भवनों में अस्थायी रूप से रखा गया था ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार द्वारा उक्त आपदा पीडितो को अन्यत्र बसाने हेतु कोई प्रयास किया गया है ?

यदि हॉं, तो उक्त प्रयास क्या थे व इससे कितने लोग लाभान्वित हुये है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

विगत वर्षात मे जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत विकास खण्ड कनालीछीना, डीडीहाट एव धारचूला दैवी आपदा से सर्वाधिक प्रभावित रहा है।

जी हॉं।

जी हॉं।

विकास खण्ड डीडीहाट के नयी बस्ती के आपदा प्रभावितो को उसी तहसील अन्तर्गत ग्राम काण्डे में पुनर्वासित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, तथा विकास खण्ड धारचूला के ग्राम बरम मे दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने हेतु भूमि के चयन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई हेतु गूलों व हौजों का निर्माण

12–श्री राजेश जुवाठा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गत तीन वर्षों से कितनी सिंचाई गूलों व हौजो का निर्माण हुआ है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में कितनी सिंचाई गूलों से सिंचाई हो रही है और कितनी ऐसी सिंचाई गूलें व हौज ऐसे हैं जिन पर आज तक पानी नहीं चला है ?

क्या सरकार द्वारा इसके लिए उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में 290 सिंचाई गूलों एवं 13 हौजों का निर्माण किया गया है।

वर्तमान में 286 सिंचाई गूलों से सिंचाई हो रही है। विगत तीन वर्षों में निर्मित योजनाओं में ऐसी कोई भी योजना नहीं है, जिसके निर्माण के पश्चात उसमें पानी न चला हो।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या के मानकानुकूल ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति

13–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है तथा इनके सापेक्ष कुल कितने ग्राम्य विकास अधिकारी नियुक्त हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इनकी संख्या मानकों के अनुकूल है ?

यदि नहीं, तो मानकानुकूल इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 7227 है। ग्राम पंचायतों में ग्राम्य विकास विभाग के कुल 696 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि पंचायतीराज विभाग के 488, समाज कल्याण विभाग के 19, सिंचाई विभाग के 139, स्वास्थ्य विभाग के 43, गन्ना विभाग के 03 तथा कृषि विभाग के 01 अर्थात कुल 693 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यरत हैं। इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी के 696 कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये कुल 1389 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यरत हैं।

जी नहीं।

यथाशीघ्र।

रुद्रपुर स्थित कृषि उत्पादन मण्डी निदेशालय के निर्माण कार्यों पर व्यय

14–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मण्डी निदेशालय (कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड) रुद्रपुर के निर्माण में कितनी लागत आयी है ?

क्या मण्डी निदेशालय परिसर में मन्दिर का निर्माण हुआ है ?

यदि हाँ, तो मन्दिर निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मण्डी निदेशालय (कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड) रुद्रपुर के निर्माण में कुल रु0 583.00 लाख की लागत आयी है।

जी नहीं, मन्दिर का निर्माण आवासीय परिसर रुद्रपुर में किया गया है, जिसमें रु0 11.50 लाख का व्यय किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड कोट अन्तर्गत साधन सहकारी समिति लि0 व्यास चट्टी के मकान किराये का भुगतान तथा सचिव के रिक्त पद पर तैनाती की मांग

15–श्रीमती अमृता रावत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अध्यक्ष जिला प्रशासनिक कमेटी/जिला सहकारी बैंक लि0 गढ़वाल (कोटद्वार) के पत्रांक 2516–5/2007–08/मकान किराया/व्यास चट्टी समिति दिनांक 03 सितम्बर 2007 के द्वारा सचिव साधन सहकारी समिति लि0 धिण्डवाड़ा, अतिरिक्त चार्ज साधन सहकारी समिति लि0 व्यास चट्टी विकास खण्ड कोट पौड़ी गढ़वाल को फरवरी 2003 से जुलाई 2006 तक के मकान किराये का भुगतान मकान स्वामी को किये जाने के निर्देश दिये गये है ?

यदि हाँ, तो अभी तक किराये का भुगतान न किये जाने के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक मकान स्वामी को किराये का भुगतान किया जायेगा ?

क्या यह भी सत्य है कि साधन सहकारी समिति व्यास चट्टी पौड़ी गढ़वाल में सचिव का पद एक लम्बी अवधि से रिक्त चला आ रहा है ?

यदि हाँ, तो रिक्त पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ, अध्यक्ष जिला प्रशासनिक कमेटी/जिला सहकारी बैंक गढ़वाल (कोटद्वार) के पत्रांक 2516–5/2007–08/मकान किराया/व्यास चट्टी समिति दिनांक 03 सितम्बर, 2007

द्वारा सचिव, साधन सहकारी समिति लि0 पिण्डवाडा अतिरिक्त चार्ज साधन सहकारी समिति लि0, व्यास चट्टी, विकास खण्ड कोट पौड़ी गढ़वाल को फरवरी, 2003 से जुलाई, 2006 तक के मकान किराए का भुगतान मकान स्वामी को किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

भवन स्वामी श्री सुलतान सिंह रावत के मकान के एक कमरे में श्री राजेन्द्र सिंह नेगी तत्कालीन सचिव, साधन सहकारी समिति लि0, व्यास चट्टी निवास करते थे। श्री राजेन्द्र सिंह नेगी के पत्र दिनांक 26–02–2008 एवं भवन स्वामी श्री सुलतान सिंह रावत के दिनांक रहित पत्र के अनुसार दोनों पक्षों में किराये के लेन देन के सम्बन्ध में समझौता हो चुका है। अतः अब किराये के भुगतान के प्रश्न का निराकरण हो गया है।

साधन सहकारी समिति लि0 व्यास चट्टी में वर्तमान में इतना कार्य नहीं है कि उसमें पूर्णकालिक सचिव की व्यवस्था की जाय, इसलिये उक्त समिति का कार्य साधन सहकारी समिति लि0 पिण्डवाडा द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के वि0ख0 कोट के बड़ेडाखाल स्थित पशु सेवा केन्द्र में रिक्त पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति

16–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के विकास खण्ड, कोट के स्थान बड़ेडाखाल में स्थित पशु सेवा केन्द्र में पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति माह अक्टूबर, 2007 के बैच से करवाना सुनिश्चित करने हेतु उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के पत्रांक 697–98/स्था0 विविध/2007–08 दिनांक 26 मई, 2007 द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किया गया है।

यदि हाँ, तो अभी तक पशु सेवा केन्द्र, बड़ेडाखाल, पौड़ी गढ़वाल में पशुधन प्रसार अधिकारी की नियुक्ति/तैनाती न किये जाने का क्या कारण है ?

तथा कब तक पशुधन प्रसार अधिकारी की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

अक्टूबर, 2007 के बैच से अभी मात्र 80 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। शेष 18 अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति दी जानी है, जिनमें से प्रश्नगत पशु सेवा केन्द्र में तैनाती की जायेगी।

यथाशीघ्र।

जनपद उत्तरकाशी के मोरी में निर्मित सिंचाई गूल एवं बन्द पड़ी नहरों को खोलने की मांग

17–श्री राजेश जुवांठा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में लघु सिंचाई विभाग द्वारा विगत वर्षों में कुल कितनी सिंचाई गूलों का निर्माण किया है ? वर्तमान में किन–किन सिंचाई गूलों से कितनी भूमि सिंचित की जा रही है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में ऐसी कितनी नहरें हैं जो बन्द पड़ी है ?

क्या सरकार इन बन्द पड़ी नहरों को खोले जाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

लघु सिंचाई विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में (2002–03 से 2006–07 तक) जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में कुल 125 सिंचाई गूलों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक सिंचाई गूलों से सृजित सिंचन क्षमता का विवरण संलग्नक–1 पर उल्लिखित है।

वर्तमान में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से 12 सिंचाई गूलें बन्द हैं।

बन्द पड़ी नहरों को चालू कराने के लिए बजट का प्राविधान कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ संख्या 206 पर)

पौड़ी गढ़वाल में स्थित पशु सेवा केन्द्र बहेड़ाखाल के अतिरिक्त विभागीय आवासीय भवनों का अनुरक्षण

18–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि अभी तक पशु सेवा केन्द्र बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल में स्थित विभागीय आवासीय भवनों में किसी कर्मचारी के निवास न करने के कारण भवन अनुपयोगी एवं धीरे–धीरे क्षतिग्रस्त होते जा रहे है ?

यदि हाँ, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है, तथा इन भवनों की सुरक्षा एवं नियमित अनुरक्षण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

पशु सेवा केन्द्र बहेड़ाखाल के विभागीय आवासीय भवन को वर्ष 1989 में विभाग द्वारा अधिग्रहीत किया गया तथा उक्त केन्द्र में कार्यरत कार्मिक आवासीय भवन में निवास करते आ रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2004–05 में पशु सेवा केन्द्र बरेडाखाल में आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु रू0 41000 (रू0 इकतालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय की गयी है।

जनपद पिथौरागढ़ के मूनाकोट ग्राम में गौड़ीहाट से भटेडी तक निर्धारित मोटर मार्ग का निर्माण

19–श्री मयूख महर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि पूर्व में जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 मूनाकोट में प्रधान मंत्री सडक निर्माण योजना के तहत ग्राम गौडीहाट से भटेडी हेतु 3 कि0मी0 मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था ?

क्या यह सत्य है कि ग्राम गौडीहाट से भटेडी की वास्तविक दूरी लगभग 7 कि0मी0 है जिसकी वन विभाग द्वारा अनापत्ति भी विभाग को प्राप्त हो गयी है किन्तु विभाग द्वारा 3 कि0मी0 रोड बना कर छोड दी गयी है जिस कारण मानक पूरा करने वाला चयनित ग्राम भटेडी मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित रह गया है ?

क्या उक्त मोटर मार्ग को सरकार उसके निर्धारित स्थान भटेडी तक बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

निविदायें आमंत्रित की गई है। निविदा में कार्य पूर्ण करने हेतु एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौडी के कोट के अन्तर्गत पशुचिकित्सालय बड्डूड को बेहड़ाखाल एवं पशु सेवा केन्द्र बेहड़ाखाल का बड्डूड में हस्तान्तरण

20–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालय बड्डूड को बरेडाखाल तथा पशु सेवा केन्द्र बरेडाखाल को बड्डूड अथवा गेण्ड में हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौडी गढवाल के पत्रांक 591 दिनांक 18 जून, 1997 द्वारा आख्या उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढवाल मण्डल, पौडी गढवाल को प्रस्तुत की गई है ?

यदि हाँ, तो तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौडी गढ़वाल द्वारा प्रस्तुत आख्या पर की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

बहेडाखाल में पशुचिकित्सालय मानक के अनुसार नहीं खोला जा सका है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के पंतनगर गदरपुर में अतिवृष्टि से धनजन की हानि एवं बचाव कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि

21–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008 में 60 पन्तनगर–गदरपुर वि०स० क्षेत्र जनपद ऊधमसिंह नगर में अतिवृष्टि से कितने धन व जन की हानि हुई है एवं कितने कि०मी० मार्ग व पुलिया क्षतिग्रस्त हुए है एवं सरकार द्वारा बचाव कार्य हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्ष 2008 में 60 पन्तनगर–गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में अभी तक अतिवृष्टि से कोई धन जन हानि नहीं हुई है और न ही मार्ग एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं। अतः इस हेतु कोई धन अवमुक्त नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में जिला सहकारी बैंक की स्थापना

22–श्रीमती आशा देवी–

क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग मे आम जनता से जुडी जिला सहकारी बैंक की स्थापना अभी तक नहीं हो पायी है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस क्षेत्र मे जिला सहकारी बैंक की स्थापना कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ, जनपद रुद्रप्रयाग में पृथक से जिला सहकारी बैंक की स्थापना नहीं हुई है। किन्तु जनपद मे वर्तमान में जिला सहकारी बैंक लि० टिहरी की एक एवं चमोली की 4 शाखायें विद्यमान हैं।

जिला सहकारी बैंक के निबन्धन का प्रस्ताव, उपविधियां एवं अन्य निबन्धन प्रपत्र प्राप्त होने एवं भारतीय रिजर्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जिला सहकारी बैंक के नियमानुसार निबन्धन का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

रूद्रप्रयाग के भणज क्षेत्र में पशुचिकित्सालय खोले जाने की मांग

23—श्रीमती आशा देवी—

क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि जनपद रूद्रप्रयाग के भणज क्षेत्र की जनता लगातार पशुचिकित्सालय खोले जाने की मांग करती चली आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पशुचिकित्सालय केन्द्र शीघ्र खोलने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

जी हाँ।

पशुचिकित्सालय खोलने हेतु निर्धारित मानक पूर्ण होने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ऊधमसिंह नगर के पंतनगर स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रमिकों का नियमितीकरण

24—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वर्ष में गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर जिला ऊधमसिंह नगर में 240 दिन कार्य कर चुके श्रमिकों को नियमित करने की कोई योजना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर से विश्वविद्यालय में 240 दिन कार्य कर चुके श्रमिकों के विनियमितीकरण से सम्बन्धित प्रकरण शासन में प्राप्त हुआ। प्रकरण को अग्रेत्तर विचार हेतु स्थगित रखा गया है और अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

जिला ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जॉब कार्डों का वितरण तथा योजना से लाभान्वित बेरोजगार

25—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जिला ऊधमसिंह नगर में कितने जॉब कार्डों का वितरण हुआ है ?

एवं अब तक जनपद में इस योजना के अन्तर्गत कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत माह फरवरी, 2008 तक जनपद ऊधमसिंह नगर में कुल 59086 जॉब कार्डों का वितरण किया जा चुका है।

योजनान्तर्गत माह फरवरी, 2008 तक मांग के आधार पर 10311 ग्रामीण बेरोजगारों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के उद्देश्य के अनुरूप लाभार्थियों पर व्यय धनराशि

26—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रदेश के किन जनपदों में कब से चलाई जा रही है और किस जनपद में कितनी धनराशि अभी तक खर्च कर ली गई है ?

क्या योजना के उद्देश्य के अनुरूप लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल—

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उत्तराखण्ड के 05 जनपदों में संचालित है। उक्त योजना जनपद टिहरी गढ़वाल, चमोली एवं चम्पावत में दिनांक 2—2—2006 से तथा जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में दिनांक 1—4—2007 से संचालित की जा रही है। इस योजना को 01 अप्रैल, 2008 से प्रदेश के शेष जनपदों में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

योजनान्तर्गत जनपदवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:—

1.	टिहरी	रू0 6073.519 लाख
2.	चमोली	रू0 4491.46 लाख
3.	चम्पावत	रू0 1026.09 लाख
4.	हरिद्वार	रू0 148.72 लाख
5.	ऊधमसिंह नगर	रू0 148.91 लाख

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा तहसील कार्यालय भवन का निर्माण

27—श्री गोपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर में तहसील खटीमा का कार्यालय भवन निर्माणाधीन है ?

क्या यह सत्य है कि तहसील खटीमा कार्यालय भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ?

यदि हाँ तो सरकार तहसील भवन का निर्माण कार्य पुनः कब तक प्रारम्भ करायेगी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

दिवाकर भट्ट—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में नकदी फसल भण्डारण हेतु शीतभण्डारण तथा मण्डी समितियों की स्थापना

28—श्री गोपाल सिंह—

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में काश्तकारों के द्वारा नकदी फसलों विशेषतया सब्जी उत्पादन किया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि उचित भण्डारण एवं मण्डियों के अभाव में काश्तकारों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार जनपद में शीत भण्डारण तथा मण्डी समितियों की स्थापना करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में शासन स्तर पर जनपद उत्तरकाशी में कृषि विभाग द्वारा शीत भण्डारण एवं मण्डी स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के सतपुली रीठाखाल पोखड़ा बैजरों मोटर मार्ग से बोरगाँव आदि विभिन्न ग्रामों के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत संयोजन की प्रगति

29—श्रीमती अमृता रावत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली—रीठाखाल—पोखड़ा—बैजरों मोटर मार्ग से ग्राम बोरगाँव, ढुंगा, कफोलगाँव, हडकोट मल्ला, हडकोट तल्ला, खेड़गाँव, गौला थापला, माल्ड छोटा, माल्ड बड़ा को प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना से जोड़ने हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल को प्रश्नकर्ता का पत्रांक 664/20 डी दिनांक 15—07—2005 पर क्या कार्यवाही की गयी ?

तथा कब तक उक्त मोटर मोटर मार्गों का संयोजन स्थापित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल—

प्रश्नगत ग्रामो से बोरगाँव—121, ढूंगा—141, कफोलगाँव—04, हडकोट मल्ला—123, हडकोट तल्ला—16, खेडगाँव—212, गौला—63, थापला—72, सभी की आबादी 250 से कम है, जो पी0एम0जी0एस0वाई0 में मानकों के अनुसार नहीं है। केवल माडल मल्ला (माल्ड छोटा एवं माल्ड बडा) की आबादी 301 है जो पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुसार है तथा ग्राम माडल मल्ला (माल्ड छोटा एवं माल्ड बडा) राज्य योजना में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन मार्ग जयराजखाल से रोडाखाल मोटर मार्ग से संयोजित हो रहा है।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्नगत मार्गों में से माल्ड बडा के अतिरिक्त अन्य किसी भी गाँव की आबादी पी0एम0जी0एस0वाई के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित आबादी की परिधि में नहीं है, जिस कारण पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत संयोजित करना सम्भव नहीं है।

पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल क्षेत्रान्तर्गत विधायक निधि से स्वीकृत योजनाएं

30—श्रीमती अमृता रावत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2002—03 विधायक निधि से स्वीकृत/चयनित ऐसी कौन—कौन सी योजनाएँ हैं जिनके निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि का भुगतान किया गया है किन्तु योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ न किये जाने और अग्रिम धनराशि का भुगतान किये जाने की प्रति कौन उत्तरदायी हैं तथा उत्तरदायी के प्रति अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 के लिये विधान सभा क्षेत्र बीरोखाल हेतु शासन द्वारा रु0 51.58 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी जिसके सापेक्ष मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा 72 कार्यों की संस्तुति की गयी थी, इन सभी कार्यों के निर्माण हेतु रु0 51.57 लाख की धनराशि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को प्रदान की गयी है, सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा सभी स्वीकृत योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और कोई भी कार्य निर्मित किया जाना शेष नहीं है।

वर्ष 2002–03 के विधायक निधि के स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष अपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में किसी अधिकारी/कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति

31–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत और चालू कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत और चालू कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

योजनान्तर्गत स्वीकृत 20 कार्यों में से 16 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। एक कार्य की डी0पी0आर0 संशोधित तथा 03 पर वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति अपेक्षित है।

संशोधित लागत एवं वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के भटवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत शीतकालीन गोदाम झाला में 2007-2008 के मध्य जमा एवं आवंटित राशन का विवरण

32—श्री गोपाल सिंह रावत—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी अन्तर्गत शीतकालीन गोदाम झाला में अक्टूबर 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक कुल कितना राशन विभाग द्वारा जमा किया गया है तथा कितना राशन उक्त गोदाम से किन—किन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में आवंटित किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत झाला गोदाम में अक्टूबर, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक 340.06 कुन्तल गेहूँ, 641.80 कुन्तल चावल जमा किया गया तथा 205.09 कुन्तल गेहूँ, 452.92 कुन्तल चावल का वितरण उचित दर विक्रेता श्री रमेश चन्द्र, मुखवा, श्री शूरवीर सिंह, धराली, श्री योगराम, हर्षिल तथा श्री कपिल सिंह, सुक्खी को किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत भू स्खलन प्रभावितों को मुआवजा

33—श्री गोपाल सिंह रावत—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत भू—स्खलन प्रभावितों में आंशिक रूप से प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी हाँ।

भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद प्रभावित आवेदनकर्ता को अनुमन्य राहत सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड उत्तरकाशी में अभियन्ताओं की कमी

34–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत सडकों के निर्माण का कार्य अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड उत्तरकाशी को दिया गया है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त विभाग के पास सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा अन्य स्टाफ की भारी कमी है ?

यदि हाँ तो मोटर मार्गों के निर्माण में गति लाने हेतु अभियन्ताओं तथा स्टाफ कब तक तैनात कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

आंशिक कमी है।

मोटर मार्गों के निर्माण में गति लाने हेतु अभियन्ताओं तथा स्टाफ की आंशिक कमी दूर करने के लिए कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री सडक योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य तथा निर्धारित मानक व लक्ष्य

35–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सडक योजना के अन्तर्गत कितनी सडकें उत्तराखण्ड राज्य में स्वीकृत है तथा कितने चरणों में कितने कि०मी० कार्य हो चुका है ?

क्या निर्माण कार्य निर्धारित मानकों व लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है ?

यदि नहीं, तो स्थिति सुधारने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फेज I से फेज VI तक कुल 469 सडकें स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष फेज I में 298.96 कि०मी०, फेज II में 324.27 कि०मी०, फेज III में 78.86 कि०मी० तथा फेज IV में 142.80 कि०मी० अर्थात् कुल 844.89 कि०मी० मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 के निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहा है। निर्माण कार्यों की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से कम है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज I से फेज VI तक कुल 469 सड़कें लम्बाई 3,321.33 कि0मी0 स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष अब तक कुल 194 मार्ग लम्बाई 844.89 कि0मी0 पूर्ण हो चुके हैं। मोटर मार्गों की प्रगति बढ़ाने हेतु समर्पित खण्ड स्थापित किये गये हैं। मार्गों का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप कराये जाने एवं गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखने हेतु तीन स्तरीय व्यवस्था है, जिसके अनुसार प्रथम स्तर पर कार्यदायी खण्ड, द्वितीय स्तर पर स्टेट क्वालिटी मानिटर्स एवं तृतीय स्तर पर नेशनल क्वालिटी मानिटर्स की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार द्वारा ब्लाक स्तर पर ग्राम्य सचिवालय की स्थापना

36–श्री प्रीतम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा ब्लाक स्तर पर ग्राम्य सचिवालय की स्थापना की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रकरण शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के राजस्व ग्रामों में बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र खोले जाने की योजना

37–श्री प्रीतम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र खोले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं।

राजस्व ग्रामों में इस प्रकार की अवस्थापनाए दिये जाने की कोई योजना राजस्व विभाग के अधीन संचालित नहीं है।

प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों की नियुक्ति भर्ती सम्बन्धी नीति

38– श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों की नियुक्ति–भर्ती सम्बन्धी कोई नीति बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

क्या यह भी सत्य है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 1989 को इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है ?

यदि हाँ, तो उक्त दिशा–निर्देशों को प्रदेश में कब तक लागू किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मियों की नियुक्ति/भर्ती सम्बन्धी कोई नीति नहीं बनायी गयी है।

सम्प्रति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0 शासन ग्राम्य विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2350/38–1–94–4पी/92 दिनांक 17–3–94 द्वारा नियन्त्रित हो रहे हैं।

जी हाँ।

प्रकरण नीति विषयक है जिसमें समय लगने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में बी0पी0एल0 सूची में छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित करना

39–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में वर्ष 2002 के बी0पी0एल0 सर्वे सूची में कुछ बी0पी0एल0 के पात्र व्यक्ति सर्वे सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बी0पी0एल0 सूची में संशोधन कर बी0पी0एल0 के पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल—

जी हॉं।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 196/2001 में पारित आदेश दिनांक 14—2—2006 एवं भारत सरकार के अर्द्ध० शा० पत्र संख्या क्यू०—21022/4/2003 ए०आइ० (आर०डी०) दिनांक 10—10—2005 एवं दिनाक 23—02—2006 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में बी०पी०एल० सर्वेक्षण 2002 के समय जो परिवार बी०पी०एल० सूची में दर्ज होने से रह गये थे उन परिवारों को बी०पी०एल० सूची में सम्मिलित करने की प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रक्रिया करायी जायेगी जिससे ऐसे परिवार जो बी०पी०एल० सर्वेक्षण से छूट गये हैं कि आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। जिनकी जॉंच सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में की जायेगी। जॉंच में बी०पी०एल० पाये जाने पर बी०पी०एल० सूची में उनके नाम दर्ज किये जायेंगे। इस प्रकार बी०पी०एल० सूचियों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जनपदवार प्राप्त धनराशि का उपयोग

40—श्री सुरेन्द्र राकेश—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007—08 में उत्तराखण्ड राज्य को जनपदवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

क्या हरिद्वार जनपद में प्राप्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण है ?

क्या सरकार इन कारणों को दूर करेगी। ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

श्री बिशन सिंह चुफाल—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007—08 में उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त धनराशि का जनपदवार निम्न प्रकार है :—

(धनराशि लाख रू० में)

जनपद	वर्ष 2007—08 में कुल प्राप्त धनराशि (विगत अवशेष सहित)	माह फरवरी, 08 तक व्यय
चमोली	3122.180	2260.810
चम्पावत	920.620	605.090

टिहरी	4557.890	3627.184
हरिद्वार	3362.052	221.870
ऊधमसिंह नगर	2777.390	275.830
योग	14740.332	6990.984

जी नहीं।

श्रमिकों की मॉंग की अनुपलब्धता के कारण।

जी हॉं।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

उत्तरकाशी के भटवाड़ी तथा डुण्डा में आवास विहीन तथा कच्चे आवासों वाले परिवारों का ब्यौरा

41–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी तथा डुण्डा में कुल कितने परिवार आवास विहीन तथा कच्चे आवास की श्रेणी में हैं ?

क्या सरकार विकास खण्डवार आवास विहीन तथा कच्चे आवास की श्रेणी वाली सूची उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी एवं डुण्डा में आवास विहीन परिवारों की संख्या क्रमशः 79 एवं 52 है तथा कच्चे आवासों की श्रेणी में क्रमशः 504 एवं 1382 परिवार हैं।

जी नहीं।

सूची विस्तृत होने के कारण।

उत्तरकाशी में आपदा से प्रभावित गॉंवों का भूगर्भीय सर्वेक्षण

42–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित किन किन गांवों के पुनर्वास हेतु भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है ?

प्रभावित गांवों का कब तक भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत ग्राम पौन्टी, गौल, छानिका, साडा एवं सौरा का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रभावित ग्रामों का भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निदेशक भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग देहरादून को लिखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा विधायक निधि बढ़ाये जाने पर विचार

43–श्री तिलक राज बेहड़–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार विधायक निधि की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में इन्द्रवती नदी में बाढ़ के कारण बाडागढ़ी गांव के प्रभावितों को मुआवजा

44–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 1998 में इन्द्रवती नदी में आयी बाढ़ के कारण बाडागढ़ी क्षेत्र के 11 गावों में 580 परिवारों की 40.962 है0 कृषि भूमि फसल सहित दरियाबुर्द हुई थी ?

क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा उक्त गावों के प्रभावित काश्तकारों की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि एवं फसल के लिए रु0 5,12,075.00 लाख की राहत राशि आंकलित की गई है ?

यदि हाँ, तो उक्त राहत राशि का प्रभावित काश्तकारों को कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी हाँ। वर्तमान में प्रचलित राहत सहायता मानकों के आधार पर रु0 5,12,025/– की राशि आंकलित की गई है।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार व्यय की जाती है। तत्समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कृषि भूमि एवं फसल की क्षति हेतु आपदा राहत कोष से राहत सहायता अनुमन्य न होने के फलस्वरूप प्रभावित काश्तकारों को तत्कालीन समय राहत सहायता वितरित नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री जोगा राम टम्टा, श्री खजान दास, मो0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री बलवन्त सिंह भौर्याल की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई है। मैं इनमें से श्री खजान दास, मो0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री बलवन्त सिंह भौर्याल की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवीय आपदा/भूस्खलन से प्रभावित रमोलसारी ग्राम के विस्थापन के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

श्री खजान दास–

मान्यवर, मेरी विधान सभा धनौल्टी के विकास खण्ड थौलधार के नगुण पट्टी अन्तर्गत ग्राम रमोलसारी में वर्ष 1997–98 में गांव के ऊपर से हुए भूस्खलन से 200–300 मीटर लम्बी कई दरारें आ गयी थी, तत्कालीन उपजिलाधिकारी टिहरी द्वारा 25 सितम्बर, 1997 को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया तथा मामले की गम्भीरता से जिलाधिकारी टिहरी को अवगत कराया। मई 1998 में पुनः भूगर्भवेत्ताओं द्वारा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया तथा उक्त भूस्खलन को अत्यन्त गम्भीर खतरा बताते हुए गांव को अन्यत्र बसाने का सुझाव दिया गया। वर्ष 2005 में पुनः बड़ी मात्रा में भूस्खलन हुआ तथा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। भूस्खलन के कारण काश्तकारों की कई नाली भूमि भी प्रभावित हुई है। उल्लेखनीय है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा स्वयं मेरे तथा श्री दिवाकर भट्ट माननीय मंत्री आपदा प्रबन्ध द्वारा भी किया गया। इस सम्बन्ध में बार–बार कार्यवाही किये जाने के उपरान्त भी

अब तक न तो भूस्खलन को रोकने हेतु कोई आवश्यक कदम उठाये गये और न ही ग्रामीणों को विस्थापित किये जाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है जो एक चिंताजनक विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्रता से कार्यवाही की मांग की जाती है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जी0बी0 पन्त इन्जीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में प्रधानाचार्य नियुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 310 के अन्तर्गत सूचना।

*मो0 शहजाद–

[मान्यवर, जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि एक राजकीय कॉलेज है, इस कॉलेज में 1400 छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस कॉलेज में पिछले 6 माह से प्रधानाचार्य नहीं होने के कारण कॉलेज का माहौल व अनुशासन नाम की कोई चीज नही रह गई है। यह कॉलेज पौडी गढवाल से 12 किलोमीटर पहले घुडदौडी–देव प्रयाग मार्ग पर स्थित है। यहॉ पर पढाई कर रहे छात्र व छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय होने की प्रबल सम्भावना है, मैं जी0बी0 पत इंजीनियरिंग कॉलेज, घुडदौडी में तत्काल प्रधानाचार्य नियुक्त करने की मांग करते हुए समूचे सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्रों के आस पास के गांवों में पीने का पानी दूषित होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद मे औद्योगिकीकरण होने के कारण पिछले वर्षो से औद्योगिक क्षेत्र लक्सरी, रामपुर, भगवानपुर, पोहाना आदि के पास के गांवों का पीने का पानी दूषित हो गया है। जिस कारण से इन सभी गांवों मे दूषित पानी से होने वाली गम्भीर बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे है। जिस कारण से इन गावो में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। औद्योगिक क्षेत्रों के पास के गांवों में पीने के पानी के दूषित होने का मुख्य कारण है कि फैक्ट्री मे बोरिंग कराकर रसायनयुक्त जहरीला पानी भूगर्भ मे डाल दिया है। इस रसायनयुक्त जहरीले पानी से भूगर्भ का पानी भी दूषित हो गया है। जिसे पीकर गांव की समस्त जनता अनेक रोगो से पीडित हो गयी है। सरकार इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए रामपुर, लक्सरी, भगवानपुर, पोहाना एवं सिडकुल मे स्थापित सभी फैक्ट्रियो (उद्योगों) की जांच कराकर, जिन उद्योगों ने रसायनयुक्त जहरीला पानी ट्रीटमेन्ट न कराकर भूगर्भ में डाला है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करे

नोट–*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं इस गम्भीर समस्या के हल के लिए उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों के सालियर, किशनपुर, करोन्दी, जहाजगढ, बन्दरजोडी, भगवानपुर, खानपुर, शाहपुर, मकनपुर, रामपुर मोलपुर, सहालकी, सिरचन्दी, चौली, छुब्बनपुर, छापुर, झण्डावर, जाखा, सिसौना, अमरपुर, चुडियाला, मोहीपुर, सिकन्दरपुर आदि गांव के पानी की जांच कराकर पीने के पानी में पाई जाने वाली कमियों को दूर कर गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कर इस अति महत्वपूर्ण लोकमहत्व के विषय पर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बागेश्वर, विधान सभा क्षेत्र काण्डा में राजकीय महाविद्यालय को बी0ए0 की मान्यता तथा अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत आदि विषयों को खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

मान्यवर, जनपद–बागेश्वर, विधान सभा क्षेत्र काण्डा में वर्ष 2005–06 में राजकीय महाविद्यालय काण्डा की कॉमर्स विषय से स्थापना की गयी थी। जिसमें अस्थाई रूप से एक प्रवक्ता, एक बाबू और एक चौकीदार के सहारे महाविद्यालय चल रहा है। साथ ही मेरे द्वारा पत्रांक संख्या 374/स0वि0स0/07 दिनांक 10–07–2007 को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र द्वारा अवगत कराया गया था, कि कॉमर्स विषय के अतिरिक्त बी0ए0 की मान्यता दिये जाने तथा अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व संस्कृत विषय खोले जाने की मांग की गयी थी।

अतः इस लोक महत्व के मामले को संज्ञान में लेते हुए राजकीय महाविद्यालय काण्डा जनपद बागेश्वर को बी0ए0 की मान्यता दिये जाने तथा उपरोक्त विषयों को खोले जाने के अतिरिक्त प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति करने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं "जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में" श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री कली राम एवं अन्य निवासीगण, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बजारेवाला खेड़ी शिकोपुर सिकरोढ़ा उर्फ बुग्गावाला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी मैं "जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बजारेवाला–खेडी शिकोपुर–सिकरोढा–फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला तक सडक निर्माण के सम्बन्ध में" श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह एवं अन्य निवासीगण, बजारेवाला, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकास खण्ड के मजाहदपुर सतीवाला गाँव में रतमऊ नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी मैं "जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकास खण्ड के मजाहदपुर सतीवाला गांव में रतमऊ नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री अजीम पुत्र श्री राव वसीम एवं अन्य निवासीगण, लाल वाला खालसा ब्लॉक भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री नित्यानन्द मण्डल पुत्र स्व0 श्री सुधीर मण्डल एवं अन्य निवासीगण, ग्राम–मोतीपुर, नं0–1 पोस्ट दिनेशपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत ए0एन0के0 इण्टर कॉलेज गूलर भोज को सवित्त मान्यता दिये जाने विषयक याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत ए0एन0के0 इण्टर कॉलेज गूलर भोज को सवित्त मान्यता दिये जाने विषयक" श्री कुलवन्त सिंह पुत्र श्री गुरूबख्श सिंह एवं अन्य निवासीगण, ग्राम चन्दायन, पोस्ट गूलर भोज जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत जोगीवाला, मुख्य चौक माता नवादा बद्रीपुर रोड का चौड़ीकरण/डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत जोगीवाला, मुख्यचौक से काली मात–नवादा बद्रीपुर रोड के चौड़ीकरण/डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री सुभाष चन्द्र भट्ट एवं अन्य निवासीगण, बद्रीपुर पो0 जनपद–देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, सदस्य विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2008 द्वारा यह अभिसूचित किया गया कि दिनांक 06 जनवरी, 2008 को जनपद चम्पावत के नवसृजित तहसील पाटी के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर माननीय सदस्य को सूचना न दिये जाने से उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है। अतः उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री तथा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के पत्र दिनांक 05 मार्च, 2008 द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय प्रशासन को दिनांक 06 जनवरी, 2008 के उद्घाटन कार्यक्रम की सूचना दिनांक 03 जनवरी, 2008 को प्राप्त हुई और अल्पसमय में कार्यक्रम की सूचना दूरभाष के माध्यम से सभी सम्बन्धित पक्षों को निर्माण इकाई द्वारा दी गई। निर्माण इकाई के परियोजना प्रबन्धक ने इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया कि उन्हें दिनांक 04 जनवरी, 2008 की देर रात में दूरभाष से कार्यक्रम की सूचना प्राप्त हुई थी और समय कम होने के कारण उनके स्तर से माननीय महोदय को अवगत नहीं कराया जा सका जिसके लिए उनको खेद है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त तहसील पाटी में तत्समय तैनात उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वे दिनांक 05 जनवरी, 2008 को गुरू गोविन्द सिंह जी के जन्म दिन के अवसर पर गुरूद्वारा रीठा साहिब में हुए विवादों के निस्तारण हेतु इस क्षेत्र के भ्रमण पर थे। दूरभाष की समस्या के कारण वे माननीय सदस्य को कार्यक्रम के बारे में सूचित नहीं कर सके। जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति न किये जाने के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कार्यक्रम में प्रोटोकाल का अनुपालन नहीं किया गया है किन्तु समयाभाव तथा सुविधा के अभाव में इसकी सूचना न दिये जाने के पीछे स्थानीय प्रशासन अथवा विभाग का कोई दुराग्रह अथवा दुर्भावना की मंशा नहीं थी। उन्होंने स्वयं इस त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया है और यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए समुचित निर्देश दिये जा रहे हैं।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी एवं खेद प्रकाश के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त प्रकरण में विशेषाधिकार हनन की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं, उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शासन स्तर से तुरन्त दिशा निर्देश निर्गत किये जायें।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, जो शासन द्वारा उत्तर सरकार को दिया गया है, वह केवल मेरी उपेक्षा का प्रश्न नहीं है बल्कि हमारे सभी माननीय सदस्यगणों की उपेक्षा का प्रश्न है। मान्यवर, पूर्व में भी ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में इस पीठ से स्पष्ट रूप से निर्देश आ चुके थे फिर भी प्रशासन द्वारा ऐसी घटनाओं की पुन: पुनरावृत्ति की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि आप स्वयं इस बात से अवगत है कि वर्ष 2003 में माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी ने और वर्ष 2005 में संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी इस प्रश्न को सदन में उठाया था। इस प्रकार से बार–बार ऐसी घटनाओं को दोहराया जा रहा है और सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है। जिस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जिलाधिकारी द्वारा सरकार को दिया है वह तथ्यहीन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चार बार इस सदन का सदस्य रहा हूँ और एक बार जिला पंचायत की अध्यक्षता कर चुका हूँ। मान्यवर, यह भी नहीं है कि ये अधिकारी मुझे नहीं जानते हों। यह बात सही है कि अधिकारी कह सकते है कि माननीय सदस्य देहरादून में है या अपने विधान सभा क्षेत्र में, इसकी सूचना इनको न हो लेकिन मेरा यह कहना है कि इन अधिकारियों के द्वारा मुझे यह सूचना देनी चाहिए थी कि मार्ग का शिलान्यास हो रहा है और उस शिलान्यास के शिलापट्ट पर मेरा नाम होना जरूरी था, लेकिन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उस शिलापट्ट पर मेरा नाम अंकित नहीं किया गया, जबकि मैं उस विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूँ। (व्यवधान)

नोट– *सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मानीय अध्यक्ष जी, क्या सम्बन्धित अधिकारी को इसकी सूचना देने का समय नहीं रहा है या देना नहीं चाहते थे ? जबकि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए इस पीठ से पूर्व में भी निर्देश आ चुके थे। (व्यवधान) मान्यवर, इस प्रकार की घटना किसी भी सदस्य के साथ घट सकती है, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वैल' में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है, कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जायं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसके बारे में बताना चाहते हैं। (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, निश्चित रूप से यह एक गम्भीर विषय है, इसको हम स्वीकार करते है और सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि माननीय सदस्य को कार्यक्रम के बारे में सूचित नहीं कर सके। मान्यवर, त्रुटि की पुनरावृत्ति न किये जाने के लिए चेतावनी जारी कर दी गयी है। मान्यवर, वस्तुस्थिति की जानकारी एवं खेद प्रकाश के बाद उक्त प्रकरण में विशेषाधिकार हनन की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं हुआ है।

श्रीमन्, जितने भी जन प्रतिनिधि इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं, उनके सम्मान को कायम रखना सरकार की जवाबदेही है। उसी के अनुरूप प्रत्येक सरकार से जुड़े हुए अधिकारी की यह जिम्मेदारी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सम्बन्ध में आश्वस्त किया है कि राज्य में होने वाले जितने भी शिलान्यास और उद्‌घाटन कार्यक्रम, लोकार्पण होगा, किसी भी कार्य से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं का शिलान्यास होगा, इसको कड़ाई से निर्देशित कर रहे हैं कि प्रत्येक शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में सीमान्तर्गत आने वाले सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक का नाम शिलापट्ट पर अंकित हो, उचित सम्मान उनको मिले। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और कहीं कोई घटना प्रकाश में आई तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी।

*श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ही विधायक के साथ नहीं। हमारे साथ हुआ है हमारे घर के सामने पार्क है उसके उद्‌घाटन कार्यक्रम की जानकारी हमको नहीं दी गयी।

नोट– *वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान के मध्य)

*श्री यशपाल आर्य–

मानानीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में माननीय पेयजल मंत्री कण्डारी जी पेयजल योजना का लोकार्पण करके चले गये। हमको सूचना तक नहीं मिली। मेरा नाम उस शिलापट्ट पर नहीं लिखा गया। मान्यवर, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।

(व्यवधान के मध्य)

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी गए और हमें जानकारी नहीं मिली।

(व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, शिलापट्ट पर हमारा नाम नहीं, हमें आमंत्रण नहीं

(व्यवधान के मध्य)

(डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष और श्री यशपाल आर्य को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(व्यवधान के मध्य)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत और माननीय सदस्य श्री यशपाल आर्य जी अपने स्थान पर और भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि ऐसे विषय की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गोविन्द लाल शाह–

मान्यवर, शिलापटों पर हमारा भी नाम आना चाहिए। मान्यवर, मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कार्यक्रम में बुलाया और मेरे सामने शिलापट्ट पर नाम नहीं लिखा।

नोट– *वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मानानीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

पेयजल एवं सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, पहले जब माननीय राजस्व मंत्री जी ने उद्‌घाटन किया था तो उस समय भी हमारा नाम नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

जैसा कि मैंने कहा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारें आती हैं और चली जाती है, लेकिन यह सदन, यह पीठ हमेशा रहता है। मान्यवर, इससे पूर्व इस पीठ पर माननीय श्री प्रकाश पन्त जी थे, श्री यशपाल आर्य जी थे और आज आप हैं। मान्यवर, एक सवाल पिछले 7–8 सालों में कई बार उठता रहा, पहले भाजपा सरकार और हमारी सरकार और फिर भाजपा सरकार में माननीय विधायकों के सम्मान की बात उठाई गई, ऐसा लगता है कि सम्मानित सदस्यों को महत्व नहीं दिया जाता है सरकारी कार्यक्रमों में। मान्यवर, बार–बार पीठ के द्वारा यह निर्देश सरकार को दिया गया, सरकार ने हर बार माननीय सदन में अवगत कराया कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, कठोर निर्देश दिये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय अध्यक्ष के, इस पीठ पर व्यक्ति के बदलने से, माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से, सरकार का चेहरा बदलने से मान्यवर, वह निर्देश उस सरकार के साथ ही समाप्त हो जाते हैं ? क्योंकि यह गम्भीर विषय है फिर नयी सरकार आती है, फिर माननीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों का अपमान होता है, फिर सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला उठता है और फिर पीठ के द्वारा निर्देश होते हैं। सरकार कहती है, पुनरावृत्ति नहीं होगी और फिर यह सभी चीजें होती हैं। इस पीठ की ओर से कोई सख्त निर्देश होना चाहिए। मान्यवर, जैसा महेन्द्र सिंह माहरा जी ने अवगत कराया, जब उन्होंने विशेषाधिकार हनन का मामला यहाँ उठाया, उनके क्षेत्र में उन अधिकारियों द्वारा जिनके खिलाफ उन्होंने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया तो उन अधिकारियों के द्वारा, उन माननीय सदस्यों का उत्पीड़न किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो निश्चित

रूप से और भी अवहेलना है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि कोई भी माननीय विधायक किसी भी अधिकारी के खिलाफ सदन में कोई मामला ही नहीं उठा सकता है, तो मैं इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में आपकी ओर से स्पष्ट निर्देश सरकार को हों और सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब आना चाहिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मानगीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि बाकायदा माननीय यशपाल आर्य जी को सूचना दी गयी थी कि आप उद्‌घाटन में आयेंगे। आपने कहा कि मैं उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। माननीय खड़क सिंह बोहरा और माननीय यशपाल जी की सीमा पर ये दोनों नलकूपों का उद्‌घाटन होना था। मान्यवर, जब माननीय सदस्य ने अस्वीकार कर दिया। मान्यवर, मुझे पता लगा कि आपका नाम नहीं है, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि माननीय यशपाल आर्य जी का नाम उसमें अंकित किया जाय। मान्यवर, जहाँ तक प्रश्न पूर्व राजस्व मंत्री जी का है जब वह मेरे विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग में गये थे तो उन्होंने तहसील का उद्‌घाटन किया था तब मुझे इसकी सूचना नहीं दी थी, मेरा नाम अंकित नहीं किया तो आप कैसे प्रश्न उठा रहे हैं ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने फोन किया था। फोन मेरी दीदी द्वारा उठाया गया था, मैंने उन्हें इस बात की सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत स्पष्ट ही है। सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट है कि माननीय जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और जिसके लिए उन्हें निर्वाचित किया जाता है और जनता को उनसे अपेक्षा रहती है। बिना किसी भेदभाव के, कि यह सत्ता पक्ष का है, या विपक्ष का है यह परम्परा है कि माननीय जनप्रतिनिधि की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए और किसी भेदभाव के बिना उस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जो भी नियम बने हैं वे स्पष्ट है। परन्तु फिर भी कदाचित कहीं पर इसकी अवहेलना भी हुई है। एक तो मैं माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस कार्यक्रम में वे जा रहे है। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को उसकी सूचना है या नहीं, उन्हें भी उसी प्रकार से सम्मानित किया जायेगा या नहीं। दूसरी बात माननीय जनप्रतिनिधियों का नाम सूचना पट्ट में अनिवार्य रूप से अंकित हो, यह भी सुनिश्चित किया जाय। पूर्व में भी यहाँ से ऐसे समय–समय पर निर्देश हुए है, और इसकी अवहेलना भी हुई है। मैं इस सम्बन्ध में खुद भी अपना उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण आ चुके हैं। ऐसा समय–समय पर होता रहा है, परन्तु अब भविष्य में

ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, मैं यह चाहूंगा। (व्यवधान) इसमें जो भी अधिकारी दोषी है। यदि वह उस स्थान पर अभी भी है तो कृपया उसका ट्रांसफर कर दिया जाय, जिसके कारण वहाँ के जनप्रतिनिधि की अवहेलना हुई हो।

श्री प्रकाश पन्त–

मैं इसका परीक्षण करा लूंगा। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पीठ से आदेश होने के बाद भी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि परीक्षण कराएंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष–

उस स्थान पर है, या नहीं इसका परीक्षण करा लेंगे। (व्यवधान)

दिनांक 23 नवम्बर 2007 को श्री पुष्पेश त्रिपाठी माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–10 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री का शोधन वक्तव्य

*शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–10 के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य देना चाहता हूँ। पूर्व में उत्तर आया था , "जी कोई नहीं।" इसका संशोधित उत्तर है, "प्रदेश में बी0टी0सी0 वेतनक्रम वाले 45 शिक्षक कार्यरत है, जिन्हे वर्तमान में पंचम वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है किन्तु पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है।" जिलेवार स्पष्ट स्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में उत्तर आया था, "शून्य" इसका संशोधित उत्तर है, "पौड़ी में 04, रुद्रप्रयाग में 05, नैनीताल में 03, ऊधमसिंह नगर में 14, बागेश्वर में 04, पिथौरागढ़ में 02, अल्मोड़ा में 06, चम्पावत में 04, हरिद्वार में 03, चमोली में शून्य, टिहरी में शून्य, उत्तरकाशी में शून्य, देहरादून में शून्य, 45 योग है, मान्यवर, क्या ऐसे सहायक अध्यापिकाओं/अध्यापक (बी0टी0सी0) को उक्त सुविधा देने पर विचार कर रही है और कब तक ? इस प्रश्न का उत्तर पूर्व में आया था, "प्रश्न नहीं उठता" इसका संशोधित उत्तर है, "जी हाँ, उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2006 में समायोजन/पदोन्नति का प्राविधान है।"

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मै इस सम्बन्ध में एक जानकारी चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने पहले जवाब दिया था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

नोट– *सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तर में ही स्पष्ट है कि सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशक, विद्यालय शिक्षा को निर्देशित किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष–

जैसा कि पूर्व में अवगत कराया जा चुका है, आज नियम 310 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुई थी, उनमें से दो सूचनाओं को नियम 58 के अन्तर्गत सुन लिया जायेगा। पहली सूचना, सिडकुल क्षेत्र में लगे उद्योगों में ठेका प्रथा के आधार पर भर्ती पर रोक लगाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री तसलीम अहमद, श्री सुरेन्द्र राकेश एवं श्री प्रेमानन्द महाजन की है। दूसरी सूचना, जंगली जानवरों द्वारा कृषकों की फसलों को पहुँचायी जा रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय जी की है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, नियम 58 में किसकी–किसकी सूचना प्राप्त हुई है, वह बता दें।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत डा0 हरक सिंह रावत एवं श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री केदार सिंह रावत, श्री तिलक राज बेहड, श्री करन मेहरा, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री मनोज तिवारी, मौ0 शहजाद, मौ0 तसलीम अहमद एवं श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री नारायण पाल की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ और नियम 310 की दो सूचनाओं के विषयों को नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने के लिए स्वीकार करता हूँ। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय, जिससे कि आज पूरा प्रदेश आक्रान्त है इस विषय पर 310 की सूचना को नियम 58 में आपने स्वीकार किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि चाहे हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र हों या हमारे मैदानी क्षेत्र हों, इस प्रदेश का कृषक, जो इस प्रदेश की सरकार की कृषकों के प्रति अवहेलना है, उससे त्रस्त है। हमारे प्रदेश में 53,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से 35,394 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों से आच्छादित है और इसमें जो जंगली जानवर हैं, उनकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में सुअरों की वजह से, बन्दरों की वजह से और मैदानी क्षेत्रों में नीलगाय की वजह से उनकी सारी की सारी खेती आज उजड रही है और मान्यवर, मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ कि किस तरह

से पर्वतीय क्षेत्रों में सुअरों और बन्दरों के कारण वहाँ के किसान आज आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुके हैं। उन लोगों के पास 5 नाली, 10 नाली या 20 नाली जमीन होती है, जिस पर खेती करके वह अपने परिवार की गुजर–बसर करते हैं। जिस तरह से जंगली जानवर, विशेषकर सुअर, उनके पूरे के पूरे खेतों में फसल को उजाड़ रहे है। मान्यवर, मैं अभी अपने विधान सभा क्षेत्र में गया था, वहाँ पर खस्तल गाँव में हजारों की संख्या में सुअर आकर उनकी फसलों को खाने में लगे थे और बन्दर तो इतने निडर हो गये हैं कि लोगों ने, ग्रामवासियों ने इसके लिए प्रयास भी किये है, लोगों ने कुत्ते पाले हैं और यहाँ तक कि पटाखे तक जलाकर इन्हें भगाने का प्रयास किया है।

परसों मैं अपने क्षेत्र के जरदार गांव में गया था तो वहां पर चार कुत्ते और चार बंदर एक साथ रह रहे थे। इस तरह की स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में आ गयी है। माननीय वन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। आप इस बात का परीक्षण करवा लें कि ग्राम सभा जरदार, जनपद टिहरी में है, तो वहां पर सारी की सारी उनकी गेहूं की खेती नष्ट हो गयी है। आप इस प्रदेश को वानिकी और हार्टीकल्चर प्रदेश बनाना चाहते हैं, लेकिन बन्दरों ने जमीन के नीचे आलू और मूली तक उखाड़ दी है और नीलगाय ने मैदानी क्षेत्रों में आतंक मचा रखा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। जंगली जानवरों में भालू, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि अभी मेरे क्षेत्र में एक महिला को भालू ने पकड़ लिया।

(माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र सिंह रावत के अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

भाई, पांच साल के लिये अब आप आ गये हैं, आप ही कुछ कर देना। मान्यवर, उस महिला की स्कल, खोपड़ी उतार दी, जब हम उसको जिला चिकित्सालय ले गये तो वहां पर उसका इलाज नहीं हो पाया, फिर हम उसे लेकर सफदरगंज, हॉस्पिटल गये। मैंने प्रमुख वन संरक्षक से बात की, डी०एफ०ओ० से बात की तो आप उसके लिए पांच हजार रुपया मुआवजा देते हैं और उसके इलाज में 5 लाख रुपया खर्च हो गया है।

यदि 'शेम' से भी बड़ा कोई शब्द हो तो वह भी कम होगा, मेरे विचार से और सरकार कहती है, आप अखबार पढ़िये, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण था कि सरकार ने तो पिटारा खोल दिया है, कृषकों के लिए। तो आपने यह सुअरों और बन्दरों का पिटारा खोल दिया है, जनता के लिए। उनको पकड़ने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों के पास कोई योजना नहीं है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए, कि जो किसान है, जिनकी फसल, बन्दरों ने, सुअरों ने और नील गाय ने नष्ट कर दी है, उसके लिए मुआवजा आप लोग इतना कम दे रहे हैं कि उसमें वह किसान क्या करेगा, वह भुखमरी की कगार पर आ गया है। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है, पीठ के माध्यम से और सदन के माध्यम से, कि इसकी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, पहले तो आप उनको कैसे कन्ट्रोल करेंगे सुअरों को, नील गायों को, बंदरों को और अगर नहीं कर सकते तो किसान को उसका मुआवजा कैसा मिले, पहली बात तो यह। दूसरी बात, जैसे गुलदार, भालू, हाथी (व्यवधान) से भी जिस तरह का नुकसान हो रहा है। तो मान्यवर, फसल की क्षति के लिए उचित मुआवजा किसान को मिलना चाहिए और दूसरा निवेदन है सरकार से, कि भालू, गुलदार से जो मानवीय क्षति हो रही है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और उसके साथ–साथ जो घायल हुए है उनकी चिकित्सा की और परिवार की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। जिसमें सरकार असफल रही है। तो मेरा विनम्र आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि इसकी समुचित व्यवस्था करे। धन्यवाद।

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य माननीय किशोर उपाध्याय जी ने जो बात रखी है, उससे मैं भी भिज्ञ हूं। मैं ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की पूरी सरकार इस पर चिंतित है। मैं मानता हूं कि हाथी, सुअर, बन्दर, भालू, गुलदार आदि जानवरों के कारण मानव और फसल की क्षति हो रही है उसकी प्रतिपूर्ति में सरकार ने विकल्प के रूप में, मैं इसको स्वीकार करता हू कि बहुत अधिक राशि तो नहीं है, लेकिन विधिक प्रक्रिया के अनुसार जो हो सकता है, वह हमने किया है। गन्ने में, धान में, फसलों में मुआवजे भी हमने रखे हैं और घायल या मृत्यु होने पर भी जो राशि हमने रखी है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पहले तो यह राशि बहुत ही कम थी, अब लगभग इसे दूना किया गया है। अब इसमें घायल महिला को 5 हजार की राशि देने की बात आपने कैसे कही ? मुझे बड़ा ताज्जुब है कि पांच हजार की राशि तो किसी में है ही नहीं। सबसे आंशिक घायल जो भी होगा उसके लिए सरकार के द्वारा 15 हजार की राशि दी जाती है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने 15 हजार का पता करवाया है। उसमें यह हुआ कि आप पहले तो वन संरक्षक के पास जाइये, तब आपको पैसा मिलेगा। (व्यवधान) और उन्होंने पांच हजार रुपये दिये, जो मैं बता रहा हूं।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, शेष को चूहों ने खा लिया क्या ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अब इसे चूहे खा गये या आपने आपस में बंटवारा कर लिया वो मैं नहीं कह सकता। मेरा तो सीधा कहना यह है कि एक प्रक्रिया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही गम्भीर आक्षेप किया है (व्यवधान) उन्होंने कहा कि 'चूहों ने खाया या आप लोगों ने ?' क्या यह कहना हाउस में एलाउ होगा, ये 'चूहे खा गये' हाउस में एलाउ होगा ? (घोर व्यवधान) आप इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इन्होंने हास्यप्रद बात की तो हास्यप्रद जवाब दिया गया।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, चूहों ने नहीं खाया तो वह राशि गई कहां ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आपने बात की होगी डी०एफ०ओ० से, लेकिन वन्य जीव द्वारा जो लोग मारे जाते हैं, जो क्षति होती है, उसका भुगतान मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक करते हैं (घोर व्यवधान)

मान्यवर, एकतरफा मजाक ठीक नहीं है, यदि मजाक करें तो सहन करने की शक्ति भी धारण करें। (व्यवधान) मान्यवर, जो 15 हजार की धनराशि है वह गम्भीर रूप से घायल होने पर, आंशिक रूप से अपंग होने पर 25 हजार है, पूर्ण रूप से अपंग होने पर एक लाख रूपये है। अगर किसी छोटे बालक की जानवर के द्वारा मृत्यु होती है तो उसके लिए 50 हजार रुपये है और सीनियर आदमी की, घर के जिम्मेदार आदमी की मृत्यु पशु द्वारा होती है तो उसमें एक लाख रूपये मुआवजा है। आपको पांच हजार रुपये दिये गये, जहां तक मैं समझ रहा हूं आपने डी०एफ०ओ० से बात की, डी०एफ०ओ० ने तात्कालीन व्यवस्था की होगी। इसके लिए मापदण्ड हैं अगर वन्य जीव द्वारा व्यक्ति को मारा जाता है, इसमें जो धनराशि स्वीकृत करते है वह मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक करते है। अगर वन्य जीव द्वारा घायल होता है तो कन्जरवेटर करते हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जब तक इसकी कार्यवाही होगी तब तक तो वह मर जायेगा।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जहां पर व्यक्ति घायल होगा वहां पर हमारा चीफ कन्जरवेटर खड़ा रहेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, जाना तो आपको पड़ेगा ही, तात्कालिक राशि आपको दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी की पूरी बात आने दीजिए।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इतने महत्वपूर्ण बात को मजाक में ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नशीघर गगरा—

मान्यवर, मैं मजाक में ले रहा हूं कैसे सिद्ध होगा ? हमने फसल की क्षति होने पर मुआवजा रखा है और मानव क्षति होने पर भी मुआवजा रखा है। गन्ने की फसल पर 4 हजार रुपये प्रति एकड़, गेहूं, धान, तिलहन की फसल के नुकसान पर 3 हजार रुपये प्रति एकड़ रखा है और कोई छोटी—मोटी क्षति होती है तो उसके लिए दो हजार रुपये मुआवजा रखा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय किशोर उपाध्याय जी, कोई और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो बतायें।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, चार हजार रुपये प्रति एकड़ बता रहे है, आज के दिन चार हजार में क्या होता है ? पर्वतीय क्षेत्र में तो हमारी खेती नाली के रूप में है। प्रति नाली क्या मुआवजा दे रहे है ?

श्री नशीघर गगरा—

मान्यवर, मैं आपको क्या बताऊँ, ये भी सरकार में बैठे थे तब क्या था यह भी बता दें। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, ये तो कृषकों का अपमान कर रहे हैं।

श्री नशीघर गगरा—

मान्यवर, कृषकों की फसलों की सुरक्षा के लिए हम फैंसिंग वायर भी लगा रहे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब तक माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी की बात को सुनेंगे नहीं तो तब तक बात आना सम्भव नहीं होगा।

श्री नशीघर गगरा—

माननीय अध्यक्ष जी, जो मुआवजे की राशि है वह मैंने बताई। दूसरा थोड़ा बहुत हम उसकी रोकथाम कर सकते है फैंसिंग तार बाढ़ करके, खाईयां खोद करके, वहां के

लोगों को जागरुक करके, उनको हाथी इत्यादि से बचाने के लिए पटाखे इत्यादि देते है। जो भी उपाय सरकार कर सकती है वह हम कर रहे हैं। मै समझता हूं कि जो राशि के लिए आप कह रहे हैं, मैं भी इसको स्वीकार करता हूं कि फसलों की मुआवजे राशि मे थोड़ी कमी है, हम भी संविधान के अधीन काम करते हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सरकार पर्वतीय क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारी भूमि का माप है, वह नाली के हिसाब से है। बंदरों व अन्य जंगली जानवरों ने गेहूं की फसल नष्ट कर दी है तो क्या सरकार उन किसानो को नाली के हिसाब से मुआवजा देगी ?

श्री नशीधर भगत–

मान्यवर, अब प्रश्न को घुमा कर पूछा जा रहा है। मैंने उत्तर एकड़ के हिसाब से बताया है। एक एकड़ मे जितनी नाली होता होगा, उसी हिसाब से मुआवजा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मै इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मै माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। यह सरकार किसान विरोधी है। मै सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्यगण माननीय श्री जोत सिंह गुनसोला जी को छोड़कर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया इसके लिए मै आपका आभारी हूं। मान्यवर, सिडकुल क्षेत्र में जो बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, उन फैक्ट्रियो मे कहीं–कहीं हजारों की संख्या में और कहीं–कहीं सैकड़ो की संख्या में लोग काम कर रहे है। मान्यवर, शासनादेश भी इस सम्बन्ध में निर्गत किया गया है कि 70 प्रतिशत रोजगार उत्तरांचल के लोगों को दिया जाए। किन्तु फैक्ट्री मालिकों द्वारा खुले आम इस शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है। आज सिडकुल क्षेत्र की फैक्ट्रियों में जो श्रमिक रखे जा रहे हैं, वह ठेका प्रथा के माध्यम से रखे जा रहे है और ठेकेदार द्वारा रखे जा रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन में वापस आ गये।)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी सीधे आपके पास अपनी बात को कह रहे है किन्तु जब हमें अपनी बात को आपके पास आकर कहना होता है तो विधान सभा के मार्शल व अन्य सदस्यों द्वारा हमें रोका जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, आप एक तरफ अनुशासन और व्यवस्था बनाये रखने की बात करते हैं और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी सीधे आपके पास आकर बात कर रहे है। यह तो व्यवस्था के एकदम खिलाफ है। यह सरासर पीठ की अवमानना है।

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ते हुए कि हमें भी आपसे बात करनी है, मैं भी इसी तरह से सीधे आपके पास आ जाता हूँ।)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मैंने बुलाया और वे पीछे से आये। आप भी पीछे से आकर अपनी बात कह सकते है। 'वेल' से आकर नहीं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री नारायण पाल जी, मैंने उनको बुलाया है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री नरेन्द्र भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मै उत्तर प्रदेश विधान सभा में जब सदस्य था, तो मैं कई बार माननीय अध्यक्ष जी के बुलाने पर पीठ तक गया हूँ, 'वेल' के रास्ते न जाकर पीठ के पीछे से गया हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे बैठ जायें, ऐसी परम्परा रही है। इस व्यवस्था के बारे में आप मालूम कर सकते हैं।

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी 'वेल' में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए, इस व्यवस्था के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मानीनीय श्री नारायण पाल जी, बैठ जायें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यदि किसी सदस्य को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पीठ में बुलाया जाता है तो वह माननीय सदस्य सीधे 'वेल' के रास्ते न होकर पीठ के पीछे से जा सकते हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पीठ है हम 'वेल' से क्रास होकर आपके पास आकर कुछ बात कहना चाह रहे हैं। (माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी, माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी, अध्यक्ष की पीठ की ओर 'वेल' के पीछे से जाने लगे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री नारायण पाल जी, श्री किशोर उपाध्याय जी, बैठ जायें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, पूरे प्रदेश मे जहाँ–जहाँ पर उद्योग लगे है, उन कारखानों के मालिको एवं प्रबन्धकों के द्वारा हमारे प्रदेश के बेरोजगार लोगो से छोटे–छोटे काम लिये जा रहे है और उन बेरोजगार लोगों को तीस दिन के मात्र दो हजार रुपये से लेकर तीन हजार रुपये तक दिये जा रहे है कहीं–कहीं फैक्ट्रियों में तो दिहाडी के हिसाब से काम लिया जा रहा है और उस दिहाडी पर भी इन फैक्ट्रियों के ठेकेदारो के द्वारा कमीशन लिया जाता है। जब ऐसे श्रमिक अपनी स्थाई नियुक्ति की बात करते हैं, तो उनका नाम उनके पंजीकरण रजिस्टर में नहीं होता है। जब ये श्रमिक अपनी बात फैक्ट्रियो के प्रबन्धक या मालिक से कहने जाते हैं तो उनको मान्यवर, धमकाया जाता है और निकालने की धमकी दी जाती है। इस प्रकार के मुद्दों को मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। मान्यवर, सिडकुल के अन्तर्गत जितनी भी फैक्ट्रियॉ इस प्रदेश में लगी हैं, चाहे वह डाबर की फैक्ट्री हो या कोई अन्य फैक्ट्री, इस प्रकार से हमारे बेरोजगार लोगो को ठेकेदारो द्वारा परेशान किया जाता है।

यह व्यवस्था बहुत संवेदनशील है। हमारे प्रदेश के युवाओ से सम्बन्धित है, बेरोजगार भाईयों से सम्बन्धित है। मान्यवर, हम लोग जब सदन मे बैठते है तो बार–बार

यही बात आती है कि हमारे जो प्रदेश के युवा हैं, उनका पलायन रोकना है। तो मान्यवर, सही मायने में युवाओं का पलायन रोकने के लिए हमें कानून बनाकर इस ठेका प्रथा को रोकना होगा। तभी हम अपने प्रदेश के बेरोजगार भाईयों के साथ न्याय पर पायेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मॉग करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तराखण्ड के सभी जिलो में जहाँ–जहाँ उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं वहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों का उत्पीडन फैक्ट्री मालिकों द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बडा उत्पीडन फैक्ट्री मालिकों द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो 70 प्रतिशत का जी0ओ0 सरकार ने जारी किया है कि 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जायेगा। इसमें जो फैक्ट्री मालिक हैं वे 70 प्रतिशत की तो दूर की बात है, हमारे क्षेत्र मे लकेश्वरी, रायपुर, मोहाना, भगवानपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर 15 प्रतिशत भी रोजगार नहीं दिये गये हैं और जो कुछ रोजगार मिला है तो वह मात्र कुछ लोगो को मजदूरी के रूप में मिला है। जिसमें स्थानीय युवाओं का शोषण कर रहे हैं। मात्र रू0 2000 वेतन ठेका प्रथा के द्वारा दिया जा रहा है और जो भी मजदूर किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं उस मजदूर का कोई रिकार्ड उस फैक्ट्री में नहीं है। यदि कोई मजदूर के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो फैक्ट्री में कोई रिकार्ड न होने के कारण उसे किसी भी प्रकार की सहायता फैक्ट्री मालिकों द्वारा नहीं दी जाती। साथ ही साथ यह भी कहना है कि इन उद्योगों में शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी कहना है कि पूरे उत्तराखण्ड में चाहे वह ऊधमसिंह नगर हो, देहरादून हो या फिर हरिद्वार हो, उसमें जो फैक्ट्री कानून है उसक पूर्णतया उल्लंघन इन फैक्ट्री मालिकों द्वारा किया जा रहा है। न्यूनतम वेतनमान जो भारत सरकार द्वारा तय किये गये है, वह भी नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड मे जो उद्योग लगाए गए थे, बुलाए गए थे, वह इस उद्देश्य से बुलाए गए थे कि उत्तराखण्ड की तरक्की हो और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले। लेकिन मुझे बडे दुर्भाग्य के साथ कहना पड रहा है कि इन फैक्ट्री मालिको ने केवल फायदा उठाने के लिए, कि कर में छूट मिलेगी, इसलिए यहाँ पर उद्योग लगाए हैं। इससे इस प्रदेश के स्थानीय बेरोजगारों को कोई भी स्थायी नौकरी नहीं मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र जी, आपको ग्राह्यता पर बोलने के लिए कहा था। इसकी अनुमति दी थी। जो लिखा है उसको पढ दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार बेरोजगारों और युवाओं के प्रति संवेदनशील है तो इन फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दिया जाये कि 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिले। मान्यवर, उनका शोषण फैक्ट्री मालिकों द्वारा किया जा रहा है, उनको न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, फैक्ट्री कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है, तो इसे लागू किया जाए। मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।

*हाजी तसलीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उत्तराखण्ड में उद्योग हैं और जो 70 प्रतिशत बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई है। उसमें वैसे तो सभी जानते हैं कि मजदूर का शोषण किया जा रहा है और जिस तरह से शोषण किया जा रहा है उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। मान्यवर, जो ठेका प्रथा है, जो ठेके पर मजदूर जाते हैं और उन्हें एक महीने की भी पूरी मजदूरी नहीं मिलती, बल्कि 2 हजार, 18 सौ, 22 सौ ही मिलते हैं, तो उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती है और जो 70 प्रतिशत मजदूरी किसी उद्योग, फैक्ट्री में काम कर रहा है, वह कौन सी एजेंसी, कौन से विभाग से, जैसे श्रम विभाग से चिन्हित होकर वो उन फैक्ट्रियों में जा रहा है ? मान्यवर, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या किसी फैक्ट्री के पास कोई ऐसा रिकार्ड है तो बता दें कि एक साल से काम कर रहे हैं, उन्हें एक साल रोजमर्रा की तनख्वा दी गई है या नहीं, यह उनकी मंशा है या नहीं ? तो उससे पता लगेगा कि कितने लोगों को रोजगार दिया। मान्यवर, पता यह लगता है कि फैक्ट्री मालिक सिर्फ ठेके पर काम कराते हैं और ठेकेदार शोषण करते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जाँच कराई जाए और कम से कम उन फैक्ट्रियों की जाँच की जाये।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने सदाशयता दिखाते हुए ग्राह्यता पर इस विषय को सुना और माननीय बहुजन समाज पार्टी के विद्वान साथियों ने बड़ी संजीदगी के साथ इस विषय को रखा, माननीय सदस्यगण बहुत गम्भीरता से इस विषय को रख रहे थे और जब श्रीमन्, आपके माध्यम से विचार किया जा रहा था तो आप इस विषय पर निश्चित रूप से केवल गम्भीर विषय को रख ही नहीं रहे थे बल्कि आप गम्भीर भी हैं यह आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी इसकी गम्भीरता को दृष्टिगत् रखते हुए सरकार ने इस विषय पर

नोट– *सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कड़ाई से अनुपालन किया है और विगत सत्रों में भी यह विषय और लगभग–लगभग प्रत्येक सत्र में उठा और इस विषय पर सम्भवतया आश्वासन में भी यह विषय लम्बित हैं, जैसा कि माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ जी बता रहे थे। लेकिन फिर भी आपने सदाशयता दिखाई तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि संविदा श्रम अधिनियम 1970 के अन्तर्गत ठेका प्रथा के सम्बन्ध में मान्यवर, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में इसके अन्तर्गत जो कारखाने पंजीकृत करवाते हैं और संविदा कारक को अधिनियम में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत लाईसेन्स निर्गत किये जाते हैं और यह लाईसेंस केवल उन प्रकृति वाले कार्यों को ही दिये जाते हैं जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से सुरक्षा, लोडिंग अनलोडिंग के हाउस कीपिंग और कैंटीन इत्यादि के लिए संविदा कारकों को लाईसेंस निर्गत किये जाते है। ये ठेका प्रथा के अन्तर्गत जो संविदा श्रम अधिनियम 1977 की ध ारा 10 है, उसके अन्तर्गत इस प्रक्रिया पर, अगर यह नियमानुकूल न हो तो इस पर रोक लगाने की व्यवस्था दी हुई है। इसको आधार बताकर सरकार ने इसकी गम्भीरता को स्वीकारा और वर्तमान में केवल इंजीनियरिंग उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों में लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य ठेके प्रथा से अवश्य किया जा रहा है, लेकिन इसको छोड़ करके अन्य सभी प्रकार के कार्य नियमित रूप से रोजगार के माध्यम से कराये जायं, इसको सुनिश्चित किया जाय, इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय, यह व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका कड़ाई से अनुपालन भी हो रहा है। मान्यवर, जहाँ तक न्यूनतम वेतनमान की बात है इसके लिए श्रम विभाग में श्रम कानून बना है कि प्रतिदिन की दैनिक न्यूनतम मजदूरी निश्चित है। यदि कहीं कोई ऐसा प्रकरण हो तो अवगत करा दें, उस पर हम कड़ाई से निस्तारण करवा लेंगे। साथ ही इन मजदूरों का रिकार्ड न रखे जाने का विषय भी उठाया गया। मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह इसका रिकार्ड उपलब्ध रखे और उनके जो न्यूनतम मानक हैं उनका निर्धारण करें। यह उसको अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होता है। सरकार इस विषय पर बहुत गम्भीर है। इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूँगा और सरकार की इस गम्भीरता को देखते हुए माननीय सदस्य से अनुरोध ा है कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ....

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाइये। मेरी बात इस पर आने दीजिए। चूँकि यह प्रकरण आश्वासन समिति में लम्बित है और यह किसी भी दशा में भविष्य में ऐसा प्रकरण उदाहरण न बने, मैंने इसमें विशेष अनुमति दी है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों के विचार आ गये हैं, फिर भी माननीय सदस्य की कोई जिज्ञासा हो तो सदन में रखें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, फैक्ट्रियों में लोडिंग, अनलोडिंग की बात छोड़ दें तो भी इसके अलावा जो इन फैक्ट्रियों में मशीन चलाने वाले जो मजदूर लोग हैं, ये सारे ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से लिये जा रहे हैं। मान्यवर, जो फैक्ट्री मे परमानेंट काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ इनका झगड़ा है। मान्यवर, इन लोगों के रिकार्ड भी नहीं रखे जा रहे हैं। मान्यवर, जहां–जहां भी आंदोलन हुए है चाहे वह पार्ले हो, ब्रिटानियां हो मान्यवर, मात्र टाटा, बजाज, डाबर कम्पनियों को छोड़कर अन्य सारी फैक्ट्रियों में चाहे वे फैक्ट्रियों में मशीन चलाने वाले हों या लोडिंग, अनलोडिंग वाले हों सभी ठेकेदारी प्रथा पर रखे गये है और श्रम कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

मान्यवर, जिला प्रशासन का कोई सपोर्ट कर्मचारियो को, श्रमिक भाईयों को नही मिलता, बल्कि वे फैक्ट्री मालिको का साथ देते हैं। श्रम कानूनो की अनदेखी फैक्ट्री मालिकों द्वारा की जा रही है। बंधुआ मजदूरों की तरह वहां पर श्रमिक कार्य कर रहे हैं, यह मैं खुलेआम कहना चाह रहा हूं। आपने मुझे पुनः बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो ....

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कहा कि इस विषय पर सरकार ने कड़े निर्देश जारी किये हैं। एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में माननीय सदस्य ने अवगत कराया है, तो मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा और अगर कहीं पर कोई त्रुटि होगी तो कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन, माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय श्री तसलीम अहमद जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2008 09 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रू0 5792917 हजार (पांच सौ उनासी करोड़ उन्तीस लाख सत्रह हजार मात्र) से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

नोट – *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, वर्ष 2008 और 09 में अनुदान संख्या–12 में 579 करोड़ 29 लाख 17 हजार रुपये का जो प्राविधान है, इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 452 करोड़ 53 लाख 23 हजार, आयुर्वेद और यूनानी के लिए 51 करोड़ 16 लाख 86 हजार, होम्योपैथिक के लिए 9 करोड़ 72 लाख 20 हजार, चिकित्सा शिक्षा एलोपैथ के लिए 55 करोड़ 66 लाख 54 हजार और चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद के लिए 10 करोड़ 20 लाख 74 हजार रुपया सम्मिलित है। इसमें श्रीमन्, राजस्व मद में 424 करोड़ 60 लाख 8 हजार तथा पूंजीगत मद में 154 करोड़ 69 लाख 9 हजार रुपया है। श्रीमन्, जैसा कि आप जानते ही है कि इस प्रदेश में ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, जहां चिकित्सा सुविधा पहुंचाना आज भी बहुत दुर्गम है। श्रीमन्, इस बीच हमारे डॉक्टर्स के सैकड़ों पद रिक्त थे, लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकार ने लगातार अधियाचन भेज कर नियुक्तियां की हैं। कुछ नियुक्तियां संविदा पर की है। कुल मिलाकर लगभग 400 से अधिक नियुक्तियां अभी तक सरकार कर चुकी है। श्रीमन्, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य की जनता को आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य में शुरू किया जा रहा है। क्योंकि श्रीमन्, आप भिज्ञ है कि यहां पर बद्री–केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेम कुण्ड साहिब, हरिद्वार, ऋषिकेश, मानसरोवर यात्रा सहित तमाम धार्मिक स्थल हैं, जहां देश और दुनिया के सारे व्यक्ति आते हैं। यहां फूलों की घाटी सहित सैकड़ों ऐसे स्थान है, जो पूरी दुनिया में उत्तराखण्ड का सम्मान देते हैं।

मान्यवर, हमारा प्रदेश एक पर्यटन स्थल है और पूरे देश और दुनिया के लोग यहां आते हैं तथा कहीं पर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो इसमें लोग हताहत भी हो जाते हैं, तो इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में 90 एम्बुलेंस दी जायेंगी, इसके लिए हैदराबाद की एक कम्पनी, जो पी0एम0आर0आई0 108 है, उससे हमने अनुबन्ध किया है और उसके पहले चरण में 30 एम्बुलेंस से हम इसे शुरू करेंगे और यह 90 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में आपदा और दुर्घटना की स्थिति में आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधायें देंगी। उत्तराखण्ड में एम्बुलेंस तत्काल उपलब्ध कराने के लिए दूरभाष संख्या 108 पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा विभाग आपस में समन्वय करके यह एम्बुलेंस चन्द मिनटों में ही, हर ब्लॉक स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसलिए इसमें दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो या प्रसव पीड़ा से आहत कोई महिला हो या भीषण बीमारी वाला बच्चा हो, सभी को इन एम्बुलेंसों से राहत दी जा सकेगी।

श्रीमन्, पूरे प्रदेश की जनता और उन लोगों को जो उत्तराखण्ड के दर्शन करने आते हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं श्रीमन्, इस समय इस सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए भी एक संजीवनी देने का काम किया है, जो

चिकित्सा पूर्ति में उन्हें दर–दर भटकना पड़ता था और समय पर राशि उपलब्ध नहीं होती थी, सरकार ने इसके लिए हैल्थ स्मार्ट कार्ड राज्य कर्मचारियों के लिए तथा पेंशनर्स के लिए बनाया है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाया है। श्रीमन्, इस योजना के तहत राज्य के कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को जो कार्ड मिलेगा, वह उसी के आधार पर राजकीय चिकित्सालयों में और जो निजी सहभागिता के संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी वह उस कार्ड को लेकर के चिकित्सा ले सकेगा, उसको उस समय अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यह जो योजना है यह पूरे राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है और मान्यवर, पिछले वर्ष में ऐसी 17 करोड़ रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हुई हैं। लेकिन जब हम यह योजना बनाने के लिए बैठे थे तो क्योंकि यह बहुत सहज तरीके से होगा, और इसमें कोई परेशानी नहीं होगी तो इसका अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश भी होगी। तो अनुमानित यह ऐसा लगता है कि 5 करोड़ से अधिक धनराशि इसमें खर्च होगी, जिसे सरकार ने स्वीकार भी किया है। श्रीमन्, यह दूसरी बहुत महत्वाकांक्षी योजना देश के अन्दर अद्‌भुत योजना है। ऐसे ही श्रीमन्, बी0पी0एल0 परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना का भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार ने लिया है। श्रीमन्, देश के अंदर बहुत कम ऐसे प्रदेश होंगे या गिने–चुने एक दो प्रदेश होंगे, जहां पर यह योजनायें लागू होंगी। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना बी0पी0एल0 परिवारों, लगभग 6 लाख से अधिक बी0पी0एल0 परिवार हमारे प्रदेश में है, औसत एक परिवार में 4 से 5 सदस्य भी होंगे तो लगभग 30 लाख लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यह सार्वभौमिक बीमा योजना, इसके तहत प्रतिवर्ष 30 हजार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर 25 हजार रुपये की बीमा राशि दिये जाने का प्रावधान है। श्रीमन्, यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना इस प्रदेश के लिए एक ऐसी योजना है जो आगामी वर्ष से लागू होगी और इसका लाभ लाखों–लाखों लोग ले पायेंगे। इसके लिए इस वर्ष 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्रीमन्, यह जो चौथी महत्वाकांक्षी योजना है, इसी के साथ इस प्रदेश के लिए एक और महत्वाकांक्षी योजना है, जो मोबाइल चिकित्सालय सेवा अब हम शुरू करने जा रहे हैं, यह भी इस प्रदेश के लिए एक अद्‌भुत उदाहरण होगा।

श्रीमन्, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोगों को सभी स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। दुर्गम, अतिदुर्गम क्षेत्र है और हर स्थान को क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह विचार आया है कि राज्य में ऐसे सचल चिकित्सालय होने चाहिए जो लगातार चलते रहें। इसलिए लगभग एक करोड़ की धनराशि से एक ऐसा चिकित्सालय, जो चलता–फिरता चिकित्सालय होगा उसमें अल्ट्रासाउण्ड होगा, एक्सरे मशीन होगी, ई0सी0जी0 होगा और

सभी प्रकार के यंत्र होंगे। सामान्यतः बहुत लघु प्रकार की शल्य चिकित्सा की सुविधा होगी। यह दौड़ता हुआ नजर आयेगा। 13 के 13 जिलों में ये चिकित्सालय होंगे और इनका रूट सी०एम०ओ० तय करेंगे। दूरस्थ क्षेत्र में भी 8–10 गांवों के बीच चिकित्सालय जाएगा। इसमें विशेषज्ञ के साथ एक अलग से गाड़ी होगी, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होंगे, वो उसका उपचार करेंगे। हमने यह विचार किया कि हम इसको पी०पी०पी० मोड में करेंगे और इसके लिए प्रति वर्ष होने वाला खर्च है उसको भी बजट में सम्मिलित किया गया है और यह इस राज्य के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना होगी।

श्रीमन्, इस राज्य में जो जननी सुरक्षा गारन्टी योजना है उसके तहत हम लोगो ने पिछले वर्ष वाउचर स्कीम शुरू की थी। जिसमें संस्थागत स्थानो पर जितने भी प्रसव हुए थे एक वर्ष में श्रीमन्, उसकी संख्या दुगुने से भी अधिक हुई है और इसलिए हम लोगो ने यह तय किया है श्रीमन्, कि हम जो वाउचर स्कीम है उसमें निजी सहभागिता के चिकित्सालयों को भी सम्मिलित कर रहे हैं। उन दूर दराज के क्षेत्रो में जो निजी चिकित्सालय हैं राजकीय चिकित्सालयों से हट करके, अब उन चिकित्सालयों में जा करके लोग अपना इलाज करा सकते है। श्रीमन्, हम इस राज्य में नेत्र विज्ञान चिकित्सा संस्थान, जिसका शिलान्यास पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, गाँधी नेत्र चिकित्सालय को उत्तर भारत का एक अद्‌भुत संस्थान बनाने की दिशा में कदम उठा रहे है। 15 करोड़ की लागत से पहले चरण में बनने वाला यह नेत्र चिकित्सा संस्थान, यह नेत्र का बैंक भी होगा श्रीमन्, और इसमें अत्याधुनिक तकनीक के सभी प्रकार के उपकरण होंगे और अत्याधुनिक सभी शोध भी इसमें सम्मिलित होंगे। इसलिए यह इस राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना होगी। श्रीमन्, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष हम साढ़े चार सौ से भी अधिक उपकेन्द्रों की स्थापना करेंगे। श्रीमन्, दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उन दूरस्थ क्षेत्रो में इन उपकेन्द्रो की स्थापना अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम होगा। श्रीमन्, 260 उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये हमने बजट में प्राविधानित किए हैं और हम चाहते है कि उपकेन्द्रों का भी युद्धस्तर पर हम निर्माण करेंगे। श्रीमन्, हम लोग जो पार्ट टाइम दाइयाँ थीं, हमारे माननीय तिलक जी को मालूम है कि उनको केवल 100 रुपये मिलते थे, यह पहली सरकार है श्रीमन्, जिसने 100 से बढ़ाकर इसे 400 रुपये कर दिया। उसमें भी हम यह कोशिश कर रहे है कि उनका अधिक से अधिक उपयोग हम करेंगे और उसके लिए 2008–09 में 84 लाख 72 हजार रुपये की उस मद में व्यवस्था की है। श्रीमन्, हम इस वर्ष 2008–09 में 22 नये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करेंगे और इसलिए 2008–09 में 95 लाख 50 हजार की इसमें भी व्यवस्था की है। वर्तमान में 18 निर्माणधीन जो पी०एच०सी० के भवन हैं, वे पूरे हो जायेंगे और2008–09 में 7 करोड़ 80 लाख की हमने अतिरिक्त व्यवस्था की है।

मान्यवर, पाँच अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की धनराशि है। श्रीमन्, ऐसे जो हमारे राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं वह अभी बहुत संख्या में हैं जिनके भवनों का निर्माण होना शेष है। इस समय 24 निर्माणाधीन भवन हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं उसके लिए 2008-09 में 6 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था है। 14 करोड़ रुपये की हमने अतिरिक्त व्यवस्था की है ताकि हम 20 अतिरिक्त और एलोपैथिक औषधालयों का निर्माण कर सकें। श्रीमन्, द्वितीय स्तर की जो हमारी चिकित्सा प्रणाली है उसमें प्रत्येक ब्लाक में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कर रहे हैं। मान्यवर, अभी वर्तमान में 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश में स्थापित हैं, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन अभी निर्माणाधीन हैं इसके लिए वर्ष 2008-2009 में हमने 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, दो नये सामुदायिक स्वास्थ्य भवनों का निर्माण इस वर्ष में प्रस्तावित है इसके लिए एक करोड़ पचास लाख का प्राविधान किया है। श्रीमन्, ब्लाक स्तर पर महिलाओं और शिशुओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण करने का निर्णय लिया है, इसलिए ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाँ शैय्यायें अधिक हैं अर्थात् 20 शैय्याओं वाले मातृ एवं शिशु कल्याण विंग का निर्माण कराकर हम विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसके उच्चीकरण के लिए इस वर्ष में हमने 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है।

श्रीमन्, हम लोगों ने, जो हमारे स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जो जिला स्तर के चिकित्सालय हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उसकी प्रबन्धन समितियों को भी और सशक्त करने की कोशिश की है, इसलिए इनकी प्रबन्धन समितियों को जहाँ हम लोग पैसा दे रहे हैं वहाँ उच्चीकरण के लिए 16 जिलास्तरीय चिकित्सालयों को आई०पी०एच०एस० मानकों के तहत 20 लाख रुपये की दर से देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। जो प्रबन्धन समितियाँ हैं इनको और अनुदान देने लिए जिससे यह अपने उपकरण, अत्याधुनिक उपकरण, जितने भी इनके पास सुविधायें हैं, उनको यह प्राप्त कर सकें, इसके लिए 15 करोड़ 50 लाख की हमने व्यवस्था की है। श्रीमन्, आप सहमत होंगे, दून अस्पताल को हमने काफी परिवर्तित किया है। बहुत प्रसन्न है तिलक जी भी, वह इसलिए प्रसन्न हैं कि हमने उसको और अच्छा बना दिया है। दून अस्पताल को आदर्श अस्पताल बनाने की दिशा में हम आगे हैं। इसलिए हमने लोक निर्माण विभाग की पीछे जमीन थी, उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है। श्रीमन्, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और उन्होंने भी उदारतापूर्वक जो लोक निर्माण की जमीन थी वह सारी जमीन हमको दे दी है और हम इसमें बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनायेंगे। हम दून अस्पताल में ट्रौमा सेन्टर को अलग करेंगे, न्यूरो का अलग विंग करेंगे, बर्न यूनिट अलग करेंगे, ओ०पी०डी० अलग स्थापित करेंगे। श्रीमन्, यह अद्भुत होगा। मेरा विश्वास है कि

दून अस्पताल को हम अन्य राज्यों की भाँति बहुत अच्छा कर सकेंगे। आज तमाम प्रदेशों से दून अस्पताल काफी आगे है। श्रीमन्, इस राज्य में शव विच्छेदन की स्थिति बड़ी खराब थी, इसमें काफी दिक्कत होती थी और दूर–दूर से लोगों को जिला मुख्यालय पर आना पड़ता था, इसलिए तहसील स्तर पर और ब्लाक स्तर पर शव विच्छेदन गृहों का निर्माण कराये जाने लिए 12 नये शव विच्छेदन गृहों के लिए हमने तीन करोड़ 60 लाख रुपये की इसमें व्यवस्था की है। श्रीमन्, हम ब्लड बैंक के लिए दो नये ब्लड बैंक भवनों का निर्माण कर रहे हैं। मान्यवर, निर्माण कार्य हो रहा है और उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। ट्रौमा सेन्टर, इस बात से सहमत होंगे कि आए दिन दुर्घटनाएं होती है। हमारे प्रदेश में धार्मिक यात्रा पर्यटन की दृष्टि से तमाम लोग आते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग आते है। कभी–कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम लोग अपने आपको असहाय पाते थे, चाहे सरकार कोई भी हो। इसलिए इस सरकार ने निर्णय लिया है कि हर 50 कि0मी0 की दूरी पर महत्त्वपूर्ण स्थान पर हम एक ट्रौमा सेन्टर की स्थापना करेंगे और इसलिए इस समय पहले राष्ट्रीय राजमार्गों में और यात्रा मार्गों पर जो 50 कि0मी0 की दूरी पर एक ट्रौमा सेन्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। दुर्घटना और आपदा में तत्काल प्रभावित जन सामान्य को ट्रौमा सेन्टर की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए भी हमने श्रीमन्, इसमें 4 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था की है। तीन करोड़ रुपये तो नये ट्रौमा सेन्टर के लिए होंगे। कुल मिलाकर साढ़े सात करोड़ रुपया। जो पुराने निर्माणाधीन है, उनको हम पूरा करेंगे और नये भी निर्मित करेंगे।

एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो इस सरकार ने लिया है वह यह है कि रोगियों के परिचरों हेतु दिल्ली में व्यवस्था। क्योंकि इस बात से सभी लोग सहमत होंगे कि एम्स में जब हम लोग इलाज के लिए जाते हैं तो उनके जो परिवार हैं वे दर–दर भटकते हैं इसलिए सरकार ने, ठीक एम्स के सामने एक स्थान है बाला जी हाऊस, उसमें 10 कमरों की व्यवस्था की है। जो रोगियों के परिवार है, वह उस स्थान पर रह सकेंगे। उनको जो भारी कठिनाई का सामाना करना पड़ता था, उससे वे मुक्ति पा सकेंगे। इसलिए मान्यवर, 11 लाख 80 हजार की धनराशि का प्राविधान इसके लिए अलग से रखा गया है। मान्यवर, जहाँ तक राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विषय है वहाँ पर आशा कार्यकर्त्रियों को भी, इस समय 9,975 आशा कार्यकर्त्रिका का अभी तक चयन पूरा किया गया है और हम इनका लगातार प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। श्रीमन्, अभी शायद एक प्रश्न भी लगा था उनको वेतन नहीं दिया जाता है, कार्य के आधार पर होता है। इसलिए इनको पूरी सुविधा देते हैं। जितना वह काम करती है तात्कालिक रूप से उनको उनका मानदेय मिलता है। श्रीमन्, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 2006–07 में जो जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं की संख्या थी वह 23, 873 थी। जबकि श्रीमन्, 2007–08 में माह जनवरी तक यह संख्या 44 हजार तक पहुँच गई है तो दुगने से भी अधिक और मुझे ऐसा लगता है कि इस माह तक सम्भवतः 50 हजार तक हो जायेगी। मान्यवर, इस दिशा में भी यह हमारी सरकार की प्रगति का मानक है कि हमारी जो संस्थाए हैं उसमें अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय मंत्री जी, अगर शेष भाषण भोजन के बाद कर लें तो ठीक रहेगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश।

श्री अध्यक्ष–

अभी हम उठते हैं, भोजनावकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 03.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय श्री निशंक जी, विभाग का भाषण जारी करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सन्दर्भ में अपनी बात कर रहा था। जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार काम कर रही है। पल्स पोलियो कार्यक्रम में श्रीमन्, पहले भारत सरकार 175 बच्चों पर एक बूथ के हिसाब से धनराशि देती थी। और हमें न मैदानी क्षेत्र के आधार पर और न पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर देते थे। जिससे इस राज्य को क्षति होती थी। पिछली दिनों जब भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हुई थी उस समय हमने अपना पक्ष रखा था, अब मान्यवर, हमें जो पर्वतीय क्षेत्र का मानक है उस हिसाब से अब 175 बच्चे में एक बूथ के सापेक्ष अब 125 बच्चों पर एक बूथ की अनुमति हमको मिली है। और हमको इसके लिए 60 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि का फायदा हो जायेगा। श्रीमन्, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में भी बहुत तेजी से हम लोगों ने काम किया। राज्य का कुल औसत था मान्यवर, वह 10 हजार था, उस पर 0.64 प्रति व्यापकता दर है। वैसे श्रीमन्, दो जनपदों में थोड़ी कठिनाई है। इन जनपदों को देखा जाय तो दस हजार के प्रति एक का लक्ष्य इस समय प्राप्त किया है श्रीमन्, इसमें भी कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के तहत हमने चार करोड़ 16 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रविधान किया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय दृष्टि हीनता निवारण कार्यक्रम को भी हम मिशन पूर्वक चला रहे हैं। जहाँ प्रदेश में पिछली बार 50 हजार मोतियाबिन्द के ऑपरेशन करने का लक्ष्य था, गतवर्ष हमने एक हजार एक सौ के करीब छात्रों को निःशुल्क चश्मे वितरित किये। श्रीमन्, इस समय प्रदेश में 50 हजार मोतियाबिन्द के ऑपरेशन करने का हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमने इस वर्ष 4 करोड़ 25 लाख 52 हजार का प्राविधान रखा है। आरम्भ में 10 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम रखा है। श्रीमन्, 150 लाख बच्चों के नेत्र परीक्षण के कार्यक्रम का लक्ष्य हमने रखा है। इनको चश्मा भी हम निःशुल्क प्रदान करेंगे।

मान्यवर, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस वर्ष 2008–09 में गत वर्ष की तुलना में हमने 09 करोड़ 37 लाख 11 हजार रुपये का प्राविधान रखा है। जहाँ वर्ष 2006 में 11 हजार 6 सौ 54 रोगियों की खोज कर सके वहाँ उसके सापेक्ष वर्ष 2007 में 13 हजार 4 सौ 27 का हमने यह लक्ष्य प्राप्त किया है, इसको हम बड़ी गति से आगे बढ़ाने की ओर है। श्रीमन्, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसके तहत हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 29 स्वैच्छिक परामर्श केन्द्र चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम, जो जन चेतना के कार्यक्रम हैं, वह हर स्थान पर किये जा रहे हैं। इस समय 2008–09 में 8 करोड़ का प्रस्ताव है। हमारा गत वर्ष 2007–08 में 5 करोड़ 38 लाख था। श्रीमन्, हम लोगों ने इसको जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जनजागरण व जन चेतना के तहत ये कार्यक्रम किये हैं। मान्यवर, राज्य व्याधि निधि के तहत प्रदेश में जो बी०पी०एल० परिवार के लोग है, जिनको ऐसे जानलेवा रोग हैं, इन लोगों को चिन्हित करके जो निश्चित रोगी हैं इनमें इन रोगियों को आर्थिक मदद दी जाती है। वर्ष 2007–08 में 87 लाभार्थियों को इसमें लाभ दिया है अभी तक इस निधि से 171 लोगों को व्याधि निधि से 1 करोड़ 70 लाख 74 हजार का लाभ मिल चुका है। हमारी कोशिश ऐसी है कि इस निधि से अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। श्रीमन्, इस प्रदेश में हमने पहला नर्सिंग कालेज शुरू किया।

श्रीमन्, ए०एन०एम० जो ट्रेनिंग सेन्टर हैं, 5 चालू हो गए है। श्रीमन्, 7 और 8 में उत्तरकाशी और 8 व 9 में हरिद्वार, हल्द्वानी में इनको पूरा करना है। इनको ले करके पूरे प्रदेश में 10 ऐसे केन्द्र हो जायेंगे प्रशिक्षण के, जो हमारी आपूर्ति कर सकेंगे। श्रीमन्, चिकित्सा शिक्षा में हम लोगों ने श्रीनगर मेडिकल कालेज के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की है और हमको आशा है कि आगामी वर्ष से हम इसको शुरू कर देंगे। अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के लिए 5 करोड़ रु० की धनराशि का प्राविधान है और इस कालेज में बहुत तेजी से उसकी अवस्थापनाओं में जुटे हुए हैं। रूद्रपुर मेडिकल कालेज के लिए इस समय 3 करोड़ रु० की धनराशि का प्राविधान है। मान्यवर, हमने एम्स के लिए जहाँ भूमि उपलब्ध करा दी थी। वहाँ 160 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी थी। इस समय हमने 5 करोड़ रु० उसकी बिजली, पानी, सीवरेज के लिए स्वीकृत किया है। हम भारत सरकार से भी लगातार अनुरोध कर रहे है कि इसको वो पूरा करें। राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चाहे पानी, बिजली, सीवरेज सहित जो भी वो अवस्थापनाएँ चाहते थे, हमने पूरा किया है। इस समय हमने 5 करोड़ रु० की ऐसी धनराशि रखी है, जब भी जरूरत होगी उसको, भारत सरकार के मानकों के आधार पर हम उस कार्य को पूरा करेंगे।

मान्यवर, हमने इस प्रदेश को आयुष प्रदेश घोषित किया है। प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम बनाने की दिशा में हमारे आगे कदम बढ़ रहे हैं। इस वर्ष जहाँ 26

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की हमने स्वीकृति दी है। वहीं 16 वर्षों से राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिनकी प्रोन्नति का मामला रूका था वर्षों से, उसको भी पूरा किया है। 30 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के लिए 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत थी और 25 नये चिकित्सालयों की नई अवस्थापना हुई है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार के लिए 55 लाख रु० उसके निर्माण के लिए दिया है और 12वें वित्त आयोग के अनुदान में भी 26 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के अनुरक्षण के लिए हमने 60 लाख रु० की धनराशि स्वीकृति की है। मान्यवर, 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर और 116 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष विंग की स्थापना के लिए 541.44 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है। एलोपैथिक चिकित्सालयों में भी आयुष विंग की स्थापना की गयी है। इसके लिए 27.98 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। प्रत्येक जनपद में आयुष ग्राम की स्थापना के लिए 50 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति इस समय हुई है। जबकि 30 आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नये भवनों के निर्माण के लिए 123 लाख रु० की स्वीकृति दी है। अनुसूचित जाति बाहुल्य असेवित क्षेत्रों में 15 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवनों के निर्माण के लिए रु० 300 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। जिला चिकित्सालय में स्थापित आयुष विंगों को रु० 400 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। श्रीमन्, इस प्रकार हम लोग, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हमारे अभी निर्माणाधीन है, उनको बहुत तेजी से पूरा करने की दिशा में हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हम लोग और सशक्त कर रहे हैं। उनको उपकरणों से सज्जित कर रहे है। हमने इस प्रदेश में पहले मानसिक रोग चिकित्सालय की स्थापना की है। मान्यवर, नेत्र विज्ञान की दिशा में यह राज्य पहला ऐसा राज्य होगा देश का, जो अपने में अद्‌भुत होगा। मान्यवर, अभी मैंने 5–7 महत्वाकांक्षी योजनाओं का बहुत विनम्रता से सदन के पटल पर, राज्य की जनता के व्यापक हित में उल्लेख किया है।

मान्यवर, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की दिशा में यह आधारभूत मील का पत्थर साबित हो सकेगा दूसरे राज्यों के लिए, ऐसी हमारी कोशिश है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सभी अपने माननीय सदस्यगण, माननीय विधायकगण से अनुरोध करूँगा कि जो भी उनके सुझाव होंगे, मार्गदर्शन करेंगे और विशेषकर डाक्टरों का नितान्त अभाव है, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार लोक सेवा आयोग से अधियाचन देने के बाद भी लगभग 650 अधियाचन देने के बाद भी लगभग 150 डॉक्टर्स ही मिलते हैं और उनमें से भी 50 प्रतिशत ज्वाइन कर पाते हैं। यह जो कठिनाई हमारी बनी है हालांकि लगातार कोशिश कर रहे हैं तो भी 400 डॉक्टरों की नियुक्ति हाल में कर सके है, लगतार डॉक्टरों की भर्ती की दिशा में आगे बढ़ रहे है, मेरा पूरा विश्वास है कि जो कमियाँ हैं उनको धीरे–धीरे आगे पूरा कर लेंगे। मान्यवर, मैं एक बार पुनः जो बजट प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ और सभी साथियों से सुझावों के लिए अनुरोध करता हूँ।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश को बने हुए लगभग 7–8 वर्ष हो चुके हैं, जहाँ तक इस प्रदेश का सवाल है, चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है, जीवन के अन्दर चिकित्सा की बहुत सारी सुविधा, जो मौलिक अधिकार है, वह व्यक्ति को मिलना चाहिए। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है, मुझे लगता नहीं कि इससे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार होगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष बजट के अन्दर क्या–क्या करेंगे। उसकी उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और एक वर्ष जो बीत गया है उसमें क्या किया है उसका कोई जिक्र माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है। पिछली बार भी यही बजट में बोला, वैसे तो आपने चिकित्सा की जो किताब छपवाई है उसके अन्दर काफी कुछ दिया है उसका भी जिक्र मैं करूंगा। आपने एक बात कही है कि 90 एम्बूलेंस खरीदी जायेंगी, पर यह 90 एम्बूलेंस कहां से खरीदी जायेंगी, कहां से इसके पैसे का प्राविधान होगा, इसके लिए क्या राज्य सरकार पैसा देगी या भारत सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी जा रही है ? और जब खरीदी जायेंगी, अगले वर्ष तक मालूम पड़ेगा कितनी एम्बूलेंस आई कितनी धरातल पर उतरीं, यह तो आने वाला समय बतायेगा। मान्यवर, जहां तक बी0पी0एल0 लोगों को, 30 हजार लोगों को, बीमा योजना की बात कही गई है। बीमा योजना पहले से चल रही थी। कितने लोगों को मिला, एक वर्ष में कितनी उपलब्धि हुई, क्या यह नई योजना है, क्या इसका कोई लाभ मिलने वाला है, इसमें कितने लोगों को लाभ मिला ? सचल चिकित्सालय का जिक्र किया तो सचल चिकित्सालय तो पहले से ही चल रहे हैं, पहले भी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से 5 सचल चिकित्सालय खरीदे जाने थे, उसका प्रस्ताव हो चुका था, टेण्डर हुआ था, अभी तक वही नहीं आये तो अब कौन से नया सचल दल आयेंगे, इसकी क्या व्यवस्था होगी, उसके ऊपर चिकित्सक कैसे रहेंगे, उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, उनके फण्ड की क्या व्यवस्था होगी, इसका कोई जिक्र नहीं किया।

मान्यवर, गांधी नेत्र चिकित्सालय का जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, शिलान्यास करना आपका अधिकार है, पर आप को जानकारी होनी चाहिए थी कि जब चुनाव घोषित हो गया और आचारसंहिता प्रदेश के अन्दर लागू हो गई थी। मान्यवर, मुख्य सचिव द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। यह सरकार बता

नोट – *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है हम इसकी शुरूआत कर रहे है। मान्यवर, हस्तक्षेप तो पहले ही हो चुका था। सरकार द्वारा 450 उप केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। इनका चयन कैसे होगा यह नही बताया गया है। फार्मेसिस्ट आज परेशान है, इनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं इसका जिक्र बजट में नहीं किया है। मान्यवर, दून अस्पताल का जो इस बजट मे जिक्र किया गया है। क्योंकि दून अस्पताल पूरे प्रदेश की जनता जानती है, कि इस अस्पताल को किसने बनाया, पहले इसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। यह पूर्व सरकार के समय बना। पूरा प्रदेश जानता है कि ऐसा सरकारी अस्पताल पूरे देश के अंदर नही है। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी दिल्ली गये थे तो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मत्री हैं, उन्होंने एक बैठक की, उन्होंने भी कहा कि दून अस्पताल, जो आपके प्रदेश में बना है। मान्यवर, वर्तमान मे इस अस्पताल में लोगों को दवाईया नही मिल पा रही है। आपके पास स्टाफ की कमी है। दून अस्पताल के अंदर ही चिकित्सकों की भारी कमी हो गयी है, यहां पर उपकरणों की भी कमी है। यहां पर ओ0पी0डी0 की व्यवस्था होनी चाहिए थी, मरीजों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, इन सभी समस्याओं का जिक्र नही किया गया है कि इसका हम पुनरोद्धार करेंगे, ऐसा कोई जिक्र इस बजट में नही किया है।

मान्यवर, आपने शव विच्छेदन केन्द्रों की बात की है, अच्छा होता आप यह बताते कि एक साल के अन्दर आपने कितने शव विच्छेदन केन्द्र खोले और इनके स्थानो का भी जिक्र करते। इसके साथ ही यह भी बताते कि इस बार इन–इन स्थानो पर ये बनेंगे। मान्यवर, आपने उत्तराखण्ड के रोगियों के लिए दिल्ली मे रहने के लिए व्यवस्था की है। मैं जानना चाहता हू कि आज तक आपने दिल्ली के अदर उत्तराखण्ड के रोगियों को ठहराया है, ऐसे कितने लोगो को लाभ मिला ? मान्यवर, पिछली बार भी आपने कहा कि हमने व्यवस्था की है और इस बार भी कहा है हमने व्यवस्था की है। गैस्ट हाउस किराये पर लिया है, मै जानना चाहता हू इसमें कितने लोग रह रहे है और कौन लोग रह रहे है ? कही ऐसा तो नहीं है कि वहा पर और लोग इसका लाभ उठा रहे हो और मरीजो को इसकी कोइ जानकारी ही न हो और हमारे सम्मानित विधायको ने इसके लिए अपनी कितनी संस्तुतिया की हैं कि हमारे ये मरीज आ रहे हैं इनको रहने दिया जाय ? जहा तक मेरी जानकारी है किसी भी विधायक ने संस्तुति नही की है और न ही वहा पर कोई मरीज रुक रहा है। मान्यवर, जहां तक नर्सिंग कॉलेज के जिक्र की आपने बात की है। माननीय अध्यक्ष जी, मै कहना चाहता हूं कि इस कॉलेज का हमने पहले ही इंतजाम कर दिया था कि यह देहरादून के अंदर खोला जायेगा और इसके लिए एक करोड रु0 की व्यवस्था की थी। मान्यवर, मानसिक चिकित्सालय का आपने जिक्र किया, यह भी पहले ही बनाया जा चुका है, यह सारे लोग जानते हैं। इसको आप अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि मे गिन रहे है। मान्यवर, जो यह बजट छपा है और हमें मिला है। इसमें जिक्र किया गया

है कि दून चिकित्सालय, देहरादून तथा बेस चिकित्सालय अल्मोडा एवं श्रीनगर में रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की बात कही है, यह बहुत पहले हो चुकी है। मान्यवर, ये सेवायें पहले से ही दी जा रही हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है। मान्यवर, राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में सचल केन्द्रों की स्थापना की बात की है। मान्यवर, राज्य के अंदर 26 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम संदर्भण इकाई के रूप में स्थापित किये जाने के निर्णय के बारे में कहा है, जबकि यह भी पहले से चल रहा है।

मान्यवर, आपने 30 राजकीय चिकित्सालयों को स्वायत्तता एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रबन्धन समिति के गठन की बात को उपलब्धि बताया है, जबकि हमने इसकी शुरूआत आते ही कर दी थी। मान्यवर, 28 बड़े राजकीय चिकित्सालयों में सफाई एव धुलाई की व्यवस्था बाह्य स्रोतों से किया जाना बताया है, यह व्यवस्था भी बहुत पहले से चली आ रही है। यदि आपने इसमें कुछ सुधार किया होता, वहां के रोगियों के लिए अलग से व्यवस्था की होती तो मैं मानता। मान्यवर, 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रबन्धन समितियों के गठन की बात कही है, जबकि इसका गठन पहले ही हो चुका है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हू कि किताब के अन्दर जो कुछ उपलब्धिया लिख रखी हैं, इसमे आपने सारी की सारी पूर्व सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। आपने लिखा है, आशा की नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति भी पहले ही हो चुकी है। आपने लिखा है कि श्रीनगर में 300 शैय्याओं का अस्पताल, तो यह तो हमारे समय मे बन कर पूरा हो गया। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पैसा दिया गया, उस समय इसको पूरा किया गया ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिनका जिक्र इन्होंने इसमें किया है। मान्यवर, जहा तक चिकित्सकों की बात है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, कहीं अपने समय की तो उठा कर नहीं ले आए ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आपके ही समय की है। पढ़ लीजिए। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। सभी कुछ पुराना है, इसके अन्दर नया कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी बात आ रही थी, चिकित्सकों की नियुक्ति की। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने कई बार अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे। जितने अधियाचन थे, वह पूर्व सरकार के समय के थे। जो नियुक्तियां हुई, वह पूर्व सरकार का अधियाचन था। अगर इस सरकार ने एक वर्ष के अन्दर कोई अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा है तो उसका जिक्र इसमें करें। मेरी जानकारी में है कि पिछले एक वर्ष के भीतर कोई अधियाचन लोक सेवा आयोग को नहीं गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

अधियाचन तो रोज जाते हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिछला जो अधियाचन गया, लोक सेवा आयोग ने तो डॉक्टरों का चयन कर लिया अब नया ही अधियाचन तो जाएगा। चिकित्सकों की कमी तो है ही। ऐसा तो है नहीं कि दुबारा वही अधियाचन चलता रहेगा। विभाग नया अधियाचन भेजेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पैरा मेडिकल में लैब फिजियोथैरेपी, एक्स–रे टैक्नीशियन, इनके लिए न तो पद सृजित किये जा रहे है और न ही इनकी नियुक्ति की कोई व्यवस्था एक वर्ष के अन्दर की गयी है कि जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिल जाय। मशीनें और उपकरण, जो नये खरीदे हुए रखे है, उन उपकरणों को कौन चलाएगा, उनका क्या होगा, उनको जंग लगेगा, उनके लिए क्या व्यवस्था की है ? अभी कहा गया कि कई सारी नई योजनाओं को शुरू कर रहे हैं। लेकिन पर्वतीय जनपदों के अन्दर क्या नई योजना होगी ? कैसे चिकित्सकों का अभाव दूर होगा ? इसका कोई जिक्र विशेष रूप से नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहता हू सारा सदन जानता है कि चिकित्सकों की कमी है। इस बात से मैं भी सहमत हूं हमने उस समय 300 चिकित्सक संविदा पर रखे थे। इस सरकार ने एक वर्ष के बाद भी चिकित्सकों को संविदा पर रखने के लिए, कोई योजना नहीं बनायी है, न ही उनकी संख्या बढ़ाई है। अच्छा होता 200 चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाते कि उनको संविदा पर रखा जाएगा। आगे रखने की कोई योजना एक वर्ष के अन्दर नहीं बनायी गयी। उनको कैसे रखा जाएगा, कैसे डॉक्टरों का चयन होगा, इसकी कोई योजना एक वर्ष के अन्दर नहीं बनायी गयी। कोई व्यवस्था, कोई प्राविधान नहीं किया गया, एक वर्ष के अन्दर। मान्यवर, अति दुर्गम क्षेत्रों के चिकित्सकों के बारे में कह ही चुका हूं, उनका भत्ता और बढ़ाने के लिए, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, जो पुराना भत्ता उनको प्रतिमाह मिलता था, उतने पर ही चल रहा है। अच्छा होता कि उनका 4–5 सौ रुपया बढ़ा देती, उनको और सुविधाएं देती। हमारे समय में दो–दो बार बढ़ा। एक वर्ष के अन्दर सरकार, चिकित्सकों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनका भत्ता बढ़ाया जाय ताकि चिकित्सक आएं, उसका जिक्र करती लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं किया गया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पसीना आ रहा है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वह तो थोड़ी देर बाद छूट जाएगा। मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, प्रदेश के अन्दर फार्मासिस्टों की कमी है, काफी लम्बे

समय से। पिछली बार पाइलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 539 फार्मासिस्ट के पदों का सृजन किया गया था। आज जो सत्ता पक्ष में हमारे साथी बैठे हैं, उस समय ये विपक्ष में थे, आप लोगों की तरफ से एक लम्बी मांग चल रही थी कि इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाय इनकी संख्या और बढ़ाई जाय। फार्मासिस्टों के माध्यम से, चाहे नेशनल कार्यक्रम हों और चाहे रूलर कार्यक्रम हो, उनमें इनकी भागीदारी बढ़ाई जाय और उनको सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सी0एस0सी0 से उनको जोड़ा जाय और उनकी ट्रेनिंग करायी जाय और ट्रेनिंग के बाद वे कम से कम वहां पर उपचार कर सकें, इसलिए यह व्यवस्था की गयी थी। परन्तु इस सरकार ने आने के एक वर्ष के बाद भी एक भी फार्मासिस्ट को नहीं रखा है। आज फार्मासिस्ट बाहर लाठियां खा रहे हैं, फार्मासिस्टों को आज जेल भेजा जा रहा है। और मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब इधर थे रोज इस बात को उठाते थे, अजय भट्ट जी रोज उठाते थे, काशी सिंह ऐरी जी, रोज उठाते थे। मान्यवर, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। मेरे पास एक पत्र है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, बहुत सारे विधायकों की तरफ से यह पत्र लिखा गया है, उसमें विशेष रूप से सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं, जिन्होंने लिखा है कि हमें फार्मासिस्टों की आवश्यकता है, जब एक ओर सत्ता पक्ष के विधायक लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको फार्मासिस्टों की आवश्यकता है फिर भी फार्मासिस्टों को क्यों नहीं रखा जा रहा है, क्यों नहीं उनके लिए पद सृजित किये जा रहे हैं ?

गोपाल सिंह रावत जी का नाम है, खजान दास जी का नाम है, शैलेन्द्र सिंह रावत जी हैं, आशा नौटियाल जी का नाम है, बलवंत सिंह भौर्याल जी का नाम है, गगन सिंह रजवार जी का नाम है, जोगा राम टम्टा जी का नाम है, गोविन्द सिंह बिष्ट जी का नाम है, विजय सिंह पंवार हैं, गोविन्द लाल शाह जी हैं, अरविन्द पाण्डे का नाम है, चन्दन राम दास जी का नाम है, सुरेश चन्द जैन जी का नाम है, खड़क सिंह बोहरा जी का नाम है, दीवान सिंह जी का नाम है, सुरेन्द्र सिंह जीना जी का नाम है और केदार सिंह फोनिया जी हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं, पत्र भी लिखे गये हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी पत्र लिखा है कि जो 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें इन डिप्लोमा फार्मासिस्टों को नियुक्ति दे दी जाय, माननीय बिशन सिंह चुफाल जी यहां पर बैठे हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा है कि इनको नौकरी दे दी जाय। मान्यवर, इतना ही नहीं, सांसद विजय बहुगुणा जी का भी इसमें पत्र लगा है। माननीय खेल मंत्री जी यहां पर नहीं बैठे हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा है, माननीय वन मंत्री, अब चले गये, अभी बैठे थे, बंशीधर भगत जी ने भी स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजा है। माननीय दिवाकर भट्ट जी ने भी माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा है कि इन्हें नौकरी दे दी जाय तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने विधायकों और माननीय मंत्रियों के पत्र लिखने के बाद इन्हें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है ? एक पत्र और है, जिसमें तसलीम अहमद जी और अन्य विधायकों के हस्ताक्षर हैं, हमारे विधायकों ने भी लिखा है। (व्यवधान)

मानगीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हू और मैंने कल भी जब एस्कार्ट फार्म वाले विषय पर बोलते समय कहा था कि राजनीतिक दल का यह चरित्र जरूर होना चाहिए कि विपक्ष मे रहकर जनहित की जिस बात को वह उठाते है, सरकार में आने के बाद, चाहे वह कोई भी दल हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस काम को पूरा करना चाहिए। उस समय तो निदेशालय को बद कर दिया गया था, कई दिन तक पार्टी के लोगो ने स्वास्थ्य निदेशालय में इस मुद्दे पर ताले लगा दिये थे और हाउस नहीं चलने दिया गया, तो आज वह बाते कहां गई ? आज वह बेरोजगार फार्मासिस्ट मार खाकर बाहर बैठा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि ए0एन0एम0 सेंटर की बात कही गई है। ठीक है कि आपकी सरकार ने शुरू किया, लेकिन 20–22 साल से इनको खोलने का कोई प्राविधान नही था, हमारी सरकार ने इन्हें शुरू किया और ए0एन0एम0 सेन्टर प्रारम्भ हुए ताकि हमारी बालिकायें ए0एन0एम0 की ट्रेनिंग कर सकें। इस वर्ष के अन्दर कौन–कौन सी जगहों में यह शुरू हो गये है, मैं दोबारा जानना चाहूंगा कि कौन–कौन से शुरू हो गये हैं ? ए0एन0एम0 की क्लासेस शुरू हो गई हैं, इसका जिक्र आ जायेगा तो मेरी भी जानकारी में आ जायेगा। माननीय मत्री जी अपने उत्तर मे बतायें। गदरपुर में यह सेंटर खुलना था और अभी तक तो नहीं खुला है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना चल रही है और इसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुखिया के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी करते है, तो इसकी कितनी बैठक हुई और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बैठक में थे या इसको जिला स्तरो पर भी चलाने के लिए कोई कार्य हो रहा है तथा इसकी बैठकें किस–किस तारीखों को हुई, बैठकों के बारे मे भी आप बता दें तो अच्छा होगा। वैसे तो हमारे स्वास्थ्य मत्री जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, अगर बैठकें नहीं होगी तो जनता को कैसे इसका लाभ मिल पायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें देने के लिए सरकार ने एक वर्ष में क्या–क्या किया है ? (व्यवधान)

मान्यवर, जड़ी तो उत्तर प्रदेश में मिलती थी, पहले तो। जब से प्रकाश पन्त जी संसदीय कार्य मंत्री बने हैं, उन्होंने कहा कि जडी छोडो, मेरे पास आओ। मैं उसके बारे मे नहीं कहना चाहता हूं, वह समझ रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं फार्मासिस्ट रहे हैं और उन्होंने अपना मैडिकल स्टोर भी चलाया है। (हँसी) मान्यवर, मै आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मृत्यु दर में कितनी कमी आयी है, इसका जिक्र आपने नहीं किया है। क्या शिशु मृत्यु दर में कोई कमी आयी है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कट मोशन के बाद भी कोई जाएगा नहीं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं तो बैठता ही हूँ दस बजे तक। आप लोग ही अपने आफिसों में चले जाते हैं। यह तो अभी शुरूआत है दो घंटे बाद सब अपने–अपने आफिसों में काम करने चले जाते हैं।

पेयजल एवं सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, आपको पसीना छूट रहा है इसलिए आप जा सकते हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह तो आप ही ने दिया है। आपने ही इधर भेज दिया इसलिए पसीना आता है, साथ रखा होता तो शायद नहीं आता।

श्री अध्यक्ष–

कल तक तो आप कुछ और कह रहे थे कि जब आप वहाँ पर थे तभी आपको पसीना आता था। कल और आज में बातों में बड़ा अन्तर आ गया है। अब आप इतनी जल्दी बदल कैसे गये ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब भी चिकित्सक मेरा पसीना नहीं रोक पाये। (व्यवधान) मान्यवर, व्याधि निधि की योजना पूर्व में बनी थी और मुझे उम्मीद थी कि व्याधि निधि में जो कुछ कमी रही होगी, इसको दूर करेंगे। व्याधि निधि में 1.5 लाख रुपये तक मिलते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति दिल्ली में या बाहर इलाज कराने जाता है, अगर उसका 1.5 लाख से ज्यादा खर्च होगा तो उसे कौन देगा ? उम्मीद थी कि सरकार इसे आगे बढ़ायेगी, लेकिन मान्यवर, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। अभी माननीय मंत्री जी ने एफ0आर0आई0यू0 यानि फर्स्ट रेफर यूनिट का जिक्र किया। आकस्मिक प्रसव सुविधा दी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों की क्या स्थिति है, अब एफ0आर0आई0यू0 तो बन गये, अब विशेषज्ञ वहाँ बचे या चले गये हैं, तो कितने हैं, उसके मानक क्या है? मेरी जानकारी में है कि आपने जितने विशेषज्ञ थे, उसमें से किसी को सी0एम0ओ0 बना दिया, किसी को डिप्टी सी0एम0ओ0 बना दिया, किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप दी। आज अस्पतालों में कोई विशेषज्ञ नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो उपकरण नये खरीदे गये हैं, मैंने पहले भी इस बात को कहा है। उनको चलाने की क्या व्यवस्था होगी? उपकरण पड़े हुए हैं उनको कहाँ से आएंगे चलाने के लिए। क्या सरकार संविदा पर रखेगी या विशेष भत्तों की व्यवस्था करके उनको यहाँ पर बुलायेगी। अस्पतालों में दवाओं का अभाव है। माननीय मंत्री जी ने मेडिकल कालेज का जिक्र किया है। वैसे तो मैं क्या

कहूँ, आपको तो माननीय अध्यक्ष जी, जानकारी है ही । पिछली बार जब रूद्रप्रयाग मेडिकल कालेज का पैसा वापस ले लिया गया था सात करोड़, तो मैंने विधान सभा के अन्दर इस विषय को उठाया था और आपके द्वारा भी पीठ से निर्देश दिये गये थे कि काम चालू किया जाय। पाँच करोड़ की व्यवस्था एस०एन०डी० के अन्दर रखी गयी थी। तीन करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। जब मैंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूँगा, आन्दोलन करूँगा, आमरण अनशन करूँगा और सरकार ने एक पत्र भेजा तब सचिव चिकित्सा शिक्षा ने पत्र में कहा था कि आप ऐसा न करें। हम उसे करेंगे। वह भी है मेरे पास। उसके बाद आज की तारीख तक वो 3 करोड़ रुपया रिलीज करने के बाद तीसरे ही दिन उस पर आपत्ति लगा दी गयी और उस पैसे को रोक दिया गया और आज की तारीख तक मार्च आ गया है क्या वह पैसा लैप्स होगा ? आपकी पीठ से निर्देश के बाद भी आज तक काम शुरू नहीं हुआ।

माननीय मंत्री जी ने एक बात और बहुत बढ़िया कही है, मैं उनका आभारी हूँ, 3 करोड़ की व्यवस्था की है इस बजट में। मान्यवर, इस बजट के अन्दर मैं कहना चाहता हूँ कि एक हजार रुपये की टोकन मनी रखी गयी है। किताब के अन्दर उल्लेख है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रुद्रपुर मेडिकल कालेज के प्रति सरकार गम्भीर ही नहीं है। आप अल्मोड़ा का जिक्र कर रहे है। अल्मोड़ा तो हमने अपने टाइम में कैबिनेट में किया। आपकी कैबिनेट का फैसला था, हम पाँच साल के अन्दर श्रीनगर मेडिकल कालेज को कहाँ से कहाँ ले गये। रुद्रपुर मेडिकल कालेज को आप बनाना नहीं चाहते है। जो किताब आपकी एक वर्ष की छपी है इसके अन्दर आप देख लें, उसमें रुद्रपुर मेडिकल कालेज का कोई जिक्र नही किया गया है। इसमें श्रीनगर का जिक्र है, अल्मोड़ा का जिक्र है। रुद्रपुर मेडिकल कालेज को क्यों निकाला जा रहा है ? पिथौरागढ़ में मेडिकल कालेज बनाने की बात है, इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज बनाने की बात थी कि हमारी सरकार आयेगी, उस वक्त आप कहते थे आप नहीं बना रहे, हम बनायेंगे। कोई व्यवस्था नहीं की गई अस्पताल बनाने की। जबकि कहा था कि हम वहाँ बेस अस्पताल बनायेंगे। हमसे सारे विधायक नाराज होते थे। हमने सभी सम्मानित विधायकों से बात भी की।उसका एक रास्ता निकाला जोकि अब वहीं का वहीं रूक गया। अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के लिए भी पिछले बजट में व्यवस्था की गयी थी कि जमीन खरीदी जायेगी। एक वर्ष हो गया वहाँ अभी तक एक एकड़ जमीन भी सरकार नहीं कर पायी है। वहाँ के किसानों ने मना कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। और सरकार बार-बार व्यवस्था कर रही है। जबकि एक ओर मेडिकल कालेज बन रहा है आप उसको रोक रहे है तो मान्यवर, इनकी मेडिकल कालेजों के प्रति, खासकर मान्यवर, सरकार रुद्रपुर का मेडिकल कालेज को बनाना नहीं चाहती है, इनकी इच्छा नहीं है कि मेडिकल कालेज बने। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूर्व

सरकार के समय में टिक्कू कमीशन लागू करने की बात की गई थी, कैबिनेट का फैसला हो गया, टिक्कू कमीशन लागू करने का निर्णय सरकार ने ले लिया। पत्रावली निदेशालय भेजी भी गई उसकी नियमावली बनाने के लिए, आज एक वर्ष हो गया है, न तो उसकी नियमावली बनी और न टिक्कू कमीशन लागू किया गया है। चिकित्सक कैसे जायेंगे पहाड़ों पर, कैसे जायेंगे दुर्गम क्षेत्रों पर, चिकित्सक काम करना नहीं चाहते हैं और आप एक साल से टिक्कू कमीशन को दबाये बैठे हैं, तो प्रदेश का कैसे भला होगा, इससे आम आदमी को कैसे लाभ मिलेगा ?

अभी ट्रौमा सेन्टरों की बात की गई। मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व के स्वीकृत ट्रौमा सेन्टरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, नये की तो आप बात छोड़ दीजिए आप कब बनायेंगे। जो पुराने पाँच–छः स्वीकृत है उन्ही का आप उद्घाटन कर दीजिए ताकि वह शुरू हो जाय, लोगों को उसका लाभ मिल जाय। मान्यवर, कैन्ट क्षेत्र के अन्दर बी०पी०एल० के परिवारो के लिए कोई सुविधा नही है। जो वहाँ पर बी०पी०एल० के परिवार रहते हैं उनको भी सुविधा देनी होगी। जहाँ तक एड्स के रोगी बढ़ रहे हैं, उनको कम करने की ऐसी कोई योजना आपके द्वारा नहीं लायी गई है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि कितने पी०एच०सी० नये खोले है। कितने सी०एस०सी० नये खोले हैं। एक साल के अन्दर ? इनमें कितने आपने नये डाक्टर रखे ? मैं पढ़ रहा हूँ जो पुराना था वह आपके अधिकारियो द्वारा आपको पुरानी लिस्ट छापकर दे दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारी सरकार के समय में चिकित्सा के क्षेत्र मे जितना काम हुआ है इसको तो जनता जानती ही है। एक वर्ष मे कितने कार्य होने चाहिए वह नही हो पा रहे है। टिहरी बाँध का, पिछली सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी कि वहाँ पर डिबनू में तीन सौ शैय्याओं का अस्पताल बनेगा, इसका कोई जिक्र बजट के अन्दर नहीं आया है। प्रदेश के अन्दर कई नई व्यवस्थाओं को लागू किया जाना चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम होना चाहिए था। माननीय मंत्री जी ने शुरू–शुरू मे छापे डाले, बहुत कार्यवाही की, अगर उसको लगातार बनाये रखते कि वहाँ पर क्या–क्या सुविधाएँ हैं, कितनी और देनी है। अगर हम दो–तीन छापो के बाद इतिश्री कर देंगे तो इसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज 15 अनुदानों पर चर्चा होनी है और इसके साथ–साथ प्रत्येक माननीय सदस्य को अवसर मिल सके। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसमे व्यवस्था हो जाय जिससे कि यह पूरा हो सके, तो प्रत्येक माननीय सदस्य को 05 मिनट का समय मिलेगा।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मानतीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने रुपये 5792817 हजार का बजट सदन के पटल पर रखा, यह बहुत ही उत्कृष्ट बजट है। मैं इसके समर्थन में अपने विचार रखना चाहती हूँ। आपने इसमें मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, इसमें 13 जनपदों में 10 जनपद पर्वतीय क्षेत्र के हैं।

मान्यवर, इन जनपदों में सदैव चिकित्सकों की कमी रहती है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने दूर–दराज के गाँवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचे, यहाँ की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले इसके लिए इस बजट में पूरा प्रयास किया है। जिसके लिए भी सम्भावनाएं हो सकती हैं इस बजट मे उसको पूरा करने का भरसक प्रयास माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले इस राज्य मे वास्तव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि अभी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि दूर–दराज के क्षेत्रों मे डाक्टर्स की कमी है, फार्मासिस्टों की कमी है और जो अनेक स्वास्थ्य सुविधाए होनी चाहिए उसकी भी कमी है। लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने उसको पूरा करने का इस बजट मे पूरा प्रयास किया है और लगता है कि हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रो में और पूरे प्रदेश मे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और कृत संकल्पित है। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओ को सुदृढ करने के लिए उत्तराखण्ड मे सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। मान्यवर, उन समस्त बी०पी०एल० परिवारों के लिए, ताकि उनको स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध हों, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसमें बी०पी०एल० परिवारों को चिकित्सा लाभ की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। अगर किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 25 हजार रुपये की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि इस पूरे उत्तराखण्ड में जब कोई बी०पी०एल० परिवार का बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए उसके पास कोई धनराशि नहीं होती है। माननीय सदस्य भी इसमें काफी चिन्तित रहते हैं कि इनको कहाँ से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए जिससे यह इलाज करवा सके। कभी–कभी प्रभावित व्यक्ति मुख्यमंत्री जी से विवेकाधीन कोष के लिए गुहार लगाता है और ऐसा करने के लिए कई बार वे प्रार्थना पत्र देते हैं, निवेदन करते हैं। अगर परिवार के किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसको 25 हजार रु० बीमा से मिलेगे, अगर वह बी०पी०एल० परिवार का है। स्वास्थ्य के लिए बी०पी०एल० परिवार को 30 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि बीमार होना किसी भी परिवार

के लिए समस्या है और इलाज के लिए धन की आवश्यकता होती है, यह जीवन की मुख्य समस्या है।

इसके साथ ही हमारी सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि किसी गरीब परिवार का मुखिया बीमार हो जाता है और वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और कोई काम करने के योग्य नहीं है तो कम से कम 15 दिन तक 50 रुपये रोज मुआवजा उसे मिलेगा। यह भी हमारी सरकार का बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए भी मैं बधाई देती हूँ। मान्यवर, एक और मुख्य कार्य हमारी सरकार ने किया है वह यह है कि ई0एम0आर0टी0 108 की व्यवस्था की है। आपातकालीन चिकित्सा के लिए दूरदराज के क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो प्रभावित व्यक्ति 108 नम्बर पर फोन कर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के लिए टोलफ्री फोन कर सकता है, जो उसको मिल सकती है।

मान्यवर, सचल वाहन की व्यवस्था की पूरे प्रदेश को आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से उत्तराखण्ड का पर्वतीय राज्य चिकित्सा विहीन है वहाँ पर डाक्टरों की नियुक्ति कराना एक चुनौती बन गया है, बहुत आवश्यक हो गया है मान्यवर, कोई भी एम0बी0बी0एस0 डाक्टर दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पसन्द नहीं करता है। कई बार पूर्ववर्ती सरकार ने भी और इस सरकार ने भी प्रयास किया कि पर्वतीय क्षेत्रों पर डाक्टरों की नियुक्ति किया जाना बहुत आवश्यक है। नियुक्ति भी की गयी लेकिन जब चार सौ डाक्टरों की नियुक्ति की गयी तो उसमें से भी सौ डाक्टरों द्वारा ज्वाइनिंग नहीं की गयी। और न ही उन डाक्टरों ने पूर्ण काल तक कार्य किया। मान्यवर, इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए वहाँ पर माननीय मंत्री जी सचल वाहन व्यवस्था की, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी। मान्यवर, हमारी सरकार जन स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी, कृपया अपनी बात सूक्ष्म में कहें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगी कि चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न आयोजनागत के लिए गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत धनराशि की वृद्धि करते हुए 23.26 करोड़ रुपये का इसमें प्राविधान रखा गया है यह एक सराहनीय कदम है और मैं आशा करती हूँ कि मान्यवर, मैं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना चाहूँगी कि मैं अपने क्षेत्र में एक सी0एच0सी0 भवन का निर्माण कराने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मानीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा कराने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री चौहान जी, कृपया इस बात का जरूर ध्यान दें कि समय बहुत कम है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी इतने सक्षम हैं कि वे अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, सबसे पहले मैं इस बात को कहता हूं कि अभी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट पर टीका–टिप्पणी करते हुए अपनी बात रखी। मुझे ये लगता है कि माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जरूर कोई सांठ–गांठ रही है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि .....।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि सांठ–गांठ है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, बजट प्रोविजन मात्र से यदि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जन–जन तक पहुचना होता तो 50 साल पूर्व ही प्रत्येक व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंच गयी होती। मान्यवर, इसके लिए एक दृष्टि और सोच की जरूरत है, सबसे पहले मैं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के अन्दर ही नहीं भारत सरकार के साथ एक पैरवी की कि उत्तराखण्ड प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो मानकों का निर्धारण किया गया है, चाहे वे उप स्वास्थ्य केन्द्र हो या पी0एच0सी0 के नाम पर हो वह अपर्याप्त है, वह प्रासंगिक नहीं है उनके द्वारा मजबूत पैरवी का नतीजा निकला कि आज उपकेंद्र खोलने के जो मानक है वह भारत सरकार को बदलने पड़े। आज पूरे प्रदेश के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की इकाई के रूप में और ये सुविधा के रूप में उपकेन्द्र का जाल बिछाने का काम माननीय स्वास्थ्य

नोट – *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी ने किया। प्रदेश में 260 उपकेन्द्र भवनों के निर्माण करने का काम किया और उसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया और मानकों को निर्धारित करके नये केन्द्र खोलने का काम किया। जब हम क्षेत्र प्रतिनिधि क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो क्षेत्र में कई जगह पर घटना-दुर्घटना देखने को मिलती थी। आपके समय भी यह स्थिति रहती थी। परिस्थितियां यह होती थीं कि उपचार के लिए उस सम्बन्धित मरीज को, व्यक्ति को इवेकुवेट करके किसी स्वास्थ्य इकाई तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम था और इस ट्रांजिट पीरियड में निश्चित रूप से उनको अपनी जान गवानी पड़ती थी। सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर 13 मोबाइल यूनिट की स्थापना करने का काम किया, सचल दल अस्पतालों को बनाने का काम किया। माकूल बजट का प्रोविजन करके जहां पर कहीं घटना होती है जहां पर कोई इमरजेंसी होगी तो यह मोबाइल हॉस्पिटल, जो एक एम्बुलेंस की शक्ल में होगा। इसमें 1 करोड़ रु० का बजट का प्राविधान किया गया है यह मौके पर पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगा। तो मान्यवर, इतनी दूरगामी सोच को लेकर यह काम किया गया। अभी माननीया विजया बड़थ्वाल जी ने जो कहा कि टोल फ्री 108 पर डॉयल करके किसी भी इमरजेंसी की हम सूचना दे सकते है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता।

मान्यवर, बार-बार हम लोग चर्चा करते है। इस प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के कल्याण की तमाम सारी पैरोकारी करते है। तमाम सारे घड़ियाली आंसू बहाने का लोग काम करते हैं। अभी माननीय तिलक राज बेहड़ जी किसी न किसी रूप में अपनी सरकार को कर्मचारियों का हितैषी कहने की बात कर रहे थे। मान्यवर, यह पहली सरकार है जिस सरकार ने कहा कि प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी को स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी जायेगी। कैश लैस हेल्थ कार्ड की सुविधा दी जायेगी। जिसके लिए उसको कहीं पर एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और कहीं न कहीं उसके स्वास्थ्य की सिक्यूरिटी का काम होता है। मान्यवर, बीमा योजना के लिए उत्तराखण्ड में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार ने लागू की है। जिसके अंदर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में किसी भी परिवार को रु० 30 हजार की फ्री चिकित्सा सुविधा सरकार मुहैया करायेगी और दुर्भाग्यवश यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो रु० 50 हजार प्रभावित परिवार को सरकार देगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं। आज सभी को मालूम है इधर के माननीय सदस्य भी कहते है और उधर के माननीय सदस्य भी कहते है, सरकार भी कहती है कि पद है, तमाम अधियाचन के बाद हमें चिकित्सक मिल नहीं रहे हैं, आखिरकार चिकित्सक घर में तो पैदा नहीं किए जा सकते है। सरकार ने एक अभिनव प्रयास किया, सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। निजी प्रैक्टिसनर्स को कहा कि आप जाइये, दूर दराज के क्षेत्रों में लोगो को चिकित्सा सुविधा प्रदान करिये और सरकार इसके एवज में आपको प्रोत्साहन राशि

देगी। इस प्रकार से तमाम तरीके के कार्य हैं जिसको इस सरकार ने करने की दृष्टि दिखाई है। मान्यवर, जो यहां की जमीनी हकीकत थी उसको देखते हुए इस सरकार ने कार्य किया है। यह अपनी जगह अलग है कि देहरादून का दून अस्पताल हो, चाहे वह श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हल्द्वानी का मेडिकल ट्रस्ट हास्पिटल हो, यह तमाम सारी चीजें हैं जोकि पाईप लाईन में हैं जिसके लिए सरकार ने निश्चित रूप से पिछले बजट में प्राविधान किए हैं। मान्यवर, अभी तिलक राज बेहड जी कह रहे थे, तो गवर्नेंस एक कान्टीनियस प्रोसेस है। यदि किसी सरकार ने कोई कार्य प्रारम्भ किया है तो सरकारें बदल जाएं लेकिन निश्चित रूप से उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी विभाग में नई दृष्टि के साथ, नये विषय के साथ और जनता से जुडे हुए जो संवेदनशील विषय है उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रयास किए है तो निश्चित रूप से इस स्वास्थ्य विभाग ने किया है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे अनुरोध पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हल्द्वानी में जो डाक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल है तो वहां पर गरीबी रेखा से नीचे वालों को ही, बी0पी0एल0 से नीचे रहने वालों का थोडे पैसे में इलाज किया जाता है तो मैं चाहता हूं कि इसको निःशुल्क कराया जाय। पंतनगर में जो सिडकुल क्षेत्र है वहां कोई अस्पताल नहीं है तो वहां पर कर्मचारियों के हित में एक नया अस्पताल बनाया जाए, साथ ही साथ रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को पूरा किया जाये, यह मेरी मांग है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं माननीय श्री तिलक राज बेहड, श्रीमती विजया बडथ्वाल, श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री प्रेमानन्द महाजन जी का, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आज इस सदन के समक्ष रखे है और आदरणीय श्री तिलक राज बेहड जी जब बोल रहे थे तो इनके बोलने में मुस्कुराहट छिपी थी। श्रीमन्, आपने कहा 90 एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसे होगी, कहां से होगी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, आखिर 90 एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए निजी कम्पनी से .....

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, मैंने कहा कि 90 एम्बुलेंस की व्यवस्था राज्य सेक्टर से, राज्य सरकार खरीद रही है या केन्द्र सरकार कर रही है, यही मैंने पूछा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, 70 करोड की लागत से यह खरीदे जायेंगे। जैसा पहले भी मैंने कहा कि पहले चरण में 30 एम्बुलेंस आयेंगे और उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में होगा,

इसे 15 मई से शुरू कर देंगे, इसका अब से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है, इस पर प्रतिवर्ष पी०पी०पी० मोड भी अनुबन्ध किया है, प्रतिवर्ष आने वाला जितना भी व्यय है उसका प्राविधान रखा जायेगा। आपने बीमा योजना के संदर्भ में कहा कि सार्वभौमिक बीमा योजना थी यह तो पहले से चल रही थी, तो मैं आपसे इसके बारे में बाद मे जानकारी लूंगा कि कहां चल रही है। श्रीमन्, इस सरकार का यह पहला निर्णय है, जिसने बी०पी०एल० से नीचे के लोगों की चिन्ता करके यह बीमा योजना शुरू की है, यह पहली योजना है। श्रीमन्, आपने सचल चिकित्सालय के लिए कहा कि पहले भी चल रहे थे, हां, चल रहे थे पर वह चल नहीं रहे थे केवल खड़े थे, केवल एक एम्बुलेंस थी, वह भी बिरला वालो ने किया कभी रामनगर में घूमती थी। मान्यवर, वह मोबाईल एम्बुलेंस नहीं है। यह जो आ रहे हैं यह एक-एक जनपद में एक-एक होगा, वह एक करोड की लागत से ऐसा सशक्त सचल चिकित्सालय होगा, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के उपकरण होंगे। मैंने यह भी कहा कि शल्य चिकित्सा होगी और उसके पीछे एक और वाहन होगा, जो विशेषज्ञों का होगा और इसकी पी०पी०पी० मोड में टेण्डर निकाल चुके हैं, यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना होगी। श्रीमन्, दूसरा आपने कहा कि सारी व्यवस्था कहां से होगी तो बाकायदा बजट मे इसका प्राविधान किया गया है। केवल योजना नहीं रहेगी, सड़कों पर दिखाई देगी, जिस दिन एक करोड से चलने वाले चिकित्सालय 13 जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों मे जायेंगे। मान्यवर, इन क्षेत्रों के उन लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी जो कहीं न कहीं आज तक इन सुविधाओं से वंचित थे।

श्री तिलक राज बेहड़-

मानानीय अध्यक्ष जी, जो 13 सचल एम्बुलेंस की बात की जा रही है, ये 13 एक ही साथ आयेंगी या एक-एक करके आयेंगी ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, पांच कल आ गयी हैं और एक महीने के अंदर सभी आ जायेंगी। मान्यवर, जो गांधी नेत्र चिकित्सालय के बारे में कहा गया। मान्यवर, यह पहले एक संस्था का था। इसका तो सरकार ने अभी अधिग्रहण किया, दो महीने पहले हमने अधिसूचना की, जब अधिसूचना ही दो महीने पहले इस सरकार ने की है तो फिर उसका शिलान्यास, जो मुख्य सचिव का संदर्भ देकर आपने कहा, मेरे संज्ञान मे नही है। मान्यवर, यह निजी संस्थान था और यह ऐसी स्थिति में था, दम तोड रहा था, इस सरकार ने प्रबन्धन समिति से अनुरोध किया और उसके बाद इस संस्थान का बाकायदा अधिग्रहण करके और महत्वाकांक्षी योजना बनाकर के, जिसको हम चाहते हैं कि यह उत्तर भारत का अद्‌भुत चिकित्सालय बनेगा, इसलिए मानानीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया और पहले चरण में 15 करोड की लागत से ऐसा संस्थान बनेगा जो अत्याधुनिक चिकित्सा देगा, अत्याधुनिक शोध भी करेगा हम आई बैंक भी इसमें बना रहे हैं। मान्यवर, जहां तक फार्मेसिस्टों

की बात है। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं। इस समय यहां पर आदरणीय अमृता रावत जी नहीं हैं, इसी सदन में उनका एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या फार्मेसिस्टों को दवाई देने का अधिकार है और यदि नहीं है तो ये जो 339 फार्मेसिस्ट 339 केन्द्रों पर हैं इनका औचित्य क्या है ? मुझे लगता है उन्होंने शायद आप से परामर्श नहीं किया है। यह बात सत्य है, उन्होंने जो बात कही वह गलत नहीं कही है, लेकिन उनकी तो मंशा यह होती कि इसका कोई औचित्य नहीं है, ये जो 539 फार्मेसिस्ट हैं, उनको भी निरस्त कर दें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं जो 1765 उप केन्द्र है, ये ए०एन०एम० सेंटर होते हैं। इसमें फार्मेसिस्टों की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है। जहां डाक्टर होता है वहीं फार्मेसिस्ट होता है। डाक्टर जब दवाईयों को लिखता है तो फार्मेसिस्ट का काम उस दवाई को देना है।

मान्यवर, पिछली सरकार द्वारा एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप मे दूरस्थ और अति दूरस्थ, दुर्गम, अति दुर्गम, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा की बहुत कठिनाईया थी, इसलिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में उसको चिन्हित करके और यह कहा कि फार्मेसिस्टो को हम यहां करेंगे और साथ ही साथ इन्हीं का शासनादेश है। यह माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में होगा इस शासनादेश में लिखा था कि इसको उदाहरण न माना जाय। इसको एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप मे विषम परिस्थितियों में हम कर रहे है और कहा गया कि घरेलू दवाईयों को ये दे सकेंगे। मान्यवर, उप केन्द्रों पर ये पद सृजित नहीं हैं। उप केन्द्र बिल्कुल अलग व्यवस्था है, यह भारत सरकार से पूरी तरह आच्छादित है। इसमें भारत सरकार की अनुमति भी नहीं हो सकती है। मान्यवर, पूर्व सरकार के पायलेट प्रोजेक्ट को हमारी सरकार आगे बढा रही है। मान्यवर, जिस तरह से यहां पर सदस्यों के प्रश्न आ रहे थे उससे लग रहा था कि हमें बाध्य कर दें कि हम इनको भी निरस्त कर दें, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। दून अस्पताल के बारे में चर्चा हुई है। मैं ज्यादा विस्तृत में नहीं जाना चाहता हूं जितने भी माननीय सदस्य यहां पर हैं वे इसकी स्थिति में, तब की स्थिति और वर्तमान स्थिति में अंतर देखते होंगे। मान्यवर, जैसे कि मैंने पहले भी अपने बजट भाषण में कहा था कि हम दून अस्पताल को आधुनिक बनाना चाहते हैं इसी सम्बन्ध में हमने पी०डब्ल्यू०डी० की भूमि को अर्जित किया और इतना ही नहीं जो पीछे की रेडक्रास की भूमि थी उसको भी हमने अपने में ले लिया है। महिला चिकित्सालय को व्यापक तरीके से करेंगे और इसकी तीसरी मंजिल के लिए भी लगभग तीन करोड रुपये की अवमुक्ति हमने कर दी है।

श्रीमन्, इसको व्यवस्थित करने की दृष्टि से, क्योंकि हमारी इच्छा है कि दून चिकित्सालय को ऐतिहासिक बनायेंगे। शव विच्छेद गृहों के बारे में आपने कहा, हमने 6 शव विच्छेदन गृहों की स्थापना पिछले वर्ष की है और 5 आगे भी कर रहे है, वे अभी निर्माणाधीन है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने क्या किया ? हम 6–7 का निर्माण तो कर रहे हैं। मैंने तो उसका भी आंकड़ा दिया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह कहिए कि पिछले जो बने हुए थे उन्हीं की स्थापना कर रहे हैं।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, इस विषय में मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। दिल्ली में रोगियों के रुकने की बात आयी। दिल्ली में रोगियों का जाना, कोई नई बात तो नहीं थी, किसको नहीं मालूम था कि जब यहां से, पर्वतीय क्षेत्र से, लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते थे तो वहां पर दर–दर भटकना पड़ता था। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हू कि जो हमने कोशिश की है, उसकी अच्छी प्रगति है। यदि आप कहेंगे तो मैं उसके आकड़े आपको बताऊँगा लेकिन उसका दुरूपयोग किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, यह मैं आश्वस्त करता हूं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जो लोग वहा पर जाते है, वहा पर रहते हैं, यदि आप उनसे मिलेंगे तो पता चलेगा कि लोगों को बहुत बड़े सहारे के रूप मे वह स्थान मिलता है। श्रीमन्, नर्सिंग कालेज की बात आयी, बी०एस०सी० नर्सिंग कालेज तो प्रदेश का पहला नर्सिंग कालेज है, जिसका शुभारम्भ हमने किया। पहले नर्सिंग कालेज कहा था, मुझे मालूम नहीं। यह अलग से पता कर लूंगा कि वह किधर है। इस प्रदेश मे पहले बी०एस०सी० नर्सिंग कालेज की स्थापना करने का श्रेय किसी को है, तो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को है। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, हम इसको आगे भी बढ़ायेंगे, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। अभी कहा गया कि समितियो का गठन किया गया। श्रीमन्, समिति का गठन जरूर हुआ होगा। चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हों या जिला चिकित्सालय हों, उनके प्रबन्ध तंत्र को मजबूत करने के लिए हमने 15 करोड़ रुपये दिये हैं और उनको सशक्त किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछली सरकार ने प्रबन्ध तंत्र को कितना दिया है ? जो उनके शुल्क से आता है, वही तो दिया। उनको कोई अतिरिक्त सम्बल नहीं दिया। हमने कोशिश की है कि जो प्रबन्ध तंत्र बनाये है, उनको हम अपाहिज न छोड़ें, केवल खानापूर्ति न करें, बल्कि उनको और ताकतवर बनाए। उनको अधिकार भी दिये है और उनको संसाधन भी दिये है। श्रीमन्, आशा की नियुक्ति के बारे में आपने कहा कि पहले हो चुकी थीं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सैकड़ो नहीं हजारों आशाओं को हमने नियुक्त किया है और 9975 आशाओं को इस प्रदेश के अन्दर हमने नियुक्त किया है। 10 हजार तक हम इस संख्या को ले जायेंगे।

श्रीमन्, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के बारे में यदि मैं कहू, तो मैं अपने मित्र श्री तिलक राज बेहड़ जी को याद दिलाना चाहता हू कि श्रीनगर मे 30 हजार लोगों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया, जब कांग्रेस की सरकार थी। जो सिद्धान्ततः 2000 में स्वीकृत हो गया हो, जिसको भारत सरकार ने सहमति दे दी हो, उसमें पिछली सरकार ने एक पत्थर, एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद उसमें

गतिशीलता बढ़ी है। आज मैं बहुत हर्ष के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हमने एक वर्ष के अन्दर उसकी अवस्थापनाओं को इस सीमा तक बढ़ा दिया है, हम अगले वर्ष तक श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को शुरू करना चाहते हैं, यह मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, दूसरा, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की बात कही, तीसरा, रूद्रपुर की बात कही है। रूद्रपुर को 3 करोड़ रुपया देने की बात की है। मेडिकल कॉलेज, पहले 300 बैड का चिकित्सालय उच्चीकृत होता है। फिर दूसरे चरण में उसकी शुरूआत होती है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बारे में कहना चाहता हूं, एक कागज के टुकड़े पर तो निर्माण नहीं होता है, पिछली सरकार में उसके लिए कितना पैसा दिया, कितना काम हुआ ? हम लोगों ने इसको शुरू किया। हम बड़ी अकलुषिता से कहना चाहते हैं कि हम अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को जितनी जल्दी सम्भव होगा शुरू करेंगे। मेडिकल कॉलेज शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसके निकट हैं। हम रूद्रपुर को मेडिकल कॉलेज नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हम उसके निकट नहीं हैं। हम उसके निकट जाने की कोशिश करेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आप उसके निकट आना नहीं चाहते।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, अल्मोड़ा का जो चिकित्सालय है, उसको हम 300 बैड का सुसज्जित चिकित्सालय करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो रूद्रपुर का है, उसको भी हम शुरू कर रहे हैं। उपकरणों की बात अभी यहां पर हुई, जो उपकरण उस समय क्रय किये गये थे, यदि उसकी सूची कहेंगे तो सूची उपलब्ध करा दूंगा और मौखिक भी मैं बता सकता हूं। श्रीमन्, वर्ष 2003–04 में जो उपकरण आये थे, आपको भी पता रहा होगा, उस समय व्यवस्थायें नहीं होंगी। उसमें अवस्थापना सुविधाओं का अभाव रहा होगा, परेशानी रही होगी, भवन नहीं रहे होंगे और 2003–04 और 2004–05 से लाखों–करोड़ों रुपये के उपकरण आज भी बंद पड़े हैं, हम उपकरणों को बंद रखने के लिए नहीं, बल्कि उनको चलाने के लिए कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अवस्थापना सुविधाओं को विकसित कर सकें। चिकित्सकों की नियुक्ति के बारे में आपने कहा है तो इसके लिए 650 का अधियाचन हमारी सरकार ने भेजा और यह मेरे हस्ताक्षरों से गुजरा है। इसके लिए दोबारा भी अधियाचन भेजा गया है, हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि अधियाचन से भी हटकर यदि कोई रास्ता निकलता हो तो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, लगभग बातें आ चुकी हैं, यदि बिन्दुवार उत्तर दे दें तो ठीक रहेगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं बिन्दुवार ही कह देता हूं, पैरामेडिकल कार्मियों की बात आई, इसकी सूची हम आपको देंगे। पर्वतीय क्षेत्र की जनता के लिए योजनाओं के बारे में कहा तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यह मोबाइल वैन किसके लिये हैं, 13 करोड की लागत से, 1–1 करोड की एक वैन, यह किसके लिये है। 400–450 उपकेन्द्र किसके लिये हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लिये हैं। बहुत सारी योजनायें हमने उस क्षेत्र के लिए की और हमको मालूम है कि आज भी वह उन सुविधाओं से दूर है। वहां के लिए बहुत सारी योजनायें है अगर माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति होगी तो बिन्दुवार उनको आपके सामने रखूंगा। ए0एन0एम0 सेंटरों के बारे में कहा गया, मान्यवर, पांच सालों में उस सरकार ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, गदरपुर मे इस सेंटर को शुरू नही किया। सिर्फ एक ए0एन0एम0 सेंटर पौडी के अलावा कोई और नही चला और अल्मोडा भी धक्का–मुक्की मे चला। श्रीमन्, मै कहना चाहता हूं कि हम गदरपुर में शुरू करेंगे, हल्द्वानी में शुरू करेंगे, हरिद्वार मे शुरू करेंगे, चमोली और नैनीताल में शुरू करेंगे और आगामी दो वर्षों मे शुरू करेंगे, इसके अलावा टिहरी में भी शुरू करेंगे। श्रीमन्, अभी व्याधि निधि के बारे मे आदरणीय तिलक जी ने कहा कि वह व्याधियां ऐसी होती है कि उसमें डेढ लाख रुपये बहुत कम होता है और वास्तव में यह कम है और व्याधि निधि के लिए इसमे धन देने का हमारा मकसद भी पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार का एक प्रावधान है कि इसमें डेढ लाख रुपये से ऊपर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार देती है और यह हमने शुरू किया है तथा हमने अभी 15 प्रकरण भारत सरकार को इंगित किये हैं कि इनकी प्रतिपूर्ति की जाय।

टिक्कू कमीशन की बात यहां पर की गई है, मुझे लगता है कि यह बहुत पुराना है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसको अंतिम परिणति तक अगर कोई ले जायेगी तो यही सरकार लेकर जायेगी, हम लागू करेंगे टिक्कू कमीशन को। उसमें जो वैधानिक कठिनाइं है, उसको हम दूर कर रहे है। उसकी नियमावली को देख रहे हैं। (व्यवधान) केवल कैबिनेट के फैसलों से नही हुआ करता है श्रीमन्, कैबिनेट के फैसलो से, तमाम जगहों से यह गुजरता है, आप सब लोगों को यह पता है, आप मे से बहुत से लोग शासन मे बैठे है। लेकिन हम उनकी, चाहे कार्मिक है, चाहे न्याय है, तमाम उन संवैधानिक प्रक्रियाओं को भी पूरा करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ रहे हैं। टिक्कू कमीशन की सिफारिशो को बहुत जल्दी इस प्रदेश में लागू किया जायेगा। सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 बहुत खोले गये है, मै आपको पूरे आंकडे दे सकता हूं, हमने सी0एच0सी0 का उच्चीकरण भी किया है और नये पी0एच0सी0 को भी किया है, नये निर्माण भी किये हैं, नइं स्वीकृतियां जारी की हैं। अभी आपने कहा कि एफ0आर0यू0 मे विशेषज्ञ नहीं है, 26 ऐसे संस्थानों में 24 घंटा, हॉं यह बात सही है कि पूरे नहीं हैं,

विशेषज्ञ नही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता और पूरा करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ....।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, टिहरी में डिबनू वाले अस्पताल का क्या हुआ, जिसकी घोषणा पिछली सरकार ने की थी, जो 300 बेड का अस्पताल बनना था, उसका क्या हुआ ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हू आपने कहा कि शुरूआती दौर में, (व्यवधान) कि आदरणीय तिलक जी ने कहा कि शुरूआती दौर में हमने छापे डाले। छापे डालने की मंशा से हमने छापे नहीं डाले। लेकिन क्या जो 3, 4, 5 वर्षों से डाक्टर हैं नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई नही होनी चाहिए ? जो 16 की जगह 32 नियुक्तिया कर रहे हैं, 30 नियुक्तियो को कर रहे हैं, 60 नियुक्तियों को कर रहे है बिना शासन की अनुमति के, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नही होनी चाहिए, जो लोग एक पैसे की दवाई, पूरे वर्ष में 8 करोड मे से 8 लाख की दवाईयां न क्रय हों, क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए थी ? यह हमारा अभियान है हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम व्यवस्थाओं के साथ जो भी धोखा करेगा, चाहे वह बडा अधिकारी ही क्यों न हो, चाहे जो हो, उसके खिलाफ हर हाल में कडी कार्रवाई की जायेगी। यह हमारी मंशा है। (मेजो की थपथपाहट) मैं एक बार फिर बहुत विनम्रता के साथ आदरणीय तिलक जी को भी अनुरोध करना चाहूगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महू भाई''–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष लोहाघाट मे ट्रौमा सेन्टर खोलने की बात आयी थी, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि उसमें क्या प्रोग्रेस है और ट्रौमा सेन्टर में क्या–क्या सुविधाएं मिलेंगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, हमारी नीति है कि हम राष्ट्रीय राज मार्ग और यात्रा मार्गों पर 50 किलोमीटर की परिधि मे एक ट्रामा सेन्टर खोलेंगे। इस समय 9 ट्रौमा सेन्टर पर हमारा काम चल रहा है और लोहाघाट बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत ही जल्द लोहाघाट मे इसका काम शुरू हो जायेगा यह मैं बताना चाहता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महू भाई''–

मान्यवर, इसमें क्या–क्या सुविधाएं होंगी ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए आप बाद मे बात कर लें, विस्तार से बता देंगे। माननीय बेहड जी, ऐसे तो आपकी शंकाओ का निवारण हो गया होगा।

श्री तिलक राज बेहड़

मान्यवर, वैसे तो माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को कहते हैं। क्योंकि एक तो साहित्यकार भी हैं और पुराने अनुभव भी हैं। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी एक ही उदाहरण जो माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि [* * * *] मान्यवर, इस पर मुझे बहुत आपत्ति है। अगर कैबिनेट के निर्णय के बाद उसका पालन एक-एक साल नहीं होगा, कहा जायेगा कि वो कराया जायेगा तो मान्यवर, फिर कैबिनेट के निर्णय की आवश्यकता कहां है। कैबिनेट का निर्णय हो जाये, सम्बन्धित विभाग को चला जाये और उसके बाद भी यह कहा जाये कि [* * * *] (व्यवधान)

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, मुझे आपत्ति है। इसको निकाला जाय। मैं कैबिनेट का अपमान नहीं कर सकता हूं।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं बता दूं क्या कहा है या मैं इसका परीक्षण करा लूंगा। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, आपने कहा कि पहले 300 बेड का अस्पताल बनेगा, फिर मेडिकल कालेज बनेगा। मान्यवर, अल्मोड़ा में अभी 300 बेड का अस्पताल कहां है ? रुद्रपुर में तो 300 बेड का अस्पताल बन रहा है, निर्माणाधीन है, उसको मेडिकल कालेज के लिए मना कर रहे हैं। और अल्मोड़ा में, जहां अभी जमीन नहीं खरीदी गयी है, उसको कह रहे हैं। मान्यवर, इस सरकार की मंशा रुद्रपुर में मेडिकल कालेज बनाने की नहीं है, यह मेरा आरोप है। मान्यवर, पीठ से निर्देश दिये गये थे कि अस्पताल शुरू किया जाय। आज उन निर्देशों को भी 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है। एक साल होने जा रहा है। जुलाई के अंदर यह व्यवस्था हुई थी, दूसरी जुलाई आने वाली है। यह सरकार पुरानी सरकार के किये हुए कामों को रोकना चाहती है और अपने नये काम करके उसको गिनाना चाहती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि फार्मेसिस्टों के लिए आपने जवाब नहीं दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप ही के साथियों ने, मंत्रियों ने चाहा है, पहले इधर चाहते थे अब उधर चाहते हैं। आप अगर उनकी नियुक्तियां निरस्त कर देंगे, आपकी इच्छा, उनको बंद करेंगे आपकी इच्छा। आपने जितनी भी बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता कि यह सरकार स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर है। इसलिए मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूं।

नोट:-[* * *] गए अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद के प्रति किसी की खराब धारणा नहीं है। मान्यवर, हमने यह कहा कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद वैधानिक दिशा से होकर गुजरना पड़ता है। मेरी भावना और मंशा समझनी चाहिए। अल्मोड़ा को करेंगे तो रुद्रपुर की भी चिन्ता हमको करनी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रु0 5792917 हजार (पांच सौ उनासी करोड़ उन्तीस लाख सत्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग ये दोनों एक ही मंत्री जी से सम्बन्धित हैं, इसलिए संयुक्त रूप से माननीय मंत्री जी इसे प्रस्तुत कर देंगे।

अनुदान संख्या 20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग

पेयजल एवं सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रु0 7845248 हजार (सात सौ चौरासी करोड़ बावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या 13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि रु0 6284803 हजार (छः सौ अट्ठाईस करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार मात्र) से अनधिक स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का बजट प्रस्तुत करने का मौका दिया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। पूर्व सरकार नहर बनाने, लघु डाल बनाने, मिनी नलकूप बनाने और बाढ़ नियंत्रण का कार्य करने पर ही ध्यान देती थी। मगर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखण्ड में कृषि योग्य क्षेत्र 12.50 लाख हेक्टेयर भूमि है उसमें से केवल 7.15 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षमता अर्जित की हुई है। अर्थात् जो कृषि योग्य भूमि है उसमें केवल 57 प्रतिशत भूमि कृषि हेतु सिंचित कर पा रहे हैं। तो यह बहुत कम है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ चिन्तन करें, कुछ मनन करें अर्थात क्या ठोस कदम हम उठायें।

मान्यवर, (सिंचाई बढ़ाओ, खुशहाली लाओ)। यदि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी, तो किसान समृद्ध होगा और किसान समृद्ध होगा, तो प्रदेश समृद्धिशाली होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने इन बिन्दुओं पर अपना ध्यान आकर्षित किया कि सिंचाई की वृद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहला बिन्दु है पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराये हैं, लाभ लागत अनुपात में शिथिलीकरण करना। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं तो हमने यह कहा कि इसमें शिथिलीकरण होना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक जमीन को सिंचित कर सकें। दूसरी बात यह है कि नदी के किनारे जो असिंचित भूमि है उसको सिंचित करने के लिए नदी के पास में हम जनरेटर लगाकर सिंचाई करेंगे तो हमें सिंचाई की सुविधा उचित तरीके से मिलेगी। हमारी जमीन ऊपर है और नदी नीचे है। पर्वतीय एवं भाबर क्षेत्र में असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिए नलकूपों का निर्माण, यह हमने पहला निर्णय लिया। मैदान में देहरादून में, हरिद्वार में, ऊधमसिंह नगर में नलकूप लगते थे मगर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी इनमें नलकूप लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे हमें सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ-साथ निर्मित नलकूपों से सीमावर्ती आबादी जो पेयजल के संकट से ग्रस्त है वहां ओवर हैड टैंक निर्माण करना। मान्यवर, जो सिंचाई विभाग ने नलकूप बनाये हैं, और आबादी वाले क्षेत्र में नलकूप लगा हुआ है तो हमने यह कहा कि उस नलकूप के साथ ओवर हैड टैंक बनाना चाहिए ताकि पेयजल की सुविधा मिल सके। जलाशयों, बैराजों के किनारे की भूमि को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जायेगा।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, यह पहली सरकार है जिसने कहा, जमरानी बांध बनना चाहिए, यह बहुउद्देशीय बांध है। हमने कहा, सौंग बांध बनना चाहिए। हमने कहा गुच्चु पानी में एक जलाशय बनायेंगे जिससे पीने का पानी मिलेगा, नौका विहार होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं इस बात पर भी बल दे रहा हूं कि हमारे

क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है इसलिए हमने यह कहा कि छोटे-छोटे टैण्डर कर दिए जाएं, जिससे अधिकांश लोगों को रोजगार मिल सके। कार्य करने में विशिष्ट काम करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत करने की भी योजना बनाई है। यह सोच हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमारे उत्तरांचल में नदियों में पानी तो बहुत रहा है। मगर उस पानी का सदुपयोग सिंचाई में नहीं ला सकते हैं। पीने के इस्तेमाल में नहीं ला सकते है। तो इसके विषय में हमने कहा कि नदियों, गाड़-गदेरे का पानी इकट्ठा करके जलाशय बनायेंगे, ताकि जलाशय का पानी सिंचाई के काम भी आ जाए और पीने के काम भी आ जाए। यह हमारी प्राथमिकता है। इससे कृषकों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मान्यवर, लघु सिंचाई के लिए 103.90 लाख हे0, सिंचित भूमि अर्जित की है और हमारे राजकीय सिंचाई विभाग ने 3.25 लाख हे0 भूमि में सिंचाई की सुविधा दी है। फरवरी, 2008 तक 2331 नहरों का निर्माण हुआ जिनकी लम्बाई 8 हजार 80 कि0मी0 है। नलकूप हमने 515 लगाये। लघु डाल योजना 108 का निर्माण हमने करवाया। सिंचाई विभाग ने 17 हजार 576 कि0मी0 गूल का निर्माण किया, 23,939 हौज का, 150 भू-स्तरीय पम्पसैट की स्थापना की। 53 हजार बोरिंग 595 पम्प सैट की स्थापना की और 488 नलकूपों का निर्माण किया गया। 184 आर्टीजन वैल का निर्माण कार्य लघु सिंचाई में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं विभिन्न स्थानों में गया।

मान्यवर, देहरादून में कालूवाला क्षेत्र है, जो माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी के क्षेत्र का हैं, वहां पर 12 इंच पानी आर्टिजन वेल से निकल रहा है विभाग द्वारा उसका निर्माण किया गया और उस पानी को हम सिंचाई के साथ-साथ पेयजल के लिए दे रहे हैं। यह हमारी सरकार की पहली उपलब्धि है, इसी प्रकार देहरादून में कड़वा पानी है, जब मैं नयागांव गया तो वहां के लोगों द्वारा कहा गया कि पानी की कमी है। कड़वा पानी में पानी के तीन स्रोत है। मान्यवर, हमने तीन विभागों को यह काम दिया है, एक पेयजल विभाग को, दूसरा सिंचाई विभाग को, तीसरा जल संस्थान को। जो पानी खाली बह रहा था इस पानी को हमने जलाशय बनाने में दिया है। ये विभाग इस जल को इकट्ठा करेंगे, जब हमें सिंचाई की जरूरत हो तो सिंचाई के काम लायेंगे और पेयजल की आवश्यकता होगी तो पेयजल के लिए लायेंगे। मान्यवर, जो राज्य में फालतू पानी बह रहा है इसको हम उपयोग में लायेंगे। लघु सिंचाई में वर्ष 2008-09 में 02 अरब 48 करोड़ 76 लाख 1 हजार के बजट का प्राविधान किया गया था उसको बढ़ाकर इस वर्ष इसके लिए 03 अरब 15 करोड़ 81 लाख 64 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार से गत वर्ष के सापेक्ष 12.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार सिंचाई के लिए वर्ष 2008-09 में 3 करोड़ 2 लाख 38 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है इसमें एस0सी0 के लिए 4 करोड़ 24 लाख 5 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है और एस0टी0 के लिए 9 करोड़ 49 लाख 29 हजार रुपये का प्राविधान किया

गया जो गत वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, नाबार्ड के अन्तर्गत हमारी सरकार ने 147 नलकूप बनाने का काम किया है जिसमें से देहरादून जिले में 24, पौडी जिले में 5, हरिद्वार में 55 है, नैनीताल में 53, ऊधमसिंह नगर के लिए 20 नलकूपों का निर्माण कार्य किया गया। मान्यवर, एक बिन्दु और कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकार द्वारा हमारे प्रदेश की 10 अरब की सम्पत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के पास पडी थी और पूर्व सरकार ने इस सम्पत्ति को वापस लेने का कार्य नहीं किया और सोये रहे। हमारी सरकार ने भारत सरकार के साथ पत्राचार किया साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी पत्राचार करते रहे हैं, जिसके बाद हमें 28 नहरें हरिद्वार जनपद में और 13 नहरें ऊधमसिंह नगर की वापस मिलीं। मान्यवर, पिछली सरकार तो हमारी इस सम्पत्ति को लुटाने में लगी रही है। मान्यवर, देहरादून क्षेत्र के अन्तर्गत जो साग नदी है उस पर बांध बनाने का कार्य चल रहा है जिसके लिए हमने डी0पी0आर0 तैयार किया है। यह एक बहुउद्देशीय योजना है जिसकी लागत लगभग 534 करोड धनराशि की है। इस साग नदी बांध से हम अनेकों योजना चलायेंगे। जिसके अन्तर्गत पीने के लिए पेयजल योजना और खेतों की सिंचाई के लिए योजना बनायी जायेगी साथ ही इसमें नौकाविहार होगा, मत्स्य पालन होगा और बिजली का उत्पादन होगा।

मान्यवर, इसी प्रकार जमरानी बांध के लिए हमने 972 करोड रू0 की योजना बनाई है। डी0पी0आर0 और पुनरीक्षण के लिए भारत सरकार ने कहा कि यह पर्यावरण का मामला है और हाइड्रोलोजी से सम्बन्धित कुछ बिन्दुओं पर हमसे आख्या मांगी गयी है इसलिए इस पर हम फिर भी गति दे रहे हैं। मान्यवर, गुच्चू पानी में पी0एफ0आर0, जिसके लिए मैंने रू0 10 लाख दिया है। गुच्चू पानी में हम बांध बनायेंगे, वहां पर हम पानी को इकट्ठा करेंगे। यह पानी हमारी देहरादून की जनता के पीने के काम आयेगा। उसमें मछली पालन होगा, उसमें नौका विहार होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और गरुड विहार में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर भी इसी प्रकार का जलाशय बनाए। जो कि बहुउद्देशीय होगा। इस प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सिंचाई को बढ़ाने के सम्बन्ध में बड़े ही ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। कौलागढ़ प्रशिक्षण केन्द्र के लिए हमारी सरकार ने 62.50 लाख रू0 दिया। आई0आर0आई0 रुडकी शोध कार्य के लिए मैंने 55 लाख रू0 इस वित्तीय बजट में रखा। इसी प्रकार से प्रस्तावित बजट में लघु सिंचाई और सिंचाई विभाग के लिए आयोजनागत मद में 5 अरब, 63 करोड 94 लाख रू0 है। 2 अरब 20 करोड 57 लाख 79 हजार इसमें दिया है। कुल हमने जो दिया है वह 7 अरब 84 करोड 52 लाख 48 हजार रू0 का बजट इस विधान सभा में पेश किया। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। जिससे कि उत्तरांचल में हम चौमुखी विकास कर सकें।

इसके बाद मैं पेयजल के बारे में कहता हूं। मान्यवर, यह बड़ी विचित्र स्थिति

है जिस प्रदेश में गंगा, यमुना और शारदा जैसी नदी बह रही हो और वहां की जनता प्यासी है। इसका कारण यह है मान्यवर, कि नदी जो है घाटियों में बह रही है और बस्तियां जो हैं वह पहाड़ों पर है। मान्यवर, हम पेयजल सुविधा या तो लिफ्ट योजना से देंगे या फिर ग्रेवेटी से देंगे या नलकूप से देंगे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्रेवेटी से, नलकूप से, पम्पिंग योजना से हैण्डपम्प द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा और मशीन द्वारा भी हमने यह प्रयास किया है कि जो जीपेबल मार्ग है। इस जीपेबल मार्ग पर हम ऐसी छोटी मशीन ले गये जहां पर हमने बोरिंग किया। माननीय प्रेम चन्द्र अग्रवाल जी के क्षेत्र में हमने वहां पर एक नलकूप लगाया और वह अच्छा चल रहा है। इसके साथ-साथ जहां पर सड़क नहीं है वहां पर हम आदमी के द्वारा एक कुआ खोदेंगे और कुआं खोद करके पानी का जो रिसाव होगा वह वहां पर इकट्ठा होगा। इसके बाद हम उसमें हैण्डपम्प लगायेंगे और जनता को पानी देंगे। मान्यवर, यहां पर कल एक बात चली, जल कर और सीवर कर हमने समाप्त कर दिया तो मान्यवर, इन्होंने समाप्त नहीं किया बल्कि स्थगित किया, अगर समाप्त किया है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी ने समाप्त किया है।

मान्यवर, ग्रामीण आपूर्ति के अन्तर्गत हमने 2008-09 में हमने 375 करोड़ रुपये का प्राविधान किया इसमें न्यूनतम आवश्यकता के लिए 50 करोड़, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिए 25 करोड़, ट्राइबल सब प्लान हेतु रु0 5 करोड़, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़, राज्य में हैण्डपम्प के अधिष्ठापन के लिए 21 करोड़, राज्य सेक्टर ग्रामीण के अन्तर्गत बृहद् योजनाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़, यात्रा मार्गों एवं यात्रा स्थानों पर पेयजल व्यवस्था हेतु 1 करोड़, केन्द्र पोषित योजनाओं पर देय सेन्टेज के लिए 1 करोड़ का प्राविधान रखा है। राज्य सरकार जल स्रोतों के घटते स्राव से अत्यन्त चिन्तित है तथा इसको दृष्टिगत रखते रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में दोबारा बल देना चाहता हूं क्योंकि पानी का संकट बढ़ रहा है और गांव-शहर जहां भी पेयजल संकट होगा वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम से पानी देंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम वाला पानी कपड़े साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, बिल्डिंग साफ करने के लिए, किचन गार्डन में, शौचालय, फर्श की सफाई में प्रयोग में लायेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि आधी समस्या का निदान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम से होगा और इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है और जो स्वैप के अन्तर्गत योजना चल रही है तो मैं सभी माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना स्वैप के हम कोई काम नहीं कर पायेंगे, इसलिए ग्राम सभाओं में जल उपभोक्ता समिति का गठन होना आवश्यक है, अगर मान लीजिए, कोई ग्राम प्रधान अध्यक्ष जी, बनना चाहता है तो आप किसी और को अध्यक्ष बना सकते हैं, इस स्वैप के अन्तर्गत जो समिति बनेगी वही पेयजल योजना के निर्माण में सहभागिता के रूप में काम करेगी और जो योजना बना दी जायेगी तो उसका रख-रखाव वही समिति करेगी।

ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है, जो शौचालय के लिए है। जो गरीबी रेखा से नीचे है वे 1200 रु0 में शौचालय बनायेंगे। इण्टर कॉलेज और हाई स्कूल में उनके लिए हम 20 हजार देंगे, वे वहां शौचालय का निर्माण करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत हमने 175 करोड़ रु0 का प्राविधान किया है। इसमें लगभग 90 करोड़ रु0 जल निगम द्वारा, 22 करोड़ जल संस्थान के द्वारा 23 करोड़ स्वजल के माध्यम से योजनाओं का निर्माण किया जायेगा। मान्यवर, पतित पावनी गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, यह प्रथम चरण में परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए 10 करोड़ रुपया उत्तराखण्ड गंगा कार्ययोजना द्वितीय चरण में स्वीकृत, अतिरिक्त कार्यों के लिए 5 करोड़ तथा गंगा एवं यमुना नदियों की सहायक नदियों में प्रदूषण सर्वेक्षण हेतु 50 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे उत्तराखण्ड में जो राजीव गांधी पेयजल मिशन 2003 में सर्वे टीम गई थी तो 39180 आबादियां हैं, इनमें से 4734 एन0सी0 (नाट कवर) और 14091 पी0सी0 20355 फुली कवर किये है, इसके बाद 2012 तक सभी घरों को, सभी परिवारों को पर्याप्त पानी और स्वच्छ जल देना है। यह 14494 बस्तियां रह जाती है। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक ग्राम सभाओं में ग्राम पेयजल स्वच्छता कमेटी का गठन किया जाये और यह समिति हमको सहयोग करे और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैसा वर्ल्ड बैंक से हमको मिलता है, उसमें हमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, मात्र 0.75 प्रतिशत तक सरचार्ज देना होगा, 10 वर्ष तक हमको कोई किस्त नहीं देनी पड़ेगी।

मान्यवर, अब यह योजना हमारे लिए लाभकारी है, बिना ब्याज के यह मिल रही है। इसके साथ-साथ मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले यह पेचीदा मामला था। मान्यवर, पेचीदा इस प्रकार से था क्योंकि पहले 10 प्रतिशत उपभोक्ता समितियों को नगद देना पड़ता था इसके बाद यह हमने पांच प्रतिशत किया और अब इससे भी कम कर दिया है। मान्यवर, सामान्य जाति का यदि कोई परिवार अपने घर में कनेक्शन लेने पर उस व्यक्ति को मात्र 600 रु0 देना होगा, इसमें 120 रु0 नगद और 480 रु0 का उसे श्रमदान करना होगा। यदि वह 120 रु0 नगद नहीं देगा तो 120 रुपये की उसे मजदूरी के रूप में जमा करना होगा। मान्यवर, यदि सामान्य जाति का कोई परिवार जो कनेक्शन नहीं लेता है सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट से पानी लेता है तो उसको केवल 300 रु0 की भागीदारी करनी होगी। इसमें साठ रुपये नगद और 240 रु0 का श्रमदान करना होगा। अगर 60 रु0 जमा नहीं करेगा तो फिर 60 रु0 का श्रमदान करना होगा। इसके साथ-साथ यदि अनुसूचित जाति के परिवार कनेक्शन लेते हैं तो उन्हें 300 रुपये देने होंगे, जिसमें से 30 रु0 नगद तथा शेष 270/- की धनराशि श्रमदान द्वारा समायोजित करनी होगी। मान्यवर, सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट से जल ग्रहण करने वाली योजनाओं हेतु कुल रु0 150/- प्रति परिवार की भागीदारी करनी होगी जिसमें से रु0 15 नगद के रूप में तथा 135 की धनराशि श्रमदान के द्वारा समायोजित करनी होगी। मान्यवर, यह स्वैप योजनान्तर्गत है।

अब मैं यह चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, बहुत सारी बातें कहते हैं, पेयजल योजना नहीं बन रही है, यदि कहीं पर नहीं हो रही है तो इसका कारण यह है कि स्वैप के अन्तर्गत उपभोक्ता स्वच्छ जल समिति का गठन नहीं हो पा रहा है। यदि किसी गांव में पानी का संकट है तो उस गांव में उपभोक्ता स्वच्छ जल एवं स्वच्छता उप समिति का गठन होना आवश्यक है। मान्यवर, मैं चाहता हूं सभी अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य में सहयोग दें। जहां पर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है वहां पर इन समितियों का गठन करें। हमारा प्रयास है कि आम जनता को पर्याप्त पानी मिल सके। "जल संचय, जीवन संचय" के नारे को साकार करना है। मान्यवर, जो ग्राम सभाएं पीने के पानी से वंचित हैं और वहां पर प्राकृतिक स्रोत नहीं हैं। मेरा कहना है उस ग्राम सभा में हम डिग्गी का निर्माण करेंगे।

मान्यवर, उद्देश्य डिग्गी का निर्माण करने का यह है कि जब हम पानी की धारा में जाकर बर्तन लगायेंगे तो पानी का सदुपयोग हो रहा है। बर्तन को हटा देंगे तो पानी फालतू बह रहा है। हमने निर्णय लिया है कि ऐसे गांव, जहां पर पीने के पानी का अभाव है, वहां पर हम पानी की डिग्गी का निर्माण करेंगे। पानी डिग्गी में स्टोर होगा, गांव वाले आयेंगे, डिग्गी से पानी ले जायेंगे और पानी का सदुपयोग भी होगा और डिग्गी में पानी भरता रहेगा। यही हमारा उद्देश्य है। मान्यवर, एक निवेदन मैं और माननीय सदस्यों से करना चाहता हूं। यह उत्तरांचल हमारा है। इस उत्तरांचल को सरसब्ज करने के लिए हम प्रयासरत हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अब उत्तराखण्ड हो गया है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमने उत्तरांचल बनाया था। चलिए, उत्तराखण्ड ही मान लेते हैं। इस उत्तराखण्ड की जनता को पर्याप्त पानी देने के लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि वर्षा कम हो रही है, बर्फ भी कम पड़ रही है, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। नदियों में पानी का जल स्तर गिर गया है। जमीन के अन्दर जल स्तर डाउन चला गया है इसलिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, उसका नाम था, "उत्तराखण्ड जल संरक्षण, संवर्धन मिशन 2007", इसका उद्देश्य यह है कि ऐसी जगहों पर, जहां प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं, वहां पर हम वृक्षारोपण करेंगे और ऐसे वृक्षों का रोपण करें, जो वर्षाकाल में अपनी जड़ में पानी को समाहित करते हैं और धीरे-धीरे उसका रिसाव करते हैं। दूसरा हमने यह निर्णय लिया, हम चैक डैम बनायेंगे और चैक डैम के द्वारा पानी को रोकेंगे, वह पानी जमीन के अन्दर जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि पर्वतीय चोटियों में हम जल कुण्ड बनायेंगे, जल कुण्ड बनाकर पानी उस कुएं में पड़ेगा और वह पानी जमीन के अन्दर जाएगा तो हमारे प्राकृतिक स्रोत रिचार्ज होंगे। इसके साथ-साथ हमने यह निर्णय लिया कि कंट्रोट्रेन्च (खन्ती) बनायेंगे और उस

कंट्रोट्रिन्च में पानी पडेगा और फिर पानी जमीन के अन्दर जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि हम वर्षा के पानी को फालतू न बहने दें बल्कि वर्षा के पानी को हम जमीन के अन्दर डालें, यह पानी जमीन के अन्दर जाए और वह हमारे प्राकृतिक स्रोतों को रिचार्ज करे। यह हमारा उद्देश्य है। मान्यवर, इसके साथ–साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके क्षेत्र में अगर कोई प्राकृतिक स्रोत, कोई नदी–नाला है, तो उनको जोडकर हम कहीं पर जलाशय बना सकते हैं। उस जलाशय से हम सिंचाई कर सकते है, उसको हम पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल कर सकते है। इसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा। मैं स्वीकार करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में इस योजना को बनाने में विलम्ब हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में आपके माध्यम से हम, जहां पर प्राकृतिक होगा, उस प्राकृतिक स्रोत के पानी को हम इकट्ठा करेंगे, दो–तीन नदियों के पानी को हम इकट्ठा करेंगे और जलाशय बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया संक्षेप करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, दो बजट हैं। मैं वैसे भी थक गया हूं। मेरा एक निवेदन है, हमने दो नारे दिये हैं, 'सिंचाई बढाओ, खुशहाली लाओ।' 'जल संचय जीवन संचय।' मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक सहयोगी के रूप में, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण हों, चाहे विपक्ष के माननीय विधायकगण, हम सबका सहयोग लेकर पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बात और कहना चाहता हू, जो नदियां हैं, नदियों में जो पानी फालतू बह रहा है, नदियों का वह पानी भी यदि हम जमीन के अन्दर डालेंगे, ऐसी योजना अगर बनायेंगे तो जमीन के अन्दर जो जल स्तर गिर रहा है, तो उसको हम ऊपर उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, शहरी विकास और बाढ नियंत्रण के बारे में भी बोल दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, वह इसके बाद आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, इसी में आ जाएगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हू कि अभी माननीय किशोर उपाध्याय जी हमसे पूछेंगे कि टिहरी बांध से प्रभावित लोगों को पुनर्वास करने के लिए भारत सरकार को

हमने पत्र लिखा है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पास हमने पत्र भेजा कि हमने मांग की है कि इस कार्य के लिए 169 करोड़ रुपया दे दिया जाय। ऊर्जा मंत्री जी ने 149 करोड़ रुपये की घोषणा की है और कुल 25 करोड़ रुपया हमें मिला है, हम प्रयास कर रहे है कि वह पैसा हमें मिल जाये। मान्यवर, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि रोलाकोट, नाकोट, कनसाली और बराली, यह गांव प्रभावित हो रहे हैं, जैसे हमारा उप्पू गाव है, उसका भी बांध विस्थापन में आना चाहिए और मैंने लिखा भी है कि जो छाम बाजार है वह भी बाध विस्थापन से प्रभावित है तो वहा के लोगों को भी वही सुविधायें मिलनी चाहिए जो और लोगों को मिली हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, शहरी विकास और बाढ़ नियंत्रण के बारे में मुख्य रूप से आपने सामग्री तो उपलब्ध करा दी होगी, तो जो उनके लिए आपकी नीतियां हैं, उनके बारे में बता दीजिये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, शहरी विकास के लिए, एक नगर निगम है, 32 नगर पालिकायें हैं, 30 नगर पंचायतें हैं, इस प्रकार से कुल 63 स्थानीय निकाय है, इनके विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जहा नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 2007–08 मे 25 करोड़ के सापेक्ष 13.34 करोड़ रुपया स्थानीय निकायो की अवस्थापना विकास हेतु अवमुक्त किया जा चुका है। जिसमें 2008–09 में 14.66 करोड़ का प्राविधान जे०एन०एन०यू०आर०एम० के माध्यम से है, इसमें सामुदायिक भवनों का निर्माण, पार्किंग और सड़को का निर्माण/सुधार करने के लिए कार्य किया जायेगा। बारहवें वित्त आयोग ने यह संस्तुति की है कि 2006–07 में 680 करोड़ तथा 2007–08 में 1.38 करोड़ रुपये की अनुदान धनराशि उपलब्ध कराई जाय। राज्य वित्त आयोग ने कर्मचारियो को देय तथा विकास कार्यों की स्थापना के लिए 2007–08 में 101.70 करोड़ रुपये की धनराशि स्थानीय निकायो को अवमुक्त की है। सार्वभौम योजना के अन्तर्गत नगरीय गरीब लोगो को रेडीमेड की दुकान, साइकिल की दुकान खोलने या सिलाई मशीन के लिए, यह सरकार की योजना है और इसके लिए वर्ष 2008–09 में 2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत, इसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत और राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान है, 2008–09 में इस योजना के लिए एक करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। इसमें 6 योजनायें हैं, जिसमें स्वत: रोजगार योजना, यह केन्द्र द्वारा चलाई जाती है और बैंक द्वारा इसमें ऋण दिया जाता है। इसमें

15 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, लागत पूंजी इसमें अधिक से अधिक 7500 रुपया इसमें अनुदान दिया जायेगा, इससे अधिक अनुदान नहीं दिया जायेगा। स्वत: रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें वायरिंग के लिए और सिलाई मशीन के लिए, इलेक्ट्रानिक मशीन के लिए, आई0टी0आई0 में प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 0.62 करोड़ एवं भौतिक लक्ष्य 2400 लाभार्थी निर्धारित किये गये हैं जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2008 तक रू0 18.05 लाख धनराशि व्यय कर 1278 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। नगरीय मजदूरी योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मलिन बस्तियों में सड़क, नाली, खड़ंजा आदि का निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 1.15 करोड़ एवं भौतिक लक्ष्य 39876 मानव दिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2008 तक रू0 40.25 लाख धनराशि व्यय कर 9750 मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं।

सोशल सेक्टर योजनान्तर्गत गरीबों को कम्बल, विकलांगों को साईकिल व नेत्रहीनों को चश्मा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 2007–08 के लिए भौतिक लक्ष्य 3335 लाभार्थी निर्धारित किए गए थे जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2008 तक 1847 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट योजना के अन्तर्गत शहरी महिलाओं में समूह के रूप में बचत कराने के उद्देश्य से योजना संचालित की जाती है। इसमें भौतिक लक्ष्य 60 समूह निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2008 तक 6 समूहों का गठन किया जा चुका है। इसमें प्रति महिला एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है अर्थात् यदि एक समूह में 10 महिलाएं हैं तो 10 हजार रुपये उस समूह को दिया जायेगा। विपणन केन्द्रों के लिए, जो उन्होंने सामग्री उत्पादित की है उसके विपणन के लिए सरकार सहायता देगी। 10 विपणन केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है। जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, यह केन्द्र सरकार के द्वारा 'वाटर सप्लाई, और उसका रिऑर्गेनाइजेशन', यह देहरादून के लिए 70.02 करोड़ रुपये, नैनीताल के लिए 5.47 करोड़ रुपये, हरिद्वार के लिए 47.84 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष देहरादून और नैनीताल के लिए प्रथम किस्त के रूप में 9.50 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया जा चुका है। बेसिक सर्विस टू द अरबन पुअर अर्थात् मलिन बस्तियों के सुधार के लिए आवासीय सुविधा है और इस योजना के अन्तर्गत जो गरीब लोग हैं, उनको आवासीय सुविधा देने की व्यवस्था है। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम इसमें देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार को छोड़कर अन्य नगर निकायों में आधारभूत सुविधा देने के लिए सड़क, नाली, बिजली

आदि की सुविधा के लिए भारत सरकार से पैसा दिया जाता है। इसके साथ-साथ पौड़ी और श्रीनगर के लिए 5.65 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में चार करोड़ का बजट का प्राविधान किया गया है। यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 जो छोटे टाउन है, उनके लिए है। यह भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 4.67 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अर्थात् कूड़ादान का निस्तारण करने के लिए 2008 में 6.60 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है ताकि शहर में सफाई रहे, कूड़ा-करकट इधर-उधर बिखरा न रहे। एशियन विकास बैंक की सहायता से 31 नगरों में सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रैनेज की व्यवस्था के विकास हेतु मान्यवर, इसमें जो 50 मिलियन यू0एस0 डॉलर की ए0डी0बी0 सहायतित योजनाओं की संस्तुति की जा चुकी है। ये 4-5 चरणों में है इसके लिए दो हजार करोड़ की व्यवस्था है जो 8-10 सालों में पैसा मिलेगा। कुम्भ क्षेत्र के लिए 2008-09 में 45.50 करोड़ रुपये का बजट का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, आवास विकास, यह राजकीय विभाग नगर एवं ग्राम्य नियोजन, जो नक्शा और मास्टर प्लान बनाते है। नगर भूमि सीमा रोपण विभाग पहले बनाया गया था, यह सीलिंग के लिए बनाया गया था, शासन स्तर से इनको बजट दिया जाता है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ये प्लानिंग करते हैं, नक्शे पास करते है, भवन निर्माण के कार्य करते हैं, मास्टर प्लान बनाते हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण भी वही काम करता है। यह विशेष विकास प्राधिकरण, यह विशेष क्षेत्र के लिए होते हैं। दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण अर्थात् शहर से बाहर का जो क्षेत्र है वहां के लिए ये काम करते हैं। उत्तरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यह उत्तरकाशी में गंगा किस प्रकार स्वच्छ रह सकती है वहां के विकास के लिए, नैनीताल झील प्राधिकरण, यह नैनीताल में झील की सफाई के लिए और वहां का नक्शा पास करना और अगर कोई गलत रूप से कोई भवन निर्माण करता है तो इनको दण्डित करने का कार्य यह करता है तो हमारा एक निवेदन है कि इस क्षेत्र में योजनागत पक्ष में 210 लाख का बजट का प्राविधान किया गया है।

श्री बलबीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, देश का जल भण्डार कहा जाने वाला, हिमालय की गोद में बसा उत्तराखण्ड,

एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। क्योंकि यहां 970 ग्लेशियर हैं जो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। इन ग्लेशियरों से गंगा, यमुना, भिलगना, मदाकनी, अलकनादा, पिंडर, काली, गोरी, नयार पनार, शारदा, टौंस जैसी जल ससाधनों से समृद्ध नदियां और इनकी सहायक सैकड़ो जलधारायें पूरे देश के भू-भाग को सिंचित करती हैं।

मान्यवर, उसका उपयोग पूरे भारत के लोग करते हैं। श्रीमन्, जहां से यह नदियां स्वरूप ग्रहण करती हैं और स्वरूप ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों में इसका कहीं पर कोई उपयोग नहीं हो पाता है। इस प्रकार से ये नदिया पूरे क्षेत्र में वर्षा के दिनो में बाढ़ का कारण भी बन जाती हैं। इसलिए श्रीमन्, इन नदियों के सरक्षण में और इन नदियों के जितने भी, माननीय सिंचाई मंत्री श्री कण्डारी जी ने जो कार्यक्रम बताये हैं, जो नीतियां बताई हैं, सरकार द्वारा केवल नई नहरों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो कई सालो से टूटी-फूटी नहरें हैं उनके संरक्षण के लिए, मरम्मत के लिए कोई व्यवस्था नही है। जो भी नई नहरों के निर्माण के सम्बन्ध मे बातें कहीं गई हैं वह केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वह ए०आई०बी०पी० योजना हो या सम विकास की योजना हो या चाहे लघु सिंचाई कलस्टर की जितनी भी योजनायें हैं उनमें केन्द्र सरकार धडल्ले से पैसा दे रही है लेकिन यह सरकार इतनी कंजूस है कि भारत सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने में भी कंजूसी कर रही है। मान्यवर, जो साधन विहीन क्षेत्र है, जल संसाधनों में काफी पीछे हैं। वे प्रस्ताव बनाकर केन्द्र को भेजते हैं। किन्तु हमारी सरकार सिंचाई के सरक्षण के लिए, संभरण के लिए, सिचाई के लिए नहरों का कोई निर्माण या कोई प्रस्ताव देने मे भी कंजूसी कर रही है। श्रीमन्, बहुत सी राज्य सरकारें, कर्नाटक की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार बड़े मार्मिक तरीके से केन्द्र सरकार के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करती हैं, जिससे वह उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं और उन राज्यों को उनका लाभ भी मिलता है। लेकिन यहां केवल प्रस्ताव भेज दिया जाता है। लॉबिंग का काम भी किया जाना आवश्यक है जिसका इस सरकार में घोर अभाव है। जिसका खामियाजा उत्तराखण्ड प्रदेश की जनता को भुगतान पड रहा है।

श्रीमन्, बहुत सी योजनाए जो पहले चालू हुई थी सब बंद पड़ी हुई हैं। जहां एक योजना है, लस्तर योजना, सिचाई की लस्तर नहर, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हू क्योंकि यह माननीय मंत्री जी के क्षेत्र की भी योजना है, जो लक्ष्य रखा गया लस्तर योजना का, उसकी जितनी लेन्थ में काम हो जाना चाहिए था, सिंचाई के ससाधनों से परिपूर्ण हो जाना चाहिए था जो उसका लास्ट टेल का इलाका है वहां तक अभी तक नही पहुची हैं। और कितनी ही बार जब आप ब्लाक प्रमुख थे, माननीय कण्डारी जी एक जमाने मे ब्लाक प्रमुख भी रहे, तब वे आवाज भी उठाते थे लेकिन अब तो पूरी सत्ता आपके पास है फिर भी लस्तर की स्थिति जीर्ण-शीर्ण बनी हुई है।

मान्यवर, यही हालत चांजी नहर की है। यह नहर भी माननीय मंत्री जी का पूर्व विधान सभा क्षेत्र था। वहां आज पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण बनी हुई है, उसकी मरम्मत की बात मंत्री जी द्वारा इस बजट भाषण मे नहीं कही गई। यही नहीं मान्यवर, भाटगाव नहर

कोट–कोडी नहर, पोडार नहर, बासर नहर, गोथला नहर कोसी नदी से कोसी फिडर नहर, गोला पार एवं गोला वार नहर जो खोला नदी से प्रारम्भ होती है अभी तक भी पूर्ण नही है। जखाना कोट और कोडी नहर इस नहर पर भी कोई काम नहीं हुआ। मान्यवर, एक ओर आप नयी–नयी योजना की बात करते हैं और उसके लिए बजट की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पुरानी जीर्ण शीर्ण नहर हैं। एक बासर नहर है जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर लम्बी नहर और बासर नाम से एक न्याय पंचायत क्षेत्र है, बासर की धरती की इस नहर द्वारा सिंचाई हो सकती है। क्या माननीय मंत्री जी, जिस उद्देश्य से यह नहर बनायी गयी थी इस नहर को बासर के खेतों की सिंचाई के लिए निर्माण कार्य करवायेंगे ? बजट में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हू कि बजट में आंकडो के खेल खेल रहे हैं और केन्द्र सरकार की अनुकम्पा के आधार पर आप जो बजट की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले जो नहर बन्द पडी है मरम्मत के बिना, उनका पुनर्निर्माण करायेंगे ? मान्यवर, बाढ नियंत्रण पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह मद सिंचाई और बाढ नियत्रण की मद है। केवल बस्तियो में जहां जल धारायें चलती है, जिन नदी से धारायें प्रारम्भ होती हैं जैसे ग्लेशियर से, वे तमाम घाटियों में अधिक वर्षा से किसानों की खेती को नष्ट और तबाह करती हुई चली जाती है। उन नदी और गूलों के दोनों तरफ दीवार लगाकर बाढ नियंत्रण का काम करेगी क्या सरकार ? मान्यवर, हमारा पडोसी देश चीन है। और जब मैं छोटा था, शायद कक्षा 7 या 8 मे पढता था और भूगोल का विद्यार्थी भी था, उस समय कहा जाता था कि चीन को ह्वांग हो नदी का शोक माना जाता था। आज इस नदी की स्थिति यह है कि चीन की सरकार ने ह्वांग हो नदी पर 7 हजार किलोमीटर लम्बी नदी के बायें और दायें तटो पर दीवार का निर्माण किया गया है। और इस दीवार ने बाढ को रोकने का काम किया है। क्या इसी प्रकार से पडोसी देश चीन से सीख लेने का काम करेंगे ? जितनी भी उत्तराखण्ड की जल धारायें हैं, जितनी भी छोटी बडी नदिया है उनको बाढ से बचाने का काम करेंगे ? शुरू से आखिर तक जो आप जलाशय की बात कर रहे हैं अपने बजट भाषण में और जगह–जगह पर बांध बनाने की बात करते है मान्यवर, आप इन नदी के दोनों तरफ के हिस्सों को बायी और दायी ओर को बाढ से नियंत्रण करने के लिए इन पर दीवार का निर्माण करेंगे। और उसके लिए बजट का प्राविधान करेंगे इसका जिक्र इसमें नही किया गया है।

आप जो जलाशय की बात कर रहे हैं, बांध लबालब हो जाते हैं, भर जाते हैं। छोटे–छोटे जलाशय तो एक ही साल में भर जायेंगे तो आप एक ओर से उन जलाशयो को सुरक्षित करने का भी कार्य करें। अगर आप इस प्रकार का संदेश देंगे तो आप बाढ को भी नियंत्रण करेंगे, बाध की उम्र भी बढेगी, आपके जलाशयो की उम्र बढेगी। इसके संदर्भ में आपने कोई बात इसमें नहीं रखी। मान्यवर, अभी टिहरी बांध के बारे मे माननीय मंत्री जी ने बात की। मान्यवर, टिहरी बाध जो एशिया का सबसे बडा बांध है। जिसमें

न केवल भागीरथी घाटी बल्कि भिलंगना और बालगंगा घाटी के कितने ही गांव जलमग्न हुए हैं। किसानों के खेत जो सिंचित जमीन थी वह तबाह हो गयी, बर्बाद हो गयी। वह बांध से डूब गयी। मान्यवर, चाहे पटागली ग्राम के निवासी हों, चाहे पिलखी गांव के निवासी हो, चाहे पिपोरा बौंर गांव के निवासी हों जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पड़ता है। भिलंगना और बालगंगा घाटी के तमाम किसान जो इस बांध से प्रभावित हैं। उनका पुनर्वास करने के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इसलिए मैं चाहता हू कि चाहे पटागली ग्राम के निवासी हों, जो कितनी ही बार जब बांध का पानी भरा तो वे वहीं जलमग्न हो जाना चाहते थे। वे उठे ही नहीं। बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने उनको टिन शेड निर्माण करने की बात की कि तुम लोग टिन शेड में रहो लेकिन अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पायी है। मान्यवर, जो बुनियादी सवाल है। जिन सवालों को लेकर प्रदेश की विधान सभा में उन पीड़ितों का, उन साधन विहीन लोगों की आवाज को यहां पर रखने का प्रयास कर रहा हू। मैं चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी अपने वक्तव्य में इसका हवाला देंगे। मान्यवर, आज इसमें जो आय-व्यय के बजट के तकनीकी पहलुओं के आंकड़ो के खेल को आम जनता नहीं समझती। आम आदमी के लिए सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता ही बजट का पैमाना है। इस पैमाने पर सरकार का एक साल का कार्यकाल बद से बद्तर रहा है।

इसलिए मै इसी संदर्भ के साथ एक छोटे से चुटकुले के माध्यम से बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हू। मान्यवर, एक जोड़ा पति-पत्नी सर्विस करते थे। पत्नी अध्यापिका थी और पति सैल्स अफसर थे। एक दिन जब पत्नी स्कूल से थकी हारी घर पहुची तो पति उस समय घर पर ही थे। थकान की वजह से पत्नी का मूड ठीक नहीं था। पतिदेव ने कुछ कह दिया बस क्या था नोंक-झोंक शुरू हो गयी। नोंक-झोंक चल ही रही थी कि पड़ोसी का पांच साल का बेटा बबलू आया और उनसे बोला अंकल स्त्री चाहिए। वह कपड़े पर मारने वाली स्त्री की बात कर रहा था। लेकिन बोल गया स्त्री चाहिए। पतिदेव ने पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा वो सामने बैठी है ले जा। बबलू बोला नहीं अंकल जो करेन्ट मारती है, वो वाली। पतिदेव बोले, बेटा, तू हाथ लगाकर तो देख ये भी करेन्ट मारती है।

मान्यवर, हम जब प्रतिपक्ष के लोग सिंचाई के संसाधनों के संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ में इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात करते हैं तो यह सरकार ठीक उसी प्रकार से करंट मारती है और नाक-मुंह सिकोड़ती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हू और अपने कट मोशन पर बल देता हूं।

श्री किशोर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग

की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और यह महत्वपूर्ण है, अभी जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा, जल संचय, जीवन संचय, जल ही जीवन है और कहा भी गया है कि ''रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून'' जैसा माननीय मंत्री जी ने जो यहां पर बजट भाषण में दिया है तो ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी ने या किसी सुपरिन्टेण्डेंट आफिसर्स ने, जिसको पर्वतीय क्षेत्रों की जानकारी न हो, उसने लिखकर यह भाषण दे दिया और वही इन्होंने इस विधान सभा में माननीय सदस्यों के समक्ष रख दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल के बारे में आज यह सत्यता है कि जब पानी होगा तब पीने के लिए मिलेगा और अभी माननीय मंत्री जी का निमंत्रण मिला कि अपने आवास आर–1 में आप माननीय सदस्यों को भोज दे रहे हैं। आपके यहां पानी जो आ रहा है तो उसकी जांच करा लें तो वह पानी पीने लायक हो तो जो सजा आप देना चाहें वह सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। जब देहरादून शहर, जहां सारे मंत्री रहते हैं, जहां विधान सभा अध्यक्ष रहते है, उनके घर में पानी की यह हालत है तो पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में 98 प्रतिशत पेयजल दूषित है और उसकी जाच करवा सकते हैं, मैं विधान सभा के सामने यह बात रखता हूं। मान्यवर, आपके बजट में जो एकल योजना गांव में पुरानी चल रही हैं उनका कैसे सुदृढ़ीकरण होगा और जो 25 साल से चल रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जल संसाधन में जो लोग पार्ट टाईम काम कर रहे है, उनके लिए नहीं देख रहे है कि उनका वेतन बढ़ायेंगे। मान्यवर, पम्पिंग योजनायें जो पिछली सरकार ने स्वीकृत की थीं। जो पम्पिंग योजनायें हैं और एक साल व्यतीत होगा उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। 26 पेयजल योजनायें हैं, पिछला एक साल गुजर गया, आज तक उनकी कोई प्रगति नहीं हुई।

मान्यवर, इसके अलावा आप अगर देखें तो नदियों का जल स्तर गिरता चला जा रहा है। मान्यवर, जब नदियों में जल रहेगा तभी तो कोई योजना बनेगी। आज जल स्रोत सूख रहे हैं, आप कह रहे है पहाड़ की चोटियों पर भी योजना बनायेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा रेनवाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम माननीय मंत्री, आप अपने यहां यह करके देखें। माननीय मंत्री जी ने जो–जो कार्य यहां पर गिनाये हैं वे सभी कार्य शायद उनके घर में हो गये होंगे। मान्यवर, यहां पर लच्छेदार भाषण देना और है और कार्य योजना को धरातल पर उतारना और बात है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में हम जल उपलब्ध करायेंगे। मान्यवर, जो 98 प्रतिशत बेसिक विद्यालय जल विहीन हैं, इन विद्यालयों में बच्चों को पीने के लिए पानी भी नहीं है। खाली यह लिख देने से काम नहीं चलेगा

कि हम विद्यालयों के लिए पेयजल दे रहे है। मान्यवर, जैसे अभी इस माननीय सदन में पूर्व वक्ता माननीय बलवीर सिंह नेगी जी ने कहा है कि जो हमारा प्रदेश उत्तराखण्ड है इस पर विश्व के इस देश के 60 करोड लोगों का जीवन निर्भर करता है और यह आकडे मेरे नही है यह केन्द्र सरकार के आकडे है। मान्यवर, उस पानी को बचाने के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नही है जो नदियां प्रदेश में हैं। गंगा नदी, यमुना नदी हैं। आप इस सदन को बतायें कि पिछले दस दशकों मे इन नदियों में जलस्राव कितना कम हुआ है, इसके लिए बजट मे व्यवस्था नही है। इसी तरह अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए अभी माननीय मंत्री जी खुद कह रहे थे कि उन्होंने पेयजल विभाग का कार्यवृत्त भी रखा है, 15281 जो बस्तिया है अभी तक इन बस्तियो को पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे है। एक साल में कितनी बस्तियो में पेयजल उपलब्ध कराया है, इसका भी कहीं पर जिक्र नही किया है।

मान्यवर, जो सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन का विभाग है, जब इस तरह की स्थिति उसमें है और जो योजनाएं दी हुई हैं इनके सम्बन्ध में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हू आप जो योजनाएं बना भी रहे है क्या ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी ? ऐसा संभव नही है। मान्यवर, आप पेयजल विभाग के किसी भी दफ्तर में चले जाईये, किसी योजना पर चले जाईये, आप वहां देख लीजिए वहां पर किस तरह का सीमेंट लग रहा है, किस तरह की बजरी वहां लग रही है, किस तरह का नल वहा लग रहा है। मान्यवर, मैंने खुद इस हालत के बारे में इस विभाग के किसी कर्मचारी को विश्वास में लेकर पूछा, क्यो भाई, ये क्या हो रहा है, क्यों प्रदेश का बेडा गर्क कर रहे हो ? तो उन्होने बताया है कि साहब, हम क्या करे, 52 प्रतिशत तक तो इधर–उधर चला जाता है, यह ऊपर तक जाता है, तो मैंने कहा यह ऊपर की स्थिति क्या है, यह कहा तक जाता है इसकी हद भी बता दे, यह स्थिति जिस प्रदेश और सरकार में हो तो उससे क्या आशा की जा सकती है, आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं।

मान्यवर, अब यह तो चार साल बाद पता चलेगा। इस तरह से जिस विभाग की हालत हो, जनता की जो गाढी कमाई है, उसका इस तरह से दुरूपयोग जिस विभाग मे हो रहा हो, उसके बारे में तो भगवान ही कुछ कह सकता है। उसके बारे मे इंसान और विधायक क्या कहेगा ? इस तरह का दिशाहीन बजट माननीय मंत्री जी ने यहा पर पढ दिया और वह भी आधा–अधूरा पढा। यहां पर पेयजल और जलापूर्ति का जो बजट रखा गया, मै उस पर अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

शहरी विकास और आवास के बारे में भी बोल दीजिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, उसकी तो और भी बुरी हालत है। पेयजल और जलापूर्ति से बुरी हालत आवास और शहरी विकास की है।

श्रीमती आशा–

इसका मतलब पेयजल की हालत अच्छी है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, उसमें तो 52 परसेंट है, इसमें पता करना पड़ेगा कि कितना परसेंट है, अभी उसकी जानकारी नहीं प्राप्त की है। मान्यवर, सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है, माननीय मंत्री जी ने अभी केन्द्र सरकार की जिस योजना का जिक्र किया।

श्री वंशीधर भगत–

मान्यवर, मोटा–मोटा वैसे ही बोल दीजिए, आरोप ही तो लगाना है। (हंसी)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि हमारी विधान सभा भी देहरादून में है, आप भी देहरादून के रहने वाले हैं, बहुत से हमारे साथी देहरादून के रहने वाले है। हम बहुत सारे लोग अब देहरादून में रहते है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जब राजधानी की यह स्थिति है, अभी तक आप अपने मास्टर प्लान को जनता के सामने नहीं ला पाये। इसके साथ–साथ माननीय मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे कि यहां पर बिना मास्टर प्लान के नक्शे कैसे स्वीकृत हो रहे हैं ? इसके बारे में जरा बताने का कष्ट करेंगे ? आपने जिस जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के बारे में बताया, जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है, इसमें लिखा है, उसको बनाने का प्रस्ताव गतिमान है। बाकी राज्यों ने अपने प्रस्ताव देकर पूरा का पूरा पैसा भी ले लिया है। इस तरह की स्थिति जिस विभाग की हो, उस विभाग की जितनी भर्त्सना की जाय कम है और वह विभाग जो सीधे–सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। जिसका कि असर सीधे–सीधे यहां की जनता पर पड़ता है, यहां के लोगों पर पड़ता है, उसकी जब ऐसी स्थिति है तो यह सरकार भगवान भरोसे चल रही है। न यह मंत्रियों के भरोसे चल रही है और न ही मुख्यमंत्री जी के भरोसे चल रही है।

श्री वंशीधर भगत–

माननीय उपाध्याय जी, क्या आप यह कहना चाहते है कि आप भगवान के भरोसे नहीं हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तो दशरथ जी के भरोसे हूं। आप बुरा नहीं मानेंगे। निश्चित रूप से आप मेरे बड़े भाई हैं। आशीर्वाद देंगे, इस रूप में भी और उस रूप में भी। दूसरा, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो सहायता राज्य को मिलने वाली है।

श्री नशीघर गगरा–

मान्यवर, इटली के भरोसे भी रह सकते है। (हंसी)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने तो कहा कि मैं आपके भरोसे हूं। भगवान राम के पिताजी के भरोसे हू। माननीय मंत्री जी को यही नहीं पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा कब मिलेगा। कभी कह रहे हैं कि 8 साल में मिलेगा और कभी कह रहे है कि 10 साल में मिलेगा। उनको खुद ही यह जानकारी नहीं है कि कब वह पैसा मिलेगा। आप यहा पर कह रहे है कि 8–10 साल में होगी। 8–10 साल मे तो हम उस तरफ दो टर्म पूरे कर लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, क्या दिन मे सपने देख रहे है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, समय देख लीजिए। इस समय जो बात कही जाती है, वह निश्चित रूप से पूरी होती है।

श्री नशीघर गगरा–

मान्यवर, यह हो सकता है कि आप इस टीम मे तो शामिल नहीं होना चाह रहे हो।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, समय देख लीजिए, इस समय का कहा हुआ निश्चित रूप से सत्य होता है। यह चार साल बाद बतायेंगे हम, क्या होगा। मान्यवर, मै जलापूर्ति, आवास और शहरी विकास विभाग, जो सीधे–सीधे जनता से जुडे हुए हैं। जिसको हल्केपन से इस सरकार ने इन विभागो को लिया है, उसके लिए जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है, और मै इन्ही शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने आपको आदरणीय किशोर उपाध्याय, सीनियर सदस्य, विधान सभा से सम्बद्ध करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब माननीय पेयजल मंत्री जी, जो बहुत ही सीनियर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जब वह पेयजल का बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हो

रहा था कि पूरे उत्तराखण्ड का पेयजल इकट्ठा होकर यहां पर विधान सभा में आ गया हो, ऐसा मुझे आभास हो रहा था। कितनी अच्छी–अच्छी बातें पेयजल के बारे में बड़े अच्छे तरीके से विधान सभा के सामने यहां पर रखीं, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि उत्तराखण्ड में पेयजल की कमी है और पेयजल का संकट आंशिक रूप से है। जिसके उपायों के लिए इस बजट में निर्धारण किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने केवल स्वप्न दिखाने के लिए यह बजट प्रस्तुत किया है। मूल रूप से शुद्ध पेयजल जनता को मिल सके, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किये गये, जबकि इस सरकार को एक साल सत्ता में हो चुका है। उन्होंने उत्तराखण्ड में पेयजल से जूझ रहे जो क्षेत्र हैं, उनका चिन्हीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी बताया कि पेयजल में जल स्तर में कमी होने के कारण से, पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। पेयजल में जल स्तर गिरने के कारण कितनी गम्भीर समस्या उत्तराखण्ड में आने वाली है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि जल स्तर इतनी तेजी से गिर रहा है, जिस कारण लोगों को पेयजल देने के लिए, जो इंडिया मार्को हैण्ड पम्प हरिद्वार जनपद में लगाये गये थे, माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से 2940 हैण्ड पम्प पिछले एक साल से खराब चल रहे हैं। जिसमें से अधिकतम हैण्डपम्प रिबोर होने हैं लगभग 994, जो कि बहुत ही खराब स्थिति में हैं और इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इतना चिन्तन करती है यह सरकार और इतने संवेदनशील हैं माननीय मंत्री जी, शुद्ध पेयजल देने के लिए कि जो हैण्ड पम्प पहले से ही खराब हैं, उनको ठीक करने के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है और साथ ही नये हैण्ड पम्पों की स्थापना के लिए भी, विधान सभावार या पूरे उत्तराखण्ड में कितने नये लगाये जायेंगे, इसके लिए बजट में किसी धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, एक मुख्य जो समस्या, जिसके बारे में अभी हमारे बड़े भाई माननीय किशोर जी ने कहा कि देहरादून में दूषित पेयजल मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हरिद्वार में जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुआ है उसके आस–पास जितने भी गांव हैं, माननीय मंत्री जी, यदि आप वहां का पानी पी लें तो पानी से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, वे सब आपको लग जायेंगी ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इतनी भयंकर बीमारियां हैं, यदि वहां का पानी पी लिया जाये तो पानी से होने वाली सारी बीमारियां आपको लग सकती है, मुझे लग सकती हैं। जो भी उत्तराखण्ड का व्यक्ति वहां जायेगा उसे लग सकती हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि एक्वागार्ड आपने लगवाया है। यहां विधान सभा से भर कर ले जाता हूं, उसे पीता हूं। (व्यवधान) मेरे लिए तो आपने विधायक आवास में सुविधा उपलब्ध करा दी, लेकिन मेरी जनता दूषित पानी पी रही है। जो पानी दूषित हो रहा है, जिससे लोग गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे है, उसको शुद्ध करने के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है। माननीय मंत्री जी ने बड़ा जोर देकर स्वैप योजना के बारे में पूरे विधान सभा के

सामने बताया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्वजल नाम से वर्ष 2002 में प्रोजेक्ट पायलट के रूप में हरिद्वार में इस योजना का शुभारम्भ हुआ था। माननीय तिवारी जी ने इसका शुभारम्भ किया था। स्वैप के द्वारा और स्वजल के द्वारा जो योजना चलाई गयी है। क्या इसकी पिछले एक साल में समीक्षा की गयी है, जिससे यह पता चल सके कि पैसों का दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है ? क्या वह योजना ठीक से चल रही है ? क्या जल जनता को मिल रहा है ? उसकी समीक्षा क्या पिछले एक साल में की गयी है ? जनता को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया संक्षिप्त करिये। आपको पांच मिनट का समय दिया गया था। आपने खुद निर्धारित किया है। ऐसा मत करिये। आपकी अनुमति से निर्धारित हुआ है समय।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अभी तो शुरूआत हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि स्वजल की जो योजना लागू हुई थी तो इसमें कुछ बस्तियां छूट गई हैं और जो योजना बनी भी हैं, वे भी आधी–अधूरी हैं उन्हें भी पूर्ण करने का प्रावधान इस बजट में किया जाना चाहिए और उन बस्तियों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, नगर विकास के सम्बन्ध में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। नगर विकास के सम्बन्ध में इसलिए चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि हिन्दुस्तान, भारत के नगरों की सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में जानी जाती है कि नगरों की एक संस्कृति हिन्दुस्तान में, भारत वर्ष में है। आज उन नगरों की स्थिति क्या हो गयी है, इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जिस प्रकार से उत्तराखण्ड के बड़े–बड़े नगरों में गांवों से लोग पलायन करके आये और शहरों में नई–नई बस्तियां बनाई जा रही है। उन बस्तियों में सीवरेज की व्यवस्था नहीं होती है, बिना नक्शे पास कराये मकान बनाये जाते हैं। वो बस्तियां बसकर नगरों का स्वरूप बिगाड़ रही हैं। कुछ लोग, जो बड़े लोग इस धंधे में लिप्त हैं, उसके माध्यम से वे उस नगर के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। नगर में जो कूड़ा कचरा होता है, और खासकर जो नर्सिंग होम हैं, इनका बड़ा कितना भयकर जो कूड़ा–करकट होता है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और सुई जो लगायी जाती है वो सड़कों पर डाल दी जाती हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था शहरों में नहीं की जा रही है। मान्यवर, उसकी व्यवस्था भी इस बजट में की जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के शहरों की सभ्यता खराब हो गई, शहर का स्वरूप खराब हो गया तो निश्चित रूप से उत्तराखण्ड, साथ–साथ भारत की भी साख पूरे विश्व में गिरेगी, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शहरों में सीवर का इंतजाम नहीं है। दूषित पानी शहरों में क्यों प्राप्त हो रहा है, सीवर की लाइन पेयजल की लाइनों में क्यों मिल रही हैं ? आज दूषित पानी

जनता को मिल रहा है, इसके लिए बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए। आपने मुझे कम समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, कम समय में भी आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जो कटौती का प्रस्ताव माननीय किशोर उपाध्याय जी ने रखा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुदान संख्या–20 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना बजट प्रस्तुत किया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के किसान ज्यादातर लघु एवं सीमान्त किसान हैं जिनके बारे में माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्दों में नारा दिया कि सिंचाई लाओ, खुशहाली बढ़ाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि किसान उठेगा तो गाँव उठेगा, गाँव उठेगा तो शहर उठेगा, शहर उठेगा तो प्रदेश उठेगा। मैं यह समझता हूँ कि सिंचाई एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर किसान अपनी फसल को बढ़ाकर अपने साथ–साथ इस प्रदेश को भी खुशहाल रख सकता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव के अन्दर 7845248 हजार रुपये का बजट रखा, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अन्दर सिंचाई व्यवस्था के सुधार के लिए असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा सृजित करके और उन सुविधाओं का सुचारू रखरखाव करके उस हेतु पानी को किसानों तक पहुँचाने का काम किया है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं यह महसूस करता हूँ कि सिंचाई मंत्री जी बहुत अनुभवी होने के साथ–साथ, उनकी जो इच्छा है, शक्ति और कार्य संस्कृति है, उसको निश्चित रूप से सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना सुझाव बतायें।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी ने यह विषय रखा है, मैं उनका समर्थन करते हुए, जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा कि जो कालूवाला में पानी बह रहा था, उसको जिस प्रकार से उन्होंने एक ही बार में वहाँ का मुआयना करके किसानों के हित में अपनी वचनबद्धता को दर्शाया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इससे वहाँ के किसानों का उत्थान होगा तभी इस प्रदेश का उत्थान होगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि नदी से जनरेटर, चैक डैम और डिग्गी और जो प्राकृतिक स्रोतों के जलाशय हैं उसके आधार पर जो सिंचाई की व्यवस्था होगी उससे लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सिंचाई की व्यवस्था, इसमें थोड़ा सा जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने कहा मैं उस बात को दोहराते हुए कहना चाहूँगा कि छोटे–छोटे चैक डैम बनेंगे उससे सिंचाई की व्यवस्था बढ़ेगी। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं एक कविता के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ "किस–किस की नजर को देखें, हम सबकी नजर में रहते हैं। किस्मत ही ऐसी मिली है कि हर वक्त निशाने पर रहते है।"

माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी, माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल जी ने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये। विपक्ष के साथियों ने इस बजट को निराशाजनक बजट बताया, लेकिन सत्ता पक्ष के श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल जी ने इस बजट को नई सोच का बजट बताया। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपने 4–4 बजट एकदम थोप दिये। एक–एक बजट होता तो अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से रखता।

श्री अध्यक्ष–

आपकी अनुमति से और कार्यमंत्रणा की सिफारिश से ही ऐसा किया गया है।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, 2008 में हमने 1558 बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया है। 1039 पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार कराया। इस प्रकार से 2597 बस्तियों में हमने पानी उपलब्ध करया। 945 हैण्डपम्पों की स्थापना की, 1423 हैण्डपम्पो की मरम्मत करवाई, 18 बड़े नलकूप चालू करने के साथ ही 21 मिनी नलकूपों का अधिष्ठापन किया। इस वित्तीय वर्ष में 5 लिफ्ट पेयजल योजनाएं बनाई गई। पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्ग से दूर स्थित बस्तियो के लिए जहाँ पेयजल की समस्या है, मैं नवीन तकनीकी के आधार पर अन्तः स्रोत नलकूप पर हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु हमने स्थानों का चयन कर दिया। टिहरी, रुद्रप्रयाग विभिन्न स्थानों पर इसमें कार्य हो रहा है। यह नवीन व्यवस्था है। यह पेयजल संकट ग्रस्त क्षेत्रों मे जल स्रोत को डिग्गी निर्माण के लिए बैलेंसिंग रिजर्वाईव के लिए गलोगी पेयजल योजना है। मान्यवर, इस पर पाईप लाईन बिछा रहे है और हम अगले वर्ष बैलेंस रिजर्वाईव की स्थापना करेंगे वहाँ पर और देहरादून की जनता को पानी पिलायेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पिछली सरकार द्वारा 10–10 हैण्डपम्प प्रत्येक विधायक को अपनी विधान सभा क्षेत्र मे लगाने की बात कही गई थी। मान्यवर, इस बार भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने वाला है। इस बार सरकार कितने हैण्ड पम्प प्रत्येक विधायक को अपने विधान सभा क्षेत्र मे लगाने के लिए देगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय विधायक अगर सक्रिय नहीं रहेंगे, अपने क्षेत्र मे, तो उनके लिए हम और सरकार क्या करेगी ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जब हैण्डपम्प लगे तो हम वहाँ पर खडे रहे। तो पीठ से ऐसे ही निर्देश करवा दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, प्रत्येक विधायक को 18 हैण्ड पम्प हमने दिये। मान्यवर, जिन विधायको ने प्रयास किया, उनके यहाँ लग चुके हैं।

मान्यवर, मै एक शायर कह रहा था, वह माननीय श्री किशोर उपाध्याय के लिए बोल रहा हूँ मान्यवर, अगर सोये रहेंगे तो कौन लगाये तुम्हारे यहाँ हैण्ड पम्प।

खून तूने किया कातिले बेरहम, दे दिया मैंने जीवन वतन के लिए,

ये मुरझाते फूल, सिसकती कलिया कौन होगा माली इस चमन के लिए।

अगर सोते रहोगे तो कौन माली होगा ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने कौन सी शायरी कह दी है वह समझ मे नही आयी है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय विधायकगणो से अनुरोध है कि जो 18 हैण्डपम्प दिये गये हैं। उनका निर्माण आप करवा लीजिए। यदि कहीं पर दिक्कत होती है आप मुझे बोलिये, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ।

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, इस बारे में कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी, आप इसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये हैण्डपम्प नहीं लग रहे हैं। आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपने कहा था कि

आप अपनी हैण्डपम्प की सूची दे दें, हमने सूची दी लेकिन पहाड तो छोडिए वे आज तक मैदानी क्षेत्र में भी नहीं लग पाये हैं। अधिकारियों से बात करें तो वे कह देते है उनके लिए अभी तक धनराशि स्वीकृत नही हुई है और धनराशि स्वीकृति के लिए फाइल अभी शासन में गयी है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा इस सदन में आश्वासन है कि हर माननीय विधायक के क्षेत्र में 18–18 हैण्डपम्प लगा दिये जायेंगे। इसी वित्तीय वर्ष में। (व्यवधान)

आप कह रहे है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। योजना बनाने में टाइम लगता है, मान्यवर, आप भी पाँच साल तक रहे आपने पाँच साल तक क्या काम किया ?

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, इसका परिणाम पौडी लोकसभा सीट में देखने को मिला है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हैण्डपम्प लगाने का श्रीगणेश हमने कर दिया है।

(घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर,रुद्रप्रयाग से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरी विधान सभा से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेहड जी, कृपया मंत्री जी की बात सुन लें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, चार धाम यात्रा के लिए हमने 18 प्रथम टाईप जल स्तम्भ, 30 द्वितीय टाईप जल स्तम्भ और 292 हैण्डपम्प की सहायता से पेयजल उपलब्ध कराया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में सम्पूर्ण स्वच्छ कार्यक्रम, और 66 हजार 24 व्यक्तिगत शौचालय और 264 विद्यालयों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। मान्यवर, माननीय बलवीर सिंह नेगी जी ने कहा कि रख–रखाव के लिए 52 करोड 2 लाख 58 हजार रु0 का बजट में प्राविधान किया है जो नहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं और लघु सिंचाई में 221 लाख की व्यवस्था की है। आप कह रहे थे कि व्यवस्था नहीं की है, व्यवस्था है, यह आरोप आपने कहा। आपने बोला बाढ नियंत्रण, तो इसमें 7 योजनाएं,

3939.49 लाख रु० की योजनाएं बनाकर भारत सरकार को भेज दी गयी हैं। 30 हजार बजट में व्यवस्था, 1 हजार टोकन मनी था। मान्यवर, मैंने जो है इसमें 30 करोड़ रु० बाढ़ नियंत्रण के लिए दिलाया, आप कह रहे थे कि कुछ नहीं किया। ये जो सिंचाई नहरें उत्तर प्रदेश में थीं तो पाँच साल तक आपकी सरकार क्या करती रही ? पाँच साल में आपने कुछ नहीं किया। एक साल में हमने अनावासीय आवास और 41 नहरें वापस ले लीं उत्तर-प्रदेश से। नाबार्ड से हमने 9 करोड़ रु० बाढ़ नियंत्रण के लिए, राज्य सैक्टर से हमने 5 करोड़ रु० और टिहरी बाँध के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं किशोर उपाध्याय की तरफ मुखातिब होता हूँ। आपने ये कहा कि 52 प्रतिशत कमीशनखोर हैं तो मान्यवर, इनकी सरकार में 60 घोटाले हुए, मैं नहीं बोल रहा हूँ यह उच्च न्यायालय बोल रहा है। तो यह सब 60 घोटाले हुए थे तो आप क्या करते रहे और आज भुवन चन्द्र खण्डूरी जी की सरकार में एक साल हो गया है कोई घोटाला नहीं हुआ है। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ घोटाले की सरकार चली गई और ईमानदारी की सरकार आ गई। किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि 98 प्रतिशत दूषित पानी। हम यह कह रहे हैं कि पानी की जाँच नैनीताल में होती है, देहरादून में होती है। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा लगता है तो आप हमें बताएं हम जाँच करा लेंगे। आपने ए०डी०बी० के बारे में बात की है। ये योजना जो है 10 साल की है एक साल की नहीं है। 10 साल में चरणबद्ध ढंग से चलना है। हैण्डपम्प के बारे में आपने कहा कि बंद हैं, तो हमें सूचना दे दें तो हम तत्काल ठीक करवा देंगे। मान्यवर, आपने कहा कि नगर का स्वरूप बदल रहा है माननीय राकेश जी ने कहा, तो इसीलिए तो नगर नियोजन बनाया गया। अगर कहीं पर बिना प्लानिंग के कोई काम हो रहा है तो आप बतायें, हम ठीक करेंगे, केवल भाषण देने से नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जिसकी जिम्मेदारी है प्रशासनिक अधिकारी की है, जब हम ही बता देंगे तो प्रशासनिक अधिकारी क्या करेंगे, इनकी फौज की क्या जरूरत है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, अगर आप मेरे संज्ञान में लायेंगे तो हम करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदन् भाई)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जहाँ पानी खराब है आप बतायें, जाँच करायेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह विभाग का काम है, प्रत्येक वर्ष बरसात से पहले या 6–6 महीने की जाँच की जाए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि विभाग समय–समय पर पानी की जांच करता है और मेरे पास जब भी रिपोर्ट आई हमने जांच कराई। रुड़की का मामला आया, हरिद्वार का मामला आया, देहरादून का मामला आया तो हमने जांच कराई, तो पानी सही पाया, तो मेरा कहना है कि विभाग जांच करवाता है। मेरा निवेदन है कि एक विचारणीय विषय है जिसकी तरफ आप किसी का ध्यान नहीं गया, जो पर्वतीय क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि नाले के पानी से टैप कर दिया जाता है, पानी को फिल्टर करने की सुविधा की व्यवस्था नहीं है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, तो यह व्यवस्था कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी, आपको भी समय मिलेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, पांच साल तक तो आप कुछ करते नहीं, हम एक साल में कैसे कर दें ? मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूं कि, पर्वतीय क्षेत्र के माननीय विधायकगण इस बात पर आप तवज्जो देंगे कि, वास्तव में जो पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल, पानी को फिल्टर करने की व्यवस्था नहीं है तो अभी माननीय मंत्री जी से मिला था, उनसे कहा था कि 10 हजार योजनायें ऐसी हैं जहां पर फिल्टर करने की व्यवस्था करनी होगी, तो मैंने केन्द्र सरकार से कहा था बजट दें हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ताकि इस पानी को फिल्टर करके प्रदेश की जनता को पानी दे सकें। माननीय नेगी जी ने जरूर योजना के लिए कहा तो इसके लिए क्या कहेंगे, इसको तो मैंने सजाया संवारा है, पानी चल रहा और चांजी के लिए पैसा दिया, यदि कहीं टूट गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है तो हम उसके लिए पैसा देंगे आप मुझे बतायें। मान्यवर, अन्त में मैं कहूंगा कि 'दुनिया झुक सकती है झुकाने वाला चाहिए, इंकलाब आ सकते हैं पर लाने वाला चाहिए' ये इंकलाब हम लायेंगे।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मान्यवर, हमने पोखार नहर के संदर्भ में बात रखी, चांजी नहर के बारे में कहा, इसमें आपने आश्वासन दिया मगर चांजी नहर की जांच की रिपोर्ट आई नहीं।

मान्यवर, 16 से 20 साल से यह मामला लटका हुआ है। आप कह रहे हैं, इसमें हम सुधार लाये हैं, यह कहां से आया है यह तो मेरी समझ से परे है। मान्यवर, सिंचाई और पेयजल की समस्या को लेकर प्रदेश की जनता पानी के लिए त्राहि–त्राहि कर रही

है। इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता कह रही है ''दाता भाग्य विधाता से क्या कर पाते, बस एक घूंट आसूओं के पीकर रह जाते'' इन्हीं शब्दो के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी द्वारा अपनी विफलताओं को स्वीकार कर लिया गया है। मंत्री जी ने स्वय कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में 10 हजार योजनाए हैं वे सब दूषित हैं, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, पिछली बार सरकार द्वारा प्रत्येक विधायक को 18–18 हैण्डपम्प दिये गये थे, इस बार एक विधायक को कितने हैण्डपम्प दे रहे है ? कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मै माननीय बलवीर सिंह नेगी जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी, श्री सुरेन्द्र राकेश जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। मान्यवर, ऐसा बजट आपके शासन काल में कभी नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20, सिचाई एवं बाढ नियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20, सिचाई एवं बाढ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रु0 7845248 हजार (सात सौ चौरासी करोड बावन लाख अडतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रु0 6284803 हजार (छः सौ अट्‌ठाईस करोड अड़तालीस लाख तीन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 27, वन विभाग, अनुदान संख्या 24, परिवहन विभाग

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रु0 3324703 हजार (तीन सौ बत्तीस करोड सैंतालीस लाख तीन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रु0 1415379 हजार (एक सौ इकतालीस करोड तिरपन लाख उनासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस बजट को रखने का अवसर दिया है और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे यह दायित्व दिया है कि मैं यहां खडा होकर इस बजट को रखूं। मान्यवर, उत्तराखण्ड अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रदेश रहा है और इसका एक गरिमामय इतिहास रहा है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए हमारे प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुआ, जिसके कारण यह प्रदेश अनेक मामलों में पीछे रह गया। यही कारण रहा होगा कि यहां की महान जनता ने अलग प्रदेश की मांग की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहां की मातृ शक्ति, युवा शक्ति, कर्मचारी, सैनिक, सबने मिलकर एक आन्दोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नये प्रदेश का जन्म हुआ और एक वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को सजाने का, संवारने का और एक अग्रिम प्रदेश बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस के भ्रामक हवाई नारों में फंस कर इस प्रदेश की जनता ने उनको गद्‌दी दे दी, जिनको प्रसव पीडा का अन्दाजा नहीं था, जिनको यह नहीं पता था कि यह प्रदेश बना कैसे ? बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि वे लोग सत्ता में आ

गये जो लोग यह कहते थे कि हमारी लाश के ऊपर यह प्रदेश बनेगा। इसके कारण पिछले पांच सालों में जिस तरह की लूट–खसोट इस प्रदेश मे मची, उसका वर्णन मैं नही करना चाहता। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हू कि जिन विभागो का बजट मैं रख रहा हूं, चाहे वह वन विभाग का बजट हो, चाहे वह परिवहन विभाग हो, चाहे जलागम विभाग हो या पर्यावरण विभाग हो, ये चारों विभाग अपने आप में इस प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अन्दर अपनी अलग भूमिका रखते हैं, अलग स्थान रखते है। मै वन विभाग से शुरू करता हू। अभी पेयजल की बात हो रही थी तो उधर से कहा जा रहा था कि जल ही जीवन है। मै कहना चाहता हू कि वन विभाग की एक अहम भूमिका प्रदेश ही नही पूरे देश के अन्दर है। मैं यह कहने मे कोई संकोच नहीं महसूस कर रहा हू कि वन नहीं तो जल नहीं, क्योंकि जल की उत्पत्ति वृक्षो से और जंगलो से होती है और अगर जगलों का संवर्द्धन नहीं होगा, पौधों का संवर्द्धन नही होगा तो जल नही होगा। जल की कमी से जो विकृतिया पैदा होंगी, वह किसी से छिपी नहीं है। जीवन संकटमय हो जाएगा।

*श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, यह बात कण्डारी जी से बोलनी थी।

श्री नत्थीधर रावत–

मान्यवर, आपकी भावनाओं को समझ गया। वन विभाग का एक अहम रोल वातावरण को शुद्ध रखने के लिए होता है। लोगों के जीवन से सीधा जुडा हुआ वन विभाग है। मुझे भी पता है और सभी को पता है कि समय कम है, इसलिए मैं संक्षेप मे पढ देता हूं। तीन सौ बत्तीस करोड सैंतालीस लाख तीन हजार रुपये का कुल बजट है। इसमें हम जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में बता दू। इसमें हमने वन नीति निर्धारित की है। हमने इस प्रदेश को 66 प्रतिशत वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। हम अच्छे प्रकार के पौधे उत्पन्न कर सकें इसके लिए हमने 4 हर्बल गार्डन, 16 हाईटैक नर्सरियां तथा 40 सैण्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये हैं। प्रदेश के अन्दर वनीकरण के लिए, जिन प्रजातियों को जोडा है, उनके साथ ही साथ रोजगार को भी जोडा है। वनीकरण के लिए 47 करोड 50 लाख रुपये के बजट का प्राविधान किया है। रोजगारपरक वृक्षारोपण के लिए 5.50 करोड, आरक्षित तथा सिविल सोयम वनों के विकास हेतु 23 करोड। यह विभिन्न मदें हैं। यह तो मैंने सब तक पुस्तक पहुचाई है, शायद सबने पढी भी होगी। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी भारत सरकार के सहयोग से 38.97 करोड रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष 36.71 करोड रुपये का व्यय किया

नोट:–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

गया है। हमने जड़ी–बूटियों का संवर्द्धन भी किया है। जड़ी बूटियों का उत्पादन बढ़े और इस माध्यम से हम लोगों को रोजगार से जोड़ सकें, इसके लिए रामनगर, ऋषिकेश और टनकपुर में हमने क्रय केन्द्र स्थापित किये हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग जंगल के नजदीक रहते हैं और जो जंगलों में जड़ी–बूटी के उत्पादन का काम करते हैं, उनको इसका लाभ मिल सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। मान्यवर, वर्ष 2008–09 में दो नई मदें बनाई गई हैं, जिसमें वुमैन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य के लिए, महिलाओं को वनों से जोड़ने के लिए, महिलाओं को जागृत करने के लिए एक नया कार्यक्रम हमने शुरू किया है। इस वर्ष में 1.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एन०टी०एफ०पी०, गैर प्रकोष्ठ वन उपज का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वन विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिस प्रकार से अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था होती है, वह पहले वन विभाग में नहीं थी, लेकिन इस समय फारेस्ट लाइन का नाम देकर, इनका निर्माण हल्द्वानी, कालसी, रामनगर, उत्तरकाशी और कोटद्वार में पुलिस लाइन की तरह फारेस्ट लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें से हल्द्वानी की फारेस्ट लाइन जिसे मैं रोज ही देखता हूं, उसमें काफी तेजी से काम हो रहा है। वन विभाग के कर्मचारी जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, अपने घर को छोड़कर, अपने बाल–बच्चों को छोड़कर जंगलों में सुरक्षा का काम करते हैं, उनको रियायती दरों पर खाद्य सामग्री देने के लिए एक स्कीम लागू की गई है, जिसके लिए 1 करोड़ 39 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वन पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करने का काम माइक्रोप्लान, वार्षिक कार्यान्वयन योजना, जिससे वन पंचायतों को सुदृढ़ करें, लोगों की इसमें भागीदारी बढ़े और लोगों को लगे कि यह हमारे जंगल हैं।

मान्यवर, लोग इसका लाभ भी लें और लोगों को इससे रोजगार भी मिल सके, इस प्रकार से ईको पर्यटन को भी बढ़ावा देकर हमने जंगलों के अन्दर रोड, गेस्ट हाउसों का सुदृढ़ीकरण और टैंट लगाकर पर्यटन को बढ़ावा देना यह सारे काम किये हैं। विभागीय योजना में ईको टूरिज्म के अन्तर्गत हमने 4 करोड़ 49 लाख रुपये का प्रावधान रखा है और पर्वतारोहण के लिए एकल खिड़की प्रणाली भी हमने इस वर्ष लागू की है। मान्यवर, प्रबन्ध योजनाओं के निरूपण और अनुसंधान कार्य में भी नये वर्किंग प्लान कोड–2004 के माध्यम से भी 88.40 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण, यह एक महत्वपूर्ण विषय वन विभाग के लिए और यहां की जनता के लिए है। मान्यवर, पिछले सात सालों के अन्दर इस प्रदेश के अन्दर 1717 प्रकरणों पर भूमि का स्थानान्तरण हुआ है लेकिन

अकेले इस वर्ष में हमने विभिन्न कार्यों के लिए चाहे वह विद्युत लाइन का मामला हो, या सब स्टेशन का मामला हो, सडकों का हो, पेयजल हो, सिंचाई हो, कुल मिलाकर 351 प्रकरण हमने भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये है। जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

(इस समय अधिष्ठाता माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी पीठासीन हुये)

मान्यवर, इससे सिद्ध होता है कि प्रदेश में किस तेजी से विकास का कार्य हो रहा है। क्योंकि प्रदेश में विकास कार्य, 100 प्रतिशत तो मै नही कह सकता, लेकिन 90 से 95 प्रतिशत विकास कार्य निर्भर करते है जो वन भूमि के हस्तान्तरण से होते हैं, यदि वन भूमि पर्वतीय क्षेत्र मे हस्तान्तरित नहीं होगी तो विकास कार्य हो ही नही सकते। जो कि अपने आप मे हमने रिकार्ड बनाया है। हमारा सौभाग्य है कि हमने वन्य जीवी क्षेत्र मे भी पूरे देश के अन्दर अपना स्थान बनाया है और 178 टाइगर हमारे प्रदेश के अन्दर है, जिससे पूरे देश में हमारा एक नाम उठा हुआ है। पर्यटकों की आवाजाही भी इस वर्ष काफी बढी है, जिससे हमें 2 करोड 90 लाख रूपये की आय भी बढी है। अनुग्रह धनराशि, क्योंकि जगली जानवरो से मनुष्यों को और फसलों को नुकसान होता है, उसमें भी जो राशि हमने दी है, वह पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी की है। इसमें गम्भीर रूप से घायल होने पर 15 हजार, आंशिक रूप से अपंग होने पर 25 हजार, पूर्ण रूप से अपग होने पर 1 लाख और किसी बालक की, यदि जगली जानवर के कारण मृत्यु हो जाती है तो 50 हजार रूपये का मुआवजा दिया जाता है। मान्यवर, और अगर जिम्मेदार व्यक्ति जो है, उसके साथ यदि यह घटना घटित होती है तो एक लाख रूपये देने का प्राविधान है। इसी प्रकार से फसलों के नुकसान की भी प्रतिपूर्ति की जाती है। इसकी धनराशि को भी बढाया गया है। मान्यवर, उत्तराखण्ड में वन विभाग को सजाने–संवारने का काम किया गया है। उत्तराखण्ड वन चिकित्सालय, जो हल्द्वानी मे स्थापित है, उसको भी बहुत तेजी से आगे ले जाने का काम किया है। मै समझता हूं कि 5वीं बार उसको मान्यता मिलेगी और वह चिकित्सालय उत्तराखण्ड का ही नहीं, हिन्दुस्तान के अच्छे अस्पतालों मे गिना जायेगा। मान्यवर, राजस्व प्राप्तिया भी पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष अच्छी हुई है। 2007 मे 151 करोड 50 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2007 तक रू0 189.91 करोड अभी तक राजस्व प्राप्त हुआ है। सब मिलाकर वन विभाग अपने नये इतिहास को बनाने की ओर अग्रसर है। इसके लिए मैं वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि उनके लगन और परिश्रम की वजह से वन विभाग एक अच्छे स्वरूप को प्राप्त करने जा रहा है। मै वन विभाग की बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।

अब मैं परिवहन विभाग के बारे मे चर्चा करना चाहता हूं। परिवहन विभाग भी, जैसे मैने वन विभाग के लिए कहा कि उसका उपयोग आम जनता के लिए है, परिवहन विभाग का भी कम से कम उत्तराखण्ड के लिए विशेष महत्व है। कहने के लिए तो परिवहन

रेल से भी हो जाता है, लेकिन उत्तराखण्ड में इसका काफी कम उपयोग है। केवल बस, टैक्सी और ट्रक का ही ज्यादा उपयोग हमारे यहां होता है। इसके कारण यहां के लोगों का पलायन भी रुका है। ये टैक्सी या मैक्सी आदि का उपयोग यहां के लोग नहीं करते तो यहां से लोगों को पलायन करना पड़ता और पलायन करने पर आप जानते हैं मान्यवर, कि बहुत पढ़ा-लिखा या पैसे वाले व्यक्ति को छोड़कर सामान्य व्यक्ति अपने घर से बाहर जाकर क्या करता है यह किसी से छिपा नहीं है। मैं परिवहन विभाग के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं कि परिवहन विभाग ने 2007-08 में 150 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी तक 23 करोड़ 64 लाख के राजस्व की वसूली की है और इसमें गत वर्ष की भांति चैकिंग से जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो भी गत वर्ष की अपेक्षा काफी अच्छा हमको मिला है। आधुनिकीकरण करने के मामले में हमने बहुत तेजी से काम किया है। चालक कोई नशे में या उसने किसी और प्रकार का नशा तो नहीं किया है, उसके परीक्षण के लिए हमने एल्कोमीटर प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। ताकि चालक के बारे में जानकारी मिल सके। स्पीड की जांच के लिए 12 स्पीड रडार गन उपलब्ध कराये गये हैं। ताकि स्पीड की चैकिंग में सुविधा मिल सके और संचार के लिए वायरलेस सेटों को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषिकेश में आटोमैटिक टैस्टिंग लैब की स्थापना के लिए 1 करोड़ की धनराशि रखी गयी है। जनता को कोई ज्यादा दिक्कत न हो इसके लिए नागरिक चार्ट की स्थापना की है जो इसी वर्ष हमने की है और चालकों के प्रशिक्षण और व्यवहारिक कौशल उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के सहयोग से देहरादून के झाझरा नामक स्थान पर 10 एकड़ भूमि में एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है। इसके लिए 189.10 लाख की धनराशि फरवरी माह में हमने प्राप्त कर ली है और यह काम बड़ी तेजी से चल रहा है। निश्चित रूप से इसके बनने से यहां के लोगों को कम से कम चालक के रूप में अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और उससे एक्सीडेंट का खतरा भी टलेगा। यह कार्य हमने मारुति उद्योग लिमिटेड के सहयोग से किया है और उसमें ये भी हमने प्रयास किया है कि हम इस ट्रेनिंग कालेज से ट्रेनिंग लेने वाले कम से कम 40 प्रतिशत लोगों को जो अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं, उनको वहीं मारुति लिमिटेड में समायोजित करें इस प्रकार का भी आग्रह हमने उनसे किया है।

मान्यवर, हल्द्वानी में भी एक वृहद चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में बजट की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, विभाग भवनों के निर्माण बहुत तेजी से कर रहे हैं। विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए भी बहुत तेजी से काम किया गया है। 'सारथी' नाम से हमने चालक लाइसेंस सम्बन्धी कार्य साफ्टवेयर पर आधारित किये हैं ताकि डुप्लीकेट लाइसेंस न बना सके। लाइसेंस समय पर बने इसके लिए सारथी का उपयोग किया है। मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि इसमें हमने जो कार्य प्रारम्भ किये हैं उनमें हल्द्वानी में एक आई०एस०बी०टी० बहुत बड़ा रोडवेज स्टेशन बनने की कार्यवाही लगभग पूर्ण की है, भूमि स्थानान्तरण का मामला चल रहा है। हम प्रदेश के अन्दर चार बस अड्डे नये स्थापित कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, जलागम पर संक्षेप में बातें रख सकते हैं।

श्री नशीधर भगत–

मान्यवर, हमने निगम के बस बेड़े को बढ़ाने का काम किया है, पिछले एक वर्ष में हमने 170 नई गाड़ियों को शामिल किया है। इस वर्ष भी 190 नई बसों को परिवहन विभाग में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हमारे पास पैसा उपलब्ध है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप चाहें तो जलागम पर संक्षेप में प्रकाश डाल दें।

श्री नशीधर भगत–

मान्यवर, जलागम प्रदेश में अपनी एक अहम भूमिका रखता है, इसको हम विश्व बैंक की सहायता से कर रहे हैं। प्रदेश के अन्दर जलागम में बहुत अच्छा काम चल रहा है। जल संवर्धन में लोगों को रोजगार देना, महिलाओं की भागीदारी जलागम के प्रमुख कार्य है। मैं संक्षेप में यह बात कहना चाहता हूं। हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने अच्छा कार्य एक वर्ष में करके दिखाया है।

*श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बहुत तेजी में चार बजट प्रस्तुत किये है। वास्तव में ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी अपने क्षेत्र में तो दशरथ बनते हैं और विधान सभा में बिल्कुल हनुमान बन जाते हैं। (व्यवधान) चार विभागों का बजट पांच मिनट में निबटा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जल ही जीवन है और वन ही जीवन है, वन के बिना जल नहीं हो सकता, वन है तो जीवन है। आपने कहा कि 66 प्रतिशत वन को हम अच्छादित कर रहे हैं, जबकि वनों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। जब आप लाखों पेड़ लगाते है उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको कैसे बचाया जाय ?

मान्यवर, पेड़ लगाने पर भी हम एक चौथाई पेड़ नहीं बचा पा रहे हैं। वृक्षों को बचाने की इस बजट में कोई योजना नहीं है। वनों की सुरक्षा कैसे की जाए इसके बारे में भी बजट में कोई प्राविधान नहीं है। वनों का अन्धाधुन्ध कटान हो रहा है और जनसंख्या का दबाव भी वनों में इतना अधिक पड़ गया है कि जंगलों से हजारों की संख्या में ट्रकों लकड़ी जंगलों से आती है। क्या दुर्दशा हो रही है, इसको रोकने की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है। मान्यवर, वन पंचायतों की बात कही गई है कि हम वन पंचायतों को सुदृढ़ कर रहे हैं लेकिन वह सक्रिय नहीं हैं। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। महिला समूह, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को भागीदार बनाया गया है लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति सरकार के द्वारा हुई है। मान्यवर, मेरा सुझाव भी है कि महिला समूह और महिला मंगलदल, युवा मंगल दल को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, उनको

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

दायित्व सौंपे जाने चाहिए, उनको जंगल सुरक्षा का दायित्व दिया जाए, उनसे कार्य लिए जाएं। इसके लिए गांव–गांव जाकर वनों के किनारे रहने वाले लोगों को तथा गावों के लोगों को जंगलों की सुरक्षा के प्रति जागरुक बनाने की आवश्यकता है। जनजागरण अभियान चलाया जाए और इसके लिए विचार गोष्ठी भी की जानी चाहिए।

(इस समय 6.43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

मान्यवर, सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए कोई गम्भीर उपाय नहीं किये गये है। माननीय मंत्री जी ने बहुत फर्राटे से बहुत सारी बातें बताई लेकिन वनों की सुरक्षा के लिए न तो कर्मचारियों की संख्या किस तरह से बढाई जा सकती है और न ही फायर वाच कर्मियों की भर्ती के बारे में आपने बताया क्योंकि उनकी संख्या भी काफी कम है। वनों को अग्नि से बचाया जा सके, इसके लिए भी बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, वनों के अंधा–धुन्ध कटान से हमारे प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे है। मान्यवर, यह बात सही है कि जब तक वन हैं, तब तक जल है और जल ही जीवन है। वन रहेंगे तो जल रहेगा। मान्यवर, वनों में बहुत सी पौधों और वृक्षों की प्रजातियां ऐसी है, जो बहुत ही बहुमूल्य हैं किन्तु आज अंधा–धुन्ध कटान से वह समाप्त हो रही हैं क्योंकि वनों का बहुत अधिक दोहन कर रहे है। जड़ी–बूटी, फलदार वृक्ष और बेशकीमती पौधे हैं, लकडी है, उनके संरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आज बेशकीमती लकडी बर्बाद हो रही है और यहां की लकडी दूसरे प्रदेश में जा रही है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि 10 कि0मी0 तक आरा मशीन नही लगा सकते हैं, उसकी पैरवी करनी चाहिए। मान्यवर, 10 कि0मी0 के अन्दर आरा मशीन लगा करके और काष्ठ कला को बढावा दिया जा सकता है। इससे हमारे यहां के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। काष्ठ कला और फर्नीचर के मामले में हमारा प्रदेश काफी आगे बढ सकता है। हम लकडी से सम्बन्धित उद्योग धन्धों को बढा सकते है। मान्यवर, मेरा कहना है, कि वन विभाग के पास बेशकीमती बहुमूल्य लकडी के लिए डिपो नही है। जो लकडी का डिपो है उससे हमें लकडी सस्ते दामों में दी जानी चाहिए। इस प्रकार ग्रामीण गरीब परिवारों को सुविधा मिल पायेगी।

इसी प्रकार से मान्यवर, गैस का बहुत दबाव है तो नि:शुल्क गैस की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, इको टूरिज्म के बारे में कहना चाहता हूं, प्रदेश में सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढावा देना चाहिए जिससे पर्यटन बढ सके। लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई भी प्रयास नही किया है। इस बजट में सरकार ने जनजाति के लोगों के लिए कोई ऐसा प्राविधान नही किया जिससे इन योजनाओं से लाभ ले सकें। मान्यवर, अग्रेजों के जमाने से, जो वन विभाग के अधीन है, रैस्ट हाउस बनाये गये थे। सरकार आज इनकी देख–रेख नही कर पा रही है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सैनापानी एक जगह है, वहां एक वन विभाग का रैस्ट हाउस है, आज ये रैस्ट हाउस खण्डहर हो गये हैं। यह

माननीय मंत्री बीना महराना जी के विधान सभा क्षेत्र में भी पड़ता है तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य किशोर उपाध्याय जी ने जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में बताया। यह सही बात है कि जंगली जानवरों द्वारा फसलों का बहुत नुकसान किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मैंने भी विधान सभा में प्रश्न लगाया, जो द्वितीय बुधवार का अतारांकित प्रश्न संख्या–07 है। मैंने उसमें पूछा कि जनपद ऊधमसिंह नगर में तराई पूर्वी वन प्रभाग के दुगाडी, किलपुरा खटीमा एवं सुरई रेंजों में गत 05 वर्षों से शेर एवं हाथियों द्वारा कितने महिला एवं पुरूषों को घायल/मार दिया गया है ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है कि तराई पूर्वी वन प्रभाग के किलपुरा, खटीमा व सुरई रेंज में बाघ एवं हाथियों द्वारा 01 महिला एवं 12 पुरुषों को घायल किया गया है तथा 05 महिला एवं 02 पुरुषों को मारा गया है। चम्पावत वन प्रभाग के दोगाडी रेंज में ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। इस प्रकार से जंगल से लगे क्षेत्रों में वन कर्मियों द्वारा विशेष गश्त सहित जंगली जानवरों से जानमाल की सुरक्षा हेतु जनजागरुकता बढ़ाने सम्बन्धी उपाय किये जा रहे हैं, सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपनी बात सूक्ष्म में रखें।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, घायलों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और उपचार की व्यवस्था करानी चाहिए। हमारे प्रदेश के जो वन कर्मचारी हैं उनके लिए कोई भी सुविधा का इस सरकार द्वारा इस बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। उनकी सुरक्षा करानी चाहिए और गश्त के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वन माफिया का आतंक रहता है। मान्यवर, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बसने वाले जितने भी जनजाति के लोग हैं, उनको वन विभाग के द्वारा जितने भी हक हकूक पूर्व में दिये जाते थे, आज सरकार ने उनके लिए भी कोई प्राविधान नहीं किया है, चाहे उत्तराखण्ड प्रदेश का चकराता क्षेत्र हो या जोशीमठ का क्षेत्र हो।

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य देते समय शुरूआत में कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण क्यों किया गया, क्या उसकी जरूरत थी। उन्होंने एक

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

वाक्य उसमें और जोड़ा कि "एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से ऐसे लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला जिन्होंने यह कहा था कि हमारी लाश पर उत्तराखण्ड बनेगा।" मैं यूँ तो पुरानी बातों को दोहराने पर विश्वास नहीं करता जिससे कि कटुता बढ़े। मैं सदन में बार-बार अनुरोध भी करता था कि पहले क्या हुआ इन विषयों को छोड़ देना चाहिए। नये विषयों में हम क्या कर सकते हैं उन विषयों पर अब चर्चा करनी चाहिए परन्तु उनकी बात का उत्तर देना भी मुझे यहां आवश्यक लगता है। आज भी उसी संदर्भ में, मैं दुर्भाग्य इस रूप में देखता हूं कि [आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं जिनके एक शीर्ष नेतृत्व ने उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को पत्र लिखकर एक झूठी सूचना दी थी कि पूर्व सैनिक हथियारों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। जिसका नतीजा मुजफ्फर नगर और रामपुर तिराहा काण्ड के रूप में आया।]

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह आपत्तिजनक शब्द है जो कि कार्यवाही का हिस्सा बन रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय करन मेहरा जी, मेरे विचार से जो आप कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में स्पष्ट हो चुका है।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने केवल मंत्री जी के कहे गये वाक्य का जवाब दिया। क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से भी ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

श्री करन मेहरा–

पत्रिकाओं में भी छपा। पत्र की फोटो स्टेट कापी अगर कहें तो मैं सदन को उपलब्ध करा दूंगा। मुझे जब मिल जायेगी तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

पत्र की प्रतिलिपि आप उपलब्ध करा दीजिए। जब तक कि पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करायी जाती तब तक यह संदर्भ कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा।

नोट–[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री करन मेहरा–

मैं इसी के आगे अपनी बात को ले रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की बात कही गयी और उसका स्वांग रचा। कई छोटी बसें इसलिए खरीदी गयी कि इनका संचालन पर्वतीय क्षेत्र में किया जायेगा। और आज के दिन भी कई पर्वतीय डिपो की बसों का संचालन मैदानी क्षेत्रों के डिपो से किया जा रहा था। हल्द्वानी से रानीखेत की जो छोटी बसें थीं उनका संचालन हल्द्वानी से किया जा रहा था। मुझे अनशन और धरने की धमकी देनी पड़ी तो उसके बाद कुछ बसें रानीखेत डिपो में भेजी गयीं। आज के दिन भी कई पर्वतीय क्षेत्रों की बसें मैदानी क्षेत्रों में चलायी जा रही हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में जो परिवहन विभाग है, इसमें आज जो दिया गया है बजट में, हालांकि परिचालकों, चालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है जिसकी मैं तारीफ करता हूं। मान्यवर, अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जो दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है, जो दिखने में छोटा है जो हैड लाईट को काला किया जाता था कि रोशनी कितनी होनी चाहिए, उसका मानक था, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं, तो यह भी देखना चाहिए। लम्बी रूट के चालकों को, जो थका देने की उनकी यात्रा है उसके बाद कहीं विश्राम कक्षों की व्यवस्था आज नहीं है जिसकी वजह से चालकों को नींद आती है और हमारे यात्रियों की जिन्दगी को जोखिम रहता है, कई बार। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लम्बे क्षेत्र के चालक हैं उनके परिवर्तन करने की व्यवस्था विभाग को करनी चाहिए ताकि चालक बदल जाये उसकी जगह दूसरा चालक गाड़ी चलाये। मान्यवर, नाईट स्टे करने के लिए जहां दिल्ली के ड्राइवरों को 50 रुपये मिलता है वह यहां 27 रुपया है तो इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। मान्यवर, मार्ग में खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, जो लम्बे रूट की बसें है उनमें मार्ग में ठेके पर रेस्टोरेंट हैं और लोगों को वहीं खाना पड़ता है तो यह निन्दनीय है। मैं एक बिन्दु की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं जो परिवहन विभाग के रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं जैसे फिटर कारपेंटर मैकेनिकल के छोटे कर्मचारी की भर्ती के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, वर्ष 2001 के बाद से जितने भी मृतक आश्रित के केस है उनके लिए भी भर्ती के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गइ यह भी चिन्ता का विषय है। मान्यवर, आज भी संविदा में कार्य करने वाले केवल कुमाऊँ में 158 चालक और 159 परिचालक कार्य कर रहे हैं उसके साथ ही एजेंसी के द्वारा 176 चालक, 116 परिचालक यानी 334 चालक, 275 परिचालक, आज वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं जो हमारे संविदा में कार्य करने वाले चालक और परिचालक है इन्हें पक्का करने का कार्य विभाग द्वारा करना चाहिए। जहाँ राज्य के अन्य विभागों में 50 प्रतिशत महंगाइ भत्ते को मूल वेतन में 2005 में समायोजित कर लिया गया था वहीं पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी की

घोषणा के बाद भी परिवहन विभाग और गन्ना विभाग कर्मचारियों के पक्ष में कार्यवाही अभी तक नहीं हुई तो महंगाई भत्ते को जोडा जाना चाहिए, यह सुझाव भी देना चाहता हू। विभाग के अधिकतर वर्कशॉप और स्टेशन की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, प्रश्नकाल में भी जिक्र आया कि सैसमिक जोन है, इसमें संवेदनशील उत्तराखण्ड राज्य है और जो परिवहन विभाग के भवन हमारे विभाग के है उनकी हालत बहुत ही नाजुक है, जो पुराने हो गये हैं उनको तोडकर उनकी जगह पर नये भवन के निर्माण की आवश्यकता है। मान्यवर, दु:ख के साथ कहना चाहता हू कि हल्द्वानी के पास काठगोदाम मे जो वर्कशॉप है उसकी हालत पूरे कुमाऊँ में सबसे ज्यादा खराब है, उस भवन के निर्माण के लिए जो सेन्टर है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मै पुन: परिवहन विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, आपने मुझे पर्यावरण जलागम पर बोलने का अवसर दिया। पिछले काफी समय से उत्तराखण्ड की सडको पर एक गतिरोध आ गया था, उत्तराखण्ड मे रोडवेज की बसें नहीं दिखती थी, सारी बसें जहां पहले चलती थीं वहाँ रोक दी गई थीं। मान्यवर, सडको मे मिनी बसो की व्यवस्था हुई, सारी बसें चल रही है और सरकार का धीरे–धीरे नई बसो को खरीदने का प्रयास भी है और इसके लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, बसों को चैकिंग करने की व्यवस्था भी की जा रही है। इनके आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया भी वर्तमान सरकार द्वारा चलायी जा रही है और बस चालक कहीं नशे मे न हो इसके लिए एल्कोमीटर लगे हैं। मान्यवर, जगह–जगह बसो की गति को नियंत्रित करने के लिए डिवाईडर भी बनाये गये है जो वास्तव मे इस सरकार द्वारा पहली बार उठाये गये कदम हैं। आज तक कभी भी ड्राइवरो के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी थी। इस सरकार ने पहली बार यह व्यवस्था की है। निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। मान्यवर, इन सभी कार्यों से सडक दुर्घटनाओं मे भी कमी आयेगी। मान्यवर, जहां तक वन विभाग का सम्बन्ध है वन विभाग का महत्व इस उत्तराखण्ड राज्य के लिए ही नही अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए है। मान्यवर, वन पर्यावरण का सीधा सम्बन्ध स्वास्थ्य से भी है। पूरे प्रदेश और देश का पर्यावरण ठीक बना रहे यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है और इस हेतु हमारी सरकार द्वारा सकारात्मक कदम भी उठाये गये हैं। इसी के मद्देनजर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण आदि कार्य किये जा रहे हैं और बाढ नियंत्रण का भी कार्य किया जा रहा है, ताकि जो नुकसान पहले होता था, उसको रोका जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हू। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने सुझाव स्वरूप इस पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जल, जमीन और जंगल उत्तराखण्ड राज्य का बुनियादी आधार है, बिना इनके उत्तराखण्ड राज्य की तरक्की की कल्पना भी हम नहीं कर सकते है। मान्यवर, मैं तत्कालीन, अनन्तिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देता हूँ तत्कालीन समय मे उन्होने उत्तर प्रदेश के ए0पी0सी0 के कांसेप्ट को बदलकर के उत्तराखण्ड के सदर्भ मे एफ0आर0डी0सी0 की एक ब्रांच गठित की। इसे ऐतिहासिक इसलिए मानता हूँ कि विचार अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। मान्यवर, उत्तराखण्ड के संदर्भ में यदि हम देखें तो केवल एक वनस्पति को लेकर के हम जंगल नही मानते हैं। उत्तराखण्ड के सम्बन्ध मे यह पर्यटन भी है, उत्तराखण्ड के सदर्भ मे कहें, यह कृषि भी है, पशुपालन भी है, यह ऊर्जा का एक बहुत बडा स्रोत भी है, ईंधन भी है, स्वास्थ्य भी है, यहां के विकास का आधार भी है और यहां के लिए रोजगार भी है। मान्यवर, अभी माननीय पेयजल मंत्री जी बोल रहे थे। इस सदन के अन्दर बहुत व्यापक चर्चाएं होती है, किसी न किसी तरीके से हर जगह शुद्ध पेयजल मिल सके इसका इंतजाम कैसे किया जा सके। माननीय किशोर उपाध्याय जी होते तो मैं उनसे प्रश्न करता, उन्होंने कहा सरकार ने पिछले कितने सालों में यह देखा कि नदियों का जलस्राव कितना बढा, हकीकत मे आज दुनिया की चिंता नदियो का जलस्राव बढाने की नहीं है। आज दुनियां की चिंता नदियों के अंदर जो जलस्राव बढता जा रहा है उसको नियंत्रित करने की है, जिससे कि ग्लेशियर खत्म न हो। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो सी लेवल राईज कर रहा है। इसको किस प्राकर से सुनिश्चित करें, जो ग्लेशियर हैं वे रिसीड न करें, वह नीचे न घटें, वे बने रहें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम यहां के वन विभाग ने गंगोत्री जैसे ग्लेशियर को, गंगोत्री नदी, जो उत्तराखण्ड की पहचान है, यमुना नदी जो उत्तराखण्ड की पहचान है, जो भारत देश की पहचान है गंगा, यमुना, गंगोत्री, जो यहां की संस्कृति है, कम से कम गगोत्री ग्लेशियर को बचाने के लिए एक अभिनव प्रयास किया। मान्यवर, भीड को गंगोत्री ग्लेशियर पर नही जाने देगें बल्कि जिन लोगों को गगोत्री ग्लेशियर का दर्शन करना होगा, उनको दर्शनी योजना के तहत दर्शन करायेंगे। हम वहां पर आबादी की भीड नहीं बढायेंगे।

श्रीमन्, मै दो सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। उत्तराखण्ड के सदर्भ मे, अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा, 66 परसेंट फॉरेस्ट कवर की नीति हमने निर्धारित की। ये हमारे पास जो रिकार्ड ऑपरेशन के डाटा हैं, फॉरेस्ट रिकार्ड ऑपरेशन है, उसके आधार पर हम जरूर कहते हैं कि हमारे पास 65–66 प्रतिशत वन भूमि है लेकिन जिस पर स्वस्थ वन हैं, वह हमारे पास मुश्किल से 45 प्रतिशत भूमि है। श्रीमन्, यह अपने आप मे गम्भीर चुनौती है। मैं अभी रीसेंटली डाटा पढ रहा था, मैने उसमें देखा कि हमारा

जो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है, वहां पर जो फॉरेस्ट कवर है, वह पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। लेकिन उत्तराखण्ड जैसे राज्य में, जिसको मैंने कहा कि इको फ्रैजाइल जोन है, बहुत संवेदनशील यहां की पारिस्थितिकी, यहां का पर्यावरण है, यहां पर फॉरेस्ट कवर घटा है। यह सरकार के लिए भी एक चुनौती की बात है और हम सभी के लिए चिन्ता की बात है। श्रीमन्, मैं कहना चाहूँगा, जहां तक वनीकरण का प्रश्न है, मैं एक मौलिक सुझाव उसके अन्दर देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उस पर गंभीरता से ध्यान दें। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह विचार है, मैं वन क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाला, गांव के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता हूँ। जंगल के करीब से निकल कर आया हूँ, हमारा मानना है कि जंगलों को बनाने से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। जंगलों का जो स्वरूप है, उसका जो नेचुरल रूट स्टॉक है, उसको री-जेनरेट होने का मौका दिया जाना चाहिए। नैचुरल परिवेश में, तो जंगल अपने आप खड़ा होता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि जो वन क्षेत्र है, जहां पर हम जंगल को री-जेनरेट होते देखना चाहते हैं उसको हम ह्यूमन और कैटल इन्टरफेरेंस से वाल्ड आप करें तो निश्चित रूप से जंगल अपना स्वरूप स्वयं धारण कर लेता है और इस काम में, जितना पैसा हम वनीकरण में खर्च करते हैं, यदि इस काम में हम ध्यान देंगे तो हमें कम पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और बेहतर वनों का स्वरूप भी देखने को मिलेगा। परिवहन के बारे में श्रीमन्, मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूँ,

श्रीमन्, पर्यावरण और वन मेरा एक पैशन है, इस समय आपका निर्देश है, इसलिए इस समय मैं उस पर कोई बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। चाहे वह ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग की बात हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र में जो जल स्रोत हैं, वह निरन्तर सूखते चले जा रहे हैं। कितनी पम्पिंग स्कीम हम बनायेंगे ? कितनी बातें हम करते हैं, मैंने कल ही इस सदन के अन्दर उदाहरण दिया कि हिण्डोला खाल की पम्पिंग स्कीम के ऊपर, सात रुपया प्रति लीटर पानी वहां पर पड़ता है, पम्पिंग करके। क्या हम इस तरह का पानी दे सकते हैं ? उससे तो अच्छा है कि हम बिस्लरी की बोतल ले जाकर दे दें। हमें कहीं न कहीं जो वाटर सोर्स है, उन्हें रिचार्ज करने की बात करनी चाहिए, उसके कैचमेंट एरिया में कहीं न कहीं वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाने की बात है। परिवहन विभाग की बात है, एक सुझाव देना चाहता हूँ। परिवहन उत्तराखण्ड के बेरोजगारों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक उद्योग है। जिस बेरोजगार नौजवान को, जिस भूतपूर्व सैनिक के बेटे को नौकरी नहीं मिलती, वह एक कमाण्डर जीप खरीद कर कहता है कि जाओ, इसको चलाओ और अपनी रोजी-रोटी कमाओ। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ। बिना इस बात की परवाह किये हुए कि मैं इधर ट्रेजरी बैंच साइड में बैठा हूँ, मेरा कहना है कि परिवहन को एक इण्डस्ट्रीज का दर्जा मानते हुए, ये जो कामर्शियल व्हीकल ऑपरेटर हैं, कमाण्डर गाड़ी चलाते हैं, यूटीलिटी चलाते हैं, छोटी टैक्सी चलाते हैं, इनको सरकार किसी न किसी तरीके से 'टैक्स हॉली डे' का बेनीफिट दे। कम से कम एक बेरोजगार, जो नई गाड़ी खरीदता है,

कर्जा लेकर, उसको कम से कम 5 वर्ष तक किसी प्रकार का टैक्स न देना पड़े। इससे कम से कम वह रोजी–रोटी कमाएगा, नहीं तो होता यह है कि वह गाड़ी लेता है, टैक्स में वह गाड़ी बिक जाती है, कर्जा ऊपर से लदता है, बेरोजगार था और बेरोजगार के रूप में उसकी परिणति होती है, बेरोजगार के रूप में ही वह बना रहता है। इसलिए श्रीमन्, मैं सुझाव के रूप में इसे कहना चाहता हूँ। श्रीमन्, आपने मुझे बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री नशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय गोपाल सिंह राणा जी ने, माननीय करन मेहरा जी ने, माननीय खड़क सिंह बोहरा जी ने और माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो संक्षेप में अपने सुझाव दिये है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उन सुझावों पर गंभीरता से गौर भी करेगी और कई मामलों में उन्होंने जो कहा है, उन मामलों को बताना चाहूंगा। मान्यवर, जैसा माननीय गोपाल सिंह राणा जी ने कहा कि उसमें ग्रामवासियों या महिला समूहों या महिला मंगल दल की भी भागीदारी होनी चाहिए। समय की कमी है नहीं तो मैं पढ़कर बता देता।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही बता दीजिये।

श्री नशीधर भगत–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष से हमने महिला मंगल दल, महिला समूह, एफ0डी0ए0 और ग्राम सुरक्षा समितियों का, 1035 समितियों का गठन किया है, जिनकी भागीदारी वन पंचायतो में की गई है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह पिछला योग तो नहीं है ?

श्री नशीधर भगत–

मान्यवर, पिछली सरकार ने क्या योगदान दिया, ये खुद ही जानते हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह इसीलिये तो पिछली बार विधान सभा में नहीं आ पाये।

श्री नशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने कहा कि इन बेशर्मों की सरकार में क्या आना। मान्यवर, जहां तक वनों की सुरक्षा का सवाल है तो इसके लिए हमने धन भी आवंटित किया है और कोशिश करते है कि वनों का अवैध कटान रुके, फिर भी 2005–06 में 1777 घटनायें इस प्रदेश में हुई, 2006–07 में 1640 घटनायें घटी और पिछली सरकार के अंतिम के 2 वर्षों में

3217 घटनायें वनों के अवैध कटान की है, इस वर्ष हमने इनको 809 तक सीमित कर दिया है, तो कुछ तो ऐसा होगा, कोई न कोई तो कारण होगा, जो इसमें कमी आई और इससे यह सिद्ध होता है कि हम वनों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। सूख रहे जल स्रोतो के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उसमें 32 करोड रुपये का प्रावधान किया है। जडी-बूटी के सवर्द्धन के लिए 4.20 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है, घायलों और मृतक व्यक्तियो के बारे में और वन्य जन्तुओं द्वारा होने वाली हानि के सम्बन्ध मे मैंने कल प्रश्न के दौरान बताया था कि इसमें हर मामले मे हमने दोगुनी धनराशि कर दी है। इसके अलावा ड्राइवर जो लम्बे रूट पर चल रहे हैं, उनके बारे मे करन मेहरा जी ने कहा था तो वहा पर डबल ड्राइवर की व्यवस्था की गई है और जहा पर दिक्कत हो रही है तो उसको हम दिखवा लेंगे। मृतक आश्रितों को जो रोजगार दिये जाने का प्रश्न है तो लम्बे समय से इसमें रोक लगी है, हमारा प्रयास है कि इसे अतिशीघ्र खोला जाय। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा भी बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं, हम उन पर अवश्य विचार करेंगे, भाई खडक सिंह बोहरा जी ने काफी अच्छे सुझाव दिये हैं।

श्री करन मेहरा-

मान्यवर, 50 प्रतिशत डी0ए0 मूल वेतन मे मर्ज करने की बात थी।

श्री नवीधर गणता-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायेगा, क्या हो सकता है, इसे देखेंगे, इसका परीक्षण करा लेंगे। इसके अलावा वन भूमि का कवर एरिया कम होने की बात भी आई तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार मे यूकेलिप्टस का जो बडा प्लांटेशन था, उसकी अवधि पूरी हो गई थी तो उसका कटान हुआ है, उससे कुछ दिक्कत आई है और इसके अलावा जो राजाजी नेशनल पार्क से हमने वन गुर्जरों का पुनर्वास किया है, उसके बदले उन्हें सैकडों एकड वन भूमि दी गई है तो उससे भी कुछ प्रभाव पडा है। हम शीघ्र ही कोशिश कर रहे है कि अच्छी पौधों का उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो। इस वर्ष मे जो वन भूमि है, जिसमें वन नही है, उनमें तेजी से वन लगाने का कार्य किया जायेगा और वनों का सरक्षण और सवर्द्धन ठीक से हो, इसके लिए हम चिन्ता कर रहे हैं। आरा मशीन की एक बात आयी तो मित्रवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आरा मशीन तो आपने ही बंद की है, हमारे समय में तो उसमें मुकदमे चल रहे हैं, इको टूरिज्म को भी हम बडी तेजी से चला रहे हैं। एक सूचना जो माननीय गोपाल सिंह जी ने दी है, वह गलत दी है तो माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें, मै इसका परीक्षण करवा लूगा।

श्री गोपाल सिंह-

मान्यवर, मैं स्वय वहां पर गया था, एक थारू महिला को मारा है और एक और को मारा है।

श्री नशीधर गगरा–

मान्यवर, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझे देंगे तो मैं दिखवा लूंगा, छोटी बसें पर्वतीय क्षेत्र के लिए पिछली बार हमने दी हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यह छोटी बसें प्लेन में क्यों चल रही हैं तो कई रूट ऐसे हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश होकर वह पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं।

श्री करन गेहरा–

मान्यवर, रानीखेत डिपो की बसें हल्द्वानी डिपो से संचालित हो रही थीं और मेरे विरोध करने के बाद उनको चार महीने के बाद वापस किया गया है।

श्री नशीधर गगरा–

मान्यवर, मैंने कहा कि हो सकता है, और रानीखेत डिपो की बस हल्द्वानी भी तो आयेगी। मान्यवर, कोई गलती हो सकती है। यह तो है नहीं कि छोटी बस केवल पहाड़ में ही रहेगी। मैं इसका परीक्षण करा लूंगा। मान्यवर, सुझाव के तौर पर बातें आयी है। (व्यवधान) मान्यवर, पूरा विपक्ष चाहे संतुष्ट हो जाये मगर एक शख्सियत ऐसी है जो कि विरोध ही करेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री करन गेहरा–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु० 3324703 हजार (तीन सौ बत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख तीन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रु0 1415379 हजार (एक सौ इकतालीस करोड़ तिरपन लाख उनासी हजार मात्र) से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 19, ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 18, सहकारिता विभाग

ग्राम्य विकास एवं सहकारिता मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रु0 4107200 हजार (चार सौ दस करोड़ बहत्तर लाख मात्र) से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रु0 246613 हजार (चौबीस करोड़ छियासठ लाख तेरह हजार मात्र) से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने ग्राम्य विकास का बजट प्रस्तुत करने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुआयामी कार्यक्रम ग्राम्य विकास द्वारा चलाया गया है। वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 सर्वे किया गया था, इस बी0पी0एल0 सर्वे में पूरे प्रदेश में 6.24 लाख परिवार पात्र पाये गये। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा बहुत सारी योजनायें इस प्रदेश में संचालित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है इसके अन्तर्गत 19 लाख 366 समूहों का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 19459 समूह गठित किये गये। इन समूहों के माध्यम से जो बी0पी0एल0

परिवार हैं, उनको रोजगार दिलाने की योजना है, इस योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत पैसा दिया जाता है। स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनेक योजनायें संचालित है। तकनीकी प्रशिक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें ग्रामीणों हेतु जैट्रोफा परियोजना, अगोरा खरगोश ऊन उत्पादन, लैन्टाना परियोजना, ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम, रेशम शहतूत परियोजना, इस प्रदेश में चलाई जा रही हैं। दूसरा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार गरीब श्रमिकों हेतु निरन्तर रोजगार उपलब्ध कराये जाने की योजना है। इसमें प्रतिदिन 73 रुपये मजदूरी दिये जाने का प्राविधान है, जिसमें 3 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 18 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति हेतु तथा 4 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में खर्च किया जाता है। जो पैसा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होता है उसका 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को, 30 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों को तथा 20 प्रतिशत जिला पंचायतों को जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, इस समय पूरे प्रदेश के पांच जनपदों में यह योजना चलायी जा रही है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह से यह योजना प्रदेश के पूरे जनपदों में चलायी जायेगी। मान्यवर, वर्ष 2008–09 मे इस योजना हेतु #0 192000 हजार बजट की व्यवस्था की गई है।

इन्दिरा आवास के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस योजना के अन्तर्गत जो बी0पी0एल0 परिवार के लोग है और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग हैं उनके लिए इंदिरा आवास योजना की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में रु0 27500 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु रु0 25000 की व्यवस्था है। मान्यवर, डी0पी0ए0 योजना सात जनपदों में चमोली, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र में चलायी जा रही है। इसमें 2008–09 हेतु रु0 63100 हजार की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इसमें छठे फेज तक काम शुरू हुआ है और सातवें फेज की डी0पी0आर0 बनाई जा रही है, क्योंकि पाँच–छः सालों में जिस गति से इस योजना में काम होना चाहिए था, उस गति से काम नहीं हुआ। मान्यवर, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है इसको देखने के लिए नौ डिवीजनों की व्यवस्था की है। बायोगैस संयत्र योजना में पूरे देश में उत्तराखण्ड पहले नम्बर पर आया है, इसके लिए मैं विशेषकर राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। वित्तीय वर्ष 2008–09 में इसके लिए रु0 2155 हजार की बजट में व्यवस्था की है। हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना पाँच जनपदों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में चलायी जा रही है। 'राज्य ग्रामीण स्वरोजगार मिशन' इस योजना का उद्देश्य जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको स्वरोजगार दिया जाना है। इसमें अब तक 2222 समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 9900 स्वरोजगार लोगों को वित्त पोषित किया गया है। उत्तरांचल सार्वभौम रोजगार योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान

किये जाते हैं। इस योजना के द्वारा शिक्षित, अशिक्षित और युवक, युवतियों द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है। 2008–2009 के बजट में जो प्राविधान किया गया है, इसमें छः करोड, उन्सठ लाख दस हजार करोड के बजट की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना, जिसे प्रदेश में पहली बार लागू किया गया है। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी का कहना था कि जो समाज मे अन्तिम पंक्ति मे बैठे व्यक्ति को समाज से ऊँचा उठाने के लिए इसमे अन्त्योदय राशन कार्ड की व्यवस्था की गई थी। इसीलिए आज प्रदेश की सरकार ने पहली बार प्रदेश में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना लागू की है। इस वर्ष हमने 12,224 आवास योजना स्वीकृत की है और वर्ष 2008–09 के बजट में 16 करोड का प्राविधान किया गया है प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रो की व्यवस्था के अन्तर्गत ऊधमसिंह नगर में और देहरादून में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था, हरिद्वार मे पंचायती राज प्रशिक्षण की व्यवस्था और रूद्रपुर मे ग्रामीण आवास, हवालबाग में कृषि, पौडी में जलागम कार्यक्रम, गोपेश्वर में जडी–बूटी, सगंध पौध तथा हल्द्वानी में स्वयं सहायता समूह के कौशल वृद्धि के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2008–09 में इसमें एक करोड बजट का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, पंचायती राज विभाग, प्रदेश मे इस समय 4410 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन पंचायतों में 3440 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक मे पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत आयोजनगत मद मे रू0 75,934 हजार की बजट व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि चूंकि इस विभाग में प्लान का पैसा नहीं होता है केवल वेतन के लिए इसमें 12 करोड, 64 लाख, 63 हजार के बजट की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जो यह ग्रामीण विकास का बजट है, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को रोजगार दिलाने, बी0पी0एल0 परिवार के लोगो को ऊपर उठाने के लिए इस सरकार द्वारा इस बजट में प्राविधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता के सम्बन्ध मे अवगत कराना चाहता हूँ कि विभिन्न अंचलों में निर्बल वर्गों को समृद्धिशाली बनाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। पूरे प्रदेश में इस समय हमारे पास 10 जिला सहकारी बैंक, 756 पैक्स एव 3 शीर्ष सहकारी संस्थाएं कार्यरत है। सहकारिता विभाग समितियो के लिए एक मित्र, विचारक एव पथ–प्रदर्शक के रूप मे कार्य करता है। मान्यवर, सहकारी जिला योजना के

अन्तर्गत सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना में कृषकों को कृषि ऋण उत्पादन हेतु ऋण वितरण, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइया आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। मान्यवर, सहकारी क्रय-विक्रय योजना में राज्य के कृषकों को उनकी उपज का गॉव के निकट ही उचित रूप से क्रय-विक्रय का उचित प्रबन्धन करके उन्हें उपज का उचित मूल्य दिलाने व बाजारी कुरीतियाँ तथा शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास इस योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। मान्यवर, प्रदेश में हमने पहली बार कुछ एक नये कार्य शुरू किये हैं, जिसका बजट में भी उल्लेख है। श्रम समितियो के माध्यम से प्रदेश में 2 लाख तक के काम बिना टैन्डर के एस्टीमेट में, जो नौजवान बेरोजगार है, उन लोगों को इसमें काम दिया गया है और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र की जो समितियां हैं, वे घाटे में चल रही थीं, उन्हें घाटे से उबारने के लिए इसमें 2 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है। महिला बचत समूह का गठन करने एवं प्रशिक्षण के लिए अनुदान विभाग के अन्तर्गत विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए उसमें 5 हजार समूहों के लिए 50 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, सरकार द्वारा प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलवाने के लिए हमने मिनी बैंक की स्थापना की है। इसके द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में जो समिति घाटे में चल रही हैं वो इस बैंक के माध्यम से सुविधा ले सकती हैं, इसलिए इनकी स्थापना की गयी है। मान्यवर, सरकार द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से इस बजट में विशेषकर निर्बल वर्ग के परिवार के लोगों को समृद्धिशाली बनाने के लिए इस योजना में गांव के क्षेत्रो को और कृषको को देखते हुए बजट का प्राविधान किया गया है और जो हमारी समितिया हैं उन समितियो को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण के माध्यम से इन लोगो ऋण दिये जाते है। इसमें बजट का प्राविधान किया गया है। यह ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए किया गया हैं, प्रदेश के बेरोजगार नौजवानो लोगों को और बी0पी0एल0 परिवार के लिए बजट का प्राविधान किया गया। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि इस बजट में कोई कटौती का प्रस्ताव लाना आवश्यक नहीं है और इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया जाय।

श्री केदार सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राम्य विकास एवं सहकारिता विभाग में वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक बजट के अनुदान संख्या-18 व अनुदान संख्या-19 के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है, पर बोलने का अवसर दिया है, आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था और प्रदेश की जनता द्वारा यह सपना देखा जा रहा था कि राज्य बनाने के बाद हमारा समग्र विकास होगा और बेरोजगारी दूर होगी और अच्छे लोकतन्त्र की स्थापना करना था। यह सरकार उस मूल उद्देश्य से भटक गयी है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जो विशेष कार्यक्रम ग्राम्य विकास के रखे गये हैं इन्होंने उसमें

धनराशि को घटा दिया है। वर्ष 2006–07 में ग्रामीण कार्यक्रम के लिए 38 करोड़ 85 लाख 89 हजार राशि की व्यवस्था की गई थी और बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया था और भी बढ़ाया गया था, इसको बहुत कम कर दिया गया है। जो पुनरीक्षित कर 53 करोड़ 67 लाख की गयी थी वह मात्र इस वर्ष 29 करोड़ कर दी गयी है। मान्यवर, इससे परिलक्षित होता है, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यक्रम में सरकार किस तरह से अरूचि दिखा रही है। मान्यवर, अवस्थापना के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास से सम्बन्धित जो हमारे विभाग हैं उनमें सरकारी कार्मियों की भारी कमी है। विकास खण्ड के अन्तर्गत चाहे वह विकास खण्ड अधिकारी हो या ग्राम पंचायत अधिकारी हो, उनमें कोई भी कर्मचारी हो, सभी में कमी हुई है। चाहे वे जे0ई0 हैं या कोई और अधिकारी, उनकी कमी है। इस बजट भाषण में उनकी नियुक्ति के बारे में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना को लागू करना चाहिए।

ग्रामीण विकास व रोजगार के तमाम कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं चलाये जा रहे है। इसकी व्यवस्था भी सरकार ने उचित रूप में नहीं की है। इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए इस विभागीय नीति की आलोचना करता हूं। ग्राम्य विकास ने एक पत्र भी भेजा था। जिसका पत्रांक 1165 स्थापना–38, 2007–08, दि0 3 जुलाई, 2007 को भेजा गया था। जिसमें पाँच कार्मिकों की सहमति मांगी गयी थी कि क्या वे बतौर सहायक अभियंता के रूप में कार्य करने को तैयार हैं, ताकि जो हैं, उनको प्रोन्नति और नियुक्ति दी जाए और उनसे तत्काल सहमति भी मांगी गयी थी। लेकिन अभी तक 6 महीने से भी अधिक का समय हो गया उस पर कोई विचार नहीं किया गया। इससे यह परिलक्षित होता है कि यह सरकार कितनी गंभीर है। अवस्थापना मदों में कार्मिकों की भर्ती में, अधिकारियों की भर्ती में।

मान्यवर, जो पंचायती राज की परिकल्पना स्व0 राजीव गांधी जी ने की थी 73वां संविधान संशोधन ला करके, वह पंचायती राज की जो कल्पना है, स्वायत्त शासन की कल्पना, कहीं भी इस बजट के द्वारा परिलक्षित नहीं होती है। जो हमारा राज्य वित्त आयोग है, जिसका उद्देश्य था कि अलग से पंचायती राज के लिए बजट की व्यवस्था करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। एक और मान्यवर, बी0पी0एल0 परिवार का है, आवासविहीन सूची का मामला है और इसी सम्मानित सदन में राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य आ चुका है कि बी0पी0एल0 की सूची मे गड़बड़ियां हैं, पात्र व्यक्ति छूट गए हैं। यह कहा गया है कि बी0पी0एल0 का जो है क्योंकि राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक माननीय मंत्री जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मैं भी उसमें था। उसमें यह कहा गया था कि हर वर्ष मार्च के महीने में बी0पी0एल0 सूची का, आवास विहीन सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, संशोधन के लिए आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। लेकिन अभी तक कोई भी आपत्तियाँ जिलों में जनता के बीच में आमन्त्रित नहीं की गयी है। जिससे

ग्रामीण विकास की जो योजनाएँ हैं वह बहुत प्रभावित हो रही हैं। क्योंकि बी0पी0एल0 का यदि आवास विहीन सूची में व्यक्ति है तो तभी इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उसकी पात्रता बनती है। जो नई योजना, दीनदयाल आवास योजना लागू की गयी है उसमें भी मैंने माननीय मंत्री जी को सजेस्ट किया था कि इस दीनदयाल आवास योजना, जो लॉन्च कर रहे है, उसमें कम से कम आवास विहीन सूची की पात्रता हटा दी जाए ताकि ऐसे जो छूटे हुए पात्र व्यक्ति हैं, जिनको आवास की आवश्यकता है और जिनको इन्दिरा आवास से लाभान्वित नहीं किया जा सकता है, उनको दीनदयाल आवास योजना से लाभान्वित किया जाए, लेकिन यह भी इस बजट में नहीं किया गया है और न ही दीनदयाल आवास योजना को आवास विहीन सूची से बाहर रखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस सरकार को गरीबों को, जो आवास विहीन हैं, आवास देने की मंशा नहीं है। मान्यवर, 9 पी0एम0जी0एस0वाई0 डिवीजन खोलने की बात की गई है, उसमें जो सिंचाई विभाग से स्थानान्तरित होकर गये हैं, उसमें कार्मिकों की क्या व्यवस्था है ? अभी तक 5–6 महीने का समय हो चुका है, लेकिन कोई कार्य ग्रहण नहीं कर पा रहे है, उनके पास कोई कार्मिक नहीं हैं और दूसरे विभागों से जो अभियन्ता जाने थे, तो मुझे लगता है कि सरकार में कोआर्डिनेशन नहीं है, जिससे सारा कार्य आगे गति नहीं पकड़ पा रहा है। मिनिमम वेजेज के लिए पिछली सरकार में, माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व की सरकार ने 48 रुपये से बढ़ाकर 73 रुपये कर दिया और इस सरकार ने और अधिक बढ़ाने का कोई भी प्राविधान नहीं किया है, जबकि हम सब जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर पहुँच रही है, गरीब मजदूर की मजदूरी कम से कम 100 रुपये से अधिक होनी चाहिए और इसका प्राविधान बजट में नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार गरीब मजदूरों का कोई निर्णय नहीं लेने जा रही है।

मान्यवर, सहकारिता में मेरा निवेदन है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राज्य की स्थापना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए की गई थी, लेकिन इस सरकार ने आते ही, सहकारिता में जो जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधि थे, उनको तानाशाही रवैया अपनाते हुये हटा दिया है, सरकारी संस्थानों में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुये प्रतिनिधि आये थे उनको जबरदस्ती हटा कर उनका कार्यकाल घटा दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार सहकारिता आंदोलन में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखती है। संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते हुये और जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को हटाकर उसमें नौकरशाहों को बैठा दिया, जिससे उसे सहकारी आंदोलन न बनाकर, सरकारी आंदोलन बना दिया है इससे सरकार की मंशा साफ प्रतिपादित होती है और इस बजट में कहीं भी यह परिलक्षित नहीं होता है कि बैद्यनाथन कमेटी में एम0ओ0यू0 त्रिस्तरीय साईन हुआ था। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 के तहत सहकारी संस्थाओं को जहाँ एक ओर स्वायत्तता की बात की गई, लीगल डाक्यूमेण्ट क्रियेट किया गया, जो एम0ओ0यू0, जो एग्रीमेण्ट बनाया गया है उसकी बाध्यता को भी कानून की बाध्यता को भी

संविधान की बाध्यता को भी दर किनार करते हुये, उस बैद्यनाथन कमेटी में सहकारी संस्थाओं को पूर्ण स्वयत्ता देने की बात की गई है और इस सरकार ने ठीक विपरीत जाते हुये सहकारी संस्थाओं में सरकारीकरण लागू कर दिया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया है। वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पूरी सहकारी संस्थाओं को जो त्रिस्तरीय है, चाहे प्राइमरी है, सेन्ट्रल हैं, एपेक्स, कोऑपरेटिव सोसाईटी है उसमें उनको घाटे से उबारने के लिए केन्द्र सरकार की व्यवस्था है। उसमें कम्प्यूटराइजेशन होना है तो यह भी केन्द्र सरकार से होना है, यह बाकायदा एम0ओ0यू0 साईन हो चुका है, लेकिन इस बजट के माध्यम से एक करोड़ रुपये की जिला सहकारी बैंकों के कम्प्यूटराईजेशन की व्यवस्था की गई है, जबकि जिला सहकारी बैंक अपने आप में स्वायत्त संस्थायें है। पहले भी कुछ जिला सहकारी बैंक कम्प्यूटराइज्ड हो चुके हैं और जो छूटे हैं उसके लिए उनके पास अपना फण्ड है। इसलिए सरकार द्वारा जो एक करोड़ रुपया रखा गया है, मैं समझता हूँ यह औचित्य विहीन है। मान्यवर, इसमें जो महत्वाकांक्षी योजना नारायण कृषक कवच बीमा योजना है, इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, एक बिन्दु की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एस0एन0डी0 में जो तीन जगहों पर एक ही मद को दर्शाया गया है क्रमांक 63 के पेज 37 में अनुदान संख्या-18 सहकारिता है, इसमें जो औचित्य है, इसमें धनराशि मांगी 5221 हजार रु0 इसका औचित्य क्या है ? इसका औचित्य जिला सहायक निबन्धकों द्वारा क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्धार की बात आयी है। मान्यवर, इसी तरह क्रम संख्या-86 पर, हालांकि अनुदान संख्या तो 30 है, लेकिन जो औचित्य है वह बिल्कुल समान है, जिला सहायक निबंधकों द्वारा गोदामों के जीर्णोद्धार के लिये इसमें धनराशि 588 हजार रु0 मांगी है। मान्यवर, फिर इसी औचित्य पर आपने क्रम संख्या-93 पर अनुदान संख्या-31 में इसी औचित्य पर जिला सहायक निबंधक की रिपोर्ट के इस औचित्य पर ग्रामीण गोदामों के जीर्णोद्धार के लिए 482 हजार की व्यवस्था की है। इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि ये एक ही औचित्य पर अलग-अलग मदों में अलग-अलग धनराशि कैसे मांग रहे है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया हैं। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं अपनी सरकार और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि सहकारिता के माध्यम से पूरे उत्तरांचल में रोजगार देने का एक अवसर पैदा किया। दो लाख रु0 तक के श्रम समितियों के माध्यम से बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार का अवसर दिया है। निश्चित रूप से यह उत्तरांचल में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। दूसरी बात मैं यह भी

कहना चाहता हूँ कि आज तक सहकारी आंदोलन को घरबारी आंदोलन कर दिया गया है या सत्कारी आंदोलन कर दिया है। किसी सहकारी बंधु के बजाय केवल साले-साली, बेटा-बेटी या अन्य लोगों के बीच में पद बाँट दिये गये और हद तो तब हो गयी जब पूरे प्रदेश के अंदर दो परिवारों का सहकारी प्राथमिक समितियों से लेकर उच्च समितियों तक कब्जा हो गया। मान्यवर, इस सरकार ने पहली बार इसके कार्यकाल को कम करके मनमानी पर अंकुश लगाया है और जो वास्तव में सहकारी आंदोलन का जो भाव था सहकारिता के माध्यम से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो ख्वाब था। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में परिवारों के कब्जे सहकारी संस्थाओं पर हो गये और पहली बार कार्यकाल कम करने से जो एक तंत्र विकसित हो गया था और वर्षों-वर्षों से उसका एकाधिकार था और अपनी जेबी संस्थाओं में विकसित कर दिया था, पहली बार सरकार इन संस्थाओं पर भी अंकुश लगा रही है और उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। मान्यवर, कैसे साजिश की गयी, जो हमारी नीचे की प्राथमिक समितिया हैं और जो सहकारिता का प्राण है, जिनसे पूरे प्रदेश के शीर्ष समितियों में जाना होता है उनको साजिशन डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता था और उनसे चुने लोग अपनी भागीदारी नहीं कर पाते थे और किसी भी संस्थाओं में नहीं आ पाते थे।

मान्यवर, पहली बार उन डिफाल्टर समितियों को ऋण से उबारने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से इससे सबका प्रतिनिधित्व होगा। इसके लिए मैं सरकार को भी और माननीय मंत्री जी को भी साधुवाद देता हूँ। मान्यवर, मिनी बैंकों की स्थापना की जा रही है। दूर-दराज के कृषक भी उन बैंकों में अपना पैसा रख सकते हैं, निकाल सकते है और उन्हें वक्त पर पैसा मिल जाएगा। मै इसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही माननीय मंत्री जी को और सरकार से करबद्ध निवेदन करने के साथ एक सुझाव देना चाहता हूँ कि सहकारिता ऐसा क्षेत्र है कि पूरा उत्तरांचल इससे रोजगार पा सकता है। आज गुजरात में देखिये, वहां सहकारी खेती हो रही है, सहकारी डेयरी फार्म डेवलप किये जा रहे है और वहां सहकारी उद्यान लगाये जा रहे हैं। मान्यवर, हमारे उत्तराखण्ड मे छोटी-छोटी जोत हैं, छोटे-छोटे काश्तकार है, वे अकेले ट्रैक्टर नहीं ले सकते हैं, अकेले सिंचाई के पम्प नहीं ले सकते हैं। अगर सहकारी खेती विकसित की जाय तो एक काश्तकार के बजाय 20 लोग एक ट्रैक्टर लेकर कम लागत में अच्छी खेती कर पाएंगे। इसके लिए मै निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इनको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी तरफ एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जेबी संस्थाओं पर अगर अंकुश नहीं लगाएगे, तो सहकारी संस्थाओं के कारण, जो मूल भाव था, मिल बैठकर अपना विकास करेंगे, वह भाव खत्म होता जा रहा है। इसमें भी सरकार ध्यान देगी और तीव्रता से काम करेगी, ऐसा मेरा करबद्ध निवेदन है।

महोदय, ग्राम्य विकास की भी आपने अनुदान मांगे प्रस्तुत की हैं, मैं अपनी सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ और मै माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। लोग दिन भर मजदूरी करते हैं और दिन भर में 50-60-70 रुपया कमा पाते हैं,

उनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं हो पाता तो सिर छुपाने के लिए छत कहां मिलेगी। इसके लिए भगीरथ प्रयास किया है। 5 साल पहले भी हमारी सरकार थी उस समय एक-एक गांव में 40-40 मकान इन्दिरा आवास के दिये थे। पिछली बार कहीं कोई मकान नहीं दिया गया, कहीं एक मकान, कहीं दो मकान दिये गये और आम गरीब व्यक्ति छत के लिए तरस रहा था। हमारी सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय योजना लागू करके एक ऐसा भगीरथ प्रयास किया है, उसका परिणाम दिखने लगा है। जिन गांवों में पिछले पांच सालों में 4 मकान मिले थे, वहां पर 17-18वें नम्बर पर जो प्रतीक्षा में लोग थे, उनका नम्बर भी आ गया है। उनका कोटा पूरा हो गया है। मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ, जो दिक्कत आ रही थी, बी0पी0एल0 की प्रतीक्षा सूची की वजह से, जो दिक्कत आ रही थी पिछले दिनों गलत लोगों का नाम बी0पी0एल0 श्रेणी में चढ़ा देने की वजह से, कैसे-कैसे उदाहरण हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के प्रमुख लोग भी बी0पी0एल0 में हैं। मान्यवर, मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने उसमें परिवर्तन किया है और उसको बी0पी0एल0 से हटाया है, बी0पी0एल0 की वरिष्ठता सूची से उसको अलग किया है। उसमें मकानों की श्रेणियां, जो अधकच्ची है ऐसे आवासविहीन को इसमें शामिल किया गया है, मै निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना मे पिछले साल-डेढ़ साल से कहीं काम होते नहीं दिख रहे थे, अभी बहुत बात की जा रही है कि प्रदेश का इतना विकास हुआ, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व मे कहां से कहां पहुँचा दिया। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, जिस क्षेत्र मे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का निवास है और उनके अपने घर पदमपुरी में प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क अब प्रारम्भ हुई है। मैं इसके लिए भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने नौ डिवीजन बनाये हैं, उसके कारण तीव्रता से काम हो रहा हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*श्री चन्दन राम दास-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राम्य विकास, पंचायती राज और सहकारिता की अनुदान मांगो पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्राम्य विकास विभाग एक ऐसा विभाग है जो पूरे पर्वतीय जनपद के सुदूर ग्रामीण अंचल तक लोगों को लाभान्वित करता है। चाहे सहकारिता के क्षेत्र मे हो, चाहे पंचायती राज के क्षेत्र में हो। पंचायती राज के क्षेत्र मे तो हमारी सरकार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि राजीव गांधी जी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर एक इतिहास कायम किया, परन्तु हमारी सरकार ने उस इतिहास में एक स्वर्णिम इतिहास कायम किया कि पंचायतों मे और सहकारिता मे महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर एक बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मै सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

नोट:-*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय चंदन राम दास जी, यदि कोई विशेष बात हो तो बता दीजिये।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो बजट यहां पर रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, माननीय केदार सिंह रावत जी, माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट जी और माननीय चंदन राम दास जी ने जो सुझाव दिये और इसमें जो माननीय केदार सिंह रावत जी ने कहा कि पंचायतों में जो ग्राम्य पचायत विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राम्य विकास में प्रदेश में 2000 पद रिक्त है। (व्यवधान)

श्री तिलकराज बेहड़–

सहकारिता में जड़ी–बूटियों का क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

मानानीय मंत्री जी, जब से माननीय तिलक राज बेहड़ जी उस तरफ गये हैं, उनको जड़ी की चिन्ता होने लगी है, थोड़ी सी उन्हें उपलब्ध करवा दीजिये।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जब से यह उत्तर प्रदेश से आये है, इनको जड़ी की चिन्ता ज्यादा होने लगी है। मान्यवर, हमारा प्रयास है कि प्रत्येक न्याय पचायत में एक ग्राम पंचायत अधिकारी होगा, यथाशीघ्र हम इसकी विज्ञप्ति भी निकाल रहे हैं। आपने कहा कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना में बी0पी0एल0 क्रमाक में जिनके नाम छूट गये हैं, उन लोगो के लिए भी हमने शासनादेश जारी किया है कि बी0पी0एल0 क्रमांक में जिनका नाम छूट गया और आवासविहीन लोग है, कच्चा मकान है और जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको मात्र एक प्रार्थना–पत्र देना होगा, उप जिलाधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी को खण्ड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी दोनों उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद यदि वह पात्र व्यक्ति होगा तो उसे इसमें सम्मिलित किया जायेगा।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, क्या इन दोनो सूचियों का पुनरीक्षण किया जायेगा ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, यह केवल पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना का मैं बता रहा हूँ कि 2002 में बी0पी0एल0 क्रमांक में छूट गये थे और जो आवासविहीन हैं।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, जो आवास विहीन लोग हैं, क्या उनका नाम आवास विहीन सूची में होना चाहिए ? कहा जा रहा है कि उनकी पात्रता तभी होगी जब आवास विहीन सूची में उनका नाम होगा। इन्दिरा आवास में भी आवास विहीन सूची को मांग रहे हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इसमें आवास विहीन का नहीं है, बी0पी0एल0 क्रमांक में जिनके नाम छूट गये थे, जो आवास विहीन हैं, जो पात्र हैं, उनको 16 मार्च से लेकर 21 मार्च तक इसमें आपत्तियां मांगी गई हैं और इन आपत्तियों का निस्तारण 2 महीने के अंदर कर दिया जायेगा।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें मेरा अनुरोध है कि इस तिथि को बढ़ा दिया जाय क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में तो सूचना जाने में भी समय लगता है।

(व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इसे 30 तारीख तक बढ़ाई जायेगी, आपने कहा कि न्यूनतम मजदूरी 73 रुपये से ज्यादा बढ़ायी जानी चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए हम विचार कर रहे हैं। आपने कहा कि 5 साल से दो साल का कार्यकाल कर दिया है, हम तो चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन आप लोग न्यायालय में चले गये। हम तो आज भी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, आप रिट वापस ले लें।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, आपने चुने हुये जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल से पहले ही हटा दिया, इसलिए हम न्यायालय गये।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, अभी हमारे साथ माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट जी ने कहा कि यह काम परिवारवाद को समाप्त करने के लिए किया गया है। आपने कहा कि जिला सहकारी बैंको को कम्प्यूटरीकृत किया जाय। आप तो डी0सी0बी0 के अध्यक्ष हैं, आपने अपने जिले में तो कम्प्यूटरीकरण किया है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए धन की व्यवस्था की गई है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, देहरादून में सहकारिता में कम्प्यूटर के लिए पैसा नहीं है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से केन्द्र सरकार भी कम्प्यूटराईजेशन के लिए पैसा दे रही है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इस पर कार्यवाही चल रही है। जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किया जायेगा।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, वह तो लागू हो गयी है। उस पर पहले ही साइन हो गये हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, अब तो आपके जितने भी संशोधन थे, उन्हे मान लिया गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सहकारिता क्षेत्र में सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, उसकी हत्या की है, सरकारीकरण किया है और ग्राम्य विकास विभाग में समुचित बजट की व्यवस्था नहीं की गयी है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 4107200 हजार (चार सौ दस करोड़ बहत्तर लाख मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 246613 हजार (चौबिस करोड छियासठ लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 25, खाद्य विभाग

खाद्य, आपदा प्रबन्धन एवं राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 3266270 हजार (तीन सौ छब्बीस करोड बासठ लाख सत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 357444 हजार (पैंतीस करोड चौहत्तर लाख चौवालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं योजना मदों में राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दुओं को सदन में रख रहा हूँ। विस्तार में बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्व पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए, वाहन आदि के लिए रुपये 150 लाख की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। कलेक्ट्रेट भवनों के आवासीय निर्माण के लिए अल्मोडा एवं देहरादून में नये भवनों के निर्माण प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही अन्य अनुरक्षण कार्य, लघु निर्माण कार्यों के लिए भी इस योजना में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना में रुपये 5.00 करोड की माग प्रस्तावित की गयी है। तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 52 तहसीलों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण या तो प्रगति में है या उसको शुरू करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए रुपये 5.00 करोड की माग की गयी है। मान्यवर, आगामी वित्त वर्ष के लिए इस योजना में पाँच करोड की मांग प्रस्तुत की गई है। तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों की निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 52 तहसीलों आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण या तो प्रगति में है या उसे प्रारम्भ

करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए रुपये 5 करोड़ की माँग इस मद में प्रस्तुत है। पटवारी चौकियों का निर्माण अन्तिम चरण में है तथापि निर्माणाधीन चौकियों के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी इस कार्य के लिए रु0 एक करोड़ की माँग प्रस्तुत की गई है। राजस्व पुलिस के क्षेत्रों में केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में 51 कानूनगो चौकियों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। आगामी वर्ष के लिए इस मद में 50 हजार करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, आपदा राहत कोष की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रीय एवं 25 प्रतिशत राज्यांश शामिल है। यह कोष दैवी आपदा के समय राहत सहायता वितरण तथा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के तत्काल मरम्मत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी मद से स्थायी आवास व्यवस्था, खाद्य एवं चिकित्सा भी की जाती है। उपकरणों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी इस मद से किया जाता है। पुलिस विभाग, होम गार्ड, पी0आर0डी0, अग्नि शमन एवं जिला प्रशासन को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें 2008–2009 में रुपया एक सौ करोड़ 67 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, यह धनराशि कालावधित नहीं होती है।

मान्यवर, खाद्य विभाग के अन्तर्गत आपूर्ति, विपणन शाखा, बांटमाप शाखा, राज्य उपभोक्ता फोरम शाखा शामिल है। राज्य जिला फोरम के अधिष्ठान व्यय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये 19 करोड़ 66 लाख 39 हजार का प्राविधान है। अन्नपूर्णा योजना के लिए आयोजनेत्तर के पक्ष में रुपये 80 लाख का बजट का प्राविधान किया गया है। महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जाने की योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश जारी किया जा चुका है, इसके लिए 2008–2009 में आयोजनागत पक्ष में रु0 4 करोड़ प्रस्तावित हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित उपभोक्ता कल्याण निधि, उपभोक्ता क्लब एवं जिला फोरम की अवस्थापना ग्रामीण बैंक तथा उपभोक्ता जागृति के लिए इसमें 9 करोड़ 26 लाख रुपये का प्रस्ताव है। खाद्यान्न भण्डारण एवं गोदाम के लिए रुपये 1 करोड़ तथा गैस गोदाम भण्डारण निर्माण हेतु एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तावित है। रबी, खरीफ हेतु वर्ष 2008–2009 के लिए एक लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य की मण्डियां आढ़तियों और कमिशन एजेन्टों से ढाई परसेन्ट की कमीशन दर पर क्रय किये जाने का भी प्रयास करेगी। खरीफ खरीद हेतु वर्ष 2007–2008 में लगभग 18 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा चुका है, एक लाख तीस हजार मीट्रिक टन लेवी चावल की खरीद माह फरवरी तक की जा चुकी है, जो राज्य की आवश्यकतानुरूप है। अन्त में मैं सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि आप इस पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। राज्य निर्माण का जो उद्देश्य था, उसमें प्रशासन को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने की जो सोच थी लेकिन इस सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा इस सम्बन्ध में लगातार मॉग भी होती रही, उसके बावजूद भी इस सरकार के द्वारा, नई प्रशासनिक इकाइंयों के गठन के लिए व नये जिलों के गठन के लिए कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। मान्यवर, कोटद्वार, रानीखेत, उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी क्षेत्र में खाई क्षेत्र को जिला बनाने की मॉग बहुत लम्बे समय से की जाती रही है किन्तु सरकार द्वारा इस तरफ कोइ ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष राजस्व पटवारी के सम्बन्ध में सिर्फ 60 करोड प्रतिवर्ष का प्राविधान किया जाता तो सम्पूर्ण राज्य के जो पुलिस कार्य हैं, वह उनसे सम्पादित कराये जा सकते है, राजस्व पुलिस से। जिस तरह से पुलिस व्यवस्था को चुस्त–दुरस्त करने के लिए रैग्यूलर पुलिस के लिए नया अधिनियम बनाया गया किन्तु जो हमारी राजस्व पुलिस के लिए, जो हमारे लोकल एक्कमैन्ट्स हैं उसके लिए, संशोधन के लिए कोई नया अधिनियम लाने का इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है न ही इस बजट में इसका कोई जिक्र है। मान्यवर, राजस्व पुलिस को जो वाहन उपलब्ध कराये गये हैं, उसका उपयोग वे लोग नहीं कर पा रहे हैं बल्कि वह जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, उसका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मान्यवर, पटवारी प्रशिक्षितो के बारे में माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। मान्यवर, उत्तरकाशी जिले में 3 पटवारी प्रशिक्षित हैं, जो 1996 में प्रशिक्षण ले चुके हैं, वहा के जिलाधिकारी लिख चुके हैं, गढवाल मण्डल आयुक्त भी लिख चुके हैं। उत्तरकाशी में 8 पद पटवारी के रिक्त हैं, तीन प्रशिक्षित पटवारी उपलब्ध भी हैं। वे 1996 में ट्रेनिंग ले चुके है। उनको प्रशिक्षण लिए हुए 10–12 साल हो चुके हैं। लेकिन उनकी नियुक्ति नही की जा रही है। जबकि जिलाधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए अनुमति मागी जा रही है।

यह सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को दुरस्त करने मे कोई दिलचस्पी नही ले रही है। राजस्व पुलिस के लिए जो वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशें हैं उसे लागू करने के बारे में बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। प्रशासनिक सुधार की जो रिपोर्ट पेश हुई है और उसमे जो संस्तुतियाँ आयोग द्वारा की गई हैं उसे लागू करने के बारे मे बजट में कोई प्राविधान नही किया गया है, न ही सरकार की उसे लागू करने की कोई मंशा दृष्टिगोचर हो रही है। मान्यवर, विगत बजट मे कानूनगो चौकियॉ बनाने की बात कही गई थी लेकिन तथ्य उसके बिल्कुल विपरीत है। 1215 तो हमारे पटवारी हैं और

सिर्फ 529 पटवारी चौकियां अभी तक बनाई हैं। यानि 700 पटवारी चौकियां और बनानी है और सिर्फ 1 करोड़ का बजट में प्राविधान किया गया है इससे तो सिर्फ 20–25 पटवारी चौकियों का ही निर्माण हो पायेगा। कानूनगो चौकियों का जिक्र किया गया है। पिछले बजट में भी इसकी बात कही गई थी। इससे स्पष्ट है कि सरकार सदन को गुमराह कर रही है। मान्यवर, न्यायालयों के बारे में जो पहले व्यवस्था थी कि, जो कमिश्नर थे मण्डल के या जो एडिशनल कमिश्नर हैं, वे सर्किल कोर्ट किया करते थे, कैम्प कोर्ट किया करते थे, जिलों में 1991 के पहले, लेकिन उसके बाद यह व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है जबकि जनता की अपेक्षा तो और भी अधिक है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमारे और नजदीक आएं।

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि फिर से यह व्यवस्था लागू हो। जो कमीश्नर है, कम से कम दो दिन कोर्ट के जिला मुख्यालय पर जायें, पूर्व की भांति। मान्यवर, एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार वाली बात है, उसके बारे में पिछली बार भी मैंने कहा था कि पेपर, अंडर कंसीडरेशन जो रहते हैं सचिवालय में, उनका कोई इंडेक्शिंग हो। एक साल का अनुभव मुझे हो चुका है। विधायक स्तर के जो पत्र क्षेत्र की समस्या के है जब उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया, उसमें कार्यवाही की जा रही है कि आपका पत्र संबंधित सचिव के कार्यालय में भेज दिया गया है। लेकिन उस सचिव के कार्यालय से कोई जवाब सदस्यगणों को नहीं मिलता है। उस पत्र का जवाब एक साल तक नहीं मिला। यह स्पष्ट परिलक्षित करता है कि जो हमारा सामान्य प्रशासन है वह किस स्तर पर चल रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही हमारे नीचे स्तर के कार्यालयों में भी दिखायी देगी। मान्यवर, मैंने पूर्व में भी कहा था कि गांव के विकास के लिए राजस्व के माध्यम से चकबन्दी का कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। मान्यवर, स्वैच्छिक चकबन्दी योजना की बड़ी आवश्यकता है, जो स्व0 राजेन्द्र सिंह नेगी जी ने शुरू किया था। उसको मॉडल मानते हुए स्वैच्छिक चकबन्दी का कार्यक्रम चलाना चाहिए। इस कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है कि जो कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के अन्तर्गत जो चकबन्दी होती है उसमें जो आम किसान हैं, वे पीढ़ियों तक फंस जाते हैं और अधिकारियों द्वारा कन्सोलिडेशन चलता है, मुकदमे चलते है कई वर्षों तक, सुप्रीम कोर्ट तक, इसलिए स्वैच्छिक चकबन्दी शब्द का इस्तेमाल किया गया है किसानों के समय और श्रम को बचाने के लिए जो हमारी सारी धरती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। ग्राम्य विकास के अन्तर्गत जो योजना है, चाहे वो दुग्ध विकास की बात हो या मौन पालन की हो, उद्यान की हो, ये सारी योजना धरातल पर होनी हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर चकबन्दी के रूप में धरती पर नहीं हो जाता है तब तक ये सारी योजनायें धरातल पर नहीं दिखायी देंगी। इसलिए स्वैच्छिक चकबन्दी की स्पेशल योजना सरकार को चलानी चाहिए, इसका कोई प्राविधान सरकार द्वारा इस बजट भाषण में नहीं किया है। इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे खाद्य के वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक बजट के अनुदान संख्या–25 के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है' पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने खाद्य विभाग पर चर्चा की है। दो चार ही विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। जब से एक वर्ष के अन्दर ये सरकार बनी है, राशन की दुकानों पर राशन नहीं मिल रहा है। वह कहां जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जहां तक मिट्टी के तेल की स्थिति है, मिट्टी का तेल कहां जा रहा, माननीय मंत्री जी जानते हैं। कुछ पकड़े, छापे डलवायें, कुछ दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही हो तो मालूम पड़े। एक साल के अन्दर न मिट्टी तेल की कोई गाड़ियां पकड़ी गयी हैं, जो ब्लैक में जा रहा है, जो डीजल में मिलाया जा रहा है पैट्रोल पम्प पर, कोई भी आज तक किसी भी पेट्रोल पम्प पर कोई भी चैकिंग सरकार द्वारा नहीं करायी गयी। कितना डीजल कहां से कहां जा रहा है। मान्यवर, एक बात और कहना चाह रहा हूँ। महंगाई का सब लोग जिक्र कर रहे हैं। पूर्व सरकार के समय दाल, आटा, चावल ऐसी बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं सरकारी दाम पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिल रही थीं, आज सारी की सारी दुकानें बन्द कर दी गयी हैं, उसके बाद कोई पूछ ही नहीं रहा है, उस ओर सरकार का ध्यान ही नहीं है। दूसरा मान्यवर, बात आती है तो भारत सरकार पर डाल दी जाती है कि भारत सरकार एलोटमेंट नहीं कर रही है, गेहूँ, चावल पर सरकार ने पिछले वर्ष इस स्टेट के अन्दर गेहूँ खरीदने का कोई प्रयास नहीं किया। सारे के सारे सरकारी कांटे, चाहे वे खाद्य विभाग के थे या सहकारिता विभाग के थे, वो खाली पड़े रहे हैं। होता तो यह कि बाजार में अगर दाम ज्यादा था, सरकारी कांटों पर नहीं आ रहा था, तो विभाग के जो कमीशन एजेंट हैं, जो सरकार के कमीशन एजेंट हैं, कहीं न कहीं से व्यवस्था करते। राज्य सरकार ने क्यों नहीं खरीदा ? राज्य सरकार हमेशा व्यवस्था करती है।

जहाँ तक प्रदेश के अन्दर गैस सिलेन्डर की बात है। मैंने पहले भी कहा कि गैस सिलेन्डरों की जो स्थिति है, मान्यवर, बाजार में ब्लैक में गैस सिलेन्डर मिल जायेगा, लेकिन सरकारी एजेन्सी में नहीं मिलेगा। अभी सरकार ने कहा है कि हम महिलाओं के लिए गैस सिलेन्डर मुफ्त करायेंगे और तीन माह में एक बार रिफिलिंग होगी। मान्यवर, तीन माह में अगर एक बार मिलेगा तो अगर हर माह उसका खर्च होता है तो वह कहाँ जायेगी लेने ? उसकी क्या व्यवस्था होगी, उसका खर्च कौन देगा ? ऐसा नहीं है किसी का परिवार बड़ा हुआ, किसी का परिवार छोटा हुआ। मान्यवर, इसको या तो आवश्यकतानुसार करें या फिर उसको एक माह में करें। तीन महीने बाद अगर उसको मिलेगा तो उसको लाभ कहाँ मिलने वाला। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बार स्टेट पूल के अंदर चावल, गेहूँ खरीद का क्या लक्ष्य था और इस बार क्या लक्ष्य है ?

उसके लिए राज्य सरकार ने कोई बजट की व्यवस्था की है ? पहले तो अलग से व्यवस्था होती थी कि गेहूँ खरीदने के लिए इतने रुपये की हमारे पास व्यवस्था है, बैंक के अंदर रुपया रहेगा। इस बार इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया और साथ ही जहाँ तक गोदामों का विषय है, गोदाम नहीं बन रहे हैं। गोदामों के लिए कहा जा रहा है कि गैस गोदाम बनायेंगे, खाद्य गोदाम बनायेंगे। मान्यवर, एक वर्ष के अंदर कोई गोदाम नहीं बना, अगर बनाया हो या उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया हो तो बता दें। कोई गोदाम पहाड़ में नहीं बन रहा है तो यह कहना कि हम प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे, यह खाली कोरा आश्वासन साबित हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को कालाबाजारी करने वाले को रोकना पड़ेगा। इन कालाबाजारी करने वालों को चिन्हित करना पड़ेगा। चाहे वो डीजल में मिलाने वाले लोग हों, चाहे वहाँ चीनी बिकती हो, चाहे वहाँ आटा बिकता हो, चावल जाता हो, तो सरकार जब तक इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो कोई कह रहा था कि मंत्री जी कह रहे थे कि मैं क्या करूँ, मैं तो पकड़ता हूँ और हमारे मित्र लोग छुड़वा देते हैं। मान्यवर, वे लोग कौन हैं जिनको छुड़वा देते हैं ? ऐसे कौन लोग हैं, जिनके ट्रक पकड़े जाते हैं, मिट्टी के तेल के और सिफारिश आ जाती है कि नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना मंत्री जी यह हमारा आदमी है। माननीय मंत्री जी, जो भी कह रहे हों, जांच करें तो सामने आ जायेगा। अगर मेरा आए या किसी मंत्री का आए या फिर किसी माफिया का आए जांच कराएं। मान्यवर, जब पकड़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा। मान्यवर, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, एक साल के अंदर इसमें बहुत घोटाले हुए हैं और आगे भी होने की उम्मीदें हैं। माननीय मंत्री जी को इस संबंध में सख्त कदम उठाना चाहिए। अब क्या है, चावल आता है, अब चावल एक राईस मिल में कैसे कूटता है, कितनी मेहनत करता है, खरीदता है और उसमें क्या स्थिति है, कितने विभाग हैं। आर०एफ०सी० विभाग आ जायेगा कि इतना रुपया, इतना रुपया प्रति बोरा, तो मान्यवर, यह मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह हो रहा है। मान्यवर, यह अभी से शुरू हुआ तो इसे रोकने की जरूरत है अगर पहले था तो अब रोकिये। मान्यवर, जितनी कालाबाजारी, जितना भ्रष्टाचार इस विभाग के अंदर हो रहा है किसी विभाग में नहीं है। मान्यवर, यह मेरा आरोप नहीं है, इसको दूर करने की आज आवश्यकता है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राजस्व विभाग, मान्यवर, राजस्व विभाग ऐसा विभाग है, जहाँ पर इस प्रदेश के अंदर जो पर्वतीय अंचल है वहाँ पर कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी इस विभाग के ऊपर है और पटवारी के ऊपर पुलिसिंग का जो काम है वह उसके ऊपर है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, कि इस बजट में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा गया कि जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको

बढ़ाने का काम किया गया। उनको ट्रेनिंग का, उनको उपकरण का और उनको सब तरीके से साजो–सामान से लैस करने का काम, ऐसी एक रणनीति इस बजट के अंदर बनाई गई। मान्यवर, मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के गांव देहात में एक कहावत थी कि हम पढ़े तो हैं लेकिन गुणी नहीं हैं। लेकिन यह हम सभी का निजी अनुभव है। हमारे राजस्व मंत्री जी निश्चित रूप से, वो अपने आप मे एक संघर्ष के पर्याय हैं। उनका जीवन ही अपने आप में एक संघर्ष है और निश्चित रूप से उन्होंने जनसाधारण के बीच लम्बे संघर्ष के दौरान जो तमाम चीजों को महसूस किया है, कहीं न कहीं बजट के माध्यम से उसका समावेश लोगों को, उन तकलीफों को, मान्यवर, कहीं न कहीं एड्रेस करने का काम बजट के माध्यम से किया हैं श्रीमन्, बहुत सारे लोग कहते हैं, तमाम सारे घोषणा–पत्र होते हैं और कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रो मे अर्थ व्यवस्था, यहाँ की रीढ़ की हड्‌डी यहाँ की महिला हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण मे कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर से काम का बोझ घटे, जलाऊ लकड़ी के लिए उनको दर–दर की ठोकरें न खानी पड़ें, उनके जीवन स्तर मे सुधार आए, इन तमाम सारी चीजों पर उनको अलग से फ्री में गैस के कनेक्शन मिल सकें, इसके लिए सरकार ने किया है तो निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है। माननीय केदार सिंह रावत जी ने एक प्रश्न उठाया, उनसे मैं अपने आप को जोड़ते हुये एक सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1995–96 में लगभग 18–20 नौजवान ऐसे है, जिन्होंने किसी व्यवस्था के तहत पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनकी जनपदों मे नियुक्ति नहीं हो पाई, मै निश्चित रूप से अनुरोध करूँगा कि कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें कि वह तमाम सारे नौजवान जिन्होंने पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनकी कहीं न कहीं नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो। अभी माननीय तिलक जी कह रहे थे मुझे यह लग रहा है कि उनके शासनकाल की एक छाया थी, जो प्रतिबिम्ब था, उसी मे जी रहे हैं। जितनी भी घोटालेबाजी थी, जितने मिट्‌टी के तेल के घोटाले थे, इनको दूर करने का काम किया गया है। इस समय जो खाद्य विभाग है उसके अन्दर शानदार सुधार हुआ है, जिसके लिए निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र है, इसलिए मै इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बेहड़ जी की भावना का आदर करते हैं कि उन्होंने आन्दोलनकारियों की भावना का, राज्य का उदाहरण दिया। उसी को दोहराते हुये कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार ने सबसे पहले काम किया तो आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप जल, जंगल और जमीन को बचाने का प्रयास किया। उसके तहत विधेयक को लाकर, जो इस राज्य मे तेजी से यहाँ की जमीन घट रही थी, बाहर के माफिया आकर जमीन पर काबिज हो रहे थे, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। कितनी भूमि स्थानान्तरण, कितने स्थानान्तरण हुए है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिलक जी, आपको मौका मिलेगा।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, कालाबाजारी पर रोक की बात है, मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में, हालांकि मुझे पता है, मा0 मंत्री का पिछला अनुभव मुझे मिल जाये तो कालाबाजारी कल खत्म हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में किये गये परिवर्तन कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 के माह फरवरी में 2439 निरीक्षण किये, छापे मारे गये। मान्यवर, 17 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। मान्यवर, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, 4900 लीटर मिट्टी का तेल जिसका मूल्य लगभग 46200 हजार रू0 है पकड़ा गया। मान्यवर, 10 लाईसेंस लम्बित किये गये और 4 निरस्त किये गये। मान्यवर, 26615 रू0 की जमानत धनराशि जब्त की गयी। मान्यवर, यह कार्यवाही एक साल के अंदर की गयी। मैं माननीय सदस्य केदार सिंह जी की इस भावना का आदर करता हू कि उन्होंने कमिश्नर कोर्ट, जो पहले जिलों में आयोजित होते थे, खासकर उत्तरकाशी के लिए, इसके आदेश कर दिये जायेंगे, जोकि पुनः प्रारम्भ हो सकें। मान्यवर, पत्राचार की परम्परा आपके समय से बिगड़ी हुई थी, हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे है कि आपको पत्रों का जवाब मिले। मान्यवर, स्वैच्छिक चकबंदी के मसले पर कहना चाहता हूँ कि जो स्वैच्छिक चकबंदी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये। मान्यवर, इस सम्बन्ध में सक्रियता से विचार चल रहा है। गांव के चकबंदी को भी विधिक मान्यता देने की भी कार्यवाही की जा रही है, इसके लिए अधिसूचना जारी हो गयी है हम चाहते हैं कि इसी तरह से यह स्वैच्छिक चकबंदी सभी जगह लागू हो, इसमें सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, स्वैच्छिक चकबंदी कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह तो आदेश है। यह लागू हो जायेगी, जैसे–जैसे अण्डर स्टैंडिंग बनती जायेगी। मान्यवर, स्टैट पुल के बारे में कहना चाहता हूँ कि ए0पी0एल0 गेहूँ, जो पिछले वर्षों में 2002 में, जो हमें 16 हजार मीट्रिक टन मिलता था अब मात्र 1600 मीट्रिक टन मिल रहा हैं। मान्यवर, सवाल यह है कि यह कल नहीं घटा, यह आपके शासन काल से घटना शुरू हुआ। मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा जिस तरह से इस पर कार्यवाही की गई वह अच्छी नहीं थी। मान्यवर, इसके लिए हम लगातार केन्द्र सरकार से सम्पर्क करते

रहे। इस पर वाद–प्रतिवाद चलता रहा। इस सम्बन्ध में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गये। मैं भी इसी सम्बन्ध में दिल्ली गया, लेकिन पहली बार आपकी केन्द्र सरकार ने स्वीकारा और उसने स्टेट गवर्मेंट को आदेश किया कि वह अपने ढंग से गेहूँ खरीद सकता है इसके लिए जो कमीशन एजेंट हैं उनके माध्यम से खरीदना होगा और 2.5 प्रतिशत सब्सिडी केन्द्र सरकार देती है, उसको देने के लिए हमें आदेशित किया है। मान्यवर, बहुत बड़ी लम्बी–चौड़ी कहानी नहीं कहना चाहता हूँ। मान्यवर, जिस समय हमारी सरकार ने सत्ता संभाली उस समय बहुत बुरी हालत थी। मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। मान्यवर, पटवारी चौकियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि 1215 पटवारी चौकियो में से केवल 1184 चौकियों का निर्माण हुआ था, अब अवशेष चौकियो का निर्माण कार्य इस समय विचाराधीन है। मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा में पहली बार इस राज्य के अंदर हमारी सरकार को यह जानकारी आयी कि जिलाधिकारियो के कार्यालय भी खराब हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने देहरादून एवं अल्मोड़ा के जिलाधिकारियो के आवासों को बनाया है। मान्यवर, राज्य में 84 तहसील हैं। इसमें से लगभग 31 तहसीलें निर्माणाधीन है, 4 तहसीलों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। मान्यवर, पहली बार इस राज्य के अन्दर कानूनगो चौकियो का निर्माण हमारी सरकार करने जा रही है। 51 कानूनगो चौकियो के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है, तमाम माननीय सदस्यों ने जितनी बातें कही थी, मैंने संक्षेप में सभी का उत्तर दे दिया है मुझे विश्वास है कि अब आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी 1184 चौकियो की बात कहां से कर रहे हैं, इसमें तो लगभग 529 चौकियो की ही बात है मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य विभाग के अन्दर मैंने पहले भी कहा, काला बाजारी पूरे प्रदेश के अन्दर है। माननीय मंत्री जी जिस तरह से कह रहे हैं, उससे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि काला बाजारी को रोकने की कोई योजना बनायी हो। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 3266270 हजार (तीन सौ छब्बीस करोड़ बासठ लाख सत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया दर्ज कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 357444 हजार (पैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख चौवालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 2716273 हजार (दो सौ इकहत्तर करोड़ बासठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 854318 हजार (पचासी करोड़ तैंतीस लाख अठारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री जोत सिंह गुनसोला :–

मान्यवर, कृषि हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी जरूरत और महत्वता है और मैं समझता हूँ कि 90 नहीं तो 95 प्रतिशत लोग गांव में कृषि पर निर्भर है ? आपके द्वारा कृषि की सम्पूर्ण मद मे 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई। अगर इस वृद्धि को इस रूप में देख लिया जाय कि यहां पर सीमान्त किसान, बहुत छोटी जोत के किसान और कुछ लघु किसान और कुछ बड़े किसानों की श्रेणियों में लोग आते है और इन सब का एक ही उद्देश्य भी है कि हम कृषि को व्यवसायिक, आर्थिक नियोजन की ओर मुख्य रूप से ले जाते हैं तो जो 27 प्रतिशत की वृद्धि आपके द्वारा दर्शायी गई है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज एक ओर जहां देखने मे लगता है कि कृषक ही, इस प्रदेश के बहुत तेजी से चहुँमुखी विकास का ढांचा, जिसे कालोनाइजिंग कहा जा सकता है, बहुत बड़ा कालोनाइजिंग कृषि भूमि में हो रहा है। अगर कहीं पर हम देखें और कृषि उत्पाद को देखें तो वह हमारी आर्थिक सम्पन्नता का एक साधन होगा, तो जोत तो घटती चली जा रही है और जो गन्ने का कमाण्ड एरिया है, वह भी घटता चला जा रहा है, गन्ना मिलों की पेराई क्षमता कम होती चली जा रही है यह सब कुल मिलाकर मान्यवर, अगर आप यह मानते कि इस बजट में उन तमाम सीमान्त कृषकों की अगर आप चिन्ता करते, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश की स्वाभाविक है और संवैधानिक व्यवस्था भी है कि कुछ योजनायें केन्द्र पोषित होती हैं और स्वाभाविक है कि केन्द्र पोषित योजनाओं को राज्य सरकार ही अपने राज्य में लागू करे। इसी नियति के तहत जब हम एक ओर सीमान्त किसानों की बात, उन लघु कृषकों की बात करते ....।

श्री मदन कौशिक :–

माननीय गुनसोला जी, समय बहुत हो गया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला :–

मान्यवर, मेरे दोस्तों को इतना ध्यान तो देना चाहिए कि मैं पहले से ही शार्ट कर रहा हूँ। इतना शुक्रिया तो अदा कर देते कि केन्द्र की सरकार ने किसानों के हितों

नोट :–वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात की है, लघु और सीमान्त किसानों के जो ऋण हैं, उनको केन्द्र सरकार ने माफ कर दिया है। अगर प्रदेश सरकार भी अपने बजट में ऐसा कुछ करती तो राज्य के किसान आप सब लोगों को दुआयें देते। मान्यवर, क्योंकि मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। केन्द्र सरकार की इसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा सर्वत्र हो रही है। अगर हमारी राज्य सरकार भी किसानों की हितैषी होती तो इसका प्राविधान बजट में कर दिया गया होता। पशुधन की बात है। इसे सीधा-सीधा आर्थिकी से जुड़ा हुआ माना जाना चाहिए। अगर पशुधन को कृषि से सीधा-सीधा जुड़ा हुआ नहीं माना जायेगा तो इससे आर्थिकी थोड़ी कमजोर होगी और आवश्यकता इस बात की है कि शायद बजट में चारे की बात का कोई उल्लेख हुआ हो कि चारा भण्डारण के लिए हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा चारा बैंक बना दिया। सदन में महिलाओं के बोझ को कम करने की बात कही गयी। पर्वतीय महिला का बोझ कम कर दिया गया, मैदानी महिला का बोझ कम कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पर चारे की व्यवस्था हो जाती तो चारा बैंक बन जाता। तो अब क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन चुकी हैं कि बोलना खाली है, हमने शुरू में जो कहा है कि कटौती का एक रुपये का प्रस्ताव हम लोग कर रहे हैं, उसी पर हम लोग बल देते हैं, क्योंकि बोलने में कही की कहीं बात जायेगी, तो मैं समझता हूँ कि सदन का सम्मान करते हुए धन्यवाद।

श्री गोपाल सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, जैसा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने, क्योंकि उत्तराखण्ड में काफी पशु है। जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो हमें छोटे-छोटे बकरियों के बराबर के जानवर दिखाई पड़ते हैं।इनकी नस्लों में सुधार किया जाना चाहिए, अच्छे सांड मंगाये जाने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में हमारे यहां पशु चिकित्सालय नहीं है। जिससे पशुओं में होने वाली बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उनका टीकाकरण नहीं हो रहा है इस कारण गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर पशु मर जाते हैं। प्रदेश में पशु डाक्टरों की कमी को दूर किया जाना चाहिए। चारे की बात माननीय सदस्य ने कही है। जो जानवर बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें बाहर ले जाकर ले जाकर यू0पी0 में काट दिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रदेश में गौशालाएं बनाई जानी चाहिए, जहां बूढ़े जानवरों को रखा जा सके। उनसे कम से कम हड्डी, चर्म, गोबर तो मिलेगा ही। इसकी व्यवस्था बजट में नहीं की गयी है। इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन आदि हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत रोजगारपरक योजनाएं है। इन धन्धों में बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार ने टी0एस0पी0 और एस0सी0पी0 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गाय और दुधारू भैंसें खरीद कर दी थी। उस योजना को बंद कर दिया गया है। तो माननीय पशुधन मंत्री जी से आग्रह है कि इस तरह की योजना पुनः लागू की जाय और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गाय, भैंस मिलें, उत्तराखण्ड में दूध की नदियां पुनः बहें। ये मेरी आशा है मेरा सुझाव है। मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय गुनसोला जी बहुत सम्मानित साथी हैं और कल माननीय बलबीर सिंह जी से सबने कृषि की घटती हुई जोत पर चिंता जाहिर की और जब सरकार कृषि की बेरोक टोक खरीद पर रोक लगाती है, विनियमन करती है तो ये बात क्यों नहीं गुनसोला जी अपनी पार्टी को बताते हैं, आपके दल के लोगों की सोच भी बदले। कृषि भूमि जब बचेगी तभी जोत बचेगी।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, एक वर्ष के अन्दर कितनी कृषि भूमि इधर से उधर की गई है, कई बिल्डरों को यहाँ बुलाया गया है।

(व्यवधान)

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, चौखुटिया विकास खण्ड की न केवल अल्मोड़ा जनपद में, बल्कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में सर्वाधिक कृषि निर्यात हेतु क्षेत्रीय जनता कृषि मण्डी की मांग लम्बे समय से कर रही है। अतः इसी वित्तीय वर्ष में कृषि मण्डी की स्थापना की मेरे विधान सभा क्षेत्र चौखुटिया या द्वाराहाट, जहाँ जमीन मिल जाये, घोषणा कर दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों को, जैसा कि अभी माननीय गुनसोला जी ने कहा कि कृषि भूमि कोनोलाइजिंग हो रही है सरकार ने भू–अध्यादेश लाकर के कृषि भूमि सुरक्षा की है, उसके कारण हमारे कुछ सदस्यों को परेशानी हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में ठोस पहल की है, उससे कृषि भूमि की सुरक्षा हुई है, जिससे आने वाले भविष्य में हमारी कृषि की और खाद्यान्न की पूर्ति हो सके। अभी आपने बताया कि सरकार ने एक व्यवस्था दी है, जल संभरण में दो लाख का प्राविधान किया है। जो कृषक अपने खेत में जल संरक्षण का काम करते हैं, वह 15 प्रतिशत मूल्य देकर कर सकते हैं, इसमें 85 प्रतिशत सरकार दिलायेगी। अगर सार्वजनिक रूप से कोई तालाब बनाना चाहते हैं जल संरक्षण के लिए, तो उसमें सरकार द्वारा 100 प्रतिशत दिया जायेगा। इसी तरह एस०सी०पी० और एस०टी०पी० है उनको मात्र 10 प्रतिशत देना होगा, बाकी सरकार देगी। पशुधन के विषय में आपने प्रश्न उठाया, हमारा लक्ष्य है कि हर विकास खण्ड पर चारा बैंक बना रहे हैं। इसके लिए दो फैक्ट्रियां जो ऋषिकेश और रुद्रपुर में स्थापित होंगी, जो कॉम्पेक्ट फीड ब्लाक तैयार करेंगी और इसमें हमारी कोशिश है कि पशुपालक को इससे सस्ते दामों पर चारा उपलब्ध हो सके दूसरी बात गौ सदनों की उठायी गई है उसको भी स्थापित करने जा रहे हैं। गाय और गौवंश के संरक्षण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह विधेयक लाई। गौ वंश का हमारा भारत के जीवन मूल्यों में जो स्थान है उस पर शोध कार्य के लिए गौ विज्ञान संस्थान अनुसंधान की स्थापना के लिए 20 करोड़ की हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। ऋषिकेश

नोटः –*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में इसकी नींव रखी जा चुकी है। गौ मूत्र का व्यवसायिक उपयोग प्रारम्भ किया गया है, यह देश में पहली सरकार होगी जिसने गौ मूत्र का व्यवसायिक उपयोग प्रारम्भ किया है। इससे हमारे ग्राम्य क्षेत्र के लोग हैं, विशेष कर जो विकास के अन्तिम पायदान पर हैं, हमारा अधिकांश भाग पर्वतीय है। जो हमारी पर्वतीय गाय है उसको हमने बद्री गाय नाम दिया है, उसका गौ मूत्र औषधि के लिए सर्वाधिक उपयोगी पाया गया है इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे दूरस्थ गाँव हैं, वहाँ पर हमारी मातायें, बहिने पशु पालन का काम करते हैं, उनको अतिरिक्त आय इससे प्राप्त होगी।

मान्यवर, गौ मूत्र का ठीक से उपयोग यदि किया जाय तो 75-100 रुपये की दूध के अतिरिक्त आय रोज हो सकती है। नस्ल सुधार के लिए हमारा प्रयास कृत्रिम गर्भधान का है। हमारा प्रयास है कि भारतीय नस्ल का गोवंश है उसको हम प्रोत्साहित करें। उसके लिए हमारी कोशिश हो रही है, हमारे पास पर्याप्त मात्र में वीर्य उपलब्ध है। हमारे सम्मानित साथी श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी द्वारा चौखुटिया में कृषि मण्डी स्थापित करने की बात कह गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारा सौभाग्य है कि पर्वतीय राज्य जितने भी हैं देश के, उसमें हमको कृषि विकास में अच्छी प्रगति के लिए लगभग 29.44 करोड़ रुपया राष्ट्रीय कृषि विकास से मिला है बात आ रही है कि किसानों के लिए हम क्या कर रहे है तो उससे 71 रोपवे हमने दिये हैं। उससे दूरस्थ क्षेत्रों में जो हमारे किसान हैं, जहां पर यातायात के साधन नहीं हैं, उनका उत्पादित माल सीधे मार्केट में पहुँच जायेगा। मान्यवर, इसके साथ ही किसानों के लिए 4 संग्रह केन्द्र बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है और इसके लिए डेढ़ करोड़ से अधिक का खर्च आयेगा। चौखुटिया कृषि मण्डी की स्थापना की बात कही हुई है। मैं इसके लिए उन्हें आश्वासन देता हूँ, उसकी स्थापना अगले वर्ष में कर दी जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे वे वापस ले लें।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, टी0एस0पी0 और एस0सी0पी0 की मद में मिलता था, गाय, भैंस मिल जाती थी। पिछले वर्ष यह व्यवस्था थी। साथ ही कितने डाक्टरों की भर्ती की गई है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पिछले वर्ष हमने 71 डाक्टर्स की भर्ती की थी। टी0एस0पी0 और एस0सी0पी0 की बात है तो यह एक प्रोजेक्ट था इसके बारे में भारत सरकार से बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-17 कृषि कार्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 2716273 हजार (दो सौ इकहत्तर करोड़ बासठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 854318 हजार (पचासी करोड़ तैंतालीस लाख अठारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग

आबकारी एवं शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 71325 हजार (सात करोड़ तेरह लाख पचीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 18770501 हजार (अठारह सौ सतहत्तर करोड़ पांच लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जो आबकारी विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में रुपये 7 करोड़ 13 लाख 25 हजार रुपये रखा है मान्यवर, सरकार द्वारा जो आबकारी नीति बनायी गयी है, सरकार द्वारा इसे प्रदेश में लागू किया गया था। मान्यवर, पिछले साल आबकारी

नीति लागू करने के बाद राज्य सरकार को 417 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई। उस समय हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि इतना राजस्व मिलना सम्भव नहीं है। और साथ ही हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे, कि इतने राजस्व की प्राप्ति सरकार को नहीं मिल पायेगी बल्कि इसके नजदीक भी सरकार को राजस्व नहीं मिल पायेगा। मान्यवर, जो हमने आबकारी नीति के बाद राजस्व की प्राप्ति का अनुमान लगाया था, वह था 417 करोड़ रुपये। इससे अधिक राजस्व की प्राप्ति हमको मिलेगी उसका अनुमान लगा है कि 425 करोड़ की प्राप्ति होने की संभावना है। मान्यवर, आबकारी नीति के अन्तर्गत हमने एक नीति बनायी थी, एक व्यक्ति को एक दुकान मिले, तहसील के अन्तर्गत उसे दुकान मिले, उसके पास तहसील का प्रमाण–पत्र हो। मान्यवर, आबकारी नीति के अन्तर्गत जो हमारे थोक विक्रेता हैं उनके लिए एफ0एल0–टू आने वाले थे। उनसे कहा, आप रिटेलर तक जायेंगे, इसके लिए 41 लाख रुपये का एमाउंट रखा गया। तभी भी माननीय विपक्ष के साथियों ने कहा कि इस एमाउट को एक साथ लेते, इस प्रकार की अनेक बातें आयीं। आबकारी नीति के द्वारा जो धनराशि फिक्स की गयी थी, उससे अधिक हमको राजस्व की प्राप्ति मिलने की संभावना है, 425 करोड़ की प्राप्ति होने की संभावना है। जो यह बजट 2008–09 का है, इससे आबकारी नीति को आगे बढ़ायेंगे। मान्यवर, अभी हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेश अपनी आबकारी नीति बना रहे है। यह नीति बन जाने के बाद इनकी नीति का अध्ययन किया जायेगा। हिमाचल प्रदेश ने और अधिक इस नीति में परिवर्तन किये हैं, इसके अध्ययन के बाद यदि हमको भी आबकारी नीति मे परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो आगामी वर्ष में परिवर्तन करेंगे। मान्यवर, जो राजस्व की प्राप्ति है, उसका 98 प्रतिशत हम विकास के कार्य मे खर्च करेंगे और इसका शेष दो प्रतिशत हम विभाग में खर्च करते है। इसलिए मान्यवर, मैं अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर, क्योंकि यह विकास से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जिस पर सारा पैसा विकास में खर्च होता है, कटौती का प्रस्ताव न लायें तो अच्छा होगा।

मान्यवर, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत यह प्रदेश जब बना, इस प्रदेश के बनने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक यह भी था कि यहां का युवा पलायन करता है। चूंकि शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो और शिक्षा जो है, जो विकास का बुनियादी आधार है, उसी को मानकर हम चलते है। मान्यवर, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का साक्षरता का प्रतिशत हमारा जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी अधिक है और आज देश में हमारा 14वां स्थान है। इस समय वर्तमान में 15 हजार 88 हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं। 4 हजार 2 सौ 63 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। 1 हजार 31 हमारे यहाँ हाई स्कूल है। 1240 इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं और लगभग 23 लाख 36 हजार छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत है। मान्यवर, सरकार बनने के बाद अगले पांच वर्षों में हमने जो टारगेट किया है कि इस प्रदेश को शत प्रतिशत साक्षर बनाने का हमारा लक्ष्य था। हमने कहा था कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त सारे भवन बनें। शिक्षकों की व्यवस्था करें। कम्प्यूटर के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास करें। आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना हो। मान्यवर, इस सारे विषय पर हम लोग आगे बढ़े हैं। सरकार बनने के तत्काल बाद एक ही वर्ष में हमने लगभग 9 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की है और

इस कारण से हमारे जो पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान 1240 प्राथमिक विद्यालय बंद पड़े थे, किसी कारण से ताले लटके हुए थे वे सारे खुले हैं। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के अन्दर जो प्राथमिक विद्यालय हैं, छात्र संख्या न होने के कारण हो सकता है वो बंद हों, लेकिन अध्यापक नहीं हैं इस कारण से बंद हों, अब ऐसा नहीं है। दूर–दराज के इलाकों में जहाँ पहले अध्यापक नहीं जाता था। हम लोगों ने प्रयास किया कि जो नई नियुक्ति हो वह दुर्गम स्थान पर दी जाए और उसमें हमें सफलता भी प्राप्त हुई है, प्रारम्भ में ऐसा लगता था कि जिनकी नियुक्ति दुर्गम में हुई है, वह नहीं जायेंगे और पहले महीने में उसका रिजल्ट भी नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब मैंने कहा कि नई नियुक्ति वहीं होगी तो 90 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने दूर–दराज के क्षेत्रों में ज्वाइनिंग दी है इसलिए आज दूर–दराज के विद्यालयों में अध्यापक गए है। मान्यवर, तब भी, वर्तमान में भी कुछ समस्याएँ विभाग के सामने हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले छ: सात वर्षों में शिक्षा विभाग में काम नहीं हुआ और पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं यह भी नहीं कहना चाहता। उस समय भी कार्य हुए होंगे लेकिन मान्यवर, उस समय जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था इतनी जर्जर थी कि उस व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश में भागदड़ वाली स्थिति थी और उस समय पूरा विभाग केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग ही करता था। मान्यवर, इस सरकार के आने के बाद हमने इन सारे विषयों पर अंकुश लगाया है।

मान्यवर, 2007–08 में जो प्रमुख कार्य हुए हैं, जो 343 हमारे जो ई०जी०एस० सेन्टर थे, उनको हमने प्राथमिक विद्यालयों में बदला है और इस प्रकार से 343 प्राथमिक विद्यालय हमने जो खोले उनके लिए 686 सहायक अध्यापकों को रखने के लिए इस समय हम तैयारी में हैं। 211 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ खुले है। इनके लिए 633 सहायक अध्यापकों का सृजन किया गया है। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी थी। इसमें हम लोगों ने कहा कि जो 8वीं तक लड़कियाँ पढ़ती थी, जो गरीब तबके की जो बी०पी०एल० के अन्तर्गत, जो एस०सी० के अन्तर्गत, एस०टी० के अन्तर्गत होती थी,उनकी वहाँ शिक्षा होती थी। लेकिन 8वीं के बाद वे कहाँ जाए यह एक समस्या थी। मान्यवर, नये विद्यालय खोलने की व्यवस्था सरकार अपने लिहाफ पर कर रही है। इसके लिए 2 करोड़ की व्यवस्था की है। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट में व्यवस्था की है, हम इसको 95 ब्लॉक तक ले जायेंगे, लेकिन इस वर्ष 13 प्रमुख जिले हैं एक–एक खोलेंगे, वो आवासीय विद्यालय होंगे और डे बोर्डिंग होंगे, उन विद्यालयों में बच्चे पढ़ने आयेंगे और उन्हें मॉडल इण्टरमीडिएट के रूप में स्थापित करेंगे, इसको सरकार ने नये काम में सम्मिलित किया है अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–8 आबकारी विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

नोट –*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इस बजट में आबकारी को अपने दूसरे प्रमुख स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया है। एक ओर सरकार इसको दूसरे प्रमुख स्रोत के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मान्यवर, वहीं आबकारी का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कुछ प्राविधानो को रखने का सुझाव देता हूँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले बजट में और इस बार के बजट में जो माफिया संस्कृति थी उसको पनपाने का काम इस सरकार ने किया है। मेरा सुझाव है कि एक ओर जो राजस्व है उसकी प्राप्ति हो, उसके साथ–साथ कुमाऊँ और गढ़वाल में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम हैं, उसको अगर ठेका दे दिया जाता तो उसके साथ–साथ कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास नगम में आय के स्रोत में फायदा होता और उसके साथ–साथ जिस भाव को लेकर इन दोनों मण्डलो का गठन किया है, उसमें पर्यटन के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति लाने का प्रयास करते। लेकिन इस सरकार ने प्रमुख स्रोत होने के बावजूद इसमें कहीं पर भी आबकारी विभाग को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया है और उसके साथ–साथ शराब की बढ़ती हुई तस्करी को रोकने का काम नहीं किया और इसके साथ–साथ शराब माफियाओं को सरक्षण देने का काम किया गया है। मुख्य बात है कि आबकारी कानून जो बहुत कमजोर है और उस आबकारी कानून में जो भी धारायें लगी है वो सब वैल्यूबिल अफेयर की हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सुझाव है, क्योंकि सरकार इस आबकारी को प्रमुख स्रोत के रूप में मानती है और निश्चित रूप से उत्तराखण्ड राज्य को और अधिक राजस्व की प्राप्ति कराना चाहती है, तो इसमें जो शराब माफिया है जो दूसरे प्रदेशों से लाकर इस तरह की संस्कृति को लाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर कड़े से कड़ा कानून बनाने का काम होना चाहिए था, वह नहीं है इसके बाद जो टेण्डर की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा तहसील के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन इसमें जो पर्चिया पड़ती हैं विभिन्न नामों से होती हैं, उसमें लड़की, महिला, आदमी का नाम होता है और उसको न मिलकर कोई और उसके नाम से काम करता है। मान्यवर, इसके साथ–साथ जो इसमें आबकारी एक्ट का प्राविधान है कि कहीं पर जहां पर मंदिर, जिससे हम सब की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, मस्जिद है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनके लिए कोई दूरी निश्चित नहीं की गयी हैं मान्यवर, इसके साथ–साथ हमारे स्कूल या हमारी महान विभूतियों की मूर्तिया स्थापित हैं, जिनकी हम गाथाए गाते है, जहां पर इन महापुरुषो की मूर्तियां स्थापित हैं, वहीं पर आपने दुकानो का प्राविधान रखा है। मान्यवर, इसके लिए भी कोई दूरी का मानक होना चाहिए था। मान्यवर, सरकार ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र की महिलाए शराब को लेकर सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, इसके खिलाफ आये दिन आंदोलन करती हैं। जगह–जगह सुनने को मिलता है कि इसके खिलाफ आंदोलन किया है। समाचार पत्रो के माध्यम से भी हमें पढ़ने को मिलती हैं कि अमुक व्यक्ति पर बिच्छू घास लगायी गयी है। मान्यवर, इसके लिए ऐसा कोई कानून बनाने का प्राविधान रखा जाय, महिलाओं को गांवों में ऐसे अधिकार दिये जायं कि उस कानून के माध्यम से, इस पर रोक लगाने का प्रयास कर सकें।

मान्यवर, इसके साथ–साथ मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमें आज बहुत सोचने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज जो शिक्षा का आधार है, जो सोच है, कहीं न कहीं इसमें कमी पायी जा रही है इसमें सबसे पहले गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए प्राविधान किया जाना चाहिए था। इसके लिए दीर्घकालिक नीति तैयार होनी चाहिए। मान्यवर, जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई प्राथमिक शिक्षा है, जहां पर हमारे गरीब विभिन्न वर्गों का बच्चा पढ़ता है, मान्यवर, इसके गिरते हुए स्तर को सुधारने का ठोस प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, जो बी०टी०सी० प्रशिक्षण है इसको पुनः शुरू करने का प्रयास करना होगा, इसके लिए इस बजट में कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। मान्यवर, सरकारी शिक्षा और प्राइवेट शिक्षा के जो सेक्टर हैं इनमें शिक्षा के स्तर की चुनौती हमारे सामने है। आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा इनके सामने अपने को ठगा सा महसूस कर रही हैं। यह हमारे लिए, सभी के लिए चुनौती है जो सरकार के संस्थान है, जो आपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे है। मान्यवर, बजट में कहा जा रहा है कि हमने शिक्षकों की पूर्ति कर दी है, लेकिन यदि आज गांवों की तरफ जायेंगे तो जहां पर भी हमारे स्कूल हैं उनमें ताला लगा पड़ा है या एकल अध्यापक के सहारे सारे विद्यालय चल रहे है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की बात है, उसमें जिले में तो यह विद्यालय हैं ही, इसके साथ–साथ, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक विद्यालय खोलने की घोषणा की जानी चाहिए थी और इसके लिए बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए था। मान्यवर, जो शिक्षा विभाग की नीति है, वह जो सबसे हास्यास्पद नीति पूरे प्रदेश में यह है कि इसमें जो मानक रखा गया है सुगम, दुर्गम, अति दुर्गम की नीति बनी है, इसमें कहीं पर भी व्यवहारिकता नहीं दिख रही है। क्योंकि एक ओर सुगम जो 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन मोटर मार्ग से है, उसको सुगम में रखा हुआ है, वहीं एक व्यक्ति जो अपने नगर से, अपने जिले से मुख्य मार्ग से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर रहता है उसको दुर्गम में रखते हैं, यह एक अव्यवहारिक नीति है इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, इसके साथ–साथ उच्च शिक्षा की बात है, इस दिशा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मजबूत करने की कोशिश की जानी चाहिए थी।

मान्यवर, एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का प्राविधान इस बजट में नहीं रखा गया है। मैं अनुरोध करूँगा कि केन्द्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाय। मान्यवर, जैसा कि कहा गया कि एक स्टेट के एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय को संस्तुति दी जाएगी लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में आज एक ही स्टेट में कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुले हैं। इसका प्राविधान इसमें नहीं रखा गया है, इसके साथ–साथ प्रत्येक जिले में एक–एक कॉलेज को आइडियल कॉलेज या मॉडल के रूप में विकसित करने का प्राविधान इसमें

रखा जाय। उसके साथ-साथ जो मुख्य बात है कि आज यहां पर बेरोजगारी की चरम सीमा हो रही है, उसके लिए प्रोफेशनल कोर्स खोले जाने की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उसमें जो शिक्षा हो, जो हमारे पहाड़ के और मैदानी क्षेत्रों में जो फल होते हैं या अन्य चीजें होती हैं, उनकी फूड प्रोसेसिंग की टीचिंग करने की आवश्यकता है। उसका प्राविधान इसमें किया जाना चाहिए था। उच्च शिक्षा के स्तर के बारे में कहना चाहता हूं कि कुमाऊँ और गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्टेट्स रिपोर्ट का प्राविधान नहीं किया गया है। खेल और युवा कल्याण के विषय में कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस सरकार ने इसमें कोई भी साजो सामान की व्यवस्था के बारे में प्राविधान नहीं रखा है, न ही इसके आधुनिकीकरण के बारे में इसमें कुछ कहा गया है, स्टेडियम के सुधार और प्रशिक्षण देने का भी इसमें कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। एक चीज और कहना चाहूँगा, जिस विधान सभा में हम रहते हैं, रानीखेत विधान सभा में, कई एरिया ऐसे हैं, जहां पर कैण्ट एरिया है। वहां पर कैण्ट का अपना नियम है, वे कहते हैं कि सिविलियंस यहां से चले जाएं। मेरा एक अनुरोध है कि उसके आस-पास भी एक स्टेडियम के निर्माण का प्राविधान इसमें रखा जाय। उसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर युवाओं में खेलों के प्रोत्साहन के विकास के लिए किसी दीर्घकालीन योजना का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसके साथ-साथ आज जिस बात की आवश्यकता है, मॉर्डनाईजेशन की। अल्मोड़ा में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है। अल्मोड़ा का खेल के क्षेत्र में विशेष स्थान रहा है। अल्मोड़ा के लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय धावक के रूप में, बैडमिंटन में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दिया है, हमारे इस प्रदेश को गौरवान्वित करने का अवसर दिया है मेरा आपसे अनुरोध है कि अल्मोड़ा के स्व० हेमवती नन्दन बहुगुणा स्टेडियम को मॉडर्नाइज स्टेडियम के रूप में इसमें प्राविधान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ एक चीज और कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के जो प्रतिभावान लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ख्याति अर्जित की है, हमको गौरवान्वित करने का मौका दिया है, उनके प्रोत्साहन और सम्मान की कोई नीति यहां पर निर्धारित नहीं की गयी है। इसके साथ-साथ जो संस्कृति है, आज आवश्यकता है कि हमारा जो आचार-व्यवहार, जो हमारी वास्तु शिल्प है, भाषा है, इन चीजों के लिए कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। आज प्रदेश के अन्दर अभी तक कोई राज्य संग्रहालय नहीं बना है, इसके लिए भी इसमें प्राविधान करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव के तौर पर बात कही है, इन्होंने माफिया संस्कृति की बात कहीं। मान्यवर, यह नीति बनाने के बाद माफिया संस्कृति रुकी है। पहले जहां केवल 200 रुपये फीस होती थी, तब 200 रुपये फीस होने के कारण, आपने ठीक कहा, पहले दो-दो हजार लोग एक दुकान के लिए एप्लाई कर देते थे, हमने प्रोसेसिंग फीस को बढ़ाकर 7500 रुपया कर दिया है और इसका परिणाम यह हुआ कि जहां पहले एक दुकान के लिए दो हजार तक फार्म आते थे, आज जो बहुत अच्छी दुकान मानी जाती है, उसके लिए 60,70,80 फार्म आते हैं। माफिया संस्कृति पर हमने पूर्ण अंकुश

लगाया है मान्यवर, जी०एम०वी०एन० और के०एम०वी०एन० को देने की बात कही। निश्चित रूप से हमें पहले जहां कुल ढाई करोड़ रुपया मिलता था, हमने इसमें जो परिवर्तन किया है, उसके कारण हमें 18 करोड़ रुपया इसमें प्राप्त हुआ। मान्यवर, तस्करी निश्चित रूप से रुकी है, इसका कारण यह है कि इस बार पहले की अपेक्षा अधिक वाहन पकड़े गये। 50 हजार लीटर के लगभग शराब पकड़ी गई। इसके लिए कड़ा कानून बनाने की उन्होंने बात कही तो सरकार इस पर विचार करेगी कि इस पर एक कड़ा कानून बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय मंत्री जी , माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि साथ में यह भी कह दीजिये कि असुविधा के लिए खेद है।

(हँसी)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नई दुकाने खोलने के लिए निश्चित रूप से पहले भी कहा था और जब भी नीति बनेगी, इस बात का प्रयास किया जायेगा कि ऐसी नीति बने।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आज तो समय ज्यादा हो गया है।..........

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह प्रयास किया जायेगा कि नई दुकान को, स्कूल, धार्मिक स्थलों, बाजार और राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई नई दुकाने खोलने का कोई प्रावधान नहीं हो और जो हमारी पुरानी दुकाने है, उनको भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रयास किया जाता रहा है और पिछले वर्ष हमने कुछ दुकानें हटाई भी हैं और प्रयास है कि आने वाले समय में हम इसको समयबद्ध तरीके से इन जगहों से दूर ले जायें। नई दुकानों को तो ऐसे स्थानों पर खोलने का सवाल ही नहीं है माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालीन नीति बनायी जानी चाहिए, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इससे सहमत हूँ। हमने मान्यवर, अनेक योजनायें बनाई है, ओपन स्कूल का कान्सेप्ट हमने स्वीकार किया है, सब चाहते हैं कि हाईस्कूल पास बच्चा होना चाहिए, इंटर पास बच्चा होना चाहिए। हमारे यहां बच्चे कक्षा 6 से इंटर तक पहुंचते–पहुंचते 100 में से 20 से 25 प्रतिशत बच्चे ही पहुच पाते है, 50 प्रतिशत हाईस्कूल और 50 प्रतिशत इंटर में फेल हो जाते हैं। हर बच्चा कम से कम इंटरमीडिएट तक पहुचे, इसका प्रयास सरकार ने किया है और हमने ओपन स्कूल का कान्सेप्ट स्वीकार किया है और इसके लिए टोकन मनी के रूप में बजट में व्यवस्था भी की है हमारे बच्चे यदि हाईस्कूल में फेल हो रहे हैं तो वह ओपन स्कूलों में जायेंगे और वहां उसको सरल पड़ेगा, हर तीसरे महीने, चौथे महीने उसका एग्जाम होगा और जिन विषयों में वह पास होता जायेगा और दूसरे विषयों के लिए एग्जाम में बैठेगा, इसके लिए हमने योजना बनाइ है, हमने दीर्घकालीन शिक्षा के लिए योजना बनाई है, हमने गुणवत्ता के लिए योजना बनाई है। हमने कहा, मॉडल रूप में हम हर ब्लाक

में इंटर कालेज को ले जायेंगे। इसी प्रकार से हम पहले हर विकास खण्ड तक और फिर हर ग्राम सभा तक इस योजना को ले जायेंगे। इस योजना में, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें से 50 विद्यालय हम इस साल लेंगे और वह मॉडल प्राथमिक विद्यालय होंगे, जिसमें पूरी व्यवस्था होगी, बिल्डिंग होगी, टीचर होंगे, छात्र संख्या कितनी भी हो, लेकिन हम उसको बनाने जा रहे है। हमने बी0टी0सी0 की बात कही, निश्चित रूप से नियमित बी0टी0सी0 प्रारम्भ हो, इसके लिए सरकार का प्रयास है। इसको इस वर्ष कैसे शुरू कर सकते हैं, इस पर सरकार विचार करेगी। कस्तूरबा गांधी जो दीर्घकालिक योजना है, यह विद्यालय हमारे आठवीं तक चलते थे, सरकार ने उन्हे अपने खर्च पर, उनकी पढाई कन्टीन्यू रहे, इसके लिये हम खर्च करने जा रहे हैं।

मान्यवर, स्कूलों में ताले लगे होने की बात कही तो मैं माननीय सदस्य से कहता हूँ कि अपने क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र का प्रकरण आप मुझे देंगे तो उसे तुरन्त दिखवाया जायेगा, विद्यालय बंद होने का कोई सवाल नहीं है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए आपने कहा तो सरकार ने इसके लिए 15 करोड रुपये का प्रावधान किया है, जो बचे हुये शेष जनपद थे, सबमें राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खुलें, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है और बजट में प्रावधान आलरेडी किया है। मान्यवर, सुगम और दुर्गम की बात माननीय सदस्य ने कही है।

(व्यवधान)

मान्यवर, सुगम और दुर्गम का जो निर्धारण होता है, तो हमारी सरकार ने पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है, जो पहले से सुगम और दुर्गम की व्यवस्था चली आ रही है, हमने उसी को स्वीकार करते हुये वर्तमान में कोई बहुत ज्यादा स्थानान्तरण हो, इस पर जोर नहीं किया है। लेकिन नये सिरे से सुगम और दुर्गम की परिभाषा बने, इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य ने जैसा कहा तो उसमें भी हम इनकी सलाह लेंगे। इसी प्रकार से माननीय सदस्य ने उच्च शिक्षा के बारे में कहा है और उच्च शिक्षा के बारे में भी सरकार ने चाहा है कि उच्च शिक्षा में भी प्रदेश में प्रमुख रूप से गुणवत्ता आये। ठीक प्रकार से इसे आगे बढायें, उसके लिए हमने जो, उसका पिछले वर्ष का 73 करोड 98 लाख का जो बजट था, उसको बढाकर 98 करोड 33 लाख रुपया किया है। मान्यवर, इस पर हमने कहा है इसमें ठीक प्रकार की व्यवस्था प्रदेश में बने। हमने बी0एड0 में 2700 सीटों का इजाफा किया है। अध्यापकों की कमी के बारे में हमने कहा है कि शिक्षकों के 78 पद और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 245 पदों का सृजन किया गया है निर्माण के लिए मान्यवर, जहां 23 लाख रुपये पिछले साल थे,उसको बढाकर

(व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, सबको जल्दी हो रही है। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकार एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08, आबाकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 71325 हजार (सात करोड तेरह लाख पचीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एव युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एव युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 18770501 हजार (अठारह सौ सतहत्तर करोड पांच लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग

*खेल एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 633529 हजार (तिरसठ करोड पैंतीस लाख उन्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, श्रम विभाग का जो कान्सेप्ट है, उसका जो मूल उद्देश्य है सिडकुल एरिया के विकसित होने के पश्चात् यहां पर उत्तराखण्ड के अंदर श्रम कानूनो का कडाई से पालन हो, मजदूरों को मिनिमम वेजेज के तहत मजदूरी मिले। ये तमाम प्राविधान श्रम विभाग के अन्तर्गत है। मैं इसमें अपनी राय देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर 3 श्रेणी के मजदूर काम करते हैं। अन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड,

नोट –*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिनकी मजदूरी का अलग–अलग निर्धारण है कि दुकानों के अंदर उनकी मजदूरी कितनी होगी, होटलों के अंदर कितनी होगी और कृषि क्षेत्र में उनकी क्या–क्या मजदूरी होगी जिसका अलग–अलग निर्धारण होता है। श्रम विभाग का मूल उद्देश्य श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच सामन्जस्य स्थापित करना है। जो विवाद है मिनिमम वेजेज के, जो तमाम तरह की असमानताएं हैं, उनको दूर करने के लिए श्रम विभाग बनाया गया है। बाल श्रमिकों का पुनर्गठन भी इसके अन्तर्गत है। इसके लिए 12 लाख का प्राविधान किया गया है और इसके तहत प्रदेश के अंदर कितने बाल श्रमिक है, उनका चिन्हीकरण हमारी सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए 2 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, साथ ही महिला कर्मकारों का उत्पीडन न हो उसके लिए सरकार द्वारा बजट में प्राविधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिकों के नियोजन के लिए, उनके विवादों के निबटारे के लिए श्रम न्यायालयों का गठन किया गया है, जो हल्द्वानी और देहरादून में है। वर्तमान में राज्य संविदा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूँ। जहाँ आज रोजगार सबसे बडी समस्या के रूप में इस प्रदेश में है वहीं जो कर्मचारी पहले से इस राज्य की सेवा कर रहे हैं, उनके कार्य करने के लिए स्थितियाँ कैसे बनायी जायं, यह चिन्ता का विषय है। मैं दोनों विषयों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे राज्य में सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश कर्मचारी आवास के बिना हैं, उन्हें जो हाऊस रेंट दिया जाता है, वह बहुत कम है। आज महंगाई में जिस प्रकार से बढोत्तरी हुई है, उसी तरह इसे भी बढाया जाय। उत्तराखण्ड के राज्य कर्मचारियों को नकदीकरण नहीं दिया जाता है, मैं चाहता हू कि अन्य राज्यों, केन्द्र सरकार की तरह यहाँ भी नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाय। इसके लिए बजट में प्राविधान किया जाय। मान्यवर, कई विभाग ऐसे है जिनमें जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 और आर0एफ0सी0 आदि विभागों में कई कर्मचारी 20–20 सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जिससे उनका शोषण हो रहा है। जो श्रम कानून के विरुद्ध है, उनमें जो कार्य करने की क्षमता कम हो रही है, उससे राज्य का भी अहित हो रहा है। मान्यवर, उन्हें रेग्यूलर किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से एक सुझाव और देना चाह रहा था, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक व्यवस्था दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे–जैसे केन्द्र सरकार भत्ते बढायेगी, उसी अनुपात में राज्य सरकार भी बढायेगी। मान्यवर, 01 जनवरी, 2008 से 06 प्रतिशत की दर से कर्मचारियों का भत्ता बढा दिया है। जो कि

47 प्रतिशत हो गया है बजट में इसके लिए भी प्राविधान किया जाय। मान्यवर, उत्तराखण्ड के कर्मचारियों का भत्ता भी 41 प्रतिशत से 47 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, सी0सी0ए0 यह राज्य में केवल देहरादून को प्राप्त है, जिस तरह राज्य तरक्की कर रहा है, शहरों में रहने वाले सारे कर्मचारी महंगाई की चपेट में हैं। यह एलाउन्स अन्य शहरों में भी प्रदान किया जाना चाहिए। जो भत्ते पर्वतीय क्षेत्र के सीमान्त क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलता रहा है, जिसमें पर्वतीय विकास भत्ता और सीमान्त भत्ता दिया जाता है। मान्यवर, इसके पीछे मूल उद्देश्य इस बात का था कि सीमान्त क्षेत्रों में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको काफी विषम भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है किन्तु उसके एवज मे कुछ अधिक धनराशि उनको दी जानी चाहिए ताकि वे डटकर काम कर सकें और उन कर्मचारियों के मन मे भी यह बात रहे कि यहां पर अधिक पैसा मिलता है अन्य कर्मचारी भी वहा जाने को लालायित रहेंगे। उनके भत्ते को बढाने की आवश्यकता है।

रोजगार के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिडकुल में हमारी सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रोजगार यहां के नौजवान को मिलेगा। इसके लिए श्रमिकों की तीन कैटीगिरी स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड बताई गई। श्रीमन्, वहां पर कानूनों का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार को आवश्यक प्रयास करने चाहिए। वहां पर कार्यरत कर्मचारी दोहरी मार झेल रहे है। एक तरफ फैक्ट्रियों के मालिक उनसे 14–15 घण्टे काम ले रहे हैं। वहीं ठेकेदार उनकी दी जाने वाली तन्ख्वाह मे अपना हिस्सा काट लेता है। उन कर्मचारियों को ई0एस0आई0 की कटौती भी उनके वेतन से नहीं हो रही है। उनका प्रोविडेन्ट फण्ड भी नहीं काटा जा रहा है और उनके इन्श्योरेन्स की भी कोई व्यवस्था नही है। श्रीमन्, श्रम कानूनो का उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, आई0टी0आई0 और पॉलिटैक्निक्स को खोलकर स्किल्ड लेबर देने की बात है ताकि जब औद्योगिक संस्थानो की स्थापना हो तो हम उन संस्थानों के मालिक को स्किल्ड लेबर दे सकें। अगर उनको अपने ही यहा के मैनेजमैन्ट के काम के लिए बाहर से ही लोगो को लाना होगा तो केवल जमीन और सब्सिडी लेने के लिए वे यहा नहीं आयेंगे और इससे हमारे प्रदेश को बहुत अधिक लाभ भी नहीं होगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुनय, विनय है कि पर्वतीय क्षेत्रों में एजुकेशनल हब खोले जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में बडे–बडे आई0टी0आई0 और पॉलिटैक्निक के बडे इन्स्टीट्यूट खोले जाएं। मान्यवर, उत्तरांचल को दिमाग की खेती करने की आवश्यकता है अर्थात हम नौजवानों को ऐसी ट्रेनिंग दें कि अन्य राज्यो से अधिक प्रतिभाशाली युवा हमारे राज्य में हों और हम दिमाग बेचने का काम करे। मान्यवर, रोजगार से सम्बन्धित 2–3 बातो को और कहना चाहता हूं। मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना, जो हमारे प्रदेश के अंदर चल रही है, इस योजना से कई नौजवान लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन हर जिले में जनपद स्तर पर यह देखने की आवश्यकता है कि जिन लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है, उन्हे बैंकों से धन प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि धन प्राप्त हो रहा है तो सब्सिडी रिलीज नही की जा रही है, सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि कितने लोगों को ऋण दिया गया और कितने लोगों को सब्सिडी दी गई। मान्यवर, उद्योग विभाग के द्वारा गरीब नौजवानों को उद्योग लगाने के लिए जमीन दी गई थी लेकिन आज उन लोगों पर जोर डाला जा रहा है कि आप अपने

उद्योग जल्दी से स्थापित करें और अपना उत्पादन शुरू करें। मैं सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जिन लोगों को उद्योग लगाने के लिए जमीन दी गई वहां न तो बिजली की व्यवस्था है, न पानी की। बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिना सड़क, बिना पानी के वहां पर उद्योगों की स्थापना कैसे होगी ? एक तो वह व्यक्ति पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इस परिस्थिति में बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के वह उत्पादन कैसे शुरू करेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह उद्योग से सम्बन्धित है।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, रोजगार का तो है ही। मान्यवर, रोजगार का सम्बन्ध आज उद्योग से ही है, जब उद्योग लगेंगे तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए इस पर मैं बोल रहा हूँ। अन्त मे मैं अपनी बात समाप्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव पर बल देता हूं और सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 633529 हजार (तिरसठ करोड़ पैंतीस लाख उन्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 796810 हजार (उनासी करोड़, अड़सठ लाख, दस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड को विश्व पर्यटन के मानचित्र में लाने के उद्देश्य से विगत वर्ष अपने इस विभाग की अनुदान मांग के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैंने कुछ आग्रह विनम्रता पूर्वक किये थे श्रीमन्, और मैंने यह अनुरोध किया था सम्मानित सदन से, कि वर्तमान की ये सरकार चाहती है कि उत्तराखण्ड को पर्यटन के उस क्षेत्र में बढ़ाया जाय

और इसका स्थान अपने आप में पर्यटन के मानचित्र मे स्थापित हो, ये प्रयास हम करना चाहते हैं और इसके लिए ये अनुदान मांग स्वीकृत की जाय। ये अनुदान मांग हमने जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मागी थी, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मागी थी, श्रीमन्, उस अनुदान मांग के सापेक्ष मे हमने इस वित्तीय वर्ष में पर्यटन के क्षेत्र में अक्षरश: हमने उन्नति के वो आयाम छुए हैं, श्रीमन्, जिनका उल्लेख हमारी प्रगति दिग्दर्शिका में, सम्मानित सदस्यों ने उसका दृश्यावलोकन किया होगा। श्रीमन्, मैं कहना चाहूँगा उदाहरण के रूप में, माननीय अध्यक्ष जी, ये उत्तराखण्ड की वर्तमान सरकार ने जो प्रयास प्रारम्भ किये और उसके आधार पर श्रीमन् इस राज्य के अंदर आने वाले पर्यटकों की सख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। यहाँ पर मै संख्या आपके सज्ञान मे, सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा। जहाँ वर्ष 2001 में राज्य के अंदर आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 1 करोड 5 लाख 48 हजार 7 सौ 64 भारतीय पर्यटक आते थे। वही विदेशी पर्यटकों की संख्या मात्र 54 हजार 7 सौ 1 थी और यह सख्या धीरे-धीरे बढी अवश्य श्रीमन्, लेकिन जिस संख्या में आशातीत वृद्धि 2007 मे हुई है वह सख्या 2 करोड 21 लाख 54 हजार 250 भारतीय पर्यटकों की पहुँची है। इसके साथ ही विदेशी पर्यटकों की सख्या मे भी आशातीत वृद्धि हुई है, जिनकी संख्या 2007 मे 1 लाख 66 हजार 150 पहुँची। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने अक्षरश: अनुपालन किया और उसमें 100 प्रतिशत सफलता अर्जित की। हम यह चाहते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य ऊँचाईयो को छुए और विश्व के मानचित्र में उत्तराखण्ड का नाम एक पर्यटन प्रदेश के रूप में हो। हमने वर्ष 2001 में प्रख्यापित पर्यटन नीति को आगे बढाने का काम प्रारम्भ किया। लेकिन उसके साथ हमने जिन तीन प्रमुख बिन्दुओं को अपने साथ अंगीकृत किया और उसके आधार पर पर्यटन के इस क्षेत्र मे विकास करने का निर्णय लिया था।

वे तीन बिन्दु हैं, जिनके आधार पर हम चाहते है कि उत्तराखण्ड राज्य स्थापित हो। वह तीन बिन्दु हैं, पहला बिन्दु उसको चुनने का आधार यह माना श्रीमन्, क्योंकि यह राज्य जिसको देवभूमि के रूप में माना जाता है उसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ हमारे पास चार धाम हैं। वहीं हमारे पास सिक्ख धर्म का बहुत बडा तीर्थ हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता रीठा साहिब है और उसी के साथ मुस्लिम धर्मावलम्बियो का बहुत बडा तीर्थ पिरान कलियर शरीफ है। इसीलिए हमने इसको अपना प्रमुख केन्द्र बिन्दु माना तथा इसको धार्मिक पर्यटन के रूप में अपना प्रमुख बिन्दु चुना। उसके साथ हमने दूसरा लक्ष्य भी लिया जिसके माध्यम से हम विदेशी पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि करने मे सफल होंगे। वह बिन्दु था साहसिक पर्यटन। मान्यवर, इस क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से एक वातावरण बनाने का काम किया और जिसमे हम सफलतापूर्वक सफल हुए। जिसके माध्यम से हमने राज्य की उन आवश्यकताओ को पहचान देने का प्रयास किया। हमने ये तीन महीने जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, हमने इस राज्य की उन नदियो, जहां गंगा, यमुना और शारदा जो प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है, हमारे पास वर्ष भर रिवर राफ्टिंग की संभावना इस राज्य के अंदर है। लेकिन इन संभावनाओं को पहचानने का प्रयास बहुत अधिक विगत वर्षों में नहीं किया जा सका। हमने प्रयास किया। हमने दो बडी प्रतियोगिताएँ स्टेट चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप रिवर राफ्टिंग आयोजित की और इसमें हमको आशातीत सफलता प्राप्त हुई। जब हमने स्टेट चैम्पियनशिप रिवर राफ्टिंग की और ऐसे दुर्गम क्षेत्र मे की। हमे

उम्मीद थी कि मुश्किल से सौ सवा सौ प्रतिभागी उसमें प्रतिभाग कर पायेंगे लेकिन जब प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई, मैं सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा तो वहाँ सौ सवा सौ नहीं वहाँ साढ़े तीन सौ प्रतिभागी पहुँच गए। उस क्षेत्र की जो एक दुर्गम अन्तर्राष्ट्रीय नदी है। इस नदी को जिस तरह उभारने का हमने प्रयास किया वह निश्चित रूप से अपने आप में सफलतम प्रयास होगा। हमने 300 हाई माउन्टेनियरिंग बनाने का निर्णय लिया। 112 ट्रैकिंग रूट डेवलप किये। 83 हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाऐं हैं, जिनमें माउन्टेनियरिंग की एक्सपेडिशन हो सकती हैं, बहुत विस्तार से बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, श्रीमन्, क्योंकि हमने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि उत्तराखण्ड की मान्यता एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप मे हो जो साहसिक पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाए, इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड राज्य वास्तव में अपने आपमें समेटे हुये, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस राज्य के अन्दर 2 करोड़ से ऊपर पर्यटक आते हो, जिस राज्य की आबादी मात्र 84 लाख हो, जिसकी आबादी एक करोड़ भी न हो और वहाँ 2 करोड़ 21 लाख पर्यटक भ्रमण पर आते है तो निश्चित रूप से उसकी अर्थ व्यवस्था में आशातीत वृद्धि हो सकती है हम चाहते है कि राज्य का विकास हो, हम चाहते है कि उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर रोजगार का प्रमुख साधन, उत्तराखण्ड राज्य का प्रमुख साधन हो हमारा पर्यटन। मान्यवर, समय कम है इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या–26 पर्यटन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश भी स्वाभाविक रूप मे भी और नीति के रूप में भी पर्यटन प्रदेश के रूप मे माना जाना चाहिए और उन सब को पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिस को ये राज्य और यहाँ के निवासी यह मानकर चल रहे हैं कि हमारी जो पर्यटन नीति हो, वह आर्थिकी से सीधे जुड़ी हो और आर्थिकी से सीधे जुड़ी होगी तो हमारी जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, हम उस को भी किसी हद तक प्रिजर्व कर सके। आज सरकार का मानना है, मैं समझता हूँ कि हमको हाइंर लाईन लेकर चलनी होगी, आपने आकड़े बताये, स्वाभाविक है कि आकड़े स्वागत योग्य हैं, लेकिन आंकड़ों में और इजाफे की आवश्यकता है, कई लाख लोग धर्माटन आते हैं, उस तीर्थ को बिना किसी छेड़–छाड़ के, उन तीर्थों के दर्शन करते है। कई लाख पर्यटक के रूप में आते हैं, जिनको डोमैस्टिक टूरिज्म कहा जाता है, डेस्टिनेशन की बात कही जाती है, उसको देख लें। फिर आपने साहसिक पर्यटन की बात की, केवल रिवर राफ्टिंग ही ऐसी विधा नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि साहसिक पर्यटक में तमाम विधाये हैं जिसको कि इसमें सम्मिलित कर देना चाहिए, तो सरकार से अपेक्षा सिर्फ इतनी की जानी चाहिए, यहाँ का नौजवान सरकार से अपेक्षा कर रहा है कि कैसे उसके स्किल का इस्तेमाल इस पर्यटन विधाओं मे किया जाए।

ऐसा नहीं है, हिन्दुस्तान के अन्दर अनेक पर्वतीय श्रृंखलायें हैं, हिमालय के रेंजेज हैं। मान्यवर, 115 चोटियों का तो चिन्हीकरण हुआ है जिनका कि आरोहण साहसिक खेलो

में उत्तरकाशी के नेहरू माउंटेनियरिंग संस्थान के बेस कैम्प को बनाकर किया जा सकता है मान्यवर, पूर्व में नैपाल के द्वारा पूरे विश्व की टीमें आती थीं और आरोहण वहां से करते थे। इसकी तमाम संभावनाएं हमारे यहां उत्तरकाशी के नहरू माउन्टेनियरिंग संस्थान के साथ जोड़ कर की जाय तो शायद हो सकता है कि हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल सके। मान्यवर, आज जितने ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जितनी भी विधाओं को और जोड़ सकते हैं, इसमें तमाम सारी चीजों को जोड़ते हुए मेरा एक आग्रह है कि जहां एक ओर जौलीग्रांट को कामर्शियल फ्लाईट के लिए ओपन करने जा रहे हैं, कारगो के लिए पंतनगर हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया है, नैनी–सैनी का विस्तारीकरण होने की सभावना है, ऐसी ही सभावनाए चिन्यालीसौड की हैं, ऐसी ही सभावनाए गौचर की हैं और इससे बढ़कर इनका विस्तारीकरण किया जाय। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि एयर टैक्सी का परीक्षण भी प्रदेश में किया जाय। ये 18 से 22 सीटर हैलीकॉप्टर जो कि आर्मी और एयर फोर्स के हैं, इसी तरह के हैलीकॉप्टरो को कोई कम्पनी ईजाद करे। जिसको कि एयर टैक्सी के रूप में तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्रो में उन बुग्यालों तक पहुचाने के लिए, उन मैडोज तक पहुचाने के लिए, उन टूरिस्टो को पहुचाने के लिए करना चाहिए। मान्यवर, आज दुनिया का टूरिस्ट इन स्थानो के लिए पागल हो रखे है। इनके पास अथाह पैसा है परन्तु इनके पास समय नही है इसलिए हमें इनको सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। इससे हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। इन तमाम संभावनाओ को देखते हुए मेरा आग्रह है कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर यह सरकार विचार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय, अध्यक्ष जी, जितनी सदाशयता माननीय सदस्य ने दिखायी और जो कुछ भी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का ही जिक्र माननीय सदस्य ने किया, इसका सीधा अर्थ यह है कि माननीय सदस्य भी सहमत है कि उत्तराखण्ड राज्य निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो आशंकाए आपने जतायी कि नेहरू माउंटेनियरिंग के साथ हम किस प्रकार आगे बढ़ रहे है। मान्यवर, हमने हाई माउंटेन ट्रैकिंग गाइड्स का प्रशिक्षण नेहरू माउन्टेनियरिंग संस्थान को ही इसका अनुरोध पत्र दिया और उन्हीं के माध्यम से यह संचालित हुआ। इसके साथ ही आपने कहा कि साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं तो मै कहना चाहता हूँ कि हमने तीन महीने के अन्दर प्रशिक्षण कार्यक्रम हर जनपद मे आयोजित किये। हमने रिवर राफ्टिंग का, माउन्टेनियरिंग का, स्कीईंग का, इसके साथ–साथ इस विधा से जुड़े जितने भी साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में कार्य हो सकते हैं, किये हैं। यह तथ्य भी जानकारी मे लाना चाहूंगा कि इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम मे 2054युवाओ ने सक्रिय भागीदारी ली इसके साथ–साथ आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले बैच में 100 माउंटेनियरिंग गाइड के विद्यार्थी गये थे, इसमे से 92 विद्यार्थियों ने वहां पर रिपोर्टिंग की है। यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा तथ्य है। आपने एयर टैक्सी सर्विस की बात कही वह हम प्रारम्भ करने का प्रयास कर रहे है। हम शीघ्र ही चाहते है कि यहा के दोनो एयरपोर्ट शीघ्र एक्टीवेट हो जाय, इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। निश्चित रूप से उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन राज्य के रूप मे स्थापित होगा, यह संकल्प हमने लिया है और इस संकल्प को हम पूरा करके रहेंगे। यह मै अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति कमी आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 796810 हजार (उनासी करोड़ अड़सठ लाख दस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13–03–2008 की बैठक में दिनांक 14–03–2008 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

दिनांक 14 मार्च, 2008 (शुक्रवार)

(1) मा0 मुख्य मंत्री से सम्बद्ध विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :–

1.	अनुदान सं0–01	विधान सभा।	विवाद नहीं होगा।
2.	अनुदान सं0–02	राज्यपाल।	–तदैव–
3.	अनुदान सं0–03	मंत्रि परिषद्।	–तदैव–
4.	अनुदान सं0–04	न्याय प्रशासन विभाग	
5.	अनुदान सं0–05	निर्वाचन विभाग	
6.	अनुदान सं0–07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य प्रशासन विभाग।	
7.	अनुदान सं0–09	लोक सेवा आयोग।	विवाद नहीं होगा।
8.	अनुदान सं0–10	पुलिस एवं जेल विभाग।	
9.	अनुदान सं0–21	ऊर्जा विभाग।	
10.	अनुदान सं0–22	लोक निर्माण विभाग।	
11.	अनुदान सं0–15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग।	
12.	अनुदान सं0–23	उद्योग विभाग।	
13.	अनुदान सं0–14	सूचना विभाग।	
14.	अनुदान सं0–30	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान विभाग।	
15.	अनुदान सं0–31	ट्रायबल प्लान विभाग।	
16.	अनुदान सं0–29	औधानिक विकास विभाग से सम्बद्ध विभाग।	

(2) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2006 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण।

(3) निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा :-

1. श्री हरभजन सिंह चीमा "राज्य के विकेन्द्रीकृत विकास में सुधार के लिये राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुन: परिसीमन कराया जाए"।

(30 मिनट)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत श्री खजान दास, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री केदार सिंह रावत, श्रीमती विजया बडथ्वाल, श्री बृजमोहन कोटवाल तथा श्री सुरेन्द्र राकेश जी की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से जनपद पौडी गढवाल में गंगा दर्शन मोड से श्रीनगर तक रोप वे निर्माण के संबंध में श्री बृजमोहन कोटवाल की सूचना को नियम 53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा ग्राम दूरबिल, तहसील बडकोट, जिला उत्तरकाशी में नवम्बर, 2006 में हुये भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत की सूचना को नियम 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

उत्तराखण्ड तराई बीज एवं विकास निगम के माध्यम से कृषकों को सब्सिडी वाला बीज उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही कोर वैली योजना में बीज माफियाओं को कमीशन लेकर बीज बेचने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

श्री कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

[प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज प्रदान करने हेतु रबी–2004–5 को कोर वैली बीज उत्पादन योजना निगम एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रारम्भ की गयी। बीज उत्पाद हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के 11 जनपदों में कोर वैली बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। कोर वैली बीज योजना के अन्तर्गत शासन से उपलब्ध अनुदान एवं प्रोत्साहन धनराशि

पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादकों/कृषकों को प्रदाय की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्रो मे बीज की उपलब्धता बढ़ाने एवं प्रतिष्ठापन दर में अपेक्षित वृद्धि करने हेतु विभिन्न पर्वतीय प्रजातियों के आधारिय बीज का उत्पादन पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय फार्म पर भी किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास कर मैदानी क्षेत्र के कुछ कृषको को पर्वतीय बीजों का उत्पादन कार्यक्रम प्रदाय किया गया है परन्तु इन कृषकों को कोर वैली कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान एवं प्रोत्साहन धनराशि प्रदाय नही की जा रही है।

अतः यह कहना उचित नहीं है कि अनुदान वाला बीज तराई एवं भावर के चुनिन्दा बीज माफियाओं को कमीशन पर बेच दिया जाता है, जबकि कोर वैली योजना के अन्तर्गत पर्वतीय जनपदों के किसानों को ही अनुदान पर ही बीज उपलब्ध कराया जाता है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते है, कल पूर्वाह्न, 11.00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 10.00 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक 13 मार्च, 2008

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*तारांकित प्रश्न संख्या-*12 का संलग्नक*

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-52 पर)

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों की सूची

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	प्रभावित व्यक्ति का नाम/ पिता का नाम	अनुमानित सदस्यों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5
1.	आगर	श्री फते सिंह पुत्र गुरसा	6	दूसरा मकान नहीं है।
2.	-ऐ-	श्री सूरत सिंह पुत्र सोबन सिंह	5	-ऐ-
3.	-ऐ-	श्री सोबन सिंह पुत्र गुरसा सिंह	5	-ऐ-
4.	-ऐ-	श्री कमल सिंह पुत्र भागचन्द्र	3	-ऐ-
5.	-ऐ-	श्री मदन सिंह पुत्र रामचन्द सिंह	4	-ऐ-
6.	-ऐ-	श्री जोत सिंह पुत्र गुलाब सिंह	5	प्रभावित भवन में निवास नहीं करता है। ग्राम में स्थित दूसरे भवन में निवास करता है।
7.	-ऐ-	श्री बीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह	5	-ऐ-
8.	-ऐ-	श्री भगवान सिंह पुत्र गुलाब सिंह	5	दूसरा भवन नहीं है।
9.	-ऐ-	श्री सुखबीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह	6	-ऐ-
10.	-ऐ-	श्री मानवेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह	4	-ऐ-
11.	-ऐ-	श्री उमेद सिंह पुत्र माळू सिंह	5	प्रभावित भवन में निवास करता है तथा ग्राम मिलोगी ख्याल में दूसरा भवन है।
12.	-ऐ-	श्री आनन्द सिंह पुत्र श्याम सिंह	3	दूसरा भवन नहीं है।
13.	-ऐ-	श्री ध्यान सिंह पुत्र श्याम सिंह	4	-ऐ-
14.	-ऐ-	श्री बलबीर सिंह पुत्र श्याम सिंह	3	-ऐ-
15.	-ऐ-	श्री कर्ण सिंह पुत्र श्याम सिंह	1	-ऐ-
16.	-ऐ-	श्री जय सिंह पुत्र श्री जबर सिंह	1	-ऐ-
17.	-ऐ-	श्री भगवान सिंह पुत्र अषाड़ सिंह	4	-ऐ-
18.	-ऐ-	श्री दिवान सिंह पुत्र कीर्ति सिंह	8	-ऐ-

1	2	3	4	5
19.	आगर	श्री मेहर सिंह पुत्र कीर्ति सिंह	5	–ऐ–
20.	–ऐ–	श्री विक्रम सिंह पुत्र अषाढ़ सिंह	5	–ऐ–
21.	–ऐ–	श्री सज्जे सिंह पुत्र अषाढ़ सिंह	7	–ऐ–
22.	–ऐ–	श्री धूम सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह	5	प्रभावित भवन में निवास करता है तथा ग्राम में दूसरा भवन स्थित है।
23.	–ऐ–	श्री धन सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह	6	प्रभावित भवन में निवास नहीं करता है तथा ग्राम में दूसरा भवन स्थित है।
24.	–ऐ–	श्री मंगल सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह	6	प्रभावित भवन में निवास करता है तथा ग्राम में दूसरा भवन स्थित है।
25.	–ऐ–	श्री दया सिंह पुत्र बहार सिंह	5	–ए–
26.	–ऐ–	श्री सुमन सिंह पुत्र बहार सिंह	4	–ऐ–
27.	–ऐ–	श्री मोर सिंह पुत्र बहार सिंह	4	–ऐ–
28.	–ऐ–	श्री मदन सिंह पुत्र श्याम सिंह	5	–ऐ–
29.	–ऐ–	श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह	4	–ऐ–
30.	–ऐ–	श्री ज्ञान सिंह पुत्र बख्तौर सिंह	11	प्रभावित भवन में निवास करता है तथा ग्राम में दूसरा भवन स्थित है।
31.	–ऐ–	श्री सुक्खार सिंह पुत्र बख्तौर सिंह	5	–ए–
32.	–ऐ–	श्री वीर सिंह, प्रेम सिंह पुत्र ऐतवार सिंह	17	–ऐ–
33.	–ऐ–	श्री बलबीर सिंह पुत्र कीर्ति सिंह	2	–ऐ–
34.	–ऐ–	श्री सुरेन्द्र सिंह, वीर सिंह, दर्शन सिंह पुत्र रैला सिंह	20	–ऐ–
35.	–ऐ–	श्री सुन्दर सिंह पुत्र गज्जे सिंह	5	दूसरा भवन नहीं है।
36.	–ऐ–	श्री पूर्ण सिंह पुत्र सादर सिंह	5	–ऐ–
37.	–ऐ–	श्रीमती फूली देवी पत्नी गुलाब सिंह	1	–ऐ–
38.	–ऐ–	श्री पूर्ण सिंह पुत्र अषाढ़ सिंह	7	दूसरा भवन नहीं है।

1	2	3	4	5
39.	आगर	श्री जीत सिंह पुत्र बादर सिंह	8	प्रभावित भवन व्यवसायिक है। आवासीय भवन ग्राम में स्थित है।
40.	–ऐ–	श्री कुंवर सिंह पुत्र चरण सिंह	9	प्रभावित भवन में निवास नहीं करता है। ग्राम मे स्थित दूसरे भवन में निवास करता है।
41.	–ऐ–	श्री वीर सिंह पुत्र चरण सिंह	4	दूसरा भवन नहीं है।
42.	–ऐ–	श्री प्रेम सिंह, नेपाल सिंह पुत्र जुपल सिंह	16	प्रभावित भवन मे निवास नहीं करते हैं। ग्राम मे स्थित दूसरे भवन मे निवास करते हैं।
43.	–ऐ–	श्री नन्दन सिंह पुत्र हरि सिंह	8	–ऐ–
44.	–ऐ–	श्री पूर्ण सिंह पुत्र कृपाल सिंह	5	–ऐ–
45.	–ऐ–	श्री इन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह	8	प्रभावित भवन मे निवास करता है तथा ग्राम मे दूसरा भवन स्थित है।
46.	–ऐ–	श्री मंगल सिंह पुत्र हरि सिंह	12	–ऐ–
47.	–ऐ–	श्री मदन सिंह पुत्र श्री हरि सिंह	8	प्रभावित भवन मे निवास नहीं करता है तथा ग्राम मे स्थित दूसरा भवन स्थित है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पेज नं० 81 पर)

विधान सभा पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में निर्मित सिंचाई गूलों का विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	मद का नाम	निर्माण वर्ष	योजना की लम्बाई गूल (कि०मी०)	योजना की लम्बाई हौज (संख्या)	सिंचित क्षेत्रफल (है०)
1	2	3	4	5	6	7
1.	सा०सि०यो० पानी का तोक कुनारा	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.910	0	5.46
2.	सा०सि०यो० हरिजन बस्ती, ठडियार	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.300	0	1.80
3.	सा०सि०यो० गोबासा तोक पोखाड	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.600	0	3.60
4.	सा०सि०यो० अली हारी से पली हारी	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.415	0	2.49
5.	सा०सि०यो० उपली गोठी खरसाड़ी	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.500	0	3.00
6.	सा०सि०यो० ओपटा तोक भदराषू	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.500	0	3.00
7.	सा०सि०यो० स्याली तोक नानाई	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.910	0	5.46
8.	सा०सि०यो० तिलुआ तोक भदराषू	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.300	0	1.80
9.	सा०सि०यो० किमोटी थल्ली	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.300	0	1.80
10.	सा०सि०यो० धराट तोक कुनारा	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.480	0	2.88
11.	सा०सि०यो० पितलाषू	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.510	0	3.06
12.	सा०सि०यो० तलपाड	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.250	0	1.50
13.	सा०सि०यो० जिल्ड गूल कुकरेडा	ए०आई०बी०पी०	2002 2003 2003 2004	0.300	0	1.80

1	2	3	4	5	6	7
14.	उ0सि0यो0 कुकरेडा	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.400	0	2.40
15.	उ0सि0यो0 छाबा डाक सिववाणगांव	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.240	0	1.44
16.	उ0सि0यो0 कुन्ना डाक कोट गांव	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.980	0	5.88
17.	उ0सि0यो0 गंगरी डाक भिनारी	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.660	0	3.96
18.	उ0सि0यो0 कोखरियाण खड्ड री रौरी डाक लुदराला	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	1.000	0	6.00
19.	उ0सि0यो0 कोखरियाण खड्ड री रौरी डाक कोट गांव	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.750	0	4.50
20.	उ0सि0यो0 बल्हिया डाक कपोली	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.500	0	3.00
21.	उ0सि0यो0 कुपोला डाक पाकुडी	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.750	0	4.50
22.	उ0सि0यो0 रवां धार पाकुडी	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.390	0	2.34
23.	उ0सि0यो0 छिपाला खड्ड मैदवाड	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.600	0	3.60
24.	उ0सि0यो0 रायणा	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.600	0	3.60
25.	उ0सि0यो0 मैथा डाक जाकटा	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.215	0	1.29
26.	उ0सि0यो0 हैड्पू डाक कपोली	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.500	0	3.00
27.	उ0सि0यो0 कयारका डाक जाकटा	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.500	0	3.00
28.	उ0सि0यो0 कोसराला डाक गवाली	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.130	0	0.78
29.	उ0सि0यो0 गागरी धराट देवरा	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.300	0	1.80
30.	उ0सि0यो0 रादटा	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.450	0	2.70

1	2	3	4	5	6	7
31	ला0सिं0यो0 थापली तोक नाकरी	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.600	0	3.60
32	ला0सिं0यो0 सुनाथी तोक दैवरा	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.300	0	1.80
33	ला0सिं0यो0 थूली गाड	ए0आई0बी0पी0	2002 2003	0.500	0	3.00
34	ला0सिं0यो0 सुनारा बेगाल	ए0आई0बी0पी0	2002 2003 2003 2004	0.500	0	3.00
35	ला0सिं0यो0 मैटवाड	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.551	0	4.00
36	ला0सिं0यो0 पिपरी तोक गुराडी	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.543	0	4.00
37	ला0सिं0यो0 पोल्टा तोक पोखरी	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.540	0	4.00
38	ला0सिं0यो0 क्वालटा तोक पाला	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.540	0	3.50
39	ला0सिं0यो0 ईंगारा हुपणा हल्टाडी	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.291	0	2.50
40	ला0सिं0यो0 डोबू से बिनाटा तोक	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.918	0	6.00
41.	ला0सिं0यो0 अथारी तोक लुदराला	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.952	0	7.00
42	ला0सिं0यो0 क्यारी कुनारा पुजेली	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.663	0	4.00
43	ला0सिं0यो0 बडक्यारी तोक कुनारा	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.528	0	1.50
44	ला0सिं0यो0 क्याडी से दगमांग गांव	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.567	0	4.00
45	ला0सिं0यो0 धन्यारानी	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.652	0	4.00
46	ला0सिं0यो0 कुपोला तोक मैटवाड	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.678	0	4.00
47	ला0सिं0यो0 कुलेडी तोक दैवरा	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.268	0	2.50
48	ला0सिं0यो0 क्यारी तोक पुजेली	ए0आई0बी0पी0	2004 2005 2005 2006	0.660	0	4.00

1	2	3	4	5	6	7
49	रा०सि०यो० ज्ञानसू पन्यारा पैन्सर	ए०आई०बी०पी०	2004-2005 2005-2006	0.270	0	2.50
50	रा०सि०यो० रावत्या री सेरा गुराड़ी	ए०आई०बी०पी०	2004-2005 2005-2006	0.282	0	2.50
51	रा०सि०यो० सारखी तोक गैंवाण गांव	ए०आई०बी०पी०	2004-2005 2005-2006	0.277	0	2.50
52	रा०सि०यो० मुर्गी की खड़ी गैंवाण गांव	ए०आई०बी०पी०	2004-2005 2005-2006	0.900	0	6.00
53	रा०सि०यो० गोफ्डा नानई	जिला योजना	2002-2003	0.400	0	2.40
54	रा०सि०यो० बिगनारा गैन्वाणगांव	जिला योजना	2002-2003	0.450	0	2.70
55	रा०सि०यो० पानी का कुनारा	जिला योजना	2002-2003	0.420	0	2.52
56	रा०सि०यो० देवरा	जिला योजना	2002-2003	0.250	0	1.50
57	रा०सि०यो० त्रिया जामटा	जिला योजना	2002-2003	0.150	0	0.90
58	रा०सि०यो० जालगांव	जिला योजना	2002-2003	0.160	0	0.96
59	रा०सि०यो० हुलाई चुनारा	जिला योजना	2002-2003	0.180	0	1.08
60	रा०सि०यो० रवाजार माकुड़ी	जिला योजना	2002-2003	0.120	0	0.72
61	रा०सि०यो० नूराणू	जिला योजना	2002-2003	0.150	0	0.90
62	रा०सि०यो० देवलानी	जिला योजना	2002-2003	0.120	0	0.72
63	रा०सि०यो० त्रिया शाखा पुल	जिला योजना	2002-2003	0.120	0	0.72
64	रा०सि०यो० हाथला भूटाणू	जिला योजना	2002-2003	0.120	0	0.72
65	रा०सि०यो० घराट तोक चिलाड़ी	जिला योजना	2002-2003	0.100	0	0.60
66	रा०सि०यो० धन्यारामी	जिला योजना	2002-2003	0.120	0	0.72
67	रा०सि०यो० सिदरी	जिला योजना	2002-2003	0.120	0	0.72
68	रा०सि०यो० पांचगाड़ा सौड़	जिला योजना	2002-2003	0.120	0	0.72
69	रा०सि०यो० निवला नानई	जिला योजना	2002-2003	0.120	0	0.72
70	रा०सि०यो० हरनाडी बिगसारी	जिला योजना	2002-2003	0.120	0	0.72

1	2	3	4	5	6	7
71.	सा०सिं०यो० बढाल चौक	जिला योजना	2002 2003	0.120	0	0.72
72	सा०सिं०यो० थौला कलाण	जिला योजना	2002 2003	0.120	0	0.70
73	सा०सिं०यो० डांडा गांव	जिला योजना	2004 2005	0.140	0	0.84
74	सा०सिं०यो० सरली सिमन्दुर स्याल गांव	जिला योजना	2004 2005	0.100	0	0.60
75	सा०सिं०यो० पन्दाली थुनारा	जिला योजना	2004 2005	0.160	0	0.96
76	सा०सिं०यो० गाडका डोभाल	जिला योजना	2004 2005	0.100	0	0.60
77.	सा०सिं०यो० नानई	जिला योजना	2004 2005	0.100	0	0.60
78	सा०सिं०यो० कैलाई चौक सिववाणं गांव	जिला योजना	2004 2005	0.100	0	0.60
79	सा०सिं०यो० आनुवत्ती सकरीयान	जिला योजना	2004 2005	0.135	0	0.81
80	सा०सिं०यो० जोहा चौक सला	जिला योजना	2004 2005	0.090	0	0.54
81	सा०सिं०यो० गदासू	जिला योजना	2004 2005	0.90	0	0.54
82	सा०सिं०यो० सरथीदपाण गांव	जिला योजना	2004 2005	0.110	0	0.66
83	सा०सिं०यो० कुनारा	जिला योजना	2004 2005	0.110	0	0.66
84	सा०सिं०यो० किरणू	एस०सी०पी०	2004 2005	0.375	0	2.25
85	सा०सिं०यो० परारी	एस०सी०पी०	2004 2005	0.200	0	1.20
86	सा०सिं०यो० धन्यारणी	एस०सी०पी०	2004 2005	0.575	0	3.45
87	सा०सिं०यो० नानई	एस०सी०पी०	2004 2005	0.360	0	2.16
88	सा०सिं०यो० कमालासालरा	टी०एस०पी०	2004 2005	0.900	0	5.40
89	सा०सिं०यो० देलाना से हिसारा	टी०एस०पी०	2004 2005	0.500	0	3.00
90	सा०सिं०यो० बाडा चौक ककडी	टी०एस०पी०	2004 2005	0.990	0	5.98
91	सा०सिं०यो० हलाई चौक कुकरेडा	जिला योजना	2005 2005 2006 2007	0.180	0	1.08
92	सा०सिं०यो० खिला चौक गुराडी	जिला योजना	2005 2006 2006 2007	0.180	0	1.08
93	सा०सिं०यो० मन्नू गांड सालरा	जिला योजना	2005 2006 2006 2007	0.205	0	1.23

1	2	3	4	5	6	7
94	रा०सि०यो० चिनवारी	जिला योजना	2005 2006 2006 2007	0.210	0	1.26
95	रा०सि०यो० डगोली	जिला योजना	2005 2006 2006 2007	0.210	0	1.26
96	रा०सि०यो० सनेल आराकोट	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.680	0	4.00
97	रा०सि०यो० हेडूणू	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.426	0	4.00
98	रा०सि०यो० चिवा	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.451	0	3.00
99	रा०सि०यो० कोटगांव किरागु	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.370	0	4.00
100	रा०सि०यो० टिकोची	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.600	0	4.00
101	रा०सि०यो० मालना तोक	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.590	0	3.00
102	रा०सि०यो० डंगिणा तोक	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.450	0	3.00
103	रा०सि०यो० नया	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.625	0	4.00
104	रा०सि०यो० कातल	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.260	0	2.00
105	रा०सि०यो० थुनीगाड	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.450	0	3.00
106	रा०सि०यो० सिमोदा तोक ननाई	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.265	0	2.00
107	रा०सि०यो० धरोसा तोक डांडाक्यारी	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.570	0	3.42
108	रा०सि०यो० स्यालगांव	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.515	0	3.00
109	रा०सि०यो० डुबालगांव	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.690	0	5.00
110	रा०सि०यो० पाना तोक कुणगाई	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.515	0	3.50
111.	रा०सि०यो० पारी गांव खरसाड़ी	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.500	0	5.00
112	रा०सि०यो० गुप्पू तोक ननाई	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.260	0	2.00
113	रा०सि०यो० गैरीनाला तोक स्यालगांव	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.515	0	3.00
114	रा०सि०यो० बयारी तोक डोभाल गांव	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.400	0	3.00

1	2	3	4	5	6	7
115	सा०सिं०यो० सापी गांव	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.270	0	2.00
116	सा०सिं०यो० भोटनी तोक ननाई	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.240	0	3.00
117	सा०सिं०यो० डगोली देवजानी	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.510	0	3.00
118	सा०सिं०यो० स्वाली ननाई एक्स	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.490	0	3.00
119	सा०सिं०यो० नीतुषा	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.400	0	3.00
120	सा०सिं०यो० बुडोन	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.290	0	2.00
121	सा०सिं०यो० डांडा गांव	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.420	0	3.00
122	सा०सिं०यो० सांतला तोक डांडागांव	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.450	0	3.00
123	सा०सिं०यो० देवारी	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.445	0	3.00
124	सा०सिं०यो० गदरासू	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.450	0	3.00
125	सा०सिं०यो० गैरी गाड से भंगला कोटगांव	ए०आई०बी०पी०	2005 2006	0.860	0	5.00

पी०एस०यू० (आर०ई०) 1 विधान सभा/98 01 07 2010 200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।